VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सितंबर 2024

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

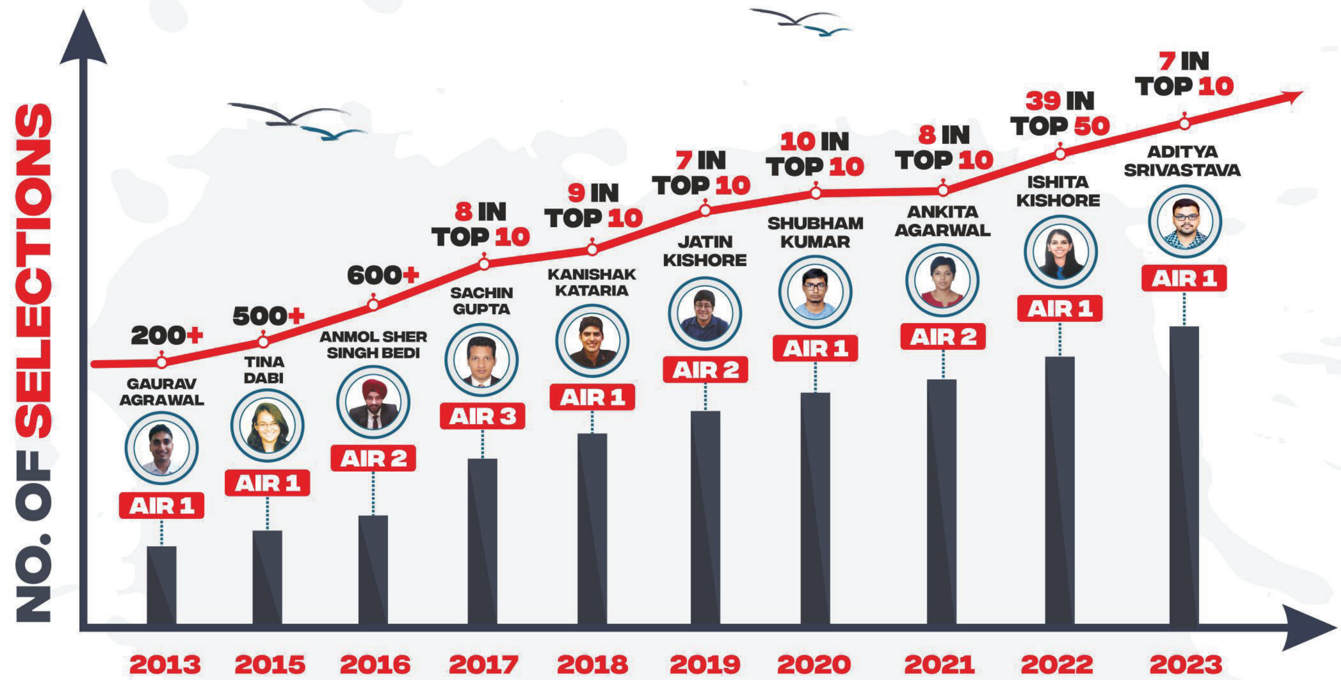

LIVE/ONLINE Classes Available
www.visionias.in

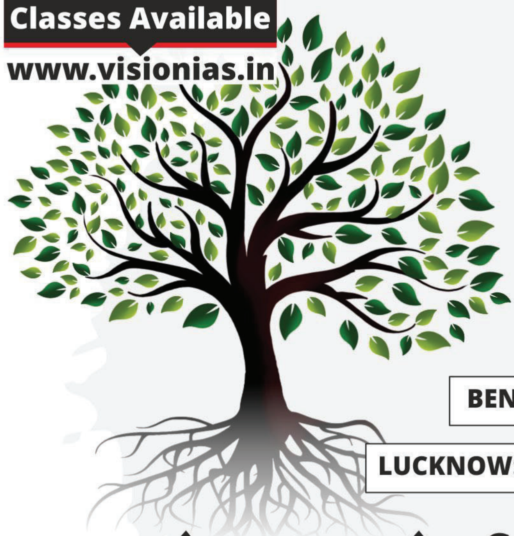

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI: 18 OCT, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 12 NOV, 6 PM

BENGALURU: 5 DEC | JAIPUR: 16 DEC | HYDERABAD: 11 NOV | JODHPUR: 3 OCT

LUCKNOW: 5 DEC | BHOPAL: 5 DEC | ADMISSION OPEN AHMEDABAD | CHANDIGARH | PUNE

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 20 नवंबर, 8 AM | JAIPUR: 16 दिसंबर | JODHPUR: 3 अक्टूबर | प्रवेश प्रारम्भ BHOPAL | LUCKNOW

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc
/c/VisionIASdelhi
/c/VisionIASdelhi
/t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) ____ 4

1.1. एक राष्ट्र एक चुनाव ____ 4

1.2. वैश्विक स्तर पर AI का गवर्नेंस ____ 7

1.3. शिकायत निवारण तंत्र ____ 9

1.4. एकीकृत पेंशन योजना ____ 13

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 14

1.5.1. न्यायालयों में 'ब्लैक कोट सिंड्रोम' ____ 14

1.5.2. प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्तियों के अधिकार ____ 15

1.5.3. गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 ____ 15

1.5.4. प्ली बार्गेनिंग/ सौदा अभिवाक ____ 16

1.5.5. सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 3 में संशोधन 2023 ____ 16

1.5.6. 23वें विधि आयोग का गठन ____ 17

1.5.7. लोक सेवक पर अभियोजन की मंजूरी ____ 18

1.5.8. सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के एशियाई संगठन ____ 19

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) ____ 20

2.1. क्वाडिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग/ क्वाड ____ 20

2.2. संघर्ष समाधान में भारत की भूमिका ____ 24

2.3. भारत-सिंगापुर संबंध ____ 26

2.4. आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था ____ 29

2.5. हिंद-प्रशांत महासागर पहल ____ 32

2.6. तापी गैस पाइपलाइन परियोजना ____ 34

2.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 36

2.7.1. भारत ने इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के तहत विशेष समझौतों पर हस्ताक्षर किए ____ 36

2.7.2. पैसिफिक आइलैंड्स फोरम ____ 36

2.7.3. संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में "पैक्ट फॉर द फ्यूचर" को अपनाया ____ 37

2.7.4. भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने संयुक्त गतिविधियों के लिए कार्य योजना अपनाई ____ 38

2.7.5. भारत-ब्रुनेई दारुस्सलाम ने द्विपक्षीय संबंधों को 'विस्तृत साझेदारी' तक बढ़ाया ____ 39

2.7.6. भारत-डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी ____ 39

2.7.7. G4 राष्ट्र ____ 39

2.7.8. भारत की सैन्य कूटनीति ____ 40

2.7.9. हालिया सैन्य अभ्यास ____ 40

2.7.10. ऑपरेशन सद्भाव ____ 41

2.7.11. नॉर्दर्न यूनाइटेड-2024 ____ 41

2.7.12. एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ____ 41

2.7.13. फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन- ट्रस्टेड ट्रैवलर्स प्रोग्राम (FTI-TTP) ____ 42

3. अर्थव्यवस्था (Economy) ____ 43

3.1. विकास में क्षेत्रीय असमानता ____ 43

3.2. मिडिल इनकम ट्रैप ____ 45

3.3. वित्तीय समावेशन और प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के 10 वर्ष ____ 48

3.3.1. भारत में सूक्ष्म-वित्त यानी माइक्रोफाइनेंस सेक्टर के 50 वर्ष ____ 51

3.4. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम ____ 52

3.5. वधावन बंदरगाह ____ 54

3.6. प्रधान मंत्री ई-ड्राइव योजना ____ 57

3.7. स्वैच्छिक वाहन-आधुनिकीकरण कार्यक्रम ____ 61

3.8. खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क ____ 63

3.9. भारत में इस्पात क्षेत्रक ____ 65

3.10. भारत का डेयरी सहकारी क्षेत्रक ____ 67

3.11. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 70

3.11.1. वित्तीयकरण ____ 70

3.11.2. EAC-PM के एक वर्किंग पेपर के अनुसार 1947 के बाद से खाद्य पर औसत घरेलू (पारिवारिक) व्यय आधा हो गया है ____ 71

3.11.3. भारत स्टार्ट-अप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) पहल ____ 71

3.11.4. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण ____ 73

3.11.5. यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस ____ 73

3.11.6. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक 74

3.11.7. परपेचुअल बॉण्ड्स ____ 74

3.11.8. विंडफॉल टैक्स ____ 74

3.11.9. कृषि अवसंरचना कोष ____ 74

3.11.10. SPICED योजना ____ 75

3.11.11. नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा-पत्र ____ 76

4. सुरक्षा (Security) ____ 78

4.1. ड्रोन और आंतरिक सुरक्षा ____ 78

4.2. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट, 2024 ______ 80
4.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 84
4.3.1. सैन्य क्षेत्र में AI के जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग हेतु ब्लूप्रिंट ______ 84
4.3.2. ऑपरेशन चक्र III ______ 84
4.3.3. अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी 'INS अरिघात' भारतीय नौसेना में शामिल की गई ______ 85
4.3.4. कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल ______ 85
5. पर्यावरण (Environment) ______ 87
5.1. जल संचय जन भागीदारी ______ 87
5.2. मिशन मौसम ______ 89
5.3. मानव-वन्यजीव संघर्ष ______ 91
5.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 94
5.4.1. वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच ______ 94
5.4.2. वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन ______ 95
5.4.3. टील कार्बन ______ 95
5.4.4. जलविद्युत परियोजनाओं हेतु योजना ______ 96
5.4.5. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिशा-निर्देश ______ 97
5.4.6. वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए भारत-जर्मनी प्लेटफॉर्म ______ 98
5.4.7. UN द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन प्रिंसिपल्स ______ 98
5.4.8. इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने 'स्टेट ऑफ द राइनो' रिपोर्ट जारी की ______ 99
5.4.9. वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास ______ 100
5.4.10. आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन की पांचवीं वर्षगांठ मनाई गई ______ 100
5.4.11. टार्डिग्रेड्स ______ 101
5.4.12. फ़्रीनराचने डिसिपिएंस ______ 102
5.4.13. कलमी/ करमुआ/ नारी साग ______ 102
5.4.14. AIKYA अभ्यास ______ 102
5.4.15. अटाकामा साल्ट फ्लैट/ नमक का मैदान ______ 102
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) ______ 104
6.1. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ______ 104
6.2. स्वच्छ भारत मिशन ______ 107
6.3. आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना ______ 110
6.4. बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री ______ 113
6.5. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न ______ 115
6.6. महिला नेतृत्व वाले स्वयं-सहायता समूह (SHGs): लखपति दीदी ______ 118
6.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 122
6.7.1. समाज में सूक्ष्म स्तर पर व्याप्त लैंगिक भेदभाव ______ 122
6.7.2. NPS वात्सल्य योजना ______ 123
6.7.3. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ______ 123
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) ______ 125
7.1. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ______ 125
7.2. ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ______ 127
7.3. ऑर्गन-ऑन-चिप (OOC) प्रौद्योगिकी ______ 130
7.4. विश्वस्य: राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक ______ 133
7.5. भारत का अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम ______ 137
7.6. ग्राफीन ______ 140
7.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 142
7.7.1. क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (QNLP) ______ 142
7.7.2. सिलिकॉन कार्बाइड ______ 142
7.7.3. पोलारिस डॉन मिशन के तहत विश्व का पहला निजी स्पेसवॉक सफलतापूर्वक पूरा किया गया ______ 142
7.7.4. वीनस ऑर्बिटर मिशन ______ 143
7.7.5. चंद्रयान-4 ______ 144
7.7.6. स्क्वायर किलोमीटर ऐरे ______ 145
7.7.7. क्वासर ______ 145
7.7.8. शनि के वलय ______ 145
7.7.9. नीति आयोग ने "भविष्य की महामारी से निपटने की तैयारियों पर विशेषज्ञ समूह" की रिपोर्ट जारी की ______ 146
7.7.10. विषाणु युद्ध अभ्यास ______ 146
7.7.11. मल्टी-ड्रग रेसिस्टेंट टी.बी. (MDR-टी.बी.) के लिए नई उपचार पद्धति ______ 147
7.7.12. सोनोल्यूमिनसेंस ______ 148
7.7.13. सरकमन्यूटेशन ______ 148
7.7.14. वुड वाइड वेब ______ 148
7.7.15. AVGC-XR सेक्टर ______ 149
8. संस्कृति (Culture) ______ 150
8.1. हड़प्पा सभ्यता की खोज के 100 वर्ष ______ 150
8.2. पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजय पुरम किया गया153
8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 156

8.3.1. मनकीडिया जनजाति ______ 156
8.3.2. ओडिशा का अकाल, 1866 ______ 156
8.3.3. अनुभव पुरस्कार ______ 156
8.3.4. FIDE शतरंज ओलंपियाड ______ 156
8.3.5. सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 157
9. नीतिशास्त्र (Ethics) ______ 158
9.1. भ्रष्टाचार ______ 158
10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) ______ 162
10.1. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पी.एम.-आशा) ______ 162
11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News) ______ 164
12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News) ______ 165

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

- विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
- पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
- विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• प्री फाउंडेशन कक्षाएं
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 20 नवंबर, 8 AM
JAIPUR: 16 दिसंबर
JODHPUR: 3 अक्टूबर
प्रवेश प्रारम्भ
BHOPAL | LUCKNOW

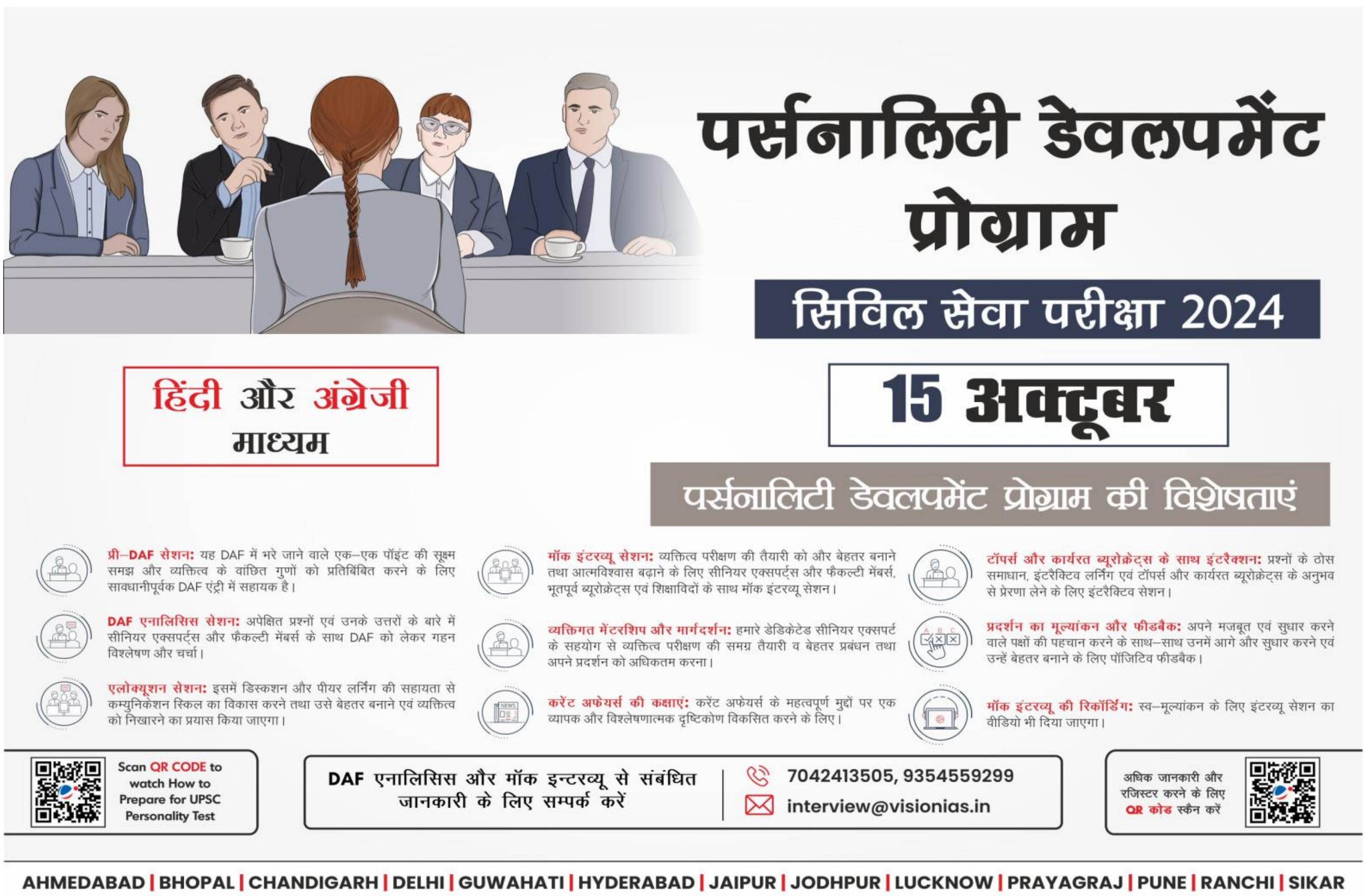

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम
सिविल सेवा परीक्षा 2024
हिंदी और अंग्रेजी माध्यम
15 अक्टूबर
पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की विशेषताएं
प्री–DAF सेशन: यह DAF में भरे जाने वाले एक–एक पॉइंट की सूक्ष्म समझ और व्यक्तित्व के वांछित गुणों को प्रतिबिंबित करने के लिए सावधानीपूर्वक DAF एंट्री में सहायक है।
DAF एनालिसिस सेशन: अपेक्षित प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के बारे में सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स के साथ DAF को लेकर गहन विश्लेषण और चर्चा।
एलोक्यूशन सेशन: इसमें डिस्कशन और पीयर लर्निंग की सहायता से कम्युनिकेशन स्किल का विकास करने तथा उसे बेहतर बनाने एवं व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया जाएगा।
मॉक इंटरव्यू सेशन: व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी को और बेहतर बनाने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स, भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट्स एवं शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन।
व्यक्तिगत मेंटरशिप और मार्गदर्शन: हमारे डेडिकेटेड सीनियर एक्सपर्ट के सहयोग से व्यक्तित्व परीक्षण की समग्र तैयारी व बेहतर प्रबंधन तथा अपने प्रदर्शन को अधिकतम करना।
करेंट अफेयर्स की कक्षाएं: करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए।
टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरैक्शन: प्रश्नों के ठोस समाधान, इंटरैक्टिव लर्निंग एवं टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के अनुभव से प्रेरणा लेने के लिए इंटरैक्टिव सेशन।
प्रदर्शन का मूल्यांकन और फीडबैक: अपने मजबूत एवं सुधार करने वाले पक्षों की पहचान करने के साथ–साथ उनमें आगे और सुधार करने एवं उन्हें बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक।
मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग: स्व–मूल्यांकन के लिए इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी दिया जाएगा।
Scan QR CODE to watch How to Prepare for UPSC Personality Test
DAF एनालिसिस और मॉक इन्टरव्यू से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क करें
7042413505, 9354559299
interview@visionias.in
अधिक जानकारी और रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें
AHMEDABAD | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI | SIKAR

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. एक राष्ट्र एक चुनाव (One Nation One Election)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति **श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित "एक राष्ट्र एक चुनाव या एक साथ चुनाव" पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार** कर लिया है।

एक साथ चुनाव के बारे में

- एक साथ चुनाव को **एक राष्ट्र एक चुनाव** के रूप में भी जाना जाता है। भारत में इसका आशय **लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को एक साथ** संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी **विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान** कर सकेंगे।
    - **एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं** है कि **संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो।**
- भारत में **वर्ष 1951-52, 1957, 1962 तथा 1967** में लोक सभा और विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव हुए थे।
    - **1968-69** में राज्य विधान सभाओं और **1970** में लोक सभा के **समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित** हो गया था।

एक साथ चुनाव की आवश्यकता क्यों है?

- **गवर्नेंस और विकास:** चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (MCC)[1] लागू की जाती है। ऐसे में **बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू करने** से चुनाव वाले राज्य/ राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी तरह के विकास कार्यक्रम एवं गतिविधियां रुक जाती हैं।
    - बार-बार होने वाले चुनावों से देश की **आर्थिक संवृद्धि** प्रभावित होती है। इसके कारण **निवेश संबंधी निर्णयों पर नकारात्मक असर** पड़ता है। साथ ही, बार-बार होने वाले चुनावों की वजह से **सरकारें अक्सर महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को टाल देती हैं,** जिससे देश को कई विकास के अवसर गंवाने पड़ते हैं।
    - सरकार के सभी तीनों स्तरों पर एक साथ चुनाव कराने से **आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन चक्र में आने वाली रुकावटों से बचा जा सकेगा।** ऐसा इसलिए, क्योंकि **प्रवासी श्रमिकों** को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए बार-बार छुट्टी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- **वित्तीय बोझ में कमी:** एक साथ चुनाव कराने से लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और स्थानीय निकायों के अलग-अलग **चुनावों पर जो बार-बार खर्च करना पड़ता है, उससे बचा जा सकेगा।**
- **अधिकारियों व कर्मचारियों का अपने निर्धारित कार्यों से अलग काम करना:** चुनावों के समय ज्यादातर **सुरक्षा बल** और अन्य सरकारी कर्मचारी निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए अपने प्राथमिक कर्तव्यों से काफी लंबे समय तक दूर रहते हैं। इसके अलावा, ज्यादातर शिक्षकों को भी निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगा दिया जाता है।
- **अदालतों पर काम का बोझ कम करना:** एक साथ चुनाव कराने से चुनाव संबंधी विवादों की संख्या में कमी आएगी तथा इससे न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम होगा।
- **पहचान की राजनीति को कम करना:** बार-बार होने वाले चुनावों में अक्सर **पहचान की राजनीति का उपयोग** किया जाता है। इससे जाति और वर्ग विभाजन को बढ़ावा मिलता है तथा सामाजिक एकता बाधित होती है।
- **मतदाताओं की भागीदारी:** बार-बार चुनाव होने के कारण 'मतदाताओं' को थकावट का अनुभव होता है। इससे **चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी कम** हो जाती है, जो एक प्रमुख समस्या है।

"चुनाव देश में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण बन गए हैं। चुनाव जीतने के बाद, राजनीतिक-नौकरशाही गठजोड़ **'निवेश की वसूली'** में लग जाता है और यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है।"

— डॉ. एस.वाई. कुरैशी
पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[1] Model Code of Conduct

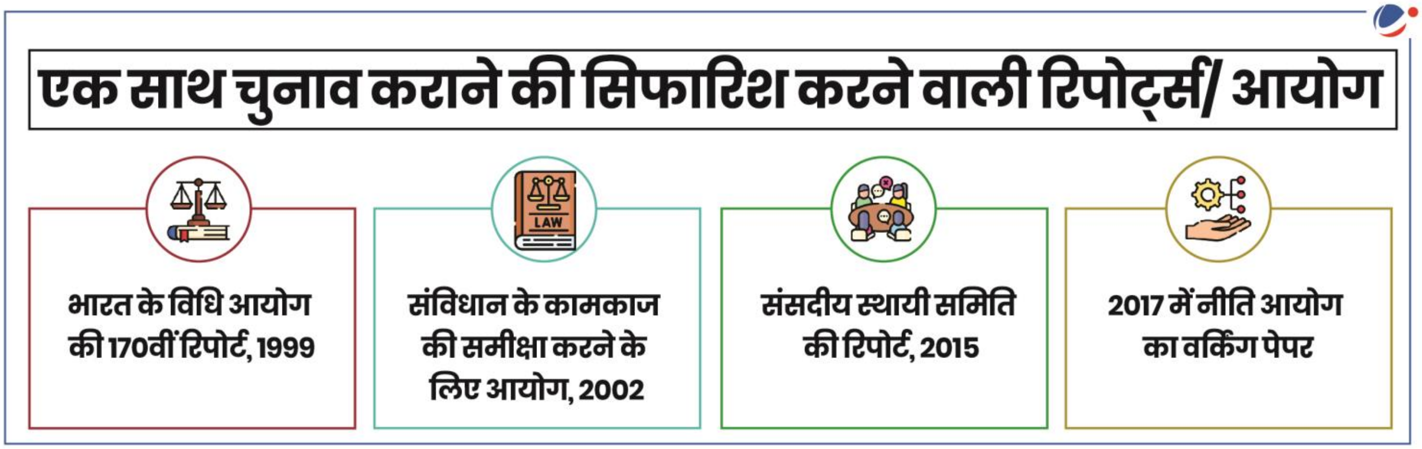

एक साथ चुनाव हेतु उच्च स्तरीय समिति की मुख्य सिफारिशें

इस समिति ने बार-बार होने वाले चुनावों के कारण सरकार, व्यवसायों, न्यायालय, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज आदि पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए देश में एक साथ चुनाव का समर्थन किया है। इसके तहत **लोक सभा, सभी राज्य विधान सभाओं और स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं एवं पंचायतों के चुनाव एक साथ** कराए जाएंगे। **इस संबंध में इस समिति की सिफारिशें इस प्रकार हैं:**

- **चुनावों का समन्वय:** चुनाव दो चरणों में कराए जाने चाहिए-
  - **पहला चरण: लोक सभा और राज्य विधान सभाओं** के चुनाव **एक साथ** कराए जाने चाहिए; तथा
  - **दूसरा चरण: आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर** नगरपालिकाओं और पंचायतों का चुनाव कराया जाना चाहिए।
- **प्रस्तावित संविधान संशोधन:** उच्च स्तरीय समिति ने संविधान के **तीन अनुच्छेदों में संशोधन,** मौजूदा अनुच्छेदों में **12 नए उप-खंडों को शामिल** करने और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित **तीन कानूनों में बदलाव** करने का सुझाव दिया है।

अनुच्छेद 82A को शामिल करना	अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि) और अनुच्छेद 172 (राज्य विधान-मंडलों की अवधि) में संशोधन	अनुच्छेद 324A को शामिल करना
• **अनुच्छेद 82A(1)** में यह प्रावधान किया जाएगा कि **"आम चुनाव के बाद लोक सभा की पहली बैठक की तिथि पर", राष्ट्रपति अनुच्छेद 82A को प्रभावी करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगा।** इस अधिसूचना की तिथि को **"नियत तिथि (Appointed date)"** कहा जाएगा। • **अनुच्छेद 82A(2)** में यह प्रावधान किया जाएगा कि **"लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर 'नियत तिथि' के बाद आयोजित किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधान सभाओं का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा।"**	• लोक सभा में **त्रिशंकु सदन, दल-बदल या अविश्वास प्रस्ताव** जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। हालांकि, ये चुनाव केवल भंग **लोक सभा के शेष कार्यकाल** के लिए ही होने चाहिए। इसी प्रकार, राज्यों के मामले में, राज्य विधान सभाओं के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे और जब तक उन्हें जल्द भंग नहीं किया जाता, तब तक उनका कार्यकाल लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक जारी रहेगा। ○ इससे एक साथ चुनाव के चक्र में निरंतरता सुनिश्चित होगी।	• यह आम चुनावों के साथ **नगर पालिकाओं और पंचायतों** के लिए एक साथ चुनाव कराने से संबंधित है। ○ हालांकि, इसके लिए **राज्यों के अनुसमर्थन (Ratification) की आवश्यकता** होगी।

- **एकल मतदाता सूची:** इसे राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से **भारत निर्वाचन आयोग** द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके लिए संविधान के **अनुच्छेद 325 में संशोधन** करना पड़ेगा।
  - हालांकि, इसमें भारतीय संविधान के **भाग IX और भाग IXA** के संबंध में **संविधान की 7वीं अनुसूची** के तहत **राज्य सूची के विषयों (स्थानीय सरकार) में संशोधन** शामिल है, इसलिए **अनुच्छेद 368(2) के तहत जो संविधान संशोधन** होगा उसके लिए **राज्यों द्वारा अनुसमर्थन** आवश्यक है।

- **राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता:** समिति ने पाया कि संसद और राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल से संबंधित संविधान संशोधनों के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता **नहीं** होगी। हालांकि, **स्थानीय निकायों** के कार्यकाल में परिवर्तन से संबंधित संविधान संशोधनों को कम-से-कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक होगा।
- **एक साथ चुनाव कराने के लिए लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करना:**
  - **लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों के लिए:** भारत निर्वाचन आयोग EVMs/ VVPATs की खरीद और मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों आदि की तैनाती के अग्रिम अनुमान के लिए एक योजना तैयार करेगा।
  - **नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों के लिए:** राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं के लिए एक योजना तैयार करेंगे।
- इस पूरी प्रक्रिया को अमल में लाने और उसकी निगरानी करने के लिए एक **कार्यान्वयन समूह (Implementation Group)** का गठन किया जाना चाहिए।

एक साथ चुनाव कराने से संबंधित चुनौतियां और जटिलताएं

- **क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा:** लोक सभा और सभी राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने से राष्ट्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय एवं राज्यों के विशेष मुद्दों पर हावी हो जाएंगे।
- **क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव:** एक साथ चुनाव कराने से ऐसी प्रणाली बन सकती है, जिसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दलों की तुलना में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा।
- **राजनीतिक जवाबदेही:** बार-बार चुनाव होने से सांसदों की जवाबदेही तय होती है, जबकि निश्चित कार्यकाल से उनके काम-काज की जांच के बिना अनावश्यक स्थिरता मिल सकती है। इससे लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर असर पड़ता है।
- **संघवाद को लेकर चिंताएं:** संविधान के **अनुच्छेद 172** के तहत राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल से संबंधित संविधान संशोधन, राज्यों के अनुसमर्थन के बिना भी किए जा सकते हैं। इस प्रकार, राज्यों की राय और अपना मत रखने का उनका अधिकार कम हो सकता है।
- **लॉजिस्टिक्स संबंधी मुद्दे:** एक राष्ट्र एक चुनाव के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसमें प्रक्रिया की देखरेख के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और प्रशिक्षित कर्मियों की विशाल संख्या में आपूर्ति शामिल है।

> "भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को अपनाना संविधान की भावना के साथ-साथ सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप भी होगा।"
>
> — न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा,
> भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश

निष्कर्ष

एक साथ चुनावों के लाभों तथा संघवाद, लोकतांत्रिक अखंडता एवं राजनीतिक बहुलता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विस्तृत कानूनी चर्चा आवश्यक है।

चुनाव सुधारों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #58: चुनाव सुधार: प्रभावी लोकतंत्र का एक दृष्टिकोण

VISIONIAS
DAKSHA MAINS
MENTORING PROGRAM 2024
दक्ष : मुख्य परीक्षा 2025 के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम
(मुख्य परीक्षा 2025 के लिए स्ट्रेटेजिक रिवीजन / प्रैक्टिस और आवश्यक सुधार हेतु मेंटरिंग कार्यक्रम)
हिन्दी/English माध्यम
दिनांक 25 अक्टूबर
अवधि 4 महीने
Lakshya
लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2025
24 अक्टूबर 2024

1.2. वैश्विक स्तर पर AI का गवर्नेंस (Global AI Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मानवाधिकार, लोकतंत्र एवं कानून के शासन पर यूरोपीय परिषद (COE) का फ्रेमवर्क कन्वेंशन"[2] AI पर **कानूनी रूप से बाध्यकारी पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि** है। इसे हाल ही में, हस्ताक्षर के लिए देशों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यूरोपीय परिषद (COE) **1949** में स्थापित एक **अंतर-सरकारी** संगठन है। इसमें यूरोपीय संघ के देशों के साथ-साथ अन्य सदस्य देश भी शामिल हैं। इसकी सदस्य संख्या **46** है। इसमें **जापान** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** भी शामिल हैं।
- COE फ्रेमवर्क कन्वेंशन **2019** में तब शुरू हुआ, जब **यूरोपीय परिषद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक तदर्थ समिति (CAHAI)**[3] का गठन किया था। इसका कार्य एक ऐसे कानूनी उपकरण की व्यवहार्यता की जांच करना था, जो AI के विकास और उपयोग को विनियमित कर सके।
- यह कन्वेंशन नए नियमों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप है, जैसे- **G7 AI समझौता, यूरोपीय संघ का (EU) का AI कानून, बैलेचली घोषणा-पत्र,** इत्यादि।

COE फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रमुख प्रावधान

- **कवरेज:** इसके तहत **सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी अभिकर्ताओं,** दोनों द्वारा उपयोग की जाने वाली AI प्रणालियों को शामिल किया गया है। साथ ही, **सार्वजनिक प्राधिकरणों की ओर से कार्य करने वाले निजी अभिकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली AI प्रणालियों** को भी इसमें कवर किया गया है।
- **हस्ताक्षरकर्ताओं के दायित्व:** पक्षकार देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए **उचित विधायी, प्रशासनिक या अन्य उपाय अपनाने या बनाए रखने** होंगे कि AI प्रणालियों की उपयोग अवधि के भीतर गतिविधियां-
  - लागू अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानून में निहित **मानवाधिकारों की रक्षा के दायित्वों के अनुरूप हों;**
  - **लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं की अखंडता, स्वतंत्रता एवं प्रभावशीलता** को कमजोर करने वाली न हों; आदि।
- इस फ्रेमवर्क कन्वेंशन की एक खास विशेषता यह है कि यह **प्रौद्योगिकी को सीधे तौर पर विनियमित नहीं** करता और साथ ही यह **टेक्नोलॉजी न्यूट्रल** भी है।
- इसके तहत वैश्विक स्तर पर AI प्रणालियों के डिजाइन, विकास और डीकमीशनिंग (समाप्ति) के लिए **जोखिम-आधारित दृष्टिकोण** अपनाया गया है।
- **अपवाद:** यह **राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर लागू नहीं** होता है। हालांकि, यदि इन क्षेत्रकों में AI प्रणालियों का परीक्षण मानवाधिकारों, लोकतंत्र, या कानून के शासन में हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है, तो वह इस फ्रेमवर्क के दायरे में आ जाएगा।
- फ्रेमवर्क के तहत **"AI प्रणालियों की उपयोग अवधि के भीतर विभिन्न गतिविधियों से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों"** को रेखांकित किया गया है (इन्फोग्राफिक देखें)।

वैश्विक स्तर पर AI के गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों है?

- **जोखिम न्यूनीकरण:** AI प्रणालियों का वैश्विक स्तर पर विनियमन, AI प्रणालियों से जुड़े वैश्विक जोखिमों जैसे कि रोजगार की क्षति, भेदभाव, निगरानी व सैन्य कार्यों में दुरुपयोग, AI हथियारों के लिए स्पर्धा आदि को कम करने हेतु मानक निर्धारित कर सकता है।

---

[2] Council of Europe (COE) Framework Convention on Artificial Intelligence (AI) and human rights, democracy and the rule of law

[3] Council of Europe's Ad Hoc Committee on Artificial Intelligence

* **लोकतांत्रिक काम-काज के लिए खतरा:** उदाहरण के लिए- दुष्प्रचार और फेक न्यूज़ जैसे तत्व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की प्रामाणिकता को प्रभावित कर सकते हैं।
* **असमानताओं से निपटना:** AI के वैश्विक गवर्नेंस संबंधी वर्तमान व्यवस्था में असमानता व्याप्त है। उदाहरण के लिए- कई विकासशील देश, विशेषकर ग्लोबल साउथ के देश, इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और उनके विचारों को महत्त्व नहीं दिया जा रहा है।
* **सीमा-पार प्रकृति:** डेटा गोपनीयता और सुरक्षा जैसे AI प्रणालियों से जुड़े मुद्दे एक साथ कई देशों को प्रभावित कर सकते हैं।
* **AI का अनुचित तरीके से समायोजन:** ऐसा तब होता है, जब AI प्रणालियां ऐसे तरीकों से कार्य करती हैं, जो मानवीय इच्छाओं को नहीं दिखाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरणों में- चिकित्सा संबंधी अव्यवहार्य सिफारिशें, पक्षपाती एल्गोरिदम, कंटेंट मॉडरेशन आदि शामिल हैं।
* **व्यापक पैमाने पर उपयोग:** स्वास्थ्य देखभाल, वित्त और कानून प्रवर्तन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निर्णय लेने में AI प्रणालियों को तेजी से अपनाया जा रहा है।

वैश्विक स्तर पर AI के गवर्नेंस के समक्ष क्या चुनौतियां हैं?

* **प्रतिनिधित्व की कमी:** AI गवर्नेंस से संबंधित पहलों में विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व का अभाव है, अर्थात् AI के विकास से जुड़ी हुई संस्थाओं में निम्न-आय वाले देशों विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों की प्रतिनिधित्व की कमी देखी गई है । इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर AI के मूल्यांकन और वित्त-पोषण में भारी असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं।
    * उदाहरण के लिए- AI से जुड़ी कई चर्चाओं या पहलों में **केवल सात देशों** द्वारा ही भाग लिया जा रहा है। ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देशों (118) को इन पहलों में शामिल नहीं किया गया है।
* **समन्वय संबंधी अंतराल:** अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अनुसंधान संबंधी पहलों के लिए एक वैश्विक तंत्र का अभाव कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है, जैसे-
    * अलग-अलग देशों और क्षेत्रों में AI के नियमों में भिन्नता के कारण, **AI प्रणालियों को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित करना या एक-दूसरे के साथ जोड़ना** मुश्किल हो जाता है। इससे वैश्विक स्तर पर AI का विकास और उपयोग सीमित हो जाता है।
    * विविध देशों द्वारा **AI चुनौतियों पर अस्थायी प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं। ये प्रतिक्रियाएं अक्सर दीर्घकालिक समाधानों की बजाय** तात्कालिक होती हैं।
    * **संकीर्ण दृष्टिकोण:** AI के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण इसके जटिल वैश्विक प्रभावों से निपटने में देशों की क्षमता को बाधित करता है।
* **कार्यान्वयन में कमी:**
    * AI गवर्नेंस के संबंध में **सरकारों और निजी कंपनियों को उनकी प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेह बनाए रखने के लिए मजबूत प्रणालियों का अभाव है।**
    * AI के विकास के लिए आवश्यक राष्ट्रीय रणनीतियों को बेहतर ढंग से लागू करने में **संसाधन और सहयोग की कमी** के कारण, ये रणनीतियां अक्सर सैद्धांतिक ही रह जाती हैं और व्यावहारिक रूप से लागू नहीं हो पाती हैं।
    * AI क्षमता निर्माण के लिए **समर्पित वित्त-पोषण तंत्र का अभाव,** देश को वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ सकता है।

AI को विनियमित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

* **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSAI)[4]: नीति आयोग** ने स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रकों में AI का उपयोग करने के लिए **#AI फॉर ऑल रणनीति** की शुरुआत की है।
* **जिम्मेदार AI के लिए सिद्धांत[5]: नीति आयोग** ने AI के विकास और कार्यान्वयन में नैतिकता एवं जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करते हुए **"जिम्मेदार AI के लिए सिद्धांत"** जारी किए हैं। इसके बाद आयोग ने **"जिम्मेदार AI के लिए संचालन सिद्धांत[6]"** भी जारी किए। ये सिद्धांत सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।

---

[4] National Strategy for Artificial Intelligence

[5] Principles for Responsible AI

[6] Operationalizing Principles for Responsible AI

- **AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (इंडिया AI): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** ने AI के क्षेत्र में नवाचार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा AI संबंधी नैतिक चिंताओं को दूर करने के लिए **इंडिया AI कार्यक्रम** की शुरुआत की है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम:** इस कानून का उद्देश्य व्यक्तियों के लिए डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना और AI से जुड़ी निजता संबंधी चिंताओं का समाधान करना है।
- **ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI (GPAI[7]): भारत इसका सदस्य है।** भारत जिम्मेदार AI पर वैश्विक चर्चाओं में भाग लेता है और अपनी रणनीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है।

वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम

- **AI पर G7 समझौता:** इसका उद्देश्य AI प्रणालियों के जिम्मेदार विकास और उपयोग के लिए एक **ग्लोबल फ्रेमवर्क** स्थापित करना है। इसमें भागीदारी करना **स्वैच्छिक** है।
- **यूरोपीय संघ का AI अधिनियम:** यह AI पर यूरोप का पहला प्रमुख विनियमन है। इसमें AI के उपयोगों को **3 जोखिम स्तरों- अस्वीकार्य जोखिम; उच्च जोखिम;** तथा **कम या न्यूनतम जोखिम**[8] में वर्गीकृत किया गया है।
- **बैलेचले घोषणा-पत्र:** यह **फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** द्वारा उत्पन्न अवसरों और जोखिमों की साझा समझ स्थापित करता है। इस पर **28 देशों और यूरोपीय संघ** ने हस्ताक्षर किए हैं।

आगे की राह

- **'गवर्निंग AI फॉर ह्यूमैनिटी' शीर्षक वाली संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट की सिफारिशें:**
  - AI गवर्नेंस के लिए **लचीले और विश्व स्तर पर जुड़े ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना** चाहिए, जो साझा समझ एवं लाभों को बढ़ावा देता है।
  - AI पर **एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल का गठन** करना चाहिए, जिसमें विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हों तथा वे स्वैच्छिक रूप से कार्य करने हेतु तैयार हों।
  - AI के विकास को बढ़ावा देने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही, सरकार और हितधारकों को शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में AI गवर्नेंस पर **अर्द्धवार्षिक नीतिगत संवाद आयोजित करने की व्यवस्था** की जानी चाहिए।
  - एक **AI एक्सचेंज** सृजित करने की आवश्यकता है, जो AI प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए परिभाषाओं और मानकों का एक रजिस्टर विकसित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए हितधारकों को एकजुट करता हो।
  - एक **AI क्षमता विकास नेटवर्क** स्थापित किया जाना चाहिए। इसका मुख्य कार्य प्रमुख हितधारकों को विशेषज्ञता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के संबद्ध केंद्रों को जोड़ना होना चाहिए।
  - **AI के लिए ग्लोबल फंड होना चाहिए,** जो स्वतंत्र रूप से प्रबंधित हो। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के अंशदान को एकत्र किया जा सकता है तथा इस धन का इस्तेमाल AI उपकरणों तक स्थानीय पहुंच बढ़ाने के लिए किया सकता है।
- **उठाए जा सकने वाले अन्य कदम:**
  - **AI के विनियमन हेतु कानून बनाना:** MeitY संभावित जोखिमों और नुकसानों का समाधान करते हुए AI के आर्थिक लाभों का दोहन करने के लिए इस पर एक नए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है।
  - **AI प्रणालियों को मानवीय मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप बनाना:** इससे यह सुनिश्चित होगा कि AI प्रणालियां मानवीय मूल्यों और नैतिकता के अनुसार काम कर रही हैं तथा भेदभाव एवं फेक न्यूज़ जैसे मुद्दों का समाधान कर सकती हैं।

1.3. शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MoPPG&P)**[9] ने लोक शिकायतों से निपटने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र को **समयबद्ध, सुलभ और सार्थक** बनाना है।

---

[7] Global Partnership on AI

[8] Unacceptable risks, high risks, and low or minimal risks

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नज़र

- नागरिकों की शिकायतों का समाधान सिंगल विंडो यानी एक ही जगह से करने के लिए CPGRAMS[10] के साथ **एक एकीकृत यूजर-फ्रेंडली शिकायत दर्ज करने वाला प्लेटफॉर्म विकसित** किया जाएगा।
    - इससे शिकायतों के दोहराव की समस्या को हल करने तथा कई पोर्टल्स पर एक ही शिकायत के समाधान में लगे एक से अधिक अधिकारियों के समय और प्रयास की बचत होगी।
- सभी मंत्रालयों/ विभागों में **लोक शिकायतों के समाधान हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति** की जाएगी। ये अधिकारी शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक समाधान सुनिश्चित करेंगे।
- प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग में योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी रखने वाले डेडिकेटेड **शिकायत प्रकोष्ठ**[11] स्थापित किए जाएंगे।
- प्रभावी शिकायत निवारण की **मौजूदा समय-सीमा 30 दिन से घटाकर 21 दिन** कर दी गई है।
- मंत्रालयों/ विभागों की रैंकिंग के लिए मासिक आधार पर **शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक** जारी किया जाएगा।
- 2024 के ये नीतिगत दिशा-निर्देश **10-चरणीय सुधार प्रक्रिया के साथ किए गए प्रौद्योगिकी सुधारों** को दर्शाते हैं।
    - गौरतलब है कि सरकार ने **2022 में CPGRAMS के तहत 10-चरणीय सुधार** लागू किए थे।

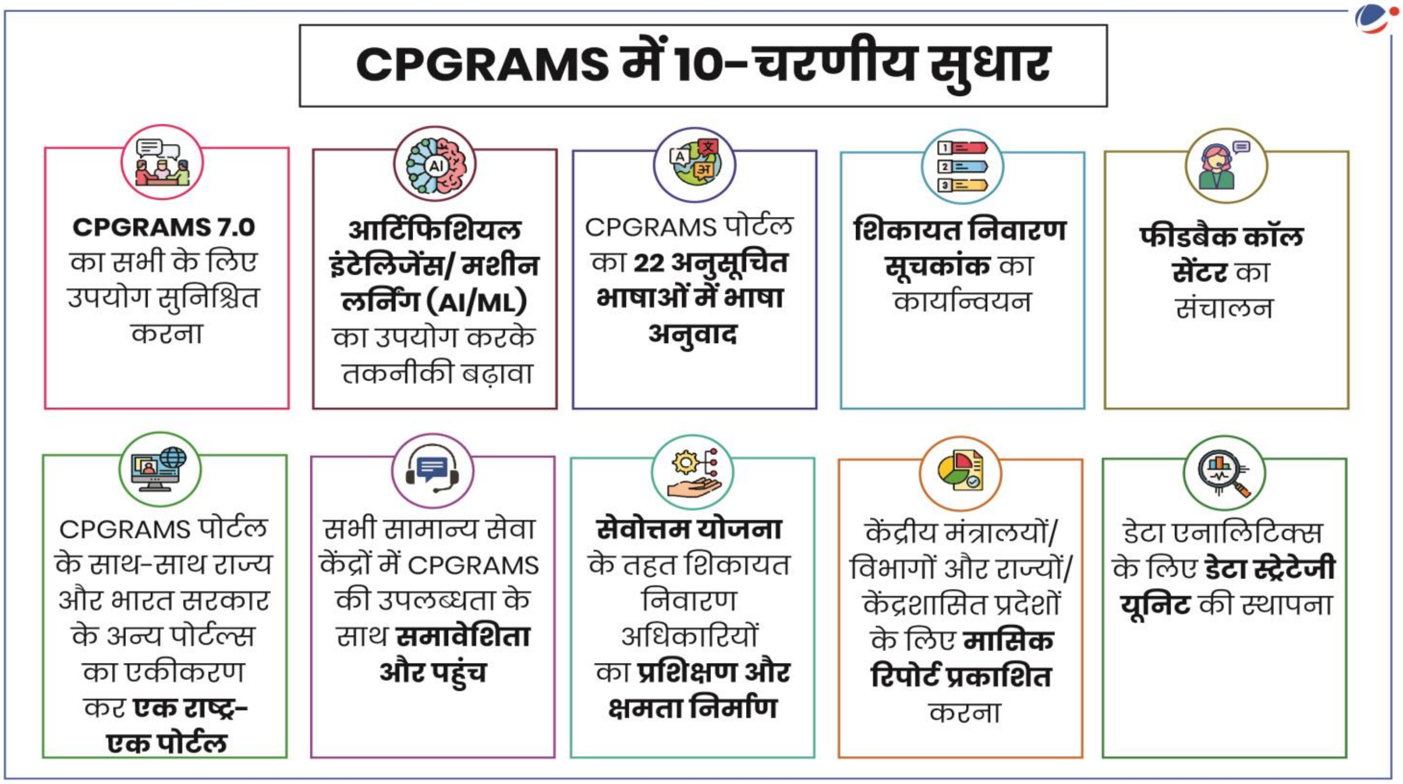

शिकायत निवारण तंत्र (GRM) के बारे में

- किसी संगठन का शिकायत निवारण तंत्र **उसकी प्रभावशीलता के मापन हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपकरण** है, क्योंकि यह किसी भी संगठन के काम-काज के बारे में फीडबैक प्रदान करता है।
    - GRM के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार, यदि नागरिकों को वादा किए गए स्तर की सेवा प्रदान नहीं की जाती है या उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उनके पास शिकायत दर्ज करने और जिम्मेदार प्राधिकारी से समाधान प्राप्त करने के लिए उचित शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए।

---

[9] Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

[10] Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System/ केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली

[11] Grievance Cells

- **केंद्र सरकार के स्तर पर शिकायतों से निपटने के लिए दो नामित नोडल एजेंसियां हैं:**
    - MoPPG&P के अधीन **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)**[12]; तथा
    - कैबिनेट सचिवालय के अधीन **लोक शिकायत निदेशालय**[13]।
- **शिकायत निवारण की स्थिति:** CPGRAMS पोर्टल ने 2022-2024 की अवधि में लगभग 60 लाख लोक शिकायतों का निवारण किया है। साथ ही, इसने मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 1.01 लाख शिकायत निवारण अधिकारियों की मैपिंग की है।
    - CPGRAMS **24x7 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** है। यह नागरिकों को सेवा वितरण से जुड़े किसी भी विषय पर लोक अधिकारियों के समक्ष **अपनी शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान** करता है।
    - यह भारत सरकार और राज्यों के **सभी मंत्रालयों/ विभागों से जुड़ा एक सिंगल पोर्टल** है। इस पोर्टल की खास विशेषता यह है कि यह अधिकारियों को शिकायतों तक **भूमिका-आधारित पहुंच** प्रदान करता है।

शिकायत निवारण के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **संवैधानिक और वैधानिक संस्थान:** भारत में ऐसे कई संस्थान **(CVC, लोकायुक्त, NHRC, SHRC आदि)** हैं जिन्हें भ्रष्टाचार, लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग, मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में लोक सेवक के आचरण में लापरवाही आदि से जुड़ी **शिकायतों की जांच करने का अधिकार** है।
- **शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक (GRAI):** यह सूचकांक संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर MoPPG&P के **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)** ने तैयार किया है।
    - इस सूचकांक का उद्देश्य अलग-अलग संगठनों की तुलनात्मक तस्वीर पेश करना तथा शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में संगठनों की क्षमता और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।
- **प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति/ PRAGATI):** यह एक बहु-उद्देश्यीय और मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म है। इसे **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY)** ने स्थापित किया है। इसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना है। साथ ही, केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अलग-अलग योजनाओं एवं परियोजनाओं की निगरानी व समीक्षा करना भी इसका एक अन्य उद्देश्य है।
- **ई-निवारण:** यह **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड** की एक पहल है। इसका उद्देश्य करदाताओं की शिकायतों को तेजी से ट्रैक करना और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है।
- **नागरिक चार्टर:** नागरिक चार्टर पहल उन समस्याओं को हल करने का एक साधन है, जिनका एक नागरिक लोक सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों से लोक सेवा प्राप्त करते समय सामना करता है।

शिकायत निवारण तंत्र से जुड़े मुद्दे

- **शिकायत निपटान में देरी:** नौकरशाही संबंधी बाधाएं, सीमित संसाधन, या अकुशल कार्य प्रणाली के कारण शिकायतों के समाधान में देरी होती है। इससे नागरिकों में निराशा और सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता है।

---

[12] Department of Administrative Reforms and Public Grievances

[13] Directorate of Public Grievances

- **भ्रष्ट आचरण:** कुछ शिकायत निवारण तंत्र भ्रष्टाचार से प्रभावित होते हैं, जहां अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने या शिकायतों के समाधान में जानबूझकर देरी या हेरफेर करने की घटनाएं सामने आती हैं।
- **एकीकरण का अभाव:** राज्यों के अलग-अलग क्षेत्रकों (जैसे- सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपभोक्ता अधिकार आदि) में शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म्स की बहुलता के कारण नागरिकों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करना और उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।
- **डिजिटल डिवाइड:** खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई नागरिकों की **ऑनलाइन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक इंटरनेट या डिजिटल साक्षरता तक पहुंच की कमी** है।

आगे की राह

- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें:**
  - आयोग ने राज्यों को देरी, उत्पीड़न या भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए एक **स्वतंत्र लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण** स्थापित करने की सलाह दी है।
  - सरकारी संगठनों को प्राप्त शिकायतों का **गहन विश्लेषण** करना चाहिए तथा इसके बाद **उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां समस्याएं उत्पन्न** हो रही हैं। इसके बाद लोक शिकायतों का कारण बनने वाले मूल कारकों को खत्म करने के लिए **आवश्यक हस्तक्षेप** करना चाहिए।
- **कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें, (25वीं रिपोर्ट):**
  - शिकायत निवारण प्रणाली **सुलभ, सरल, त्वरित, निष्पक्ष, उत्तरदायी और प्रभावी** होनी चाहिए।
  - समिति ने सुझाव दिया कि **लोक शिकायत निवारण तंत्र को RTI अधिनियम, 2005 की तर्ज पर वैधानिक रूप** में स्थापित करना चाहिए। इससे यह सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, आदि के लिए अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा, **सभी शिकायतों को उनके अंतिम निपटान तक आगे बढ़ाने की व्यवस्था** भी सुनिश्चित होगी।
- **विकेंद्रीकृत निवारण:** शिकायत निवारण तंत्र को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए। ऐसा करके स्थानीय या क्षेत्रीय कार्यालयों को मुद्दों को हल करने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। साथ ही, **केंद्रीय अधिकारियों पर कार्य भार को कम** किया जा सकता है तथा शिकायत समाधान में तेजी लाई जा सकती है।
- **नौकरशाही स्तरों को कम करना:** यह कार्य शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाकर किया जा सकता है। इसके लिए कागजी कार्रवाई और औपचारिकताओं को कम करना होगा तथा तंत्र को सुलभ व नागरिक अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
  - उदाहरण के लिए- सूचना एवं सुविधा काउंटरों की स्थापना और उनका प्रभावी संचालन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।
- **समीक्षा और निगरानी:** एक **मजबूत निगरानी प्रणाली स्थापित** की जानी चाहिए। यह समय-समय पर लेखा-परीक्षा और मूल्यांकन के जरिए शिकायत निवारण विभागों एवं अधिकारियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करेगी।
- **फीडबैक तंत्र:** ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतक स्थापित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए- **शिकायत पर प्रतिक्रिया समय, समाधान दर, नागरिक संतुष्टि** आदि।
- **प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना:** AI का उपयोग शिकायतों को वर्गीकृत/ प्राथमिकता देने; तथा शिकायतों में ट्रेंड/ विविध पैटर्न की पहचान करने; संसाधनों के आवंटन और नीतिगत समायोजन में मदद करने हेतु डेटा विश्लेषण का उपयोग करने आदि के लिए किया जा सकता है।

1.4. एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme: UPS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को स्वीकृति प्रदान की।

एकीकृत पेंशन योजना के बारे में

- एकीकृत पेंशन योजना (UPS) 2023 में गठित **टी.वी. सोमनाथन समिति** की सिफारिशों पर आधारित है। ज्ञातव्य है कि **पुरानी पेंशन योजना (OPS)**[14] की लगातार मांग के कारण इस समिति का गठन किया गया था।
- मौजूदा और भविष्य के कर्मचारियों के पास **नई पेंशन योजना या UPS** में शामिल होने का विकल्प होगा। एक बार चयन कर लेने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा।
- NPS प्रणाली के तहत पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी भी UPS अपना सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को NPS फंड की राशि का समायोजन करने के बाद पेंशन मिलेगी ।

एकीकृत पेंशन योजना, नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के बीच तुलना

पैरामीटर	एकीकृत पेंशन योजना (UPS)	नई पेंशन योजना (NPS)	पुरानी पेंशन योजना (OPS)
पात्रता	• यह **1 अप्रैल, 2025** से प्रभावी होगी और **केंद्र सरकार** के सभी **कर्मचारियों** पर लागू होगी।	• इस योजना को **2004** में शुरू किया गया था। • **18 से 65 वर्ष के बीच के देश के सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान** करना इसका मुख्य उद्देश्य है।	• इसे 1950 के दशक में शुरू किया गया था। • यह **केवल सरकारी कर्मचारियों** के लिए लागू थी।
सुनिश्चित पेंशन	• **25 वर्ष** की न्यूनतम सरकारी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके **अंतिम 12 महीनों की सेवा के औसत मूल वेतन का 50% प्रतिमाह पेंशन** मिलेगी। • यह **कम सेवा अवधि (न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा) के लिए आनुपातिक** होगी।	• **पेंशन राशि निश्चित नहीं** है, क्योंकि यह बाजार से जुड़ी योजना है।	• इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके **अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलती थी / है।** • निश्चित मासिक आय प्रदान की जाती थी/ है।
न्यूनतम पेंशन	• 25 वर्ष से कम लेकिन **न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की स्थिति में** कर्मचारियों को **उनके सेवाकाल के अनुपात में या न्यूनतम 10,000 रुपये** प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।	• लागू नहीं	• 9,000 रुपये प्रति माह
पारिवारिक पेंशन	• पेंशन-धारक की **मृत्यु होने पर,** उसकी मृत्यु से पहले **पेंशन की 60%** राशि उसके परिवार को पेंशन के रूप में मिलेगी।	• यदि सरकारी कर्मचारी ने NPS के तहत लाभ का विकल्प चुना है, तो **परिवार को NPS के तहत उसकी संचित पेंशन संपत्ति से लाभ मिलेगा।**	• **विधवा/ विधुर को दी जाती है** और जहां कोई विधवा/ विधुर नहीं है, वहां ऐसे सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को दी जाती है, जो 01/01/1964 को या उसके बाद लेकिन 31.12.2003 को या उससे पहले पेंशन योग्य प्रतिष्ठान में सेवा में आए थे।

---

[14] Old Pension Scheme

मुद्रास्फीति से समायोजन (Inflation Indexation)	• सर्विस कर्मचारियों के समान ही **"अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW)"** पर आधारित **महंगाई राहत** के रूप में समायोजन किया जाएगा। इसे OPS के समान रखा गया है।	• उपलब्ध नहीं है	• **पेंशनभोगियों को मूल्य वृद्धि के खिलाफ पेंशन में महंगाई राहत** दी जाती है। पेंशनभोगियों के अलावा, **पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत दी जाती है।**
योगदान	• कर्मचारी का अंशदान नहीं बढ़ेगा। • **सरकारी योगदान 14% से बढ़कर 18.5%** हो गया है।	• कर्मचारियों को **अपने वेतन का 10% अंशदान करना जरूरी** है, **जबकि नियोक्ता 14% तक अंशदान** कर सकते हैं।	• कर्मचारी को अलग से योगदान करने की आवश्यकता नहीं थी।

निष्कर्ष

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का लक्ष्य OPS और NPS, दोनों के सर्वोत्तम पहलुओं को शामिल कर एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन को फिर से शुरू करना है। इसके अलावा, UPS का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना भी है।

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.5.1. न्यायालयों में 'ब्लैक कोट सिंड्रोम' ('Black Coat Syndrome' in Courts)

हाल ही में, राष्ट्रपति ने 'ब्लैक कोट सिंड्रोम' की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया

- राष्ट्रपति ने न्याय में होने वाली देरी को रेखांकित करते हुए कोर्ट में **आम नागरिकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले दबाव या तनाव का वर्णन करने के लिए** "ब्लैक कोट सिंड्रोम" शब्द का इस्तेमाल किया है।
- यह शब्द **"व्हाइट कोट हाइपरटेंशन"** के समान है। यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अस्पताल में जाने पर बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण तनाव या चिंता होती है, जो अस्पताल के माहौल की वजह से पैदा होती है।

ब्लैक कोट सिंड्रोम की धारणा के पीछे के कारण

- **बड़ी संख्या में लंबित मामलेः** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, 31 अगस्त तक, सुप्रीम कोर्ट में 82,887 मामले लंबित थे।
  - इसके अलावा, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के मामले में निर्णय में देरी होने से जनता के बीच यह धारणा बन जाती है कि न्यायिक प्रणाली में ऐसे महत्वपूर्ण मामलों की निपटाने को लेकर संवेदनशीलता और तत्परता का अभाव है।

* **वाद यानी केस के लिए तारीख पे तारीख निर्धारित करना:** इसके चलते विशेष रूप से गांव से कोर्ट तक आने वाले लोगों को बहुत अधिक मानसिक और वित्तीय दबाव झेलना पड़ता है।
* **जिला न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे:** उदाहरण के लिए जिला स्तर पर **केवल 6.7% कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्स्वर्स ही महिलाओं के अनुकूल** हैं।
    * जिला-स्तरीय न्यायालय ही मुख्य रूप से न्यायपालिका के बारे में जनता की धारणा को आकार देते हैं।

1.5.2. प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्तियों के अधिकार (Rights of Detenu in Preventive Detention)

जसीला शाजी बनाम भारत संघ मामले (2024) में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकारों को उचित ठहराया।

* प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है **बिना किसी मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना।**

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

* हिरासत में लिए गए व्यक्ति को **हिरासत में लिए जाने का कारण जानने का अधिकार** है। साथ ही, उसे ऐसी **हिरासत से जुड़े डाक्यूमेंट्स प्राप्त करने का भी अधिकार** है।
    * यदि ऐसे **डाक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करने में विफलता या देरी** होती है, तो यह **संविधान के अनुच्छेद 22(5)** के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित करने के बराबर होगा।
* **अनुच्छेद 22(5) में यह अनिवार्य किया गया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को:**
    * हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र उन आधारों के बारे में सूचित करना चाहिए, जिन आधारों पर उसे हिरासत में लिया गया है।
    * हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने के आदेश के खिलाफ अपना पक्ष रखने हेतु यथाशीघ्र अवसर प्रदान करना चाहिए।

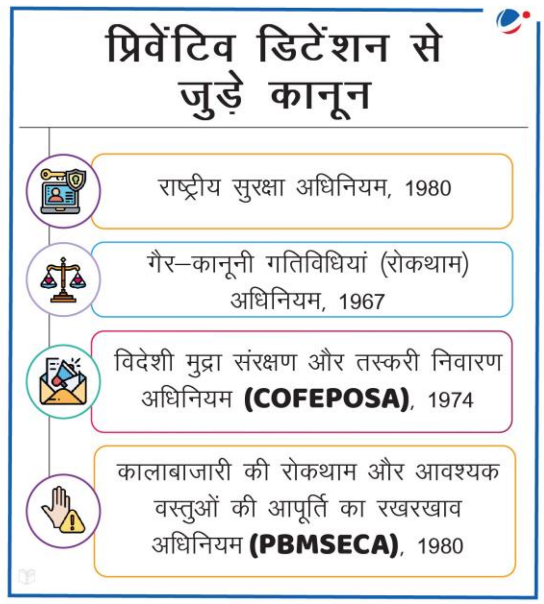

प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में

* संविधान का **अनुच्छेद 22(3)** प्राधिकारियों को **लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा** बनाए रखने जैसे निवारक कारणों से व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है।
* भारत का संविधान प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ **कुछ सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान करता है। ये प्रावधान निम्नलिखित हैं:**
    * कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून किसी व्यक्ति को **तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा।** तीन माह से अधिक अवधि तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के लिए **सलाहकार बोर्ड से मंजूरी** लेनी पड़ेगी।
    * हिरासत में लिए गए व्यक्ति को **प्रिवेंटिव डिटेंशन के कारणों से यथाशीघ्र अवगत** कराया जाना चाहिए।
    * हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का **यथाशीघ्र अवसर प्रदान** किया जाना चाहिए।

1.5.3. गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 {Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967}

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि **UAPA, 1967 के तहत अभियोजन की मंजूरी देने के लिए 14 दिन की समय-सीमा अनिवार्य है, न की विवेकाधीन।**

UAPA, 1967 के बारे में

* UAPA, 1967 को **व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर-कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम** हेतु अधिनियमित किया गया था। साथ ही, यह अधिनियम **आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े मामलों से निपटने** से भी संबंधित है।

- अधिनियम के तहत **आतंकवाद के आरोपी व्यक्तियों** के अभियोजन के लिए **निम्नलिखित दो चरणों के माध्यम से सरकार से पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है:**
    - **प्रथम चरण:** इसमें एक **स्वतंत्र प्राधिकरण** होता है, जो **जांचकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों की समीक्षा** करता है। इस प्राधिकरण को **7 कार्य दिवसों के भीतर सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें** प्रस्तुत करनी होती हैं। इस प्रक्रिया का गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (अभियोजन की सिफारिश और मंजूरी) नियम, 2008 के **नियम 3** में प्रावधान किया गया है।
    - **दूसरा चरण: नियम 4** के अनुसार, प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर, सरकार के पास **अतिरिक्त 7 कार्य दिवस** होते हैं। इस अवधि में वह **अभियोजन की मंजूरी देने या न देने का निर्णय** लेती है।

1.5.4. प्ली बार्गेनिंग/ सौदा अभिवाक (Plea Bargaining)

विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार, **2022 में केवल 0.11% मामलों का समाधान प्ली बार्गेनिंग** के माध्यम से किया गया था।

प्ली बार्गेनिंग के बारे में:

- यह **बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष** के बीच एक समझौता होता है। इसमें अभियुक्त कम अपराध या कम सजा के लिए दोषी ठहराया जाता है।
- इसे **2006 में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में संशोधन के एक** भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 290** में प्ली बार्गेनिंग को समयबद्ध बनाया गया है। साथ ही, आरोप तय होने की तारीख से **30 दिनों के भीतर** प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- **उपयोग:** यह कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ **सात वर्ष** तक के कारावास के दंडनीय अपराधों पर लागू होता है। हालांकि, यह **महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध या सामाजिक-आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों पर लागू नहीं** होता है।

1.5.5. सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 3 में संशोधन 2023 (2023 amendment to Rule 3 of IT Rules 2021)

हाल ही में, **बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 3 में 2023 में किए गए संशोधन को रद्द** कर दिया है। ज्ञातव्य है कि इस संशोधन के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में **फैक्ट चेक यूनिट (FCU) की स्थापना को अनिवार्य करने वाला प्रावधान** शामिल किया गया था।

- न्यायालय ने यह निर्णय **कुणाल कामरा बनाम भारत संघ वाद** के तहत दिया है।

पृष्ठभूमि

- ज्ञातव्य है कि 2023 में **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 [(3(1)(b)(v)]** में संशोधन किया गया था। इस संशोधन ने सरकार को FCU के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार के कार्यों से संबंधित फेक न्यूज़ की पहचान करने का अधिकार दिया था।
    - इस तरह की फेक न्यूज़ को मध्यवर्ती द्वारा **चिह्नित करके हटाया** जाना था।
    - यदि मध्यवर्ती ऐसा करने में विफल रहते थे, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। साथ ही वे **अपना सेफ हार्बर का अधिकार खो** देते थे। इसके तहत उन्हें थर्ड पार्टी की सहमति के खिलाफ कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त थी।
- उल्लेखनीय है कि 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने **प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) में FCU की स्थापना** करने वाली केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियां

- संशोधन असंवैधानिक हैं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के दायरे अंतर्गत नहीं हैं।
- **निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है:**
    - **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता;
    - **अनुच्छेद 19(1)(a):** वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता;

    ○ **अनुच्छेद 19(1)(g):** कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता; तथा
    ○ **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
- ये संशोधन अस्पष्ट हैं और स्पष्ट रूप से **फेक या भ्रामक न्यूज़ को परिभाषित नहीं** करते हैं।
    ○ साथ ही, **"सत्य के अधिकार" की अनुपस्थिति** में सरकार केवल FCU द्वारा निर्धारित सटीक सूचना के साथ नागरिकों को सही सूचना उपलब्ध कराने के लिए **उत्तरदायी नहीं है।**
- **आनुपातिकता के परीक्षण के संदर्भ** में भी ये संशोधन विफल रहे हैं।

1.5.6. 23वें विधि आयोग का गठन (23rd Law Commission Constituted)

राष्ट्रपति ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी, हालिया विधि आयोग का गठन तीन साल यानी **1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक** के कार्यकाल के लिए किया गया है।

23वें विधि आयोग के बारे में:

- **सौंपे गए कार्यः** भारतीय विधिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना।
- **संरचनाः** इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य और अतिरिक्त पदेन एवं अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे।

विचारार्थ विषयों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पर एक नज़र:

- **अप्रचलित कानूनों की समीक्षा या निरसन:**
    ○ मौजूदा कानूनों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए एक **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** तैयार करना ताकि उनका सरलीकरण किया जा सके।
    ○ प्रासंगिक और वर्तमान आर्थिक जरूरतों के मद्देनजर **कानूनों को निरस्त करने एवं उनमें आवश्यक संशोधन का सुझाव देना।**
- **कानून और गरीबी:** गरीबों को प्रभावित करने वाले **कानूनों की समीक्षा करना और सामाजिक-आर्थिक विषयों से जुड़े कानूनों के बनने के बाद उनका ऑडिट** करना।
- **न्यायिक प्रशासन की समीक्षा:**
    ○ न्याय मिलने में होने वाली देरी को समाप्त करके तथा **बकाया राशि का शीघ्र निपटान** करके **मामलों का किफायती निपटान** सुनिश्चित करने हेतु।
    ○ **प्रक्रियाओं का सरलीकरण**, अलग-अलग **हाई कोर्ट्स** के नियमों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु ।

- **राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP):** प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं DPSPs का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा कानूनों की जांच करना तथा सुधार हेतु सुझाव देना।
- **लैंगिक समानता:** कानूनों को मजबूत बनाने हेतु उनकी समीक्षा करना तथा आवश्यक संशोधन के लिए सुझाव देना।
- विसंगतियों तथा असमानताओं को दूर करने के लिए **केंद्रीय कानूनों में संशोधन हेतु सुझाव देना।**
- **खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना** तथा हाशिए पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।

1.5.7. लोक सेवक पर अभियोजन की मंजूरी (Sanction for Prosecuting a Public Servant)

हाल ही में, **कर्नाटक के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी** दे दी है।

अभियोजन हेतु स्वीकृति:

- **लोक सेवकों** के खिलाफ अभियोजन चलाने से पहले सक्षम प्राधिकारी से **मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता** है, ताकि **उन्हें दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचाया** जा सके।
- **मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी:** राज्य या केंद्र सरकार (CrPC के तहत) और लोक सेवक को हटाने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी (PCA के तहत)।

कानूनी ढांचा:

- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 218** (इसे पहले CrPC की **धारा 197** के तहत कवर किया गया था)।
- **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988 की धारा 17A** (2018 का संशोधन) और **धारा 19.**

1.5.8. सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के एशियाई संगठन {Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)}

भारत की राष्ट्रपति ने **नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा आयोजित 16वीं ASOSAI सभा के उद्घाटन समारोह** में भाग लिया।

ASOSAI के बारे में

- यह सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्रीय समूहों में से एक है।
- इसकी स्थापना **1979 में 11 सदस्यों** के साथ हुई थी। अब इसकी सदस्य संख्या **48** हो गई है।
- **पहली सभा और गवर्निंग बोर्ड की बैठक नई दिल्ली** में आयोजित की गई थी।
    - भारत वर्तमान में ASOSAI का अध्यक्ष है।
- इस सभा में ASOSAI के **नियमों और विनियमों को मंजूरी** दी गई थी।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम

सिविल सेवा परीक्षा 2024

हिंदी और अंग्रेजी माध्यम

15 अक्टूबर

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की विशेषताएं

प्री–DAF सेशन: यह DAF में भरे जाने वाले एक–एक पॉइंट की सूक्ष्म समझ और व्यक्तित्व के वांछित गुणों को प्रतिबिंबित करने के लिए सावधानीपूर्वक DAF एंट्री में सहायक है।

DAF एनालिसिस सेशन: अपेक्षित प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के बारे में सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स के साथ DAF को लेकर गहन विश्लेषण और चर्चा।

एलोक्यूशन सेशन: इसमें डिस्कशन और पीयर लर्निंग की सहायता से कम्युनिकेशन स्किल का विकास करने तथा उसे बेहतर बनाने एवं व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया जाएगा।

मॉक इंटरव्यू सेशन: व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी को और बेहतर बनाने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स, भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट्स एवं शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन।

व्यक्तिगत मेंटरशिप और मार्गदर्शन: हमारे डेडिकेटेड सीनियर एक्सपर्ट के सहयोग से व्यक्तित्व परीक्षण की समग्र तैयारी व बेहतर प्रबंधन तथा अपने प्रदर्शन को अधिकतम करना।

करेंट अफेयर्स की कक्षाएं: करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए।

टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरैक्शन: प्रश्नों के ठोस समाधान, इंटरैक्टिव लर्निंग एवं टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के अनुभव से प्रेरणा लेने के लिए इंटरैक्टिव सेशन।

प्रदर्शन का मूल्यांकन और फीडबैक: अपने मजबूत एवं सुधार करने वाले पक्षों की पहचान करने के साथ–साथ उनमें आगे और सुधार करने एवं उन्हें बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक।

मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग: स्व–मूल्यांकन के लिए इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी दिया जाएगा।

Scan QR CODE to watch How to Prepare for UPSC Personality Test

DAF एनालिसिस और मॉक इन्टरव्यू से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क करें

7042413505, 9354559299

interview@visionias.in

अधिक जानकारी और रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें

AHMEDABAD | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI | SIKAR

CSAT क्लासेस 2025

ऑफलाइन / ऑनलाइन

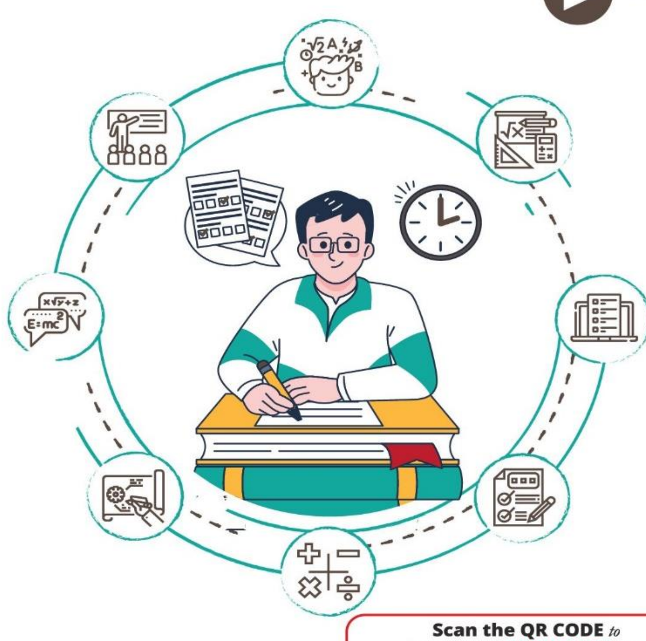

ENGLISH MEDIUM
20 NOV, 1 PM

हिन्दी माध्यम
20 नवंबर, 2:30 PM

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. क्वाडिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग/ क्वाड (QUAD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने **संयुक्त राज्य अमेरिका के विलमिंगटन में आयोजित छठे क्वाड लीडर्स समिट** में भाग लिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- पिछले चार वर्षों में, क्वाड देशों के नेताओं ने **छः बार** बैठक की है, जिनमें से दो बार इनकी बैठक वर्चुअल रूप में हुई है।
- **इस वर्ष (2024) इस समूह के गठन के 20 वर्ष पूरे** हुए हैं।
- क्वाड लीडर्स समिट में अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए **'क्वाड विलमिंगटन घोषणा-पत्र'** को अपनाया गया है।
- भारत **2025 में क्वाड लीडर्स समिट** की मेजबानी करेगा।

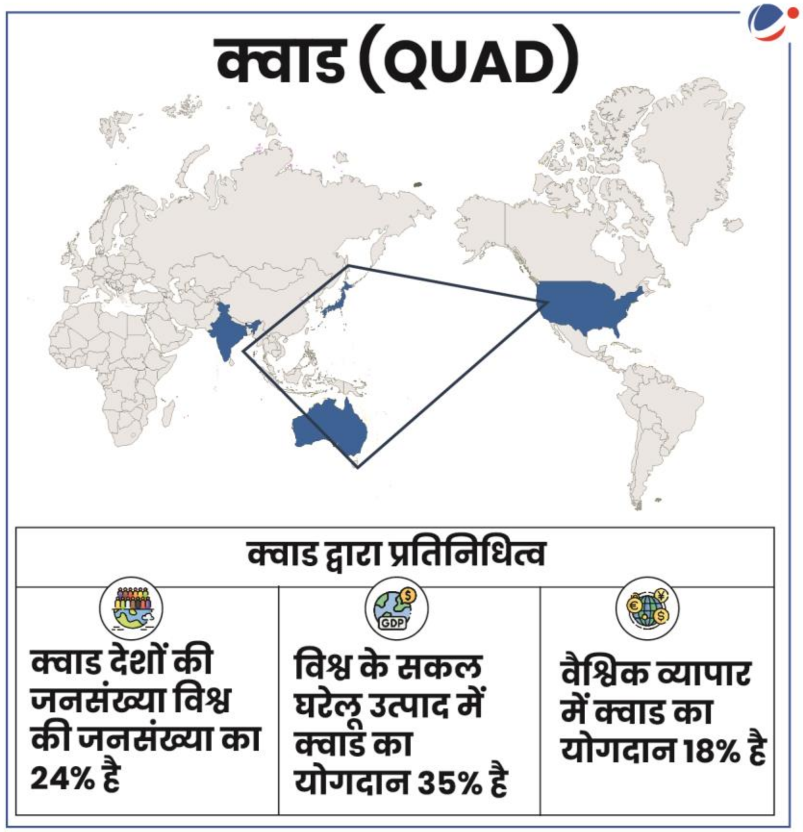

क्वाड विलमिंगटन-घोषणा-पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **स्वास्थ्य सुरक्षा: 'क्वाड कैंसर मूनशॉट'** कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम **सर्वाइकल कैंसर** से निपटने हेतु **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जीवन की रक्षा** आधारित साझेदारी है।
- **गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना: 'क्वाड पोर्ट्स फॉर द फ्यूचर पार्टनरशिप'** की घोषणा की गई। इसके तहत संधारणीय बंदरगाह अवसंरचना के विकास में सहायता के लिए क्वाड की सामूहिक विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा।
- **महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियां[15]:** 'सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आकस्मिकता नेटवर्क सहयोग ज्ञापन[16]' की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य **क्वाड देशों में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत** करना है।
- **क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क (QUIN):** इसका उद्देश्य अनुकूल आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के साथ-साथ उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में संयुक्त अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निवेश को बढ़ावा देना है।
- **जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उच्च दक्षता वाली वहनीय कूलिंग प्रणालियों के निर्माण और उपयोग सहित ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा** देने हेतु क्वाड के सामूहिक प्रयास पर जोर दिया गया है।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** भारत, **मॉरीशस में अंतरिक्ष-आधारित वेब पोर्टल** की स्थापना कर रहा है। यह पोर्टल अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों से **चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु प्रभाव की निगरानी के लिए ओपन साइंस** की अवधारणा का समर्थन करेगा।
- **समुद्री सुरक्षा पहलें:**
    - **'मेरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो-पैसिफिक (MAITRI)'** की घोषणा की गई। यह 2022 में घोषित **"समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए हिंद-प्रशांत साझेदारी"** तथा अन्य क्वाड पहलों के माध्यम से प्रदान किए गए **साधनों का अधिकतम उपयोग** सुनिश्चित करेगी।
    - **2025 के लिए 'क्वाड-एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन'** की घोषणा की गई। यह मिशन भागीदार देशों के बीच समन्वय में सुधार करने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर देगा।

---

15 Critical and Emerging Technologies

16 Semiconductor Supply Chains Contingency Network Memorandum of Cooperation

क्वाडिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD) के बारे में

- क्वाड विश्व के कुछ अग्रणी **लोकतांत्रिक देशों (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका) का एक बहुपक्षीय मंच** है।
  - क्वाड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा** लाने के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है। साथ ही, यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक **कल्याणकारी वैश्विक शक्ति** के रूप में कार्य कर रहा है।
- **सदस्य:** क्वाड **ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच एक **कूटनीतिक साझेदारी** है। यह कोई **सैन्य गठबंधन नहीं** है।
- **उद्देश्य:** यह एक ऐसे **खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र** का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो **समावेशी** हो और सभी देशों के लिए समान अवसर प्रदान करे।
- **प्रमुख शिखर सम्मेलन:** प्रतिवर्ष **क्वाड लीडर्स समिट और विदेश मंत्रियों की बैठकें** आयोजित की जाती हैं।
  - क्वाड ने अपने दायरे का विस्तार करते हुए **छह वर्किंग ग्रुप्स** का गठन किया है, जो **स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, महत्वपूर्ण व उभरती प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, इन्फ्रास्ट्रक्चर** और **साइबर सुरक्षा** जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं।

क्वाड का वैश्विक महत्त्व	भारत के लिए क्वाड का महत्त्व

• **सामरिक संतुलन:** क्वाड विशेष रूप से **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित** करने का कार्य करता है।
• **समुद्री सुरक्षा:** यह एक **स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र** सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, यह समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर भी जोर देता है।
• **आर्थिक सहयोग:** बुनियादी ढांचे में निवेश, आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में सहयोग, आदि।
• **स्वास्थ्य और मानवता हेतु प्रयास:** क्वाड ने कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वाड ने **वैश्विक स्तर पर एक बिलियन से अधिक टीके उपलब्ध** करवाए थे।
  ○ इसके अतिरिक्त, यह समूह **आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने में भी सक्रिय भूमिका निभाता** है। यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों की मदद करता है।
	• **चीन के खिलाफ सामरिक संतुलन:** क्वाड भारत को समान विचारधारा वाले देशों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इससे उसकी सुरक्षा स्थिति में सुधार होता है और **चीनी घेराबंदी का खतरा कम** होता है।
	• **एक्ट ईस्ट को बढ़ावा:** क्वाड गठबंधन ने भारत को पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
	• **भारत की सैन्य क्षमता में वृद्धि:** ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारियां विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में देश की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक हैं।
	  ○ उदाहरण के लिए- **मालाबार युद्धाभ्यास 2024** ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण और संचालन की क्षमता को बेहतर किया है।
	• **तकनीकी और आर्थिक सहयोग:** सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने के उद्देश्य से भारत को क्वाड मंच से लाभ हुआ है। उल्लेखनीय है कि **ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए "आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)**[17]" शुरू की है।
	  ○ यह पहल **प्रमुख मदों के आयात के लिए चीन पर भारत की निर्भरता को कम** करेगा। साथ ही, यह भारत की **व्यापक आत्मनिर्भर भारत पहल** के अनुरूप भी है।

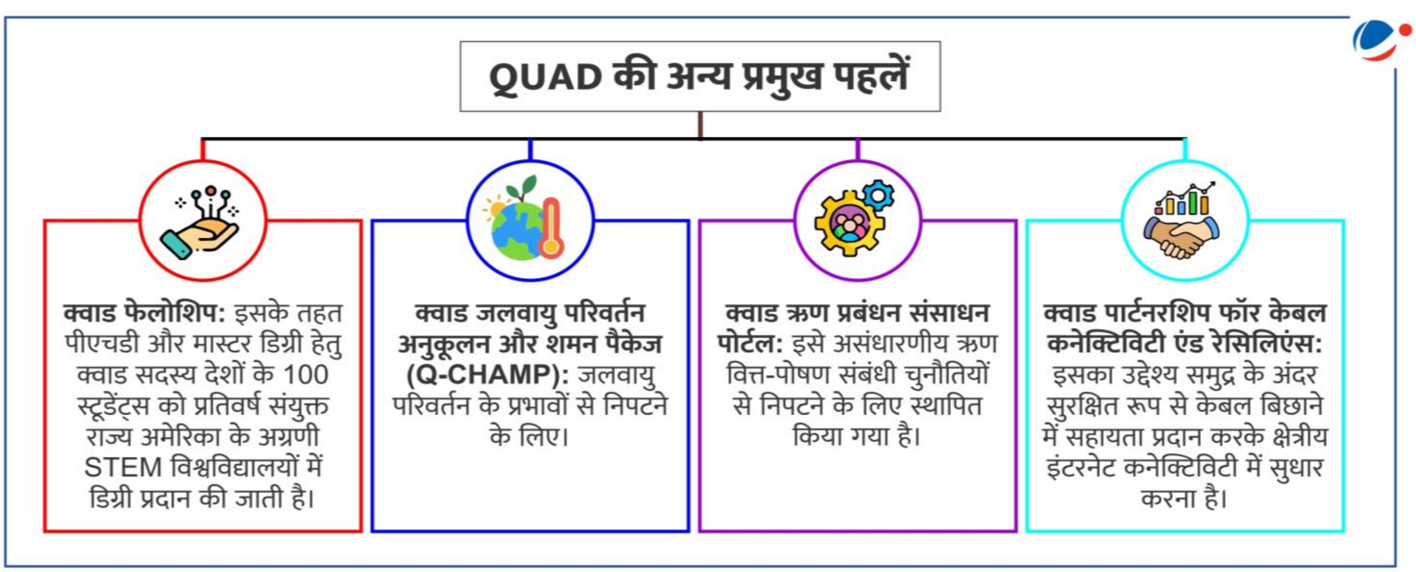

17 Supply Chain Resilience Initiative

क्वाड के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **पूरी तरह से संस्थागत नहीं:** अपने वर्तमान स्वरूप में, क्वाड अपेक्षाकृत कम संस्थागत बना हुआ है। इस मंच का ज्यादातर काम-काज नियमित बैठकों, अर्ध-नियमित शिखर सम्मेलनों, सूचनाओं के आदान-प्रदान आदि के माध्यम से ही होता है।
- **शीत-युद्ध की मानसिकता:** चीन ने क्वाड कूटनीति की आलोचना करते हुए इसे **"शीत-युद्ध की मानसिकता"** का प्रतिबिंब और **"एशियाई नाटो"** स्थापित करने का प्रयास बताया है।
- **अलग-अलग देशों के अलग-अलग राष्ट्रीय हित:** उदाहरण के लिए- विशेष रूप से चीन के संबंध में भारत मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि अमेरिका के व्यापक वैश्विक रणनीतिक हित हैं।
  - **ऑस्ट्रेलिया की चीन पर आर्थिक निर्भरता तथा जापान की अमेरिका पर सुरक्षा निर्भरता** इस गठबंधन को और जटिल बनाती है।
- **अनूठा चरित्र:** क्वाड के उद्देश्य को आसियान (ASEAN), पैसिफिक आइलैंड फोरम और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे अन्य क्षेत्रीय समूहों से अलग परिभाषित करना कठिन साबित हुआ है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर अमेरिका का सीमित फोकस:** अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मंचों पर यह धारणा विद्यमान है कि, यूरोप और मध्य-पूर्व में युद्धों का अर्थ है कि एशिया पर अमेरिका का ध्यान सीमित हो जाएगा।

क्वाड से जुड़ी भारत की चिंताएं

- **सैन्य गठबंधन के प्रति अनिच्छा:** भारत क्वाड को एक औपचारिक सैन्य गठबंधन बनने से दूर रखना चाहता है।
  - हालांकि, भारत गैर-परंपरागत सुरक्षा के क्षेत्र में क्वाड के साथ सहयोग पर बल देता है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखना चाहता है और किसी भी तरह के सैन्य गठबंधन में शामिल होने से बचता है।
- **विभिन्न मोर्चों पर चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ने की संभावना:** क्वाड सदस्यों में भारत एकमात्र देश है जो चीन के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। इससे भारत के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है कि क्वाड केवल एक चीन-विरोधी समूह बनकर न रह जाए।
- **अन्य समूह जैसे कि SQUAD (जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं)** क्वाड से ध्यान हटा सकते हैं।
- **भारत का संतुलित दृष्टिकोण:** भारत ने ऐसे देशों या संगठनों के साथ भी साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखा है, जो तथाकथित क्वाड विरोधी हैं, जैसे कि SCO (शंघाई सहयोग संगठन) और ब्रिक्स।
- **अन्य भागीदारों पर प्रभाव:** क्वाड में भारत की भागीदारी बढ़ने से अन्य महत्त्वपूर्ण भागीदार, जैसे- रूस और ईरान भारत से दूर हो सकते हैं।

आगे की राह

- **क्वाड को संस्थागत बनाना:** एक औपचारिक संरचना या सचिवालय की स्थापना इसकी प्रभावशीलता को बढ़ा सकती है। इसके परिणामस्वरूप, यह संगठन क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक गतिविधियों में अधिक प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका को निभा सकेगा।
- **क्षेत्र में मौजूदा संगठनों को बढ़ाना:** क्वाड को अन्य संगठनों को खत्म या प्रतिस्थापित करने की बजाय, अलग-अलग बहुपक्षीय या क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।
- **अन्य भागीदारों को शामिल करना:** क्वाड को क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए क्वाड को क्षेत्रीय साझेदारों के हितों एवं प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- **स्पष्टता और अस्पष्टता को संतुलित करना:** क्वाड को पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं (जैसे- संभावित चीनी सैन्य कार्रवाई) पर विशेष ध्यान देने की बजाय चीन के साथ सीधे टकराव के जोखिम को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए क्वाड साझा हितों के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

संबंधित सुर्ख़ियां

क्वाड 'प्रिंसिपल फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)'

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के लिए क्वाड के सिद्धांत वस्तुतः **समाज में बदलाव लाने और सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 को प्राप्त** करने हेतु डिजिटलीकरण के महत्त्व को स्वीकार करते हुए जारी किए गए हैं।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के बारे में

- DPI एक ऐसा **डिजिटल नेटवर्क** होता है, जो देशों को अपने **सभी निवासियों को सुरक्षित तरीके से और दक्षतापूर्वक आर्थिक अवसर एवं सामाजिक सेवाएं** उपलब्ध कराने में मदद करता है।
  - डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सरल शब्दों में समझें तो यह एक ऐसा डिजिटल ढांचा है जो सभी के लिए खुला होता है और इसका उपयोग विभिन्न डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है।
  - DPI की तुलना एक तरह से सड़कों से की जा सकती है। DPI की तरह सड़कें भी एक **भौतिक नेटवर्क का निर्माण करती हैं, जो लोगों को जोड़ती हैं तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की एक विशाल श्रृंखला तक पहुंच प्रदान** करती हैं।
  - **इंडिया स्टैक,** भारत का अपना **पहला DPI** है।

DPI के लिए क्वाड के प्रमुख सिद्धांत

- **समावेशिता:** आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक बाधाओं को खत्म करना; अंतिम उपयोगकर्ताओं का सशक्तीकरण करना तथा एल्गोरिदम संबंधी गलत पूर्वाग्रह से बचना।
- **सहयोग:** उपयोगकर्ता-केंद्रित समाधानों के विकास को सक्षम करना और निरंतर अपनाने की सुविधा प्रदान करना तथा नवोन्मेषकों को नई सेवाएं विकसित करने की अनुमति देना।
- **मॉड्यूलैरिटी और एक्स्टेंसिबिलिटी:** बिना किसी व्यवधान के परिवर्तनों/ संशोधनों को समायोजित करने के लिए एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर निर्मित करना।
- **मापनीयता: मांग में किसी भी अप्रत्याशित वृद्धि को आसानी से समायोजित करने** के लिए लचीले डिजाइन का उपयोग करना।
- **संधारणीयता: पर्याप्त वित्त-पोषण और तकनीकी सहायता** के माध्यम से संधारणीयता सुनिश्चित करना।
- **अन्य सिद्धांत:** अंतर-संचालनीयता; मानवाधिकारों के प्रति सम्मान; शिकायत निवारण; सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में योगदान; **बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा; सार्वजनिक लाभ, विश्वास एवं पारदर्शिता के लिए गवर्नेंस; सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना** आदि।

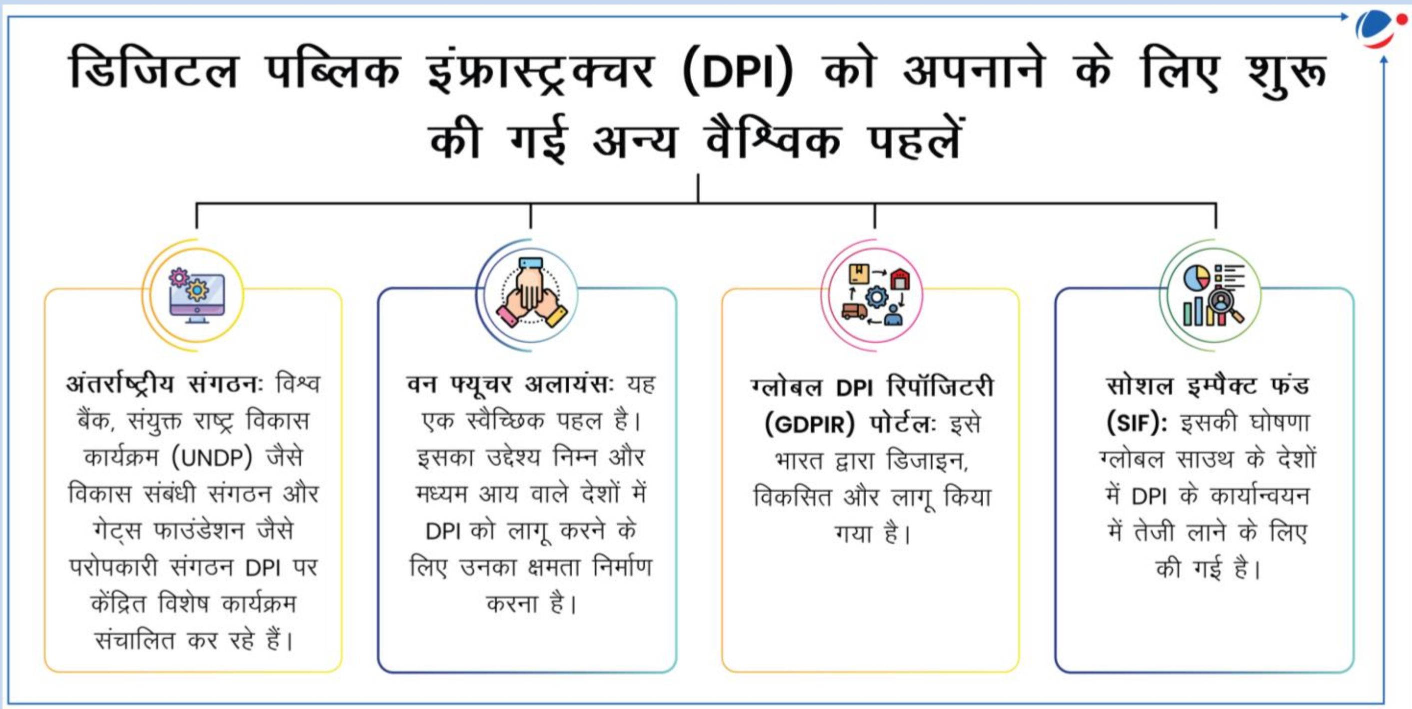

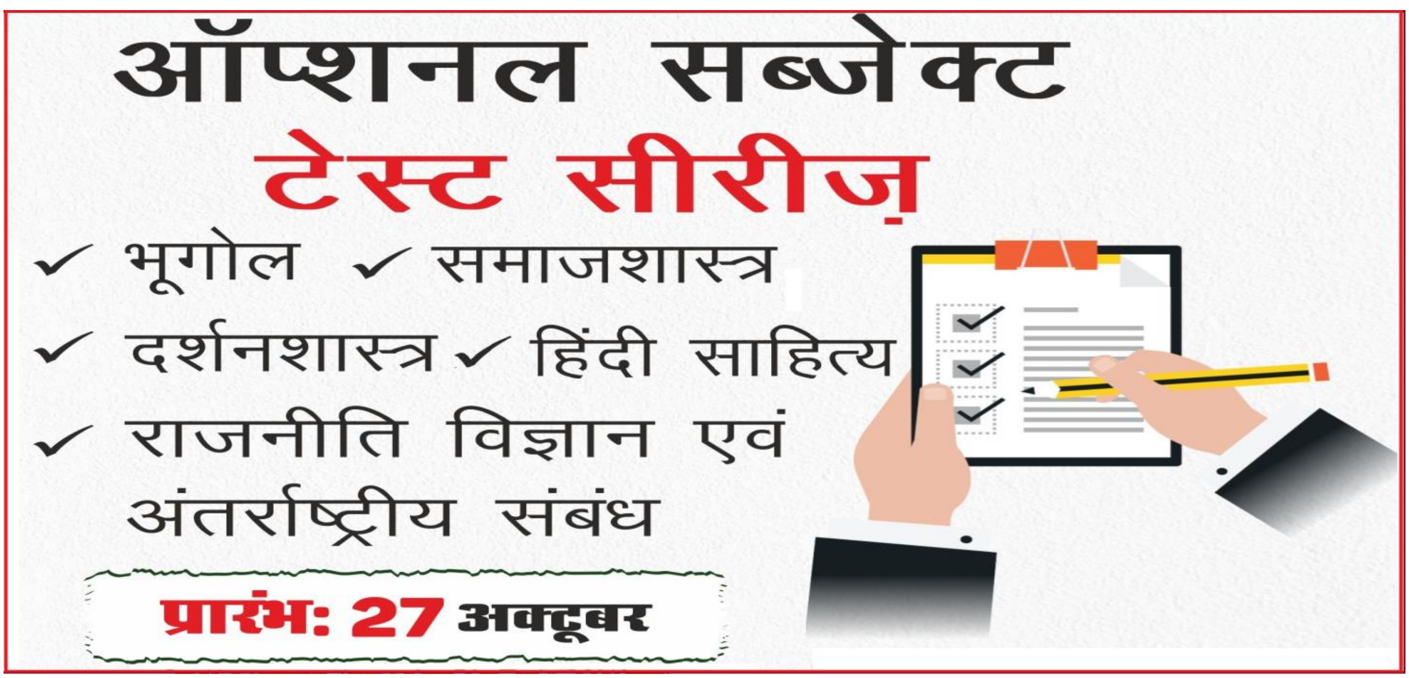

2.2. संघर्ष समाधान में भारत की भूमिका (India's Role in Conflict Resolution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वह रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान के प्रयासों के संबंध में **भारत, ब्राजील और चीन के साथ लगातार संपर्क में हैं।**

> **"हम युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्षधर हैं।** हम बुद्ध और महात्मा गांधी की धरती से शांति का संदेश लेकर आए हैं।"
>
> — श्री नरेंद्र मोदी

अन्य संबंधित तथ्य

- रूसी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी **भारत के प्रधान मंत्री की कीव यात्रा के बाद आई है,** जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ वार्ता की।
    - इससे पहले, **भारत के प्रधान मंत्री ने रूस का दौरा** किया था।
- **रूस-यूक्रेन युद्ध दो साल से अधिक समय से चल रहा है।** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह यूरोप का सबसे बड़ा संघर्ष है, जिसके **जल्द खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिखाई** दे रहे हैं। उदाहरण के लिए-
    - यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए आयोजित किए गए **स्विस शांति शिखर सम्मेलन में रूस ने भाग नहीं लिया था।**
    - **ब्राजील और चीन** ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान हेतु **6 सूत्री प्रस्ताव** प्रस्तुत किया था, जिसमें **रूस-यूक्रेन शिखर सम्मेलन** की बात कही गई थी। हालांकि, **यूक्रेन ने इसे खारिज** कर दिया था।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष या युद्ध का समाधान

- **कई बार तटस्थ तृतीय पक्षों द्वारा कूटनीतिक वार्ता और मध्यस्थता की जाती है।** उदाहरण के लिए, कतर ने इजरायल-हमास संघर्ष में बंधकों की अदला-बदली सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठन और फोरम संघर्षरत पक्षों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाते हैं।** उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि (1960), विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी।
- **आर्थिक प्रतिबंध संघर्षरत पक्षों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं।** उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 41 के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
- **यू.एन. शांति स्थापना मिशन और बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बलों द्वारा हस्तक्षेप।** उदाहरण के लिए- भारत ने लेबनान, सूडान, दक्षिण सूडान, गोलन हाइट्स और आइवरी कोस्ट में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में योगदान दिया है।
- **विवाद निपटान के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों जैसे कानूनी तंत्र।** उदाहरण के लिए- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक सलाहकारी राय जारी की कि यूनाइटेड किंगडम को चागोस द्वीप समूह पर अपना नियंत्रण छोड़ देना चाहिए।

वैश्विक संघर्षों के समाधान में सक्रिय मध्यस्थ के रूप में भारत की उभरती भूमिका

- **भारत एक सक्रिय मध्यस्थ के रूप में:** भारत की कूटनीति पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हो गई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में घनिष्ठता लाने और क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने में एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में भारत का महत्त्व बढ़ा है।
    - उदाहरण के लिए, 2018 में भारत के कूटनीतिक प्रयासों के चलते दिल्ली से तेल अवीव (इजरायल) के लिए उड़ानों हेतु **सऊदी हवाई क्षेत्र के उपयोग पर लगे 70 साल पुराने प्रतिबंध को समाप्त** कर दिया गया था। ज्ञातव्य है कि सऊदी अरब ने इजरायल के लिए उड़ानों हेतु सऊदी हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ था।
- **विदेश नीति के प्रति भारत का 5-'स' (सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि) दृष्टिकोण:** यह दृष्टिकोण **भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतीक है** और शांति हेतु मध्यस्थता के लिए भारत को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करता है।
- **भारत का दृढ़ विश्वास है कि संवाद और कूटनीति ही संघर्ष से बाहर निकलने का मार्ग हैं:** उदाहरण के लिए- CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के प्रधान मंत्री ने विश्व के अन्य नेताओं के साथ मिलकर 2022 में कीव पर मास्को द्वारा परमाणु हमले को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- **भारत, ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति के रूप में:** भारत ने अपनी G-20 की अध्यक्षता के दौरान विनाशकारी युद्ध (रूस-यूक्रेन युद्ध) के परिणामों को रेखांकित करके संघर्ष समाधान को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया था।
- **'वसुधैव कुटुंबकम' भारत का प्राचीन दर्शन और 'शांति के पैरोकार' के रूप में समृद्ध इतिहास:** ये वैश्विक मामलों में भारत को एक मध्यस्थ और सुलहकर्ता के रूप में विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं।
    - उदाहरण के लिए, भारत ने अपने इतिहास में कभी भी सैन्यवाद और युद्ध के सिद्धांत को नहीं अपनाया है।
- **विश्व के साथ भारत का सक्रिय जुड़ाव:** संवाद को बढ़ावा देना, मानवता के समक्ष उत्पन्न खतरे के दौरान प्रथम सहायता प्रदाता के रूप में कार्य करना और जरूरत के समय वैश्विक समुदाय की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना भारत की विदेश नीति का हिस्सा रहा है। उदाहरण के लिए, 2014 में मालदीव में उत्पन्न हुए जल संकट के दौरान भारत वहां पर पीने का पानी उपलब्ध कराने वाला पहला देश था।
    - इस **नई पहचान** ने भारत को संघर्ष को सुलझाने में अपनी स्थिति का लाभ उठाने में मदद की है।
- **संघर्ष के समाधान का अनुभव:** आंतरिक और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के संघर्षों से निपटने में भारत का अनुभव उसे वैश्विक पटल पर एक संभावित शांति निर्माता के रूप में स्थापित करता है (बॉक्स देखें)।

शांति के लिए मध्यस्थ के रूप में भारत के ऐतिहासिक प्रयास

- **1955:** भारत ने ऑस्ट्रिया से सोवियत सैनिकों की वापसी के लिए USSR और ऑस्ट्रिया के बीच मध्यस्थता की थी। साथ ही, भारत ने ऑस्ट्रिया को स्वयं को एक तटस्थ देश घोषित करने के लिए उससे संवाद भी किया था।
- **1956:** भारत ने कोरियाई संकट में मध्यस्थता की थी तथा **संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और USSR** को शामिल किया था।
- **1950 और 60 के दशक:** भारत, वियतनाम युद्ध में पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सह-अध्यक्ष था।
- **1979:** भारत के वित्त मंत्री ने अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी थी और चीन की आक्रामकता पर सक्रिय रूप से वियतनाम का समर्थन किया था।

वैश्विक संघर्षों के समाधान में मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका के समक्ष बाधाएं

- **कूटनीतिक साझेदारियां:** विश्व के विविध देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी कथित तौर पर उसके तटस्थता के रुख को सीमित करती है। उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर रूस के खिलाफ लाए गए संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों पर भारत का अनुपस्थित रहना।
- **क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता:** पड़ोसी देशों के साथ भारत का तनाव उसकी मध्यस्थ की भूमिका को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, भारत-पाकिस्तान के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध, अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका को जटिल बनाते हैं।
- **आर्थिक प्राथमिकताएं:** कूटनीतिक प्रयासों को आर्थिक हितों के साथ संतुलित करना भारत की मध्यस्थता की कार्रवाई को बाधित कर सकता है। उदाहरण के लिए, ईरान से भारत का तेल आयात।
- **सीमित वैश्विक प्रभाव:** संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसी स्थापित वैश्विक शक्तियों की तुलना में भारत की कूटनीतिक क्षमता अपेक्षाकृत सीमित है। इसके कारण जटिल अंतर्राष्ट्रीय विवादों में प्रभावी ढंग से मध्यस्थता करने की भारत की क्षमता प्रभावित होती है।
- **घरेलू स्तर पर मौजूद चुनौतियां:** भारत में मौजूद कुछ आंतरिक मुद्दे जैसे- आंतरिक संघर्ष, उग्रवाद आदि भारत को शांति के एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने की उसकी क्षमता को सीमित करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- भारत ने **कश्मीर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता** को अस्वीकार कर दिया है।

आगे की राह

- **मध्यस्थ के रूप में सक्रिय भूमिका निभाना:** भारत सभी हितधारकों के लिए **शांति वार्ता** हेतु एक तटस्थ मंच प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, भारत **रूस-यूक्रेन युद्ध के समाधान हेतु एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन** की मेजबानी भी कर सकता है।
- **साझेदारी:** भारत **समान विचारधारा वाले राष्ट्रों** (जैसे-दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया आदि) और **पारंपरिक पश्चिमी शांति समर्थकों** (स्विट्जरलैंड, नॉर्वे आदि) के साथ मिलकर शांति स्थापना प्रयासों में अधिक योगदान दे सकता है।
- **अपने अनुभव का उपयोग करना:** भारत को **संयुक्त राष्ट्र तंत्र, राजनयिक नेतृत्व, गुटनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता** का लाभ उठाकर अपने **कोरियाई संकट के दौरान शांति प्रयासों का अनुकरण** करना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण:** वैश्विक संघर्षों का अध्ययन करने के लिए विदेश मंत्रालय और थिंक टैंक्स के भीतर शांति टीमों का गठन करना चाहिए। साथ ही, नॉर्वे के **पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो (PRIO)** के समान समाधान रणनीति विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष

संघर्ष समाधान में भारत की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि वर्तमान में यह ग्लोबल साउथ की एक मजबूत अभिव्यक्ति के रूप में उभर रहा है। अनौपचारिक भूमिका से सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय संलग्नता की ओर बढ़ते हुए, भारत के कूटनीतिक प्रयास इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं।

2.3. भारत-सिंगापुर संबंध (India-Singapore Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री ने दक्षिण-पूर्व एशिया के दो देशों की यात्रा के दूसरे चरण में **सिंगापुर** का दौरा किया। इससे पूर्व उन्होंने पहले चरण में **ब्रुनेई दारुस्सलाम** की यात्रा की थी।

क्या आप जानते हैं?

> वर्तमान में केवल तीन देश **मोनाको, सिंगापुर और वेटिकन सिटी "सिटी-स्टेट्स यानी शहर-राज्य"** के रूप में जाने जाते हैं।

सिंगापुर यात्रा के मुख्य आउटकम्स

- **व्यापक रणनीतिक साझेदारी**[18]**:** 2015 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया है।
- **भारत और सिंगापुर ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और कौशल विकास** के क्षेत्रकों में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
  - **भारत-सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी पर समझौता ज्ञापन (MoU):** इसके तहत निम्नलिखित विषय शामिल हैं:
    - सेमीकंडक्टर क्लस्टर का विकास करना;
    - प्रतिभा को प्रोत्साहित करना; और
    - एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सहित विशेष रूप से लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में सहयोग करना।

---

[18] Comprehensive Strategic Partnership

भारत-सिंगापुर संबंधों के बारे में

- **ऐतिहासिक संबंध: वर्ष 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स** ने सिंगापुर को एक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित किया था। उस समय इसे **कोलकाता** से संचालित किया जाता था। भारत **1965** में सिंगापुर को मान्यता देने वाले विश्व के कुछ शुरूआती देशों में से एक था।
- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** सिंगापुर **आसियान समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।** 2023-24 तक के आंकड़ों के अनुसार, यह **भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** भी है।
    - **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA)**[19] पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर **35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023-24)** हो गया है।
        - हालांकि, द्विपक्षीय व्यापार में भारत निर्यात से अधिक **आयात** करता है।
    - भारत ने कर चोरी (Tax evasion) को रोकने के लिए **2016** में सिंगापुर के साथ **दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA)**[20] पर हस्ताक्षर किए थे।

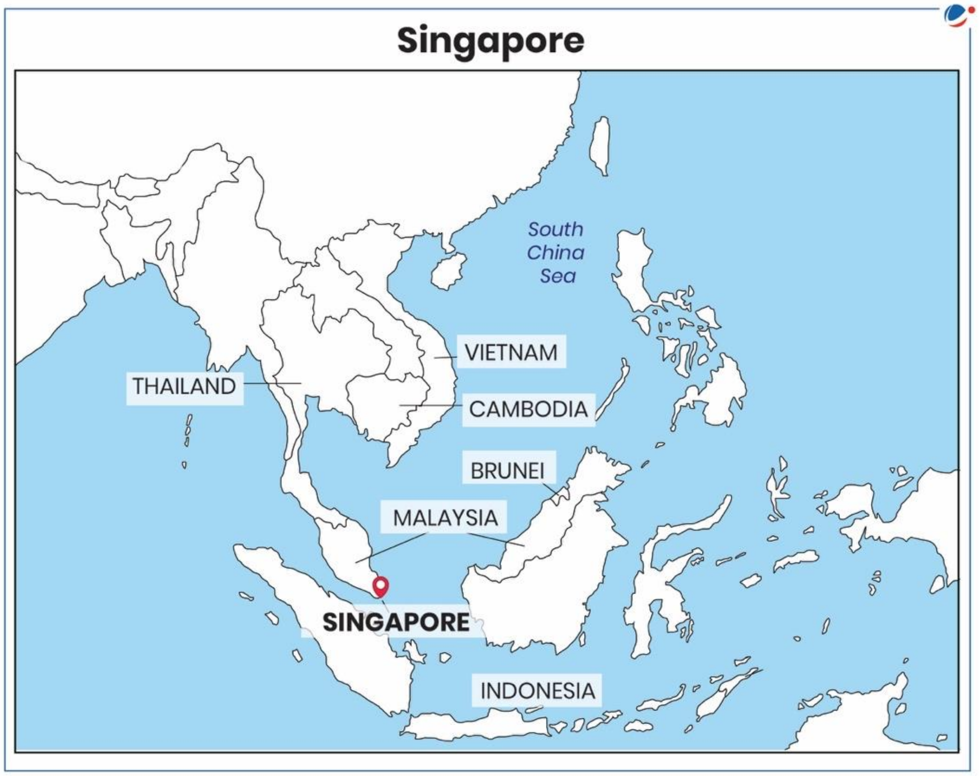

- **रक्षा संबंध:** सिंगापुर के साथ रक्षा सहयोग भारत को दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में सक्षम बनाता है। साथ ही, यह हिंद महासागर में एक सुरक्षा भागीदार के रूप में सिंगापुर की भूमिका को मजबूत भी करता है।
    - **दोनों देशों की तीनों सेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास:**
        - **अभ्यास अग्नि वारियर** (थल सेना);
        - **अभ्यास सिम्बेक्स** (नौसेना);
        - **भारतीय वायु सेना और रॉयल सिंगापुर वायु सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण (Joint Military Training: JMT)।**
- **फिनटेक: RuPay कार्ड** और **UPI-Paynow लिंकेज** सीमा-पार फिनटेक के क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास के प्रतीक हैं।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** भारत और सिंगापुर **पूर्वी-एशिया शिखर सम्मेलन, G20, राष्ट्रमंडल, IORA (इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन) और IONS (हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी)** जैसे बहुपक्षीय समूहों का हिस्सा हैं।
    - सिंगापुर **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन**[21] में शामिल हो गया है।
    - दोनों देश **इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF)** पर निकटता से सहयोग करते हैं और इसका समर्थन करते हैं।
- **भारतीय समुदाय:** सिंगापुर की आबादी में **लगभग 9.1% भारतीय मूल के लोग हैं।**
    - इसके अलावा, सिंगापुर में अस्थायी तौर पर रहने वाले 1.6 मिलियन विदेशियों में से लगभग 20% भारतीय नागरिक हैं।
    - **तमिल** सिंगापुर की **चार आधिकारिक भाषाओं में से एक** है।

---

[19] Comprehensive Economic Cooperation Agreement

[20] Double Taxation Avoidance Agreement

[21] Global Biofuel Alliance

भारत-सिंगापुर संबंधों के समक्ष चुनौतियां

- **चीन की मजबूत उपस्थिति:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन में होने वाले निवेश में सिंगापुर की महत्वपूर्ण भूमिका है और कुल निवेश का लगभग 85% हिस्सा सिंगापुर के जरिए चीन को प्राप्त होता है।
  - चीन सिंगापुर का **तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है।
- **टैक्स हेवन देश के रूप में सिंगापुर की पहचान:** हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 में **11.7 बिलियन डॉलर** का निवेश किया गया था, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा **राउंड ट्रिपिंग** के कारण हो सकता है।
- **व्यापार से जुड़ी भारत की चिंताएं:** सेवाओं के निर्यात के लिए अपर्याप्त बाजार पहुंच और पेशेवर प्रतिभाओं का पलायन।
- **सोने की तस्करी:** सिंगापुर में मौजूद तस्कर, घर वापस आने वाले भारतीय प्रवासी कामगारों से संपर्क में रहते हैं और उनसे देश में सोने की तस्करी करवाते हैं। ये तस्कर भारतीय प्रवासी श्रमिकों को 'गोल्ड म्यूल्स' के रूप में भर्ती कर रहे हैं।
- **भारत विरोधी भावनाएं:** ऐसे कई मामले देखे गए हैं, जहां सिंगापुर में काम करने वाले **भारतीय कामगारों को सोशल मीडिया और कार्यस्थल पर प्रताड़ित** किया गया है।

भारत-सिंगापुर संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में आगे की राह

- **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) की तीसरी बार समीक्षा:** दोनों देश मिलकर तीसरी CECA समीक्षा को पूरा कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि **यह समझौता दोनों देशों के लिए भविष्य में प्रासंगिक बना** रहेगा।
  - इसका उद्देश्य बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल ढलना और लाभकारी व्यापार संबंध बनाए रखना है।
- **आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा:** इसे और अधिक व्यापार-अनुकूल, सरल व व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले के रूप में तैयार करना चाहिए। इस समीक्षा को 2025 तक महत्वपूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- **शहरी नियोजन और विकास:** स्मार्ट शहर एवं आवास सहित शहरी अवसंरचना पर **सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज (SCE) तथा भारत के विविध राज्यों के बीच आपस में सहयोग** किया जा सकता है।

* **भारत विरोधी भावनाओं को खत्म करना:** सिंगापुर में मौजूद भारतीय दूतावास भारत विरोधी भावनाओं से संबंधित मुद्दों का सामना कर रहे भारतीय कामगारों के लिए एक हेल्पलाइन या सहायता प्रणाली स्थापित कर सकता है।
* **सेवा व्यापार का लाभ उठाना:** भारत को सिंगापुर के साथ व्यापार घाटे को कम करना चाहिए। इसके अलावा, सेवा क्षेत्रक को उदार बनाने तथा अपने तुलनात्मक लाभ को अधिकतम करने के लिए सिंगापुर के साथ साझेदारी को मजबूत करना चाहिए।

निष्कर्ष

सिंगापुर भारत का एक रणनीतिक साझेदार है और पूर्वी एशिया में भारत के लिए आर्थिक सेतु के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा सिंगापुर भारत के क्षेत्रीय प्रभाव और कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए व्यापार, निवेश एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है।

नोट: *भारत की एक्ट ईस्ट नीति के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया अगस्त, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 2.3. देखें।*

2.4. आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था (Security of Supplies Arrangement: SOSA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के रक्षा मंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में निम्नलिखित शामिल हैं-

* **सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट यानी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था (SOSA) पर समझौता;** तथा
* **संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति (Assignment of Liaison Officers) के संबंध में समझौता ज्ञापन (MoU)**

अन्य संबंधित तथ्य

* **सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट (SOSA) के बारे में:**
  * **राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा:** SOSA समझौता अमेरिका और भारत को शांति काल, आपातकाल या सशस्त्र संघर्ष जैसी किसी भी स्थिति में एक-दूसरे से रक्षा सामग्री और सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी देश को अचानक किसी रक्षा उपकरण की जरूरत पड़ती है तो दूसरा देश उसे जल्दी से उपलब्ध कराएगा। इससे युद्ध या आपातकालीन स्थिति में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी।
  * **राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना:** इस व्यवस्था से दोनों देश कुछ प्रकार की रक्षा वस्तुओं की प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति के लिए एक-दूसरे से अनुरोध कर सकेंगे।
  * भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका का **18वां SOSA भागीदार** है।
    * यह **कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं** है।
  * ज्ञातव्य है कि अमेरिका और भारत एक बाध्यकारी **पारस्परिक रक्षा खरीद (RDP)**[22] समझौते पर वार्ता कर रहे हैं।
* **संपर्क अधिकारियों (Liaison Officers) की नियुक्ति पर समझौता ज्ञापन:** यह समझौता सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ाएगा। साथ ही, इसके तहत अमेरिका के प्रमुख **सामरिक कमानों में भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों की तैनाती** भी की जा सकेगी।
  * भारत **फ्लोरिडा में स्थित अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड** मुख्यालय में पहला संपर्क अधिकारी तैनात करेगा।

रक्षा क्षेत्रक में भारत-अमेरिका सहयोग की उपलब्धियां

* **2015 में अमेरिका और भारत ने रक्षा संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की थी।** इसके तहत रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धताओं को औपचारिक रूप दिया गया था।
* **2016 में अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में नामित किया था।** इससे भारत को **2018 में स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर-1** का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके परिणामस्वरूप, भारत को **अलग-अलग सैन्य और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों तक लाइसेंस-मुक्त पहुंच प्राप्त** हुई थी।
* **भारत-अमेरिका के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता (2018):** "2+2 वार्ता" में दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्री भाग लेते हैं।
  * **उद्देश्य:** तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में एक मजबूत और अधिक एकीकृत रणनीतिक संबंध विकसित करना, ताकि चिंता के साझा मुद्दों पर चर्चा की जा सके।

---

[22] Reciprocal Defence Procurement

©Vision IAS

* **रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए रोडमैप (2023):** सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस (ISR), अंडरसी डोमेन अवेयरनेस, एयर कॉम्बैट और सपोर्ट आदि शामिल हैं।
* **इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET, 2023) पर अमेरिका-भारत पहल:** यह रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने के लिए शुरू की गई है।
  * **इंडिया-यू.एस. डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम (INDUS-X, 2023):** iCET के तहत रक्षा क्षेत्रक में नवाचार हेतु समन्वित प्रयासों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
* **भारत और अमेरिका ने आपस में सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए चार आधारभूत समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं**: (इन्फोग्राफिक देखें)

भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग का महत्त्व

* **भारत की रक्षा सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाना: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, **पिछले दो दशकों के दौरान भारत ने हथियारों की खरीद में 60 बिलियन डॉलर** से अधिक की धनराशि खर्च की थी। इसमें से **65% रक्षा सामग्री की आपूर्ति रूस** ने की है।
  * उदाहरण के लिए- SOSA भारत को अपनी रक्षा सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने में सक्षम बनाएगा। इससे रूसी उपकरणों पर भारत की निर्भरता कम होगी।
* **भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूती:** चार **'आधारभूत समझौते'** भारत को अमेरिका के करीब लाएंगे, भारत को एडवांस अमेरिकी खुफिया जानकारी तक पहुंच प्रदान होगी, आदि।
* **सैन्य साझेदारी और आपसी सहयोग को मजबूत करना:** उदाहरण के लिए, मालाबार अभ्यास ने सैन्य उपायों के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण कौशल को बेहतर करने, आदि के लिए एक साझा मंच प्रदान किया है।
  * इस वर्ष (2024) का मालाबार अभ्यास **विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)** में शुरू हुआ था। इसमें भारत के अलावा **ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका** ने भाग लिया था।

- **हिंद-प्रशांत में चीन को प्रतिसंतुलित करना:** भारत अब संयुक्त समुद्री बल (CMF) का सदस्य बन गया है। इससे नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करके क्षेत्रीय सुरक्षा को दिशा देने में भारत की भूमिका में बढ़ोतरी होगी।
    - CMF लगभग **3.2 मिलियन वर्ग मील के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है।**
- **एडवांस अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी तक पहुंच:** उदाहरण के लिए, भारत, अमेरिका का पहला गैर-संधि भागीदार बन गया, जिसे MTCR श्रेणी-1 मानव रहित हवाई प्रणाली-सी गार्जियन यू.ए.एस.[23] की पेशकश की गई।
- **औद्योगिक संवृद्धि:** INDUS-X के तहत रक्षा व्यवस्था में बढ़ते सहयोग से निवेश के अवसरों, उच्च क्षमता वाले स्टार्ट-अप्स, उभरते रक्षा बाजारों में एक्सपोज़र आदि में विविधता लाने में मदद मिल सकती है।

भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग में चुनौतियां

- **रणनीतिक मतभेद:** रूस के साथ भारत के संबंध (हथियार और तेल खरीद) तथा पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध अमेरिका-भारत रक्षा साझेदारी में मतभेद पैदा करते हैं।
    - उदाहरण के लिए, अमेरिका ने भारत को रूस से सैन्य उपकरण खरीदने पर **काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA)** के तहत प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का अभाव:** अमेरिकी कंपनियां प्रौद्योगिकी साझा करने की बजाय हथियारों की बिक्री को प्राथमिकता देती हैं।
- **विनियामक बाधाएं:** भारत में रक्षा खरीद की धीमी प्रक्रिया और ऑफसेट क्रेडिट मुद्दे अमेरिकी फर्मों को रोकते हैं।
- **भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी से बढ़ता तनाव:** भारत-अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी से क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि चीन इसे एक खतरे के रूप में देखता है।
- **बौद्धिक संपदा संबंधी चिंताएं:** अमेरिका ने भारत को बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन से जुड़ी समस्याओं के लिए देशों की **'प्राथमिकता निगरानी सूची'** में शामिल किया है। साथ ही, कहा है कि आने वाले वर्ष में इस मामले पर विशेष रूप से गहन द्विपक्षीय वार्ता होगी।

आगे की राह

- **आपसी रक्षा सहयोग पर ध्यान देना:** अमेरिकी और भारतीय सेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
- **खुफिया जानकारी साझा करने का विस्तार करना:** विशेष रूप से आतंकवाद तथा क्षेत्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरों जैसे चिंता के साझा क्षेत्रों में खुफिया सहयोग को और गहरा करने की आवश्यकता है।
- **पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते को जल्द-से-जल्द संपन्न करने का प्रयास करना:** यह अमेरिकी सहयोगियों और अन्य मैत्रीपूर्ण देशों के साथ पारंपरिक रक्षा उपकरणों के युक्तिकरण, मानकीकरण, आपस में आदान-प्रदान करने और संचालन में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **लंबित वार्ताओं को जल्दी पूरा करना:** उदाहरण के लिए, LCA MK2 लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए GE F414 जेट इंजन को भारत में ही बनाने के लिए इसके विनिर्माताओं से वार्ता चल रही है।
- **बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाना:** अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मुद्दों के समाधान के लिए **क्वाड तथा I2U2 (भारत, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात)** जैसे मंचों में समन्वय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

[23] Unmanned Aerial System-the Sea Guardian UAS

निष्कर्ष

भारत-अमेरिका रक्षा समझौते रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने, प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ावा देने और साझा लक्ष्यों के लिए गहन सहयोग एवं आपसी प्रतिबद्धता के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

2.5. हिंद-प्रशांत महासागर पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative: IPOI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के **पांच वर्ष** पूरे हुए।

हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के बारे में

- यह एक **गैर-संधि आधारित स्वैच्छिक व्यवस्था है, जो स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत तथा नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था** के लिए सहयोग को बढ़ावा देती है।
- **उत्पत्ति:** भारत ने IPOI को **2019 में बैंकॉक (थाईलैंड) में आयोजित हुए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)** के दौरान लॉन्च किया था।
- **उद्देश्य:** यह व्यावहारिक सहयोग के जरिए **समान विचारधारा वाले देशों के साथ नई साझेदारी बनाकर एक समुदाय की भावना का निर्माण** करने पर केंद्रित है।
- **सिद्धांत:** यह भारत द्वारा **2015** में शुरू की गई **'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर/ SAGAR)'** पहल की अवधारणा पर आधारित है।
  - सागर पहल का विज़न, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों एवं मानदंडों का सम्मान करते हुए तथा आर्थिक सहायता और समुद्री सुरक्षा चिंताओं को एक साझा मंच पर लाते हुए **समावेशी विकास को बढ़ावा** देना है।

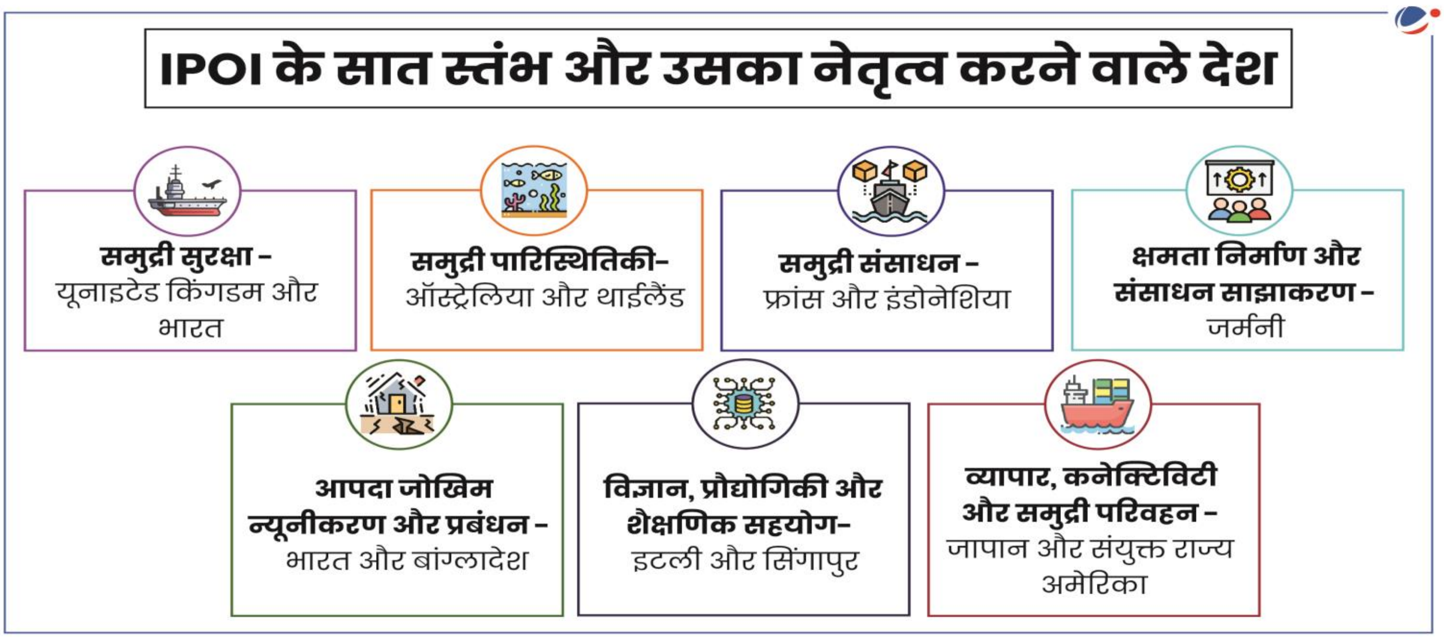

हिंद-प्रशांत क्या है?

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र एक ऐसा भौगोलिक और सामरिक क्षेत्र है जिसकी व्याख्या विभिन्न देशों और क्षेत्रीय संगठनों द्वारा अलग-अलग भू-राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा हितों के आधार पर की जाती है।
- **भू-स्थानिक और रणनीतिक व्याख्या:** हिंद-प्रशांत को **हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक परस्पर जुड़े हुए क्षेत्र के रूप में समझा** जाता है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग **मलक्का जलडमरूमध्य** के माध्यम से हिंद महासागर व प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है।

 ○ **विश्व की 60% आबादी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रहती है और वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 2/3 हिस्सा** हिंद-प्रशांत क्षेत्र से होता है।

- **भारत द्वारा दी गई परिभाषा:** "हिंद-प्रशांत" **अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका** तक फैला हुआ है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका की परिभाषा:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र **भारत के पश्चिमी तट** तक फैला हुआ है, जो अमेरिका के **इंडो-पैसिफिक कमांड की भौगोलिक सीमा** भी है।

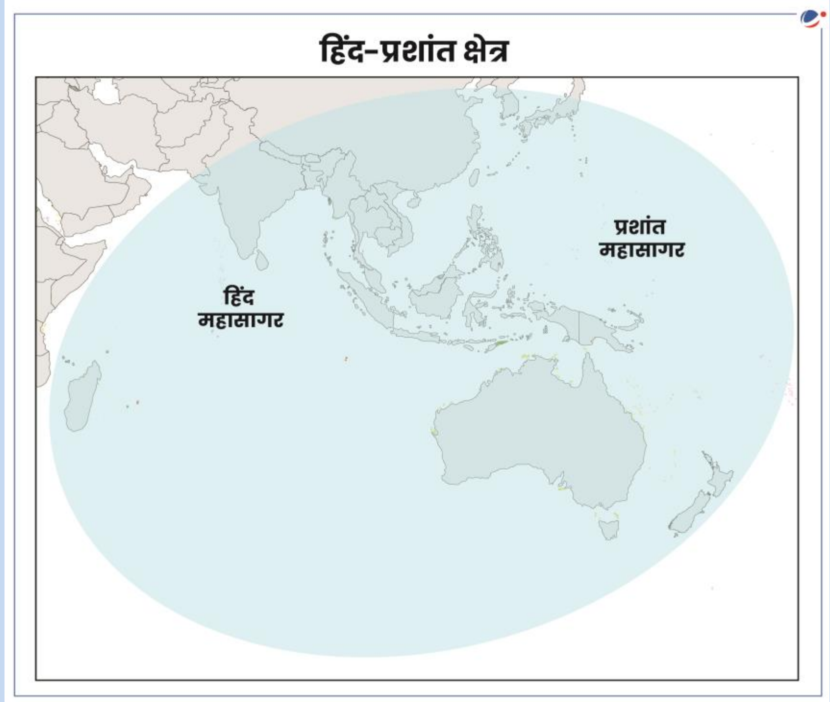

हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) का महत्त्व

- **सामरिक प्रासंगिकता:** यह सुरक्षा एवं भू-राजनीतिक चुनौतियों पर आधारित हिंद-प्रशांत की पारंपरिक धारणा का विस्तार करती है तथा आर्थिक, विकास और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने जैसे विषयों को समुद्री सहयोग के क्षेत्र में शामिल करती है।
- **सामूहिक प्रयासों को समेकित, समन्वित एवं चैनलाइज करना:** यह समुद्री सुरक्षा और सतत विकास के साझा लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में विविध पहलों में समन्वय स्थापित करते हुए क्षेत्रीय भागीदारों को एकजुट करती है।
  - उदाहरण के लिए- **आसियान आउटलुक ऑन इंडो-पैसिफिक (AOIP) और इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) एक दूसरे के पूरक** हैं।
- **क्षेत्रीय खतरों से निपटना:** यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **चीन के आक्रामक व्यवहार से निपटने में मदद** कर सकती है।
  - उदाहरण के लिए- 2020 में **भारत और वियतनाम IPOI के अनुरूप अपने द्विपक्षीय सहयोग** को बढ़ाने पर सहमत हुए थे।
- **समुद्री सुरक्षा: IPOI का समुद्री सुरक्षा स्तंभ, भागीदारों के बीच सहयोगात्मक जुड़ाव के माध्यम** से हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र में शांति स्थापित करने पर केंद्रित है।
- **संसाधनों को हासिल करने पर आधारित भूराजनीति का समाधान:** यह पहल महत्वपूर्ण खनिजों (कोबाल्ट, लिथियम, निकल आदि) और दुर्लभ भू-धातुओं (जैसे टेल्यूरियम, नियोडिमियम इत्यादि) की आपूर्ति को सुरक्षित करने में सहयोग को बढ़ावा देती है।
- **लचीला फ्रेमवर्क:** यह क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अनुकूल व गैर-संस्थागत मंच प्रदान करती है। इससे हिंद-प्रशांत की उभरती हुई चुनौतियों से निपटने में सामंजस्य पर आधारित कार्रवाई संभव हो पाती है।

हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के समक्ष प्रमुख चुनौतियां:

- **संस्थागत क्षमता एवं कार्रवाई की कमी:** प्रत्येक स्तंभ के अंतर्गत बहु-हितधारक और बहुपक्षीय सहयोग के लिए सुपरिभाषित दिशा एवं एजेंडा का अभाव है। यह समस्या इस पहल के प्रभाव को सीमित कर रही है।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** यह हिंद-प्रशांत की धारणा को और जटिल बनाता है, क्योंकि चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पश्चिमी देशों की बढ़ती सक्रियता को उसके (चीन) प्रभाव को कम करने वाली एक और कार्रवाई मानता है।
- **संसाधन की कमी:** संयुक्त पहलों के लिए वित्त-पोषण तंत्र की कमी है तथा भागीदार देशों के बीच तकनीक और अवसंरचना क्षमताओं के स्तर पर काफी असमानता है।
- **भागीदार देशों की विनियामक व्यवस्था में सामंजस्य की कमी:** भागीदार देशों की राष्ट्रीय नीतियां, नियम और विनियम काफी अलग-अलग हैं। इन नीतियों और नियमों-विनियमों में सामंजस्य बैठना तथा साझा मानक का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती है।

* **क्षेत्र के सभी देशों को शामिल करने से जुड़े मुद्दे:** इस पहल में पूर्वी अफ्रीकी और खाड़ी सहयोग परिषद के देशों का सीमित प्रतिनिधित्व है।

आगे की राह

* **विज़न और व्यापक एजेंडा:** चर्चा, संवाद आदि के आधार पर **IPOI के लिए** एक सामूहिक विज़न स्टेटमेंट को अपनाया जा सकता है। प्रत्येक स्तंभ के लिए, अगले पांच वर्षों हेतु एक संक्षिप्त योजना और एजेंडा की रूपरेखा तैयार की जा सकती है।
* **प्रत्येक स्तंभ पर संवाद:** किसी स्तंभ में विशेषज्ञता प्राप्त अग्रणी देशों को संबंधित स्तंभ पर समय-समय पर वार्ताओं का आयोजन करना चाहिए। ये आयोजन पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया मैरीटाइम फोरम (EAMF), इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे फ़ोरम्स के समन्वय में आयोजित किए जा सकते हैं।
* **पूर्वी अफ्रीका, खाड़ी सहयोग परिषद के देशों और लघु द्वीपीय देशों की भागीदारी:** ऐसे देशों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए और उन्हें नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए है। ये कदम IPOI को वास्तव में एक क्षेत्रीय कंस्ट्रक्ट बना देगा।
* **समय-समय पर सूचनाएं साझा करना:** अग्रणी देशों द्वारा प्रत्येक स्तंभ से जुड़े एजेंडा एवं सहयोग पर वार्षिक विवरणी भागीदार देशों के साथ साझा करनी चाहिए। इससे एजेंडा की दिशा पर साझा समझ विकसित करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

भारत का हिंद-प्रशांत के प्रति दृष्टिकोण, इसकी एक्ट ईस्ट नीति का विस्तार है। यह दृष्टिकोण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समावेशिता और नौवहन की स्वतंत्रता को महत्त्व देता है। यह जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देता है। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय महासागरों में सभी देशों के लिए एक संतुलित व सहयोगात्मक फ्रेमवर्क को प्रोत्साहित करता है।

2.6. तापी गैस पाइपलाइन परियोजना (Tapi Gas Pipeline Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के अधिकारियों ने तुर्कमेनिस्तान सीमा के अंदर पूर्ण हो चुकी तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (तापी/ TAPI) गैस पाइपलाइन परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन** किया। साथ ही, अफगानिस्तान ने कहा कि वह जल्द ही इस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करने के लिए तेजी से काम शुरू करेगा।

तापी परियोजना के बारे में

* **1990 के दशक के मध्य में** तापी गैस पाइपलाइन परियोजना की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना को **दक्षिण-पूर्वी तुर्कमेनिस्तान के गाल्किनीश गैस क्षेत्र से निकाली गई प्राकृतिक गैस को अफगानिस्तान-पाकिस्तान से होते हुए भारत** तक पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    * **गाल्किनीश गैस क्षेत्र** को पहले **ओलोटेन गैस क्षेत्र** कहा जाता था। इसकी **खोज 2006** में हुई थी। यह **मैरी (तुर्कमेनिस्तान) से 75 किमी दक्षिण-पूर्व** में स्थित है।
    * यह **दुनिया के पांच सबसे बड़े गैस क्षेत्रों में से एक** है। इस क्षेत्र में **अनुमानतः 4 से 14 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस के भंडार** मौजूद हैं तथा **2.8 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के प्रमाणित वाणिज्यिक भंडार** हैं।
    * इस क्षेत्र में लगभग **300 मिलियन टन क्रूड ऑयल** का भी पता लगा है।
* यह तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक प्रस्तावित **1,814 किलोमीटर तक की पाइपलाइन है।**
* इस पाइपलाइन के माध्यम से **गाल्किनीश गैस फिल्ड से प्रतिवर्ष 33 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का निर्यात** किया जाएगा।
* **वित्त-पोषण:** इसे **एशियाई विकास बैंक** द्वारा वित्त-पोषित किया जा रहा है। यह बैंक इस परियोजना के विकास के लिए **ट्रांजेक्शन एडवाइजर** के रूप में भी कार्य कर रहा है।

TAPI परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** अफगानिस्तान और पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता इस परियोजना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए खतरा उत्पन्न करती है।
- **भू–राजनीतिक तनाव:** भारत–पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण निर्णय लेना जटिल हो गया है।
- **वित्त–पोषण संबंधी मुद्दे:** राजनीतिक जोखिम संभावित निवेशकों और ऋणदाताओं को हतोत्साहित करते हैं।
- **प्रतिस्पर्धी परियोजनाएं:** उदाहरण के लिए, प्रस्तावित ईरान–पाकिस्तान (IP) शांति पाइपलाइन पाकिस्तान की TAPI के प्रति प्रतिबद्धताओं को जटिल बनाती है।

तापी परियोजना का महत्त्व

- **रणनीतिक और भू-राजनीतिक:** परस्पर आर्थिक निर्भरता भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
    - यह **भारत को मध्य एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में भी मदद** कर सकता है।
- **आर्थिक:** संभावित रूप से सस्ती प्राकृतिक गैस तक पहुंच से भारत के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही, ऊर्जा आयात लागत को कम करके भारत के व्यापार घाटे को कम किया जा सकता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** तापी परियोजना, प्राकृतिक गैस का एक स्थिर व दीर्घकालिक स्रोत प्रदान कर सकती है। इससे भारत के एनर्जी मिक्स में विविधता लाने और तेल आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

तापी परियोजना में दक्षिण और मध्य एशिया के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। इससे क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, परियोजना में देरी और असफलताओं का लंबा इतिहास यथार्थवादी अपेक्षाओं एवं कार्यान्वयन के लिए लचीली व अनुकूली रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

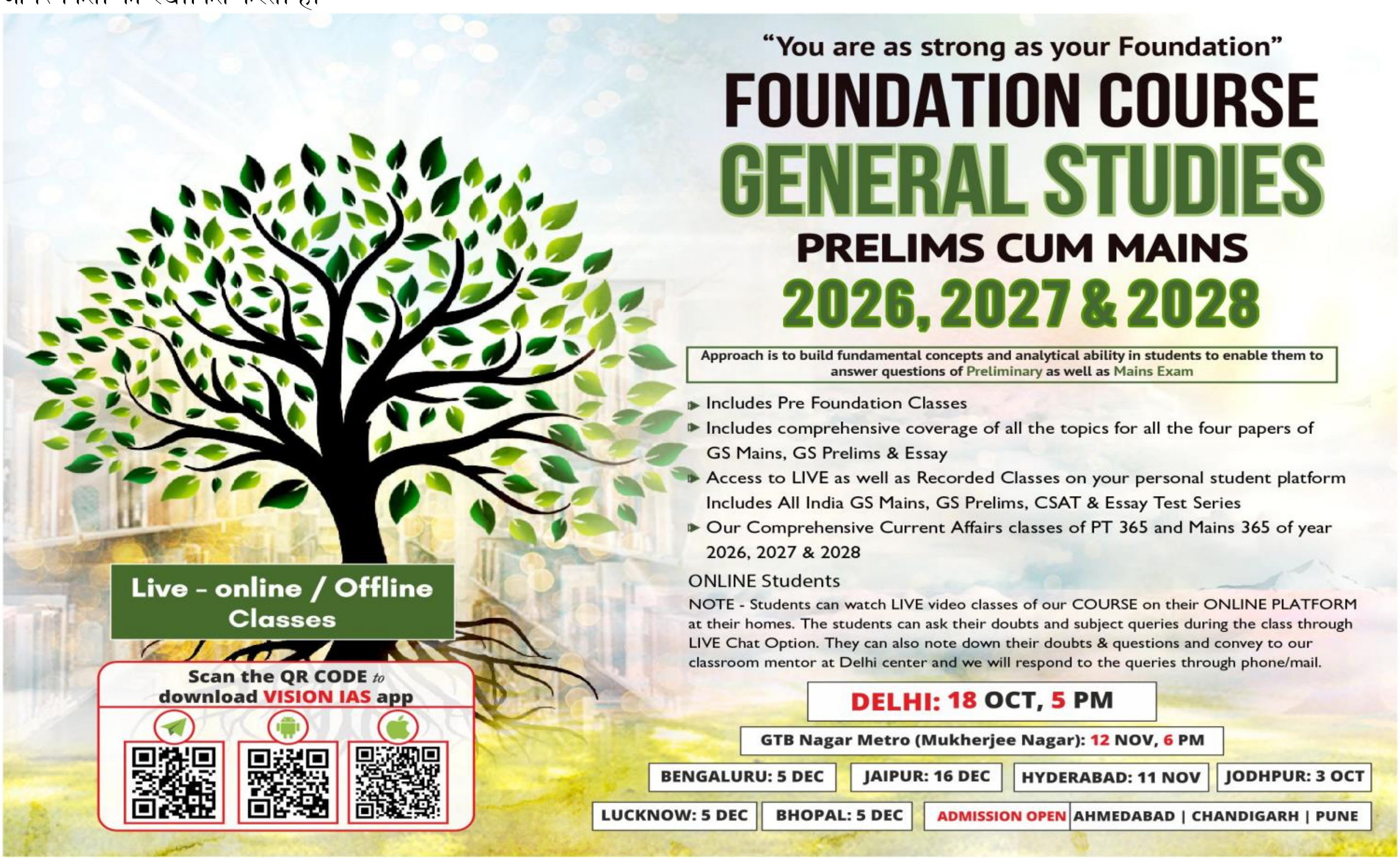

2.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.7.1. भारत ने इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के तहत विशेष समझौतों पर हस्ताक्षर किए (India Signed first-of-its-kind Agreements Under IPEF)

हाल ही में, भारत ने IPEF के तहत **क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी और IPEF ओवर-रीचिंग व्यवस्था पर केंद्रित अपनी तरह के पहले समझौतों पर हस्ताक्षर** किए और उनका आदान-प्रदान किया।

- **IPEF व्यवस्था के निम्नलिखित चार पिलर्स हैं (इन्फोग्राफिक देखें):**

IPEF क्लीन इकोनॉमी समझौता (पिलर-3)

- **स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विकास और उपयोग:** इसका उद्देश्य IPEF भागीदारों के बीच **ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लचीलेपन और उत्सर्जन में कमी में तेजी** लाना है।
- **निवेश और क्षमता निर्माण:** यह **उद्योगों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (MSMEs)** के लिए है। साथ ही, इसका उद्देश्य **IPEF कैटेलिटिक कैपिटल फंड, IPEF एक्सेलेरेटर** जैसे सहयोगी कार्यक्रमों के माध्यम से **भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत** करना भी है।

IPEF फेयर इकोनॉमी समझौता (पिलर-4)

- **पारदर्शी और पूर्वानुमानित व्यापार एवं निवेश व्यवस्था:** इसके तहत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, घरेलू संसाधन जुटाने तथा कर प्रशासन में सुधार लाने हेतु पहलों को समर्थन दिया जाएगा।
- सूचनाओं को साझा करने को बढ़ावा, एसेट रिकवरी में मदद तथा सीमा-पार जांच और अभियोजन प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।

ओवर-रीचिंग IPEF समझौता

- **उद्देश्य:** IPEF से जुड़े अलग-अलग समझौतों पर **मंत्रिस्तरीय लेवल पर उच्च-स्तरीय राजनीतिक निगरानी फ्रेमवर्क** स्थापित करना है।
- **महत्त्व:** यह एक **औपचारिक तंत्र के जरिए IPEF समूह को पहचान** दिलाता है और IPEF **साझेदारी को दीर्घकालिक** बनाता है।
    - साथ ही, इसमें भारत की **आर्थिक उत्पादक क्षमता को बढ़ाने और उसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ने** की भी क्षमता है आदि।

IPEF के बारे में

शुरुआत: इसे **2022 में टोक्यो (जापान)** में शुरू किया गया था।

सदस्य (14): ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, **भारत,** इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका

क्या भारत इसका सदस्य है ✓

उद्देश्य: हिंद–प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए **साझेदार देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत** करना।

चार पिलर्स: व्यापार; आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन; क्लीन इकोनॉमी; और फेयर इकोनॉमी

IPEF के तहत शुरू की गई पहलें:
- **IPEF अपस्किलिंग पहल:** यह पहल उभरते और मध्यम आय वाले IPEF भागीदार देशों में महिलाओं और लड़कियों के कौशल विकास के लिए है।
- **महत्वपूर्ण खनिज संवाद (Critical Mineral Dialogue):** यह 'महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला' को मजबूत करने और हिंद–प्रशांत क्षेत्र में संधारणीय खनन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य पर केंद्रित है।
- **अन्य पहलें:** टेक काउंसिल, कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम (CWP) आदि।

2.7.2. पैसिफिक आइलैंड्स फोरम (Pacific Islands Forum: PIF)

पैसिफिक आइलैंड्स फोरम (PIF) ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा वित्त-पोषित पैसिफिक पुलिसिंग इनिशिएटिव (PPI) का समर्थन किया

- पैसिफिक पुलिसिंग इनिशिएटिव (PPI) को **प्रशांत देशों की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने** के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वे **कानून और व्यवस्था संबंधी चुनौतियों एवं आंतरिक सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने** के लिए बेहतर ढंग से तैयार हैं।
- **PPI पैसिफिक आइलैंड्स फोरम की "2050 स्ट्रेटेजी फॉर ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट"** के अनुरूप है।
- विश्लेषक इसे **प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर चीन के प्रभाव को सीमित करने** के कदम के रूप में देखते हैं।

पैसिफिक आइलैंड्स फोरम (PIF) के बारे में

* यह क्षेत्र का प्रमुख **राजनीतिक और आर्थिक नीति संगठन** है। यह **शांति, सद्भाव और समृद्धि के पैसिफिक विज़न** की दिशा में काम करता है।
* इसे **1971** में स्थापित किया गया था। **PIF में प्रशांत क्षेत्र के 18 देश** शामिल हैं। (इन्फोग्राफिक देखिये)

प्रशांत क्षेत्र के देशों के समक्ष मौजूद मुद्दे

* **जलवायु परिवर्तन:** PIF के सदस्य **समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, महासागर के गर्म होने, अम्लीकरण** आदि के कारण सबसे अधिक प्रभावित हैं।
* **भू-राजनीतिक शक्ति संघर्ष:** इस क्षेत्र पर प्रभाव बनाए रखने के लिए **चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष** जारी है।
* **मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी:** प्रशांत द्वीप समूहों का **एशिया और अमेरिका महाद्वीपों से मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के मार्गों** पर शरण स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है।

प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव

* **महत्त्व:** प्रशांत द्वीप समूह **भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री हितों के लिए महत्वपूर्ण** हैं। इन द्वीप समूहों के साथ संलग्नता **स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित** करने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।
* **शुरू की गई पहलें:** इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (2019), फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स को-ऑपरेशन (2014) आदि।

2.7.3. संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में "पैक्ट फॉर द फ्यूचर" को अपनाया (UN Adopts Pact for the Future at the UN Summit for the Future)

इस पैक्ट के साथ-साथ इसके अनुलग्नकों **(Annexes) "ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट" और "ए डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन्स"** को भी अपनाया गया है। यह पैक्ट और साथ ही ये अनुलग्नक **21वीं सदी की चुनौतियों (जैसे जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, मानवाधिकार आदि) का समाधान** करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

* इस पैक्ट को **सदस्य देशों ने सर्वसम्मति** से अपनाया है। हालांकि, इसमें **रूस के नेतृत्व में सात देशों का एक छोटा समूह शामिल नहीं** है।

पैक्ट फॉर द फ्यूचर के अनुलग्नक

ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट: यह AI और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अंतर्राष्ट्रीय विनियमन पर **विश्वव्यापी समझौता** है। यह **डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग** जैसे मुद्दों का समाधान सुझाते हुए **डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा सतत विकास में योगदान** सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है।

डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन्स: पर्यावरण संरक्षण और अंतर–पीढ़ीगत समानता को बढ़ावा देकर **भावी पीढ़ियों के कल्याण को सुरक्षित** करना चाहिए।

पैक्ट के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

* **संधारणीय विकास और विकास के लिए वित्त-पोषण**
  * इसमें **विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में अधिक अधिकार** देना शामिल है;
  * अत्यधिक निर्धन लोगों की सुरक्षा के लिए **वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत** किया जाना चाहिए।
* **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा**
  * परमाणु हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य के साथ **परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए पुनः प्रतिबद्धता** प्रकट की गई है।
  * **घातक स्वचालित हथियार जैसी नई तकनीकों के शस्त्रीकरण और दुरुपयोग** से बचना चाहिए।

- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार और डिजिटल सहयोग**
    - **मानवाधिकारों की रक्षा** करते हुए जिम्मेदार और नैतिक तरीके से वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाने चाहिए।
    - इसमें **स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान** की रक्षा करना, **महिलाओं को सशक्त बनाना** तथा उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न होने वाले **लैंगिक-जोखिमों को दूर करना** शामिल है।
- **युवा और भावी पीढ़ी:** निर्णय लेने के दौरान भावी पीढ़ियों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- **वैश्विक गवर्नेंस में बदलाव**
    - **बाह्य अंतरिक्ष** के गवर्नेंस संबंधी अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क्स को मजबूत करना चाहिए। साथ ही, **बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकना** चाहिए।
    - **अफ्रीका के अधिक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता** देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की प्रभावशीलता और प्रतिनिधित्व में सुधार करना चाहिए।

2.7.4. भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने संयुक्त गतिविधियों के लिए कार्य योजना अपनाई (India, GCC adopt Action Plan for Joint Activities)

हाल ही में आयोजित पहली **भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)** संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में रणनीतिक वार्ता के लिए **संयुक्त कार्य योजना 2024-2028** को अपनाया गया।

मंत्रिस्तरीय बैठक के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र

- **संयुक्त कार्य योजना 2024-2028:** स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ऊर्जा, संस्कृति आदि सहित विविध क्षेत्रकों में अलग-अलग संयुक्त गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।
    - बाद में आपसी सहमति के आधार पर संयुक्त कार्य योजना में **सहयोग के अन्य क्षेत्रों को शामिल** किया जा सकता है।
- **3P फ्रेमवर्क:** भारत ने **भारत और GCC के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए 3Ps (पीपल्स, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस)** फ्रेमवर्क की पुष्टि की।
- **गाजा में मानवीय संकट:** विदेश मंत्री ने कहा कि मानवीय संकट के मामले में भारत का रुख सैद्धांतिक और तर्कयुक्त रहा है तथा किसी भी **प्रतिक्रिया में मानवीय कानून के सिद्धांतों को हमेशा ध्यान** में रखा गया है।

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के बारे में

रियाद (सऊदी अरब)

उत्पत्ति: **1981,** रियाद में

सदस्य: सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान

उद्देश्य: अपने सदस्यों के बीच उनके **साझा उद्देश्यों और उनकी समान राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान के आधार** पर एकता स्थापित करना।

भारत-GCC संबंध

- **राजनीतिक:** पहला **भारत-GCC राजनीतिक संवाद 2003** में आयोजित किया गया था। वर्तमान में, भारत की **सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के साथ रणनीतिक साझेदारी** है।
- **व्यापार और निवेश:** वित्त वर्ष 2023-24 में भारत व GCC के सदस्य देशों के बीच 161.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था।
    - ज्ञातव्य है कि **संयुक्त अरब अमीरात भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का 7वां सबसे बड़ा स्रोत** है।
- **प्रवासी:** लगभग 8.9 मिलियन भारतीय प्रवासी GCC देशों में रहते हैं। यह कुल अनिवासी भारतीयों (NRIs) का 66% है।
    - 2020-21 में भारत को कुल विप्रेषण (Remittance) का लगभग 30% हिस्सा GCC सदस्य देशों से प्राप्त हुआ था।
- **ऊर्जा:** GCC देश **भारत के तेल आयात में 35% और गैस आयात में 70%** का योगदान करते हैं।

2.7.5. भारत-ब्रुनेई दारुस्सलाम ने द्विपक्षीय संबंधों को 'विस्तृत साझेदारी' तक बढ़ाया (India-Brunei Darussalam Elevate Bilateral Ties to 'Enhanced Partnership')

'विस्तृत साझेदारी' (Enhanced Partnership) **भारत-ब्रुनेई संबंधों में एक नए चरण** का प्रतीक है। इसमें **आपसी सहयोग और साझा रणनीतिक हितों पर ध्यान** केंद्रित किया गया है।

- यह **किसी भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा** थी।
- दोनों देशों ने **1984 में राजनयिक संबंध** स्थापित किए थे।

यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नज़र

- **संयुक्त अभ्यासों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों** आदि के माध्यम से **रक्षा सहयोग का विस्तार** करने की बात स्वीकार की गई।
- दक्षिण-पूर्व एशिया में **विस्तारवाद की बजाय विकास की नीति को आगे बढ़ाने** के महत्त्व पर सहमति व्यक्त की गई।
  - विशेषज्ञ इसे **चीनी प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के कदम के रूप में** देखते हैं।
- समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले **बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने** के लिए मिलकर कार्य करने पर सहमति प्रकट की गई।
- उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए **टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के** संचालन में सहयोग किया जाएगा।
- **प्रौद्योगिकी, वित्त, विनिर्माण और प्रसंस्करण** सहित संबंधित क्षमताओं का लाभ उठाया जाएगा।

भारत के लिए ब्रुनेई दारुस्सलाम का सामरिक महत्त्व

- **सामरिक महत्त्व:** यह भारत की **एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक विज़न** में महत्वपूर्ण भागीदार है।
  - **ब्रुनेई आसियान का सदस्य** भी है।
- **भारतीय प्रवासी:** ब्रुनेई में लगभग **14,000 भारतीय** रह रहे हैं।

2.7.6. भारत-डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी (India-Denmark Green Strategic Partnership)

हाल ही में, **भारत-डेनमार्क के समुद्री संबंधों को मजबूत** करने के लिए हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत दोनों देशों ने समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं।

हरित रणनीतिक साझेदारी (GSP) के बारे में:

- इस पर **2020 में हस्ताक्षर** किए गए थे। यह **आर्थिक संबंधों और हरित विकास को बढ़ावा देती है,** रोजगार सृजित करती है और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग को मजबूत करती है।
- **GSP का फोकस:** इसका फोकस **पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन** पर केंद्रित है।
- GSP को आगे बढ़ाने के लिए **हरित रणनीतिक साझेदारी पर संयुक्त कार्य योजना (2021-2026)** भी तैयार की गई है।
- GSP के अंतर्गत **गुणवत्तापूर्ण शिपिंग, पोर्ट स्टेट कंट्रोल पर सहयोग, समुद्री प्रशिक्षण और शिक्षा** जैसे प्रमुख क्षेत्रकों में सहयोग का विस्तार हुआ है।

2.7.7. G4 राष्ट्र (G4 Nations)

भारत के विदेश मंत्री ने **न्यूयॉर्क में G4 देशों के विदेश मंत्रियों से भेंट** की।

- समूह ने टेक्स्ट-आधारित वार्ताओं के माध्यम से **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।**

G4 नेशन के बारे में

- इसमें **ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान** शामिल हैं।
- G4 राष्ट्र **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन** करते हैं।
- समूह ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि **सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 25-26 कर दी जाए,** जिसमें **6 स्थायी और 4 या 5 अस्थायी** नए सदस्य शामिल किए जाने चाहिए।

2.7.8. भारत की सैन्य कूटनीति (India's Military Diplomacy)

हालिया महीनों में भारत की तीनों सेनाओं के विश्व के अलग-अलग देशों की सेनाओं के साथ लगातार सैन्य अभ्यास हो रहे हैं या होने वाले हैं। यह भारत की सैन्य कूटनीति में तेजी से हो रही प्रगति को दर्शाता है।

सैन्य कूटनीति क्या होती है?

- इसे **'रक्षा कूटनीति'** के नाम से भी जाना जाता है। इसका तात्पर्य **रक्षा संसाधनों और क्षमताओं के शांतिपूर्ण उपयोग के जरिए विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने से है।**
- भारत की सैन्य कूटनीति में **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में योगदान देना, मानवीय सहायता प्रदान करना, संयुक्त युद्ध अभ्यास आयोजित** करना आदि शामिल हैं।

सैन्य कूटनीति का क्या महत्त्व है?

- **विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण:** नियमित तौर पर वार्ता और सैन्य संबंधी आदान-प्रदान से अविश्वास एवं संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **गठबंधनों और साझेदारियों को मजबूत करना:** रक्षा सहयोग संबंधी समझौते, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त सैन्य अभ्यास आदि के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में काफी सहयोग मिल सकता है। उदाहरण के लिए, **क्वाड सुरक्षा वार्ता।**
- **रक्षा आधुनिकीकरण और क्षमताएं:** यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान साझाकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए, **भारत और रूस द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों का संयुक्त रूप से विकास करना।**
- **अन्य:** भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सामरिक संतुलन सुनिश्चित करने में; मानवीय सहायता के माध्यम से सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने में आदि।

भारत की सैन्य कूटनीति के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां मौजूद हैं:

- संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना,
- भारत को लेकर दक्षिण एशियाई देशों के बीच 'बिग ब्रदर' की धारणा, और
- घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के संदर्भ में क्षमता संबंधी कमी आदि।

सैन्य अभ्यासों, क्षमता-निर्माण और शांति अभियानों के माध्यम से भारत की सक्रिय भागीदारी **सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने तथा हिंद-प्रशांत व उससे परे भावी सुरक्षा संरचना को आकार देने के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।**

2.7.9. हालिया सैन्य अभ्यास (Recent Military Exercises)

- **वरुण नौ-सैन्य अभ्यास (Exercise Varuna):** भारतीय नौसेना का P8I पोसिडॉन विमान 2024 में होने वाले **'वरुण नौ-सैन्य अभ्यास'** में भाग लेने के लिए यूरोप में पहली बार तैनात किया गया है।
  - यह **भारत और फ्रांस** के बीच आयोजित होने वाला एक **द्विपक्षीय नौ सैन्य अभ्यास** है। **2024 में** यह **भूमध्य सागर** में आयोजित किया जाएगा।
- **अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज VII: भारतीय वायु सेना (IAF) और रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान** (RAFO) के बीच अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का **7वां संस्करण** संपन्न हुआ।
  - इसका आयोजन **मसीरा (ओमान)** में किया गया था।

- **अल नजाह-V अभ्यास:** भारतीय **थल सेना** की एक टुकड़ी **भारत-ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास "अल नजाह" के 5वें संस्करण** में भाग ले रही है। अल-नजाह-V **ओमान के सलालाह के रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र** में आयोजित हो रहा है।
- **युद्ध अभ्यास:** यह **भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास** है।
- **तरंग शक्ति:** यह **भारत, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका** आदि देशों की **वायु सेनाओं** के मध्य होने वाला बहुपक्षीय वायु सेना अभ्यास है।
- **मालाबार नौ सैन्य अभ्यास:** यह अक्टूबर माह में **विशाखापत्तनम तट पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच आयोजित किया जाएगा।
- **इंद्र: भारतीय और रूसी थल सेना** के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।

2.7.10. ऑपरेशन सद्भाव (Operation Sadbhav)

भारत ने **लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) प्रदान** करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है।

- यह ऑपरेशन **टाइफून यागी के कारण आई आपदाओं से बचाव** के लिए शुरू किया गया है।
- ऑपरेशन सद्भाव **आसियान (ASEAN) क्षेत्र में HADR में योगदान करने के भारत के व्यापक प्रयासों** का हिस्सा है। यह ऑपरेशन भारत की **'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'** के अनुरूप है।

2.7.11. नॉर्दर्न यूनाइटेड-2024 (Northern United-2024)

हाल ही में, **चीन और रूस ने संयुक्त नौसेना व वायु सेना अभ्यास 'नॉर्दर्न यूनाइटेड-2024'** की घोषणा की है। इसे **जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर** में आयोजित किया जाएगा।

नॉर्दर्न यूनाइटेड-2024 के बारे में

- इसका उद्देश्य **चीन और रूस के बीच सामरिक सहयोग में सुधार करना** है। साथ ही, "सुरक्षा संबंधी खतरों से संयुक्त रूप से निपटने की दोनों देशों की क्षमताओं को मजबूत करना" है।

जापान सागर और ओखोटस्क सागर के बारे में

- **जापान सागर:** यह **पश्चिमी प्रशांत महासागर का सीमांत** सागर है। यह **पूर्व में जापान और सखालिन द्वीप तथा पश्चिम में रूस एवं कोरिया** से घिरा हुआ है।
- **ओखोटस्क सागर:** यह पूर्व व दक्षिण-पूर्व में **कामचटका प्रायद्वीप और कुरील द्वीप समूह,** दक्षिण में **जापान के होक्काइडो द्वीप** के उत्तरी तट तथा दक्षिण-पश्चिम में **सखालिन द्वीप** से घिरा हुआ है।

2.7.12. एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस (Axis of Resistance)

एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में

- यह **ईरान के नेतृत्व में स्वायत्त उग्रवादी इस्लामी समूहों का एक नेटवर्क** है। इनका **इतिहास 1979 की ईरानी क्रांति से जुड़ा** हुआ है।
- **इस नेटवर्क में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **हिज़्बुल्लाह** (लेबनानी शिया उग्रवादी संगठन);
  - **हमास** (फिलिस्तीनी सुन्नी उग्रवादी समूह);
  - **फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद;**
  - **हूती** (यमन का उग्रवादी समूह); आदि।
- **हिजबुल्लाह का अर्थ है 'ईश्वर का संगठन'।** इसकी स्थापना 1980 के दशक के प्रारंभ में **लेबनान** में की गई थी। यह **"एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस" का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सदस्य है।**

2.7.13. फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन- ट्रस्टेड ट्रैवलर्स प्रोग्राम {'Fast Track Immigration - Trusted Travellers' Programme (FTI-TTP)}

FTI-TTP की पहली सूची में **18,000 से अधिक व्यक्ति पंजीकृत** थे।

- जून 2024 में **इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली** में FTI-TTP का उद्घाटन किया गया था।

FTI-TTP के बारे में

- **नोडल मंत्रालय:** गृह मंत्रालय
- **उद्देश्य: इलेक्ट्रॉनिक गेट्स या स्वचालित बॉर्डर गेट्स** के माध्यम से चुनिंदा प्रमुख हवाई अड्डों पर पात्र व्यक्तियों के लिए **इमिग्रेशन मंजूरी प्रक्रिया में तेजी** लाना।
- **दो चरण:** पहले चरण में, **भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ़ इंडिया (OCI) कार्डधारकों को सुविधा उपलब्ध** कराई जाएगी। दूसरे चरण में, **विदेशी यात्रियों को यह सुविधा** दी जाएगी।
- **कवर किए गए हवाई अड्डे:** यह सुविधा **देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर शुरू** की जाएगी।
- **नोडल एजेंसी:** इमिग्रेशन ब्यूरो।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए

न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है

टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. विकास में क्षेत्रीय असमानता (Regional Disparity in Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) द्वारा "भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन[24]: 1960-61 से 2023-24" शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया गया। इसमें भारतीय राज्यों में असमान विकास को रेखांकित किया गया है।

वर्किंग पेपर में रेखांकित मुख्य ट्रेंड्स पर एक नज़र

- **सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय में असमानता:**
  - **भारत के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र** इस मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है।
    - दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 250.8% (2.5 गुना अधिक) है।
  - **पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट:** एक समय पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 27% अधिक (1960-61 में सर्वोच्च तीसरा) थी, अब यह राष्ट्रीय औसत का 83.7% रह गई है।
  - **ओडिशा में सुधार:** ओडिशा ने अपनी सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय में सुधार किया है और यह राष्ट्रीय औसत के 55.8% (2000-01) से बढ़कर 2023-24 में 88.5% हो गई।
- **भारत की GDP में दक्षिणी राज्यों का प्रभुत्व:** कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु ने 2023-24 में भारत की GDP में 30% से अधिक का योगदान दिया।
  - पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 1960-61 में 10.5% (तीसरी सबसे अधिक हिस्सेदारी) थी, जो घटकर 2023-24 में केवल 5.6% रह गई।
- कुल मिलाकर **समुद्र तटीय राज्यों का प्रदर्शन बेहतर** रहा है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी समुद्र तटीय राज्यों ने अन्य राज्यों की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन किए हैं।
- **पंजाब और हरियाणा अलग-अलग राह पर:** राष्ट्रीय आय के सापेक्ष पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 1960-61 की 119.6% से गिरकर 2023-24 में 106.7% हो गई, जबकि हरियाणा की सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय 106.9% (1960-61) से बढ़कर 176.8 (2023-24) हो गई है।
  - उपर्युक्त डेटा के विश्लेषण से यह प्रश्न उठता है कि क्या **पंजाब** का **कृषि** पर ही अधिक ध्यान केंद्रित करना **'डच डिजीज'** का कारण बन रहा है और इसका औद्योगीकरण बाधित हो रहा है?
- **पूर्वी क्षेत्र के राज्य चिंता का विषय बने हुए हैं:** पिछले कई दशकों में, पश्चिम बंगाल का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन कमजोर हुआ है। वहीं बिहार की सापेक्ष स्थिति पिछले दो दशकों में स्थिर बनी हुई है, फिर भी यह अन्य राज्यों से काफी पीछे है।

शब्दावली को जानें

- **"डच रोग (Dutch disease)"** अर्थव्यवस्था में एक ऐसे विरोधाभास को दर्शाता है जहां अर्थव्यवस्था के **किसी एक क्षेत्रक (विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधन) के तेजी से विकास के कारण अन्य क्षेत्रकों में गिरावट आती है।**

क्षेत्रीय असमानता के लिए जिम्मेदार कारक

- **ऐतिहासिक:** ब्रिटिश नीतियों में संसाधन संपन्न क्षेत्रों (जैसे- कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) को अधिक तरजीह दी गई थी। इससे भारत में आर्थिक असमानता एवं क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ और यह आज भी बना हुआ है।
  - ऐतिहासिक रूप से, विकसित राज्यों में दक्ष शासन प्रणाली विद्यमान है, जिसे आसानी से अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं किया सका है।
- **भौगोलिक:** दुर्गम भू-भाग (जैसे- पूर्वोत्तर राज्य) वाले क्षेत्रों में प्रशासन और परियोजना क्रियान्वयन की लागत बढ़ जाती है। बिहार और असम में बार-बार बाढ़ आने से वहां का विकास धीमा हो जाता है।

---

[24] Relative Economic Performance of Indian States

- **आर्थिक:**
    - **प्राथमिक क्षेत्रक का आर्थिक गतिविधियों का प्रभुत्व:** कृषि पर निर्भर अधिक आबादी वाले राज्यों की तुलना में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक में अधिक कार्यरत आबादी वाले राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है।
        - उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बिहार और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है।
    - **खराब अवसंरचना का प्रभाव:** खराब परिवहन अवसंरचना और बैंकिंग सेवाएं पिछड़े क्षेत्रों में विकास को सीमित करती हैं।
- **गवर्नेंस:**
    - **राजनीतिक अस्थिरता:** अस्थिर सरकारें तथा कानून और व्यवस्था से जुड़ी चिंताएं निवेश को हतोत्साहित करती हैं और पूंजी के बहिर्वाह यानी बाहर जाने को बढ़ावा देती हैं।
    - **सरकारी योजनाओं की विफलता:** उद्योग ऐसे स्थानों पर अधिक स्थापित किए जाते हैं, जहां आधारभूत संसाधन (जैसे कि बिजली और जल की निरंतर आपूर्ति, बेहतर सड़क और रेलवे अवसंरचना, कुशल श्रम आदि) पहले से उपलब्ध होते हैं।

विकास में क्षेत्रीय असमानता के प्रभाव/ निहितार्थ

- **सुरक्षा संबंधी खतरे:** उदाहरण के लिए, नक्सलवाद मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में केंद्रित है जहां विकास कम हुआ है।
- **राजनीतिक विखराव:** उदाहरण के लिए, तेलंगाना राज्य का गठन और महाराष्ट्र में विदर्भ तथा असम में बोडोलैंड राज्य की मांग, आदि।
- **बेहतर आजीविका के लिए प्रवास:** उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे अधिक लोग प्रवास करते हैं जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे अधिक प्रवासी आते हैं (जनगणना 2011)।
- **असंतुलन को बढ़ावा:** समृद्ध क्षेत्र अधिक निवेश आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, चेन्नई और बेंगलूरु जैसे शहर दूसरों की तुलना में तेज़ी से विकसित हो गए हैं।
- **पर्यावरण पर प्रभाव:** एक ही क्षेत्र में बहुत अधिक औद्योगिक विकास के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है, उदाहरण के लिए– दिल्ली में प्रदूषण।

विकास में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए शुरू की गई पहलें

- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)[25]:** इसका उद्देश्य देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों में तीव्र सुधार लाना है।
- **आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP)[26]:** इसका उद्देश्य भारत के सबसे दुर्गम और अपेक्षाकृत अविकसित ब्लॉक्स (27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉक) में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए गवर्नेंस में सुधार करना है।
- **जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 'वोकल फॉर लोकल' पहल:** इसे आकांक्षी ब्लॉक के लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करने और उन्हें सतत विकास व समृद्धि की ओर अग्रसर करने के लिए ABP के तहत शुरू किया गया है।
- **मानव संसाधन विकास:** उदाहरण के लिए, प्रसव के लिए अस्पताल का कम उपयोग करने वाले राज्यों में जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी और आशा कार्यकर्ताओं को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे प्रसव हेतु अस्पताल सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)[27]:** इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास स्थित दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विकास संबंधी विशेष जरूरतों को पूरा कर उनके कल्याण को बढ़ावा देना है।

---

[25] Aspirational Districts Programme

[26] Aspirational Block Programme

[27] Border Area Development Programme

विकास में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए आगे की राह

- **अप्रोच में सुधार:** उदाहरण के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसी योजना बनाने और लागू करने के बजाय, अलग-अलग क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना बनाई जानी चाहिए। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र विकास तथा शुष्क क्षेत्रों में सूखा प्रवण क्षेत्र विकास जैसे कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **प्रदर्शन के आधार पर वित्त-पोषण:** वित्त-पोषण प्रदान करने के तरीके को विकास मानक लक्ष्यों को पूरा करने से जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही, आवश्यकता और औद्योगिक पिछड़ेपन के आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
- **पिछड़े राज्यों में सुशासन को बढ़ावा देना:** प्रभावी प्रशासन से विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में राज्यों को राजस्व बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने तथा संसाधनों के उपयोग में सुधार करने में मदद मिलती है।
- **संतुलित अवसंरचना विकास:** अविकसित राज्यों में अवसंरचना (बिजली, परिवहन, दूरसंचार, सिंचाई) में सुधार, निवेश और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने की कुंजी है।
- **क्षेत्रीय निवेश:**
  - विशेष रूप से **पिछड़े क्षेत्रों में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज** पर ध्यान केंद्रित करके कृषि में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  - **सेवा क्षेत्रक** विकास प्रक्रिया का नया प्रेरक है। इसलिए पिछड़े क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए बैंकिंग और बीमा क्षेत्रक तथा अवसंरचना को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे अनुकूल माहौल बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो नवाचार को बढ़ावा दे, निवेश को आकर्षित करे और संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करे। गवर्नेंस और अवसंरचना में सुधार तथा सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के जरिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना अन्य आवश्यक कदम हो सकते हैं।

3.2. मिडिल इनकम ट्रैप (Middle Income Trap)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक ने **'विश्व विकास रिपोर्ट 2024: द मिडिल इनकम[28]'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, **भारत सहित कई देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने के जोखिम** का सामना कर रहे हैं।

डेटा बैंक

वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2024 के अनुसार:

- 2023 के अंत तक **108 देश मध्यम आय वाले देशों** की श्रेणी में शामिल थे।
- 1990 के बाद से **केवल 34 मध्यम आय वाले देश (MIC)** ही उच्च आय श्रेणी में पहुंच सके।
- मध्यम आय वाले देशों की **वैश्विक जनसंख्या में 75% हिस्सेदारी** है।
- **वैश्विक GDP** में मध्यम आय वाले देशों का योगदान 40% है।

मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में

- **मध्यम आय वाले देश (MIC)[29]:** विश्व बैंक उन अर्थव्यवस्थाओं को **मिडिल इनकम यानी मध्यम आय वाले देश** के रूप में वर्गीकृत करता है, जिनकी **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI)[30] 1,135 अमेरिकी डॉलर से 13,846 अमेरिकी डॉलर** के बीच है।
  - **निम्न मध्यम-आय वाले देश:** इसमें **1,136 अमेरिकी डॉलर से 4,465 अमेरिकी डॉलर** की प्रति व्यक्ति GNI वाले देश शामिल हैं। विश्व बैंक के अनुसार, 2023 में **भारत** का प्रति व्यक्ति GNI 2,540 डॉलर था।
  - **उच्च मध्यम-आय वाले देश:** ऐसे देश जिनका प्रति व्यक्ति GNI **4,466 अमेरिकी डॉलर और 13,845 अमेरिकी डॉलर के मध्य** है।
- **मिडिल इनकम ट्रैप:** सबसे पहले 2007 में, **विश्व बैंक** ने अपनी रिपोर्ट **'ऐन ईस्ट एशिया रेनेसां-आइडियाज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ[31]'** में **"मिडिल इनकम ट्रैप"** शब्द का उल्लेख किया था।

---

[28] World Development Report 2024: The Middle Income

[29] Middle Income Countries

[30] Gross National Income

- यह वह स्थिति है जिसमें **तीव्र आर्थिक संवृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाएं मध्यम आय के स्तर पर स्थिर** हो जाती हैं और **उच्च आय वाले देशों की श्रेणी तक पहुंचने में विफल** रहती हैं।

- **ट्रेंड:** पिछले दशक के दौरान **मिडिल इनकम यानी मध्यम आय वाले** बहुत कम **देश** उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो सके हैं।
    - इसके कई कारण हैं, जैसे- **बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और कर्ज में वृद्धि, भू-राजनीतिक और व्यापारिक संघर्ष, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक संवृद्धि को गति देने** में आने वाली चुनौतियां, आदि।

भारत के मिडिल इनकम ट्रैप में उलझने के प्रमुख कारण?

- **मानव संसाधन का ठीक से दोहन नहीं होना:**
    - **कौशल की कमी:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, केवल 51% स्नातक ही रोजगार के योग्य हैं और भारत में केवल 2.3% कार्यबल ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
    - **नवाचार क्षमता की कमी:** भारत में अनुसंधान एवं विकास पर GDP का केवल 0.64% व्यय किया जाता है। दूसरी ओर, चीन में यह अनुपात 2.4% और संयुक्त राज्य अमेरिका में 3.47% है।
- **आय असमानता में वृद्धि:** वर्ल्ड इनिक्वेलिटी लैब रिपोर्ट के मुताबिक, 2022-23 में भारत के शीर्ष 1% लोगों के पास देश की सकल राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा था।
    - इस वजह से सरकार का कर राजस्व कम हो सकता है तथा सामाजिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि हो सकती है। ये सभी आर्थिक संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- **औद्योगीकरण का स्थिर होना:** भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि से सीधे **सेवा क्षेत्रक** की ओर आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि विनिर्माण क्षेत्रक की उपेक्षा हुई है। इस वजह से देश के समग्र **उत्पादन और रोजगार में विनिर्माण क्षेत्रक की हिस्सेदारी 20% से नीचे** बनी हुई है।
    - विनिर्माण क्षेत्रक का अधिक विकास नहीं होने से **बेरोजगारी और विशेष रूप से कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी** में वृद्धि हुई है।
- **समकालीन वैश्विक बाधाएं:**
    - **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार,** मध्यम आय वाले देश स्वयं को **"धनी देशों की तेजी से बदलती अत्याधुनिक तकनीक तथा गरीब देशों में सस्ते श्रम की मदद से तैयार उत्पादों से प्रतिस्पर्धा के बीच फंसा हुआ पाते हैं।"**
    - भू-राजनीतिक तनावों के कारण विदेशी व्यापार और निवेश कम होने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही लोकलुभावन कार्यों के कारण सरकारों के पास कार्रवाई करने की गुंजाइश कम रह जाती है।
    - विदेशी ऋण में वृद्धि हुई है (पिछले वर्ष की तुलना में मार्च, 2024 में यह 6.4% बढ़ा है)।
    - **जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने** व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने में नई चुनौती सामने आ रही है।

आगे की राह

विश्व बैंक की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि उच्च आय वाले देश का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखने वाले देशों को 3i रणनीति अपनानी चाहिए। इस रणनीति में शामिल हैं- Investment (निवेश), Infusion of global technologies (वैश्विक प्रौद्योगिकियों का समावेश) और Innovation (नवाचार)। हालांकि, **1i से 2i और फिर 3i की ओर आगे बढ़ने के लिए 'रचनात्मक परिवर्तन'** एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा (बॉक्स देखें)।

निम्न आय वाले देशों में निवेश (1i)	**निम्न-MIC के लिए निवेश + समावेश (2i)**	**उच्च-MIC के लिए निवेश + समावेश + नवाचार (3i)**
निम्न आय वाले देशों में आर्थिक सफलता मुख्य रूप से **निवेश में तेजी लाने से** ही हासिल हो सकती है। साथ ही, घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए निवेश के अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता भी होती है।	जैसे-जैसे निम्न आय वाले देश **मध्यम आय वाले देशों की स्थिति** में आते हैं, उन्हें प्रगति जारी रखने के लिए अनुकूल निवेश माहौल बनाए रखने के अलावा ऐसे उपाय करने होते हैं जो **विदेशों से नए आइडियाज को प्राप्त कर सके और अर्थव्यवस्था में उन्हें अपना सकें।** इन्हें ही **"समावेश या इन्फ्यूजन"** कहा जाता है।	एक बार जब कोई MIC अपनी अर्थव्यवस्था के सबसे क्षमतावान हिस्सों में इन्फ्यूजन की क्षमता का पूरा उपयोग कर लेता है, और उसे सीखने एवं अपनाने के लिए वांछित प्रौद्योगिकियां कम पड़ जाती हैं - तो उसे नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए।

[31] An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth

अन्य पहलें जो शुरू की जा सकती हैं:

- **मानव पूंजी में निवेश:**
  - **कुशल कार्यबल:** सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के लिए महिलाओं और वंचित समूहों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश बढ़ाना चाहिए।
    - **अटल नवाचार मिशन (AIM),** राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति, 2016 जैसी पहलें इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
  - **ब्रेन गेन:** प्रवासी समुदायों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने और शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी स्थापित करने पर जोर देना चाहिए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM)[32]; स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु निवेश बढ़ाना चाहिए।

रचनात्मक परिवर्तन (Creative Destruction) के बारे में

- रचनात्मक परिवर्तन की अवधारणा अर्थशास्त्री **जोसेफ शुम्पीटर** की देन है।
- यह नवाचार और तकनीकी परिवर्तन की प्रक्रिया है जो पुरानी तकनीकों पर आधारित **उद्योगों, फर्मों और रोजगारों के अप्रासंगिक होने का कारण** बनती है।
- **यह बदलाव नई संरचनाओं के उद्भव का मार्ग प्रशस्त करता है।** यह दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि और विकास को भी सुनिश्चित करता है।

- **बाजार सुधार:**
  - **स्मॉल फर्म्स या व्यवसायों को अनावश्यक अधिक सहायता से बचना:** अनुत्पादक लघु व्यवसायों को अत्यधिक सहायता देने से बचना चाहिए, क्योंकि ये विकास में बाधा डाल सकते हैं और संसाधनों की बर्बादी कर सकते हैं।
  - **वैश्विक बाजारों से जुड़ना:** विदेशी निवेशकों को अवसर उपलब्ध कराना और सक्रिय होकर वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ना, ताकि घरेलू कंपनियों को बड़े बाजारों से जुड़ने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने में मदद मिल सके।
    - इस दिशा में की गई कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं- रक्षा क्षेत्रक में पूंजीगत अधिग्रहण की **'बाय (इंडियन)' और 'बाय एंड मेक (इंडियन)' जैसे प्रावधान**; उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)[33] योजनाओं की घोषणा; अंतरिक्ष क्षेत्रक में 100% FDI की अनुमति; आदि।
  - **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना:** प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों को रोकने हेतु मजबूत एजेंसी और **एंटी-ट्रस्ट कानून** की आवश्यकता है। ये बड़ी कंपनियों द्वारा अपने प्रभुत्व के दुरुपयोग को रोकने और **नई प्रौद्योगिकियों के विकास** को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।
  - **पूंजी के पर्याप्त साधन जुटाना:** इक्विटी बाजार विशेष रूप से ऐसी निजी कंपनियों में नवाचार गतिविधियों के लिए पूंजी जुटाने में सहायक हो सकते हैं, जो आम तौर पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना में वित्त-पोषण की कमी का सामना करते हैं।
- **डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना:** इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और वेब आधारित सूचना प्रणाली जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियां सामाजिक स्थिति में सुधार और प्रतिभा विकास, दोनों को बढ़ावा दे सकती हैं।
  - उदाहरण के लिए, आधार नंबर से तैयार डिजिटल फुटप्रिंट (जैसे- पेमेंट हिस्ट्री) लोगों को ऋण प्राप्त करने और अपनी वित्तीय विश्वसनीयता साबित करने में मदद कर सकता है।
- **वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटना:** उदाहरण के लिए, मध्यम आय वाले देशों को निम्न-कार्बन उत्सर्जन वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल होना चाहिए। हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि विकसित देश किस सीमा तक अपनी संरक्षणवादी व्यापार नीतियों को कम करते हैं।

निष्कर्ष

भारत और मध्यम आय वाले अन्य देशों को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और विकास चरण के अनुरूप व्यवस्थित एवं नई नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि वे सफलतापूर्वक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सकें और 'मिडिल इनकम ट्रैप' से बाहर निकल सकें।

[32] Science, technology, engineering, and mathematics

[33] Production Linked Incentive

3.3. वित्तीय समावेशन और प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के 10 वर्ष (Financial Inclusion and 10 Years of PMJDY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) की 10वीं वर्षगांठ** मनाई गई। **PMJDY का मूल उद्देश्य** भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

वित्तीय समावेशन क्या है?

- विश्व बैंक के अनुसार, व्यक्तियों और व्यवसायों के पास **उपयोगी और किफायती वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं तक पहुंच** ही वित्तीय समावेशन है। इनमें **लेन-देन, भुगतान, बचत, ऋण, बीमा** आदि शामिल हैं। सरल शब्दों में, हर व्यक्ति और हर व्यवसाय को बैंकिंग सुविधा, ऋण, बीमा एवं अन्य वित्तीय सेवाएं आसानी से और किफायती तरीके से मिलें, यही वित्तीय समावेश है।
- **उद्देश्य: वित्तीय सेवा से वंचित देश की बड़ी आबादी** तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, ताकि वे अपनी **विकास क्षमताओं का उपयोग कर सकें।**

वित्तीय समावेशन का महत्त्व

- **ऋण नहीं मिलने की समस्या को दूर करना:** मुख्य धारा की बैंकिंग संस्थाओं से औपचारिक और आवश्यक ऋण मिलने से आम जनता भी अपनी उद्यमिता क्षमता का उपयोग कर सकती है। इससे आर्थिक उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और जमीनी स्तर पर आय के स्तर में भी वृद्धि की जा सकती है।
  - यह **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बैंकों से ऋण लेने में मदद करता है।** इससे उनकी विकास करने, रोजगार सृजित करने और देश की GDP में योगदान करने की क्षमता बढ़ सकती है।
- **बचत की आदतों को बढ़ावा देना:** बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच होने से लोग **नियमित रूप से पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।**
- यह **देश में पूंजी निर्माण को बढ़ाने** में मदद कर सकता है और आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है।
- **समावेशी विकास:** वित्तीय समावेशन **गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण** है क्योंकि इससे आर्थिक संवृद्धि और विकास के लाभों को समाज के सबसे वंचित समुदाय तक पहुंचाने में मदद मिलती है।
  - यह शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश को प्रोत्साहित करके **गुणक प्रभाव (Multiplier effect)** पैदा करता है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **सब्सिडी वितरण में खामियों को दूर करना:** सब्सिडी वितरण में निहित कमियों को दूर करने के लिए सरकार अब लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे नकद हस्तांतरण कर रही है।
  - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के उपयोग की वजह से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान **63,000 करोड़ रुपये** से अधिक की बचत हुई।
- **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)[34] की प्राप्ति में सहायक:** वित्तीय समावेशन के जरिए 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
  - उदाहरण के लिए- PMJDY के तहत कुल बैंक अकाउंट्स में से **55.6% खाते** महिलाओं के नाम हैं। यह उपलब्धि महिलाओं को सशक्त बनाने में इस योजना के महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाती है।

वित्तीय समावेशन के समक्ष चुनौतियां

- **मांग पक्ष कारक (आम लोग):** निम्न आय या अपने नाम से परिसंपत्ति नहीं होना या कम संपत्ति होना, वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता की कमी, **लेन-देन की उच्च लागत,** आदि।
- **आपूर्ति पक्ष कारक (बैंक आदि):** वित्तीय संस्थान ऐसे लोगों को ऋण देने से बचते हैं जिनकी आय कम है या जिन्हें अधिक राशि का ऋण देकर लाभ नहीं कमाया जा सकता।
- **डिजिटल सेवाओं और अवसंरचना की कमी:** सभी लोगों तक **डिजिटल सेवाओं की पहुंच नहीं** है, **मोबाइल कनेक्टिविटी सभी क्षेत्रों और लोगों तक समान रूप से नहीं पहुंची है** और विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में अक्सर **बिजली आपूर्ति में व्यवधान** देखा जाता है।

---

[34] Sustainable Development Goals

- **विनियामकीय बाधाएं: नो-योर-कस्टमर (KYC) का सख्ती से पालन करने की अनिवार्यता** जैसी विनियामकीय चुनौतियां, निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में समस्या पैदा करती हैं।
- **वित्तीय साक्षरता का अभाव:** कई यूजर्स के पास औपचारिक वित्तीय सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए वित्तीय जानकारी का अभाव है। इसके कारण वंचित समूह वंचित ही रह जाते हैं।
    - उदाहरण के लिए- वित्तीय मामलों में साक्षर नहीं होने के कारण **20% PMJDY खातों में कोई लेन-देन नहीं होता है और लगभग 8.4% खातों में कोई धनराशि जमा नहीं** है।
- **लैंगिक और सामाजिक-आर्थिक बाधाएं:** महिलाओं और ग्रामीण आबादी को अभी भी पारंपरिक **सांस्कृतिक मानदंडों, निम्न साक्षरता स्तर और भौगोलिक अलगाव** के कारण बैंकों की वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरें:** जैसे-जैसे वित्तीय प्रणालियां **डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर** होती जा रही हैं, उनपर साइबर अटैक का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इससे यूजर्स के वित्तीय लेनदेन भी असुरक्षित हो जाते हैं।

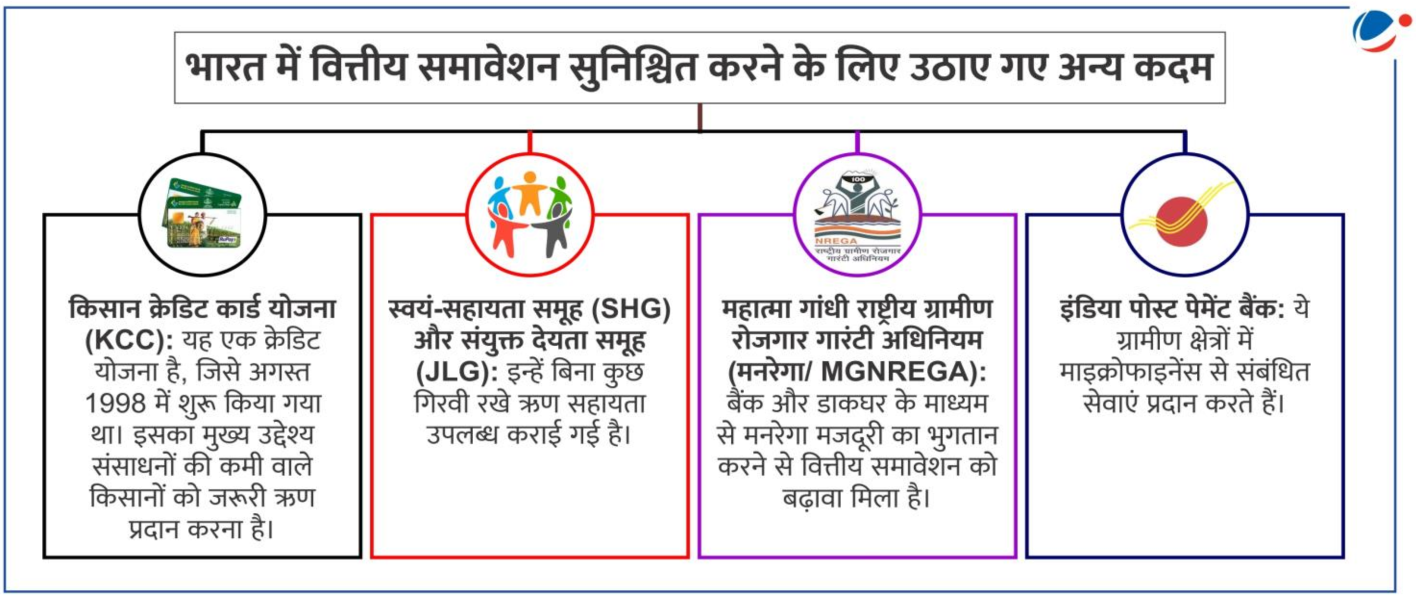

आगे की राह

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:** सरकारों, वित्तीय संस्थानों और दूरसंचार कंपनियों के बीच सहयोग से वित्तीय समावेशन में तेजी लाई जा सकती है।
    - मोबाइल मनी सेवाएं और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म प्रदान करने में **निजी क्षेत्रक की भागीदारी** बढ़ाने के लिए सार्वजनिक नीतियां बनानी चाहिए।
- **वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), अन्य बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय करके, स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक वित्तीय समावेशन को एक विषय के रूप शामिल करने की पहल कर सकता है।
- **फिनटेक नवाचारों का लाभ उठाना**: मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल जैसे फिनटेक समाधान बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कम लागत पर अधिक वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
- **आम लोगों की जरूरत के अनुरूप वित्तीय सेवाएं:** वित्तीय संस्थान निम्न आय वर्ग की आवश्यकताओं के अनुसार माइक्रो-इंश्योरेंस और पेंशन योजनाओं जैसी वित्तीय सेवाएं और उत्पाद लॉन्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, **प्रधान मंत्री अटल पेंशन योजना।**

प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के बारे में

- **शुरुआत:** यह योजना अगस्त, 2014 में शुरू की गई थी।
- **प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY)** वास्तव में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (NMFI)[35] है। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है।
- **उद्देश्य: प्रत्येक भारतीय के लिए** बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (BSBDA)[36], रेमिटेंस, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी **वित्तीय सेवाओं को किफायती दरों पर उपलब्ध** करवाना।

---

[35] National Mission for Financial Inclusion

- **मंत्रालय: केंद्रीय वित्त मंत्रालय** (वित्तीय सेवाएं विभाग)
- **योजना की मुख्य विशेषताएं:**
    - **PMJDY के छह स्तंभ** हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
    - **बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना: बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक वयस्क** का बैंक खाता खोलना इस योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य है।
        - न्यूनतम कागजी डॉक्यूमेंट के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलना, आसान KYC, ई-KYC, कैंप मोड में खाता खोलना, जीरो बैलेंस और जीरो शुल्क।
        - किसी भी बैंक शाखा या **बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट** (बैंक मित्र) आउटलेट में उन व्यक्तियों का BSBDA खाता खोला जा सकता है जिनके पास पहले से कोई बैंक खाता नहीं है।
        - PMJDY के तहत व्यक्ति कानूनी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता के बिना लघु बैंक खाते खोल सकते हैं। इन्हें **स्मॉल अकाउंट या लघु खाता** के नाम से जाना जाता है।
    - **बीमा कवरेज प्रदान करना:** नकद निकासी और मर्चेंट लेन-देन वाले स्थानों पर भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना।
        - 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए **PMJDY खातों के तहत जारी रुपे (RuPay) कार्ड पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर** 1 लाख रुपये से बढ़ाकर **2 लाख रुपये** कर दिया गया है।
    - **वित्तीय सेवा से वंचित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना:** अन्य वित्तीय उत्पाद जैसे कि माइक्रो-इंश्योरेंस; उपभोग बढ़ाने के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा, माइक्रो-पेंशन और माइक्रो-क्रेडिट।
        - खाताधारकों को **10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट (OD) की सुविधा** प्रदान की गई है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए ऊपरी आयु सीमा **65 वर्ष** है।
    - **अतिरिक्त सरकारी योजनाओं के लिए पात्रता:** PMJDY खाते प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY) और मुद्रा योजना के लिए पात्र हैं।

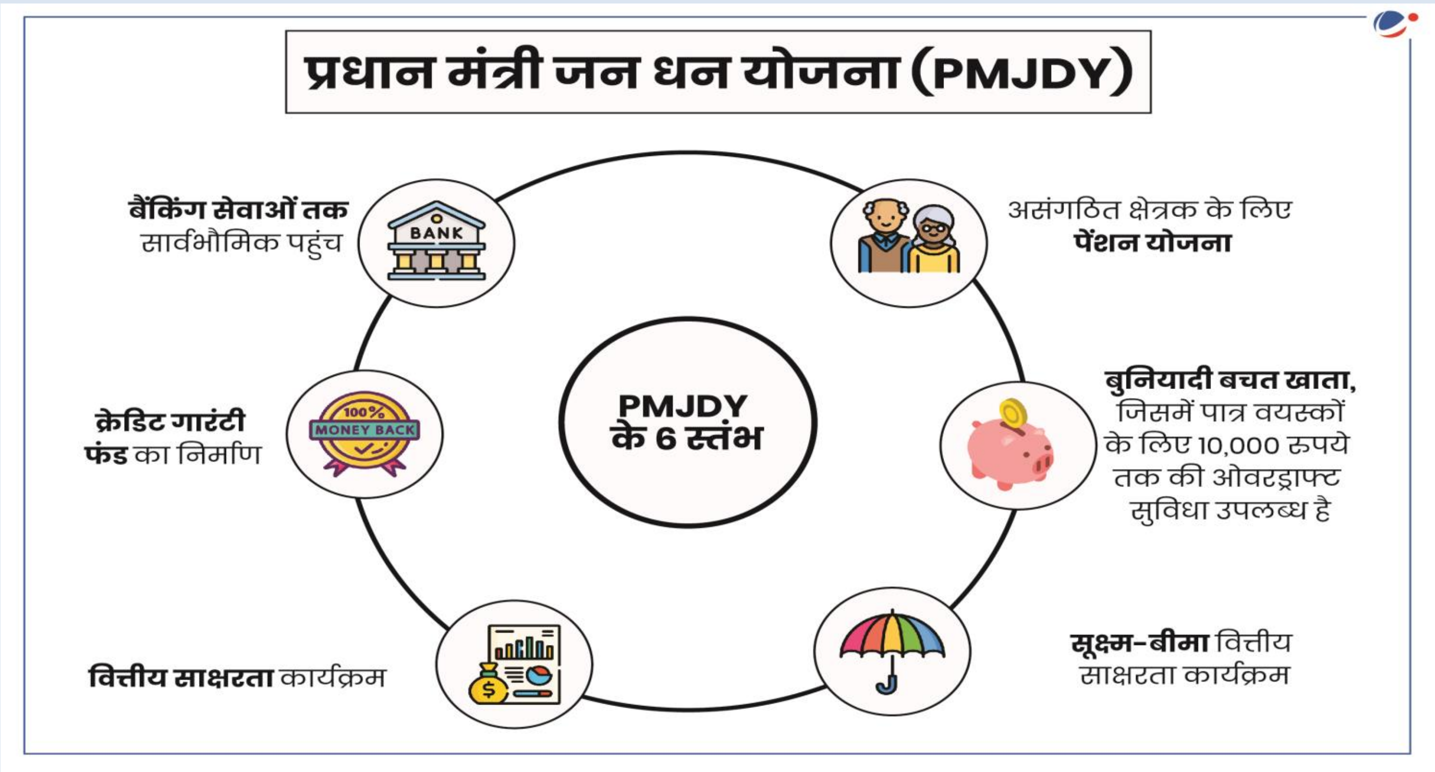

PMJDY की प्रमुख उपलब्धियां

- **बड़ी संख्या में नए खाते खोले गए:** अगस्त, 2024 तक **53.13 करोड़ जन धन खाते** खोले जा चुके थे, जबकि मार्च, 2015 तक यह संख्या 14.72 करोड़ थी।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** PMJDY खाताधारकों को **36.14 करोड़ रुपे कार्ड** जारी किए गए हैं। इससे कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा मिला है और खाताधारकों को दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्राप्त हुआ है।

[36] Basic Savings Bank Deposit Account

- **ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संसाधन की कमी को दूर करना:** जन धन दर्शक ऐप के अनुसार, देश के लगभग सभी गावों के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध हैं।
- **PMJDY खातों में औसत जमा राशि में वृद्धि:** 2015 से 2024 के बीच जमा-राशि में 4.12 गुना वृद्धि हुई है और **कुल जमा राशि 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।**
- **जीरो बैलेंस वाले खातों की संख्या में कमी:** ऐसे खातों की संख्या 2015 में 8.52 करोड़ थी, जो अब कम होकर 4.26 करोड़ रह गई है।

3.3.1. भारत में सूक्ष्म-वित्त यानी माइक्रोफाइनेंस सेक्टर के 50 वर्ष (50 Years of Indian Microfinance Sector)

"सेल्फ-एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन (SEWA/ सेवा) बैंक" भारत का पहला **माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI)** था। इसे 1974 में एक **सहकारी बैंक** के रूप में पंजीकृत किया गया था।

- गौरतलब है कि नोबेल पुरस्कार विजेता **मुहम्मद यूनुस** ने 1976 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कर आधुनिक **माइक्रोफाइनेंस संस्थान** की नींव रखी थी।
- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI),** भारत में संचालित MFIs के लिए विनियामकीय संस्था है।
- RBI द्वारा गठित **मालेगाम समिति (2010) ने NBFC-MFI**[37] को विनियमित करने के लिए समग्र फ्रेमवर्क अपनाने की सिफारिश की थी।

माइक्रोफाइनेंस (या माइक्रोक्रेडिट) के बारे में

- औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच से वंचित और **हाशिए पर स्थित गरीब लोगों को कम राशि वाले ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना** ही माइक्रोफाइनेंस कहलाता है।
  - माइक्रोफाइनेंस के तहत दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं में **बचत खाता, फंड ट्रांसफर, माइक्रो-बीमा** आदि शामिल हैं।

माइक्रोफाइनेंस सेक्टर का महत्त्व

- यह **वित्तीय समावेशन** और **सामाजिक-आर्थिक बदलाव** का एक प्रभावशाली माध्यम है।
- यह स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से **महिला सशक्तीकरण** को बढ़ावा देता है।
- यह **गरीबी उन्मूलन** एवं **समग्र ग्रामीण विकास** में भी योगदान देता है।

माइक्रोफाइनेंस सेक्टर से जुड़ी चुनौतियां

- **MFIs को उच्च ट्रांजैक्शन लागत वहन करना पड़ता है:** इसका मुख्य कारण यह है कि MFIs बड़ी संख्या में कम राशि वाले ऋणियों को सेवाएं प्रदान करते हैं।
- **बिना कोलैटरल के ऋण:** बिना कुछ गिरवी रखे ऋण देने से ऋण के डूबने का खतरा बना रहता है।
  - **उच्च ब्याज दरें:** MFIs आम तौर पर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में उच्च ब्याज दर पर ऋण देते हैं।
- **MFIs को उच्च दर पर फंड मिलना:** MFIs ऋण देने के लिए बड़ी वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर हैं। MFIs इन संस्थाओं को उच्च ब्याज दर चुकाते हैं, फलतः MFIs को प्राप्त वित्त की लागत बढ़ जाती है।
- **अन्य चुनौतियां:** ऋण लेने वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता का अभाव; साहूकारों पर निर्भरता; आदि।

भारत में माइक्रोफाइनेंस को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **SHG-बैंक लिंकेज प्रोग्राम:** इसका उद्देश्य स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) को ऋण वितरण में वृद्धि करना है। साथ ही, इसके तहत आय सृजन न करने वाली गतिविधियों की बजाए उत्पादक गतिविधियों को ऋण देने पर बल दिया गया है।
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** इसका उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों, NBFCs आदि के जरिए गैर-कॉर्पोरेट एवं गैर-कृषि क्षेत्रकों के **सूक्ष्म या लघु उद्यमों** को **10 लाख रुपये** तक का ऋण उपलब्ध कराना है।
  - मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण को **शिशु, किशोर** और **तरुण** श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
  - तरुण श्रेणी के तहत पहले लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान करने वालों के लिए **केंद्रीय बजट 2024 में** ऋण प्राप्त करने की **मौजूदा 10 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये** कर दिया गया है।

---

[37] Non-Banking Financial Company-Microfinance Institution

3.4. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (National Industrial Corridor Development Programme: NICDP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत **12 नए औद्योगिक नोड्स/ शहरों को मंजूरी** दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

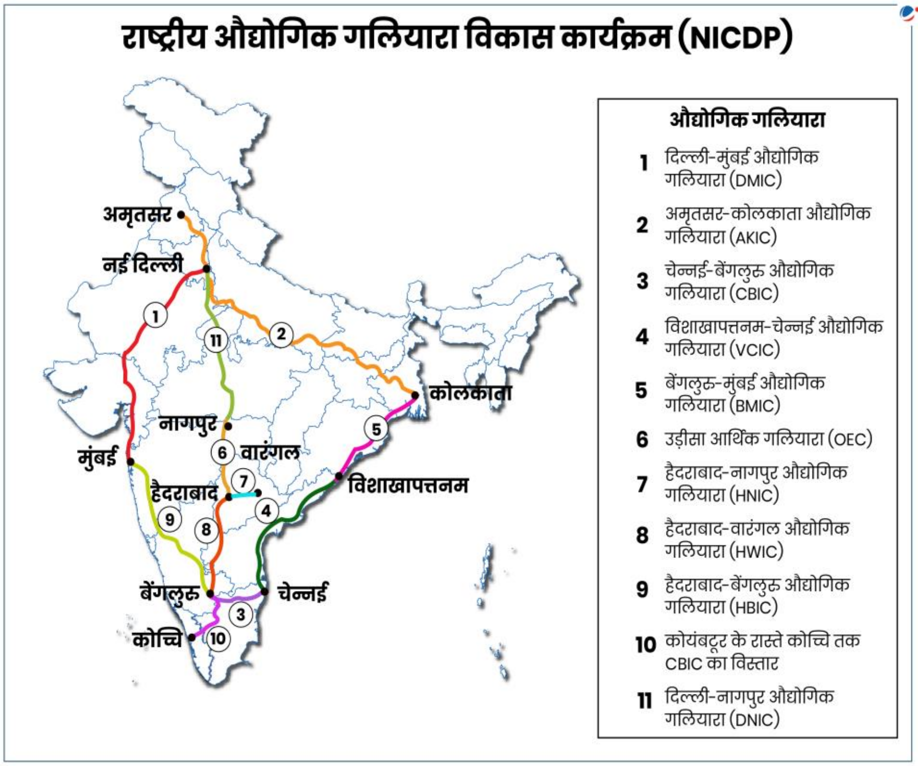

- ये 12 नए औद्योगिक नोड्स/ क्षेत्र, रणनीतिक रूप से 10 राज्यों में अवस्थित हैं और छह प्रमुख गलियारों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विस्तार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- ये औद्योगिक क्षेत्र **उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्काड, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी तथा राजस्थान के जोधपुर-पाली** में स्थित होंगे।
- नए औद्योगिक शहरों का विकास वैश्विक मानकों के अनुसार ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में किया जाएगा। इन्हें **'प्लग-एंड-प्ले'** और **'वॉक-टू-वर्क'** की अवधारणाओं पर **"अहेड ऑफ डिमांड"** के आधार पर विकसित किया जाएगा।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के बारे में

- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2007 में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) के शुभारंभ के साथ हुई थी।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **नए औद्योगिक शहरों को "स्मार्ट सिटी" के रूप में विकसित करना है,** जहां अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को अवसंरचना संबंधी अलग-अलग क्षेत्रों में आसानी से अपनाया जा सकेगा।
- इन औद्योगिक गलियारों को विनिर्माण क्षेत्रक में **विकास को गति देने** और **व्यवस्थित शहरीकरण** को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इन गलियारों को मजबूत **मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी** द्वारा समर्थन दिया जाएगा और इनका विकास राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाएगा।
- वर्तमान में, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (NICDC)[38] **11 औद्योगिक गलियारों** की देखरेख करता है। ये गलियारे विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

औद्योगिक शहरों का महत्त्व

- **निवेश आकर्षित करना:** NICDP का उद्देश्य परिवर्तनशील **औद्योगिक इकोसिस्टम का विकास** करना है। साथ ही, घरेलू एवं विदेश की बड़ी एंकर इंडस्ट्रीज और MSMEs से निवेश आकर्षित करना भी इसका उद्देश्य है।

---

[38] National Industrial Corridor Development Corporation

* **स्मार्ट शहर और आधुनिक अवसंरचना:** NICDP के तहत "अहेड ऑफ डिमांड" ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसमें औद्योगिक गतिविधियों के संधारणीय और दक्षता-पूर्वक संचालन के लिए अत्याधुनिक अवसंरचनाओं का उपयोग किया जाएगा। इसमें **'प्लग-एंड-प्ले'** और **'वॉक-टू-वर्क'** की अवधारणाएं भी शामिल होंगी।
* **कनेक्टिविटी और परिवहन में सुधार:** ये परियोजनाएं **पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान** के साथ मेल खाती हैं। इनमें यात्रियों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए **मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी** अवसंरचना को एकीकृत किया जाएगा। इनमें औद्योगिक शहर **'विकास केंद्र यानी ग्रोथ सेंटर'** के रूप में काम करेंगे।
* **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत को एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करना:** NICDP औद्योगिक गतिविधियों के लिए **विकसित भूखंड उपलब्ध कराएगा ताकि इनपर औद्योगिक गतिविधियां तत्काल शुरू** हो सके। इससे देश और विदेश के निवेशकों को अपनी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने में मदद मिलेगी।
* **रोजगार सृजन:** NICDP से रोजगार के अधिक अवसर पैदा होने की संभावना है। एक अनुमान के अनुसार, इस कार्यक्रम से 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
* **संधारणीय विकास:** NICDP परियोजनाएं संधारणीयता को प्राथमिकता देंगी। इनमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तथा **हरित तकनीकों का उपयोग करके पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों को कम किया** जा सकेगा। इस कार्यक्रम के तहत **औद्योगिक शहरों को पर्यावरण संरक्षण के मॉडल के रूप में** विकसित किया जाएगा।

औद्योगिक गलियारों के विकास में मौजूद चुनौतियां

* **असंगत आर्थिक/ औद्योगिक और शहरी नियोजन:** मौजूदा शहर औद्योगिक गलियारों के संभावित प्रभावों के लिए तैयार नहीं हैं। साथ ही, स्थानीय सरकारों को योजना निर्माण प्रक्रिया से काफी हद तक बाहर रखा जाता है।
    * उदाहरण: दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा योजना में नगर नियोजन प्राधिकरणों की भागीदारी सीमित रही है।
* **गवर्नेंस: स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPVs) और स्थानीय शासी निकाय स्वतंत्र रूप से काम करते हैं।** इससे कार्यक्रम में शामिल संस्थानों के बीच **अधिकार क्षेत्र या जिम्मेदारियों को लेकर दुविधा की स्थिति** बनी रहती है।
    * उदाहरण के लिए- **तुमकुरु औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड** नामक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) स्थानीय पंचायतों, नगर निगमों या नगर नियोजन विभाग से स्वतंत्र होकर काम करता है और उन सबमें आपसी समन्वय की भी कमी देखी गई है।
* **संस्थागत क्षमता:** नए शहरों के उभरने और पूरी तरह विकसित होने में **लंबा समय** लगता है।
    * भविष्य में होने वाले बदलावों को प्रबंधित करने के लिए शहरी **कर्मचारियों में क्षमता और प्रशिक्षण की कमी है।**
* **भूमि अधिग्रहण:** इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट-2009 के अनुसार, अवसंरचना और विकास संबंधी अन्य गतिविधियों में 70 प्रतिशत देरी की वजह **भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं** रही हैं।
* **कृषि भूमि का गैर-कृषि कार्यों में उपयोग के लिए भूमि का हस्तांतरण:** उपजाऊ कृषि भूमि को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जब कृषि भूमि का शहरी-औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोग कर लिया जाता है, तो फिर उसमें स्थायी परिवर्तन हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस भूमि को खेती के लिए दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता।
* **पर्यावरण संबंधी चिंताएं:** विशेष रूप से जल-संकट वाले क्षेत्रों में मौजूदा जल संसाधनों पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

आगे की राह

* स्थान-विशेष की चुनौतियों का समाधान करने के लिए **नियोजन प्रक्रियाओं में स्थानीय प्राधिकरणों और समुदायों को शामिल** करना चाहिए।
* स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPVs) और औद्योगिक हितधारकों सहित सरकार एवं अन्य भागीदारों के बीच **समन्वय स्थापित करने का प्रयास** करना चाहिए।
* भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए किसानों को **परियोजनाओं के आस-पास लघु भूखंड आवंटित करना चाहिए** ताकि उन्हें भी इन परियोजनाओं से लाभ मिल सके। साथ ही, उन्हें अपनी जमीन के बदले **बाजार दरों से अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए।**
* **भूमि उपयोग में बदलाव के दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने के लिए एक मजबूत प्रणाली** की आवश्यकता है। साथ ही, **उपजाऊ भू-संसाधन की बर्बादी को रोकने** के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के अलग-अलग लघु **क्लस्टर बनाने** की भी आवश्यकता है।
* केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए **एक मजबूत फ्रेमवर्क स्थापित करना** चाहिए। इससे **औद्योगिक गलियारों के लिए बेहतर योजना** बनाई जा सकेगी और इनका क्रियान्वयन भी सही तरीके से संभव हो सकेगा।

- परियोजना प्रबंधन और निगरानी हेतु **एडवांस प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने** से दक्षता में सुधार होगा, लागत में कमी आएगी और क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

अवसंरचना विकास से जुड़ी अन्य पहलें

- **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)[39]:** विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति वर्ष 2000 में जारी की गई थी। ये **शुल्क-मुक्त एन्क्लेव** होते हैं। इनमें स्थापित **उद्योगों को कच्चे माल के लिए आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं** होती है। साथ ही, **उन्हें कर और अन्य लाभ** भी प्रदान किए जाते हैं।
- **राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण क्षेत्र (NIMZ)[40]:** ये विशाल **विकसित भूखंड** होते हैं। इनमें विश्व स्तरीय विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराए जाते हैं।
- **औद्योगिक पार्क:** यह एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसे विशेष रूप से उद्योगों के विकास और संचालन के लिए तैयार किया जाता है।

3.5. वधावन बंदरगाह (Vadhvan Port)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी।

वधावन बंदरगाह या पत्तन के बारे में

- वधावन बंदरगाह का निर्माण **महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू शहर** के पास किया जा रहा है।
- इसे भारत के **13वें महापत्तन (Major port)** के रूप में स्थापित किया जाएगा।

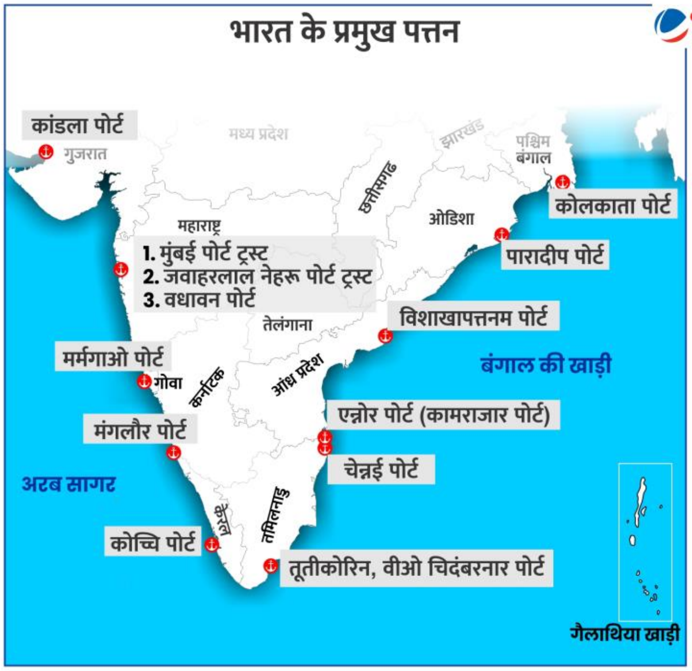

- यह **देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट** होगा। साथ ही, यह **भारत के सबसे बड़े डीप वाटर बंदरगाहों में शामिल** होगा।
- इस परियोजना का निर्माण **वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL)** नामक स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा किया जाएगा।
    - VPPL में **जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (JNPA)[41]** और **महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड** की हिस्सेदारी क्रमशः **74%** और **26%** होगी।
- यह बंदरगाह एक **वैश्विक समुद्री हब** के रूप में कार्य करेगा। यहां बड़े कंटेनर जहाज और अल्ट्रा-बिग कार्गो जहाज भी लंगर डाल सकेंगे। इससे भारत के व्यापार और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

वधावन बंदरगाह का महत्त्व

- **अधिक क्षमता:** यह बंदरगाह प्रतिवर्ष 254 मिलियन टन कार्गो को संभालेगा। इस तरह यह भारत के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाहों में से एक होगा।
- **बहुत बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने की क्षमता:** लगभग 20 मीटर के प्राकृतिक ड्राफ्ट वाला यह बंदरगाह बड़े कंटेनर जहाजों को भी संभाल सकता है। वर्तमान में अधिकतर भारतीय बंदरगाहों पर बड़े कंटेनर जहाज लंगर नहीं डाल सकते हैं।
- **आधुनिक बंदरगाह संबंधी अवसंरचना:** यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, डीप बर्थ और एडवांस कार्गो हैंडलिंग सिस्टम जैसी अवसंरचनाओं से सुसज्जित होगा।

---

[39] Special Economic Zones

[40] National Investment Manufacturing Zones

[41] Jawaharlal Nehru Port Authority

- **रोजगार के अवसर पैदा होने और स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना:** वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निकट होने के कारण यह बंदरगाह व्यवसाय के नए अवसर के साथ-साथ वेयरहाउसिंग के अवसर भी उत्पन्न करेगा।
- **व्यापार वृद्धि में सहायता और भारत की समुद्री कनेक्टिविटी एवं वैश्विक व्यापार हब की स्थिति को बढ़ावा:** यह भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC)[42] और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)[43] के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा।
- **ट्रांजिट टाइम यानी पारगमन समय और लागत में कमी:** क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
- **संधारणीयता को प्राथमिकता:** इसमें पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से संधारणीय विकास पद्धतियों और कड़े पारिस्थितिक मानकों को शामिल किया गया है।

भारत का पत्तन क्षेत्रक

- भारत विश्व का **16वां सबसे बड़ा समुद्र तटीय देश** है।
- भारत का **मात्रा (Volume) की दृष्टि से लगभग 95% व्यापार** और **मूल्य (Value) की दृष्टि से लगभग 70% व्यापार** समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है।
- **विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स** के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत **22वें स्थान** पर है और यहां **"टर्न अराउंड टाइम"** 0.9 दिन है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की तुलना में बेहतर है।
- भारतीय बंदरगाह या पत्तन क्षेत्रक दो भागों में विभाजित है: महापत्तन (Major ports) और लघु पत्तन (non-major ports)।
  - वर्तमान में, भारत में **12 महापत्तन** (13वां वधावन और 14वां गैलाथिया) और 200 से अधिक **लघु पत्तन** हैं।
- भारत में बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** के पास है। भारत के **12 महापत्तन (बड़े बंदरगाह) निम्नलिखित हैं:**
  - चेन्नई पोर्ट, कोचीन पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट (कांडला), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (न्हावा शेवा), कोलकाता पोर्ट, मोरमुगाओ पोर्ट, मुंबई पोर्ट, न्यू मंगलौर पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट (तूतीकोरिन), और कामराजार पोर्ट लिमिटेड।

बड़े बंदरगाह/ महापत्तन	लघु बंदरगाह/ पत्तन

• महापत्तनों का प्रशासन सीधे **केंद्र सरकार द्वारा** किया जाता है।
• भारत के महापत्तनों का विनियमन, संचालन और योजना निर्माण **महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021** के तहत किया जाता है।
• महापत्तनों का संचालन संबंधित **महापत्तन प्राधिकरणों** द्वारा **लैंडलॉर्ड मॉडल** के आधार पर किया जाता है।
  ○ लैंडलॉर्ड मॉडल में, जहां पोर्ट अथॉरिटी **विनियामक संस्था और लैंडलॉर्ड (भूस्वामी) के रूप में** कार्य करती है, वहीं **निजी कंपनियां** बंदरगाह का **संचालन** करती हैं।
• **महापत्तनों में निजी क्षेत्रक की भागीदारी की स्थिति:**
  ○ इन्हें रियायत समझौते के माध्यम से **विशेष परियोजनाओं के लिए अनुमति** दी जाती है।
  ○ रियायत अवधि समाप्त होने के बाद परिसंपत्ति महापत्तन प्राधिकरण को सौंप दी जाती है।
	• लघु पत्तन संबंधित **राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार** में आते हैं।
	• लघु पत्तन **भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908** के तहत शासित होते हैं।
	• ये पत्तन **राज्य विभागों या राज्य समुद्री बोर्ड** द्वारा विनियमित किए जाते हैं।
	• राज्य समुद्री बोर्ड/ राज्य सरकार **निजी ऑपरेटर** के साथ **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत लघु पत्तनों के विकास और संचालन के लिए एक रियायत समझौता (कन्सेशन एग्रीमेंट)** करती है।

भारत के बंदरगाह क्षेत्रक की स्थायी समस्याएं

- **वित्तीय चुनौतियां:** बैंकों और वित्तीय संस्थानों से **वित्त-पोषण प्राप्त करने में कठिनाई** निजी क्षेत्रक की भागीदारी को हतोत्साहित करती है।
- **विनियामक और अन्य मंजूरी प्राप्त करने संबंधी समस्याएं:** सरकार की ओर से मंजूरी और पर्यावरणीय मंजूरी मिलने में **देरी** के कारण समस्या उत्पन्न होती है।
- **अवसंरचना और कनेक्टिविटी की समस्याएं:** बंदरगाह क्षेत्रक में **सड़क नेटवर्क** और अंतर्देशीय कनेक्टिविटी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए सुदूर क्षेत्रों पर अवसंरचना की भी कमी है।
- **श्रम और उत्पादकता संबंधी समस्याएं:** महापत्तनों में अकुशल और अप्रशिक्षित श्रमिकों की अधिक संख्या तथा अक्सर होने वाली श्रमिक हड़तालें समस्या बनी हुई हैं।

---

[42] India Middle East Europe Economic Corridor

[43] International North South Transportation Corridor

- **संचालन संबंधी कार्यक्षमता का अभाव:** पुराने डिजाइन पर आधारित बंदरगाह टर्न अराउंड टाइम में सुधार करने और कार्गो की बढ़ती मात्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं।
- **मौजूदा बंदरगाह का अपग्रेडेशन:** पुराने और सरकारी स्वामित्व वाले बंदरगाहों के आधुनिकीकरण में आने वाली उच्च लागत और सरकारी प्रबंधन में बदलाव का विरोध, अन्य चुनौतियां हैं।
- **ड्रेजिंग संबंधी समस्याएं:** भारत में ड्रेजिंग क्षेत्र को संचालन संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें शामिल हैं- मानकीकरण की कमी, पुराने उपकरण, मृदा परीक्षण की अदक्ष तकनीक और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी।
    - तलछट का जमाव नौवहन और बंदरगाहों के संचालन के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें रेत और गाद लगातार बहकर एक जगह जमा होती रहती है। इसलिए, जलमार्गों को साफ रखने के लिए ड्रेजिंग का काम लगातार चलता रहता है।

आगे की राह

- **बंदरगाहों का आधुनिकीकरण:** निम्नलिखित के जरिए कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना होगा:
    - ड्रेजिंग के माध्यम से भारत के बंदरगाहों के **न्यूनतम ड्राफ्ट** को **बढ़ाना** चाहिए।
        - **न्यूनतम ड्राफ्ट** से तात्पर्य एक जहाज के सुरक्षित तरीके से आवाजाही के लिए **आवश्यक न्यूनतम जल-गहराई** से है। न्यूनतम ड्राफ्ट यह बताता है कि जहाज के सबसे निचले हिस्से और समुद्र तल के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए।
    - **आधुनिक कार्गो हैंडलिंग तकनीकों** को अपनाया जाना चाहिए।
- **कनेक्टिविटी को बढ़ाना:** परियोजना में देरी से बचने के लिए **कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए फंड जारी करने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करना चाहिए।**
    - **निजी क्षेत्रक के बंदरगाहों को महापत्तन और लघु पत्तन से जोड़ना** चाहिए।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए:**
    - **विदेशी शिपिंग कंपनियों को आकर्षित करने के लिए करों को कम करना चाहिए।**
    - लघु पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए **निजी क्षेत्रक को वित्त-पोषण प्रदान करना चाहिए।**
    - PPP मोड के माध्यम से अंतर्देशीय जलमार्ग संचालन और पोत वित्त-पोषण का समर्थन करने के लिए एक **विशेष समुद्री फंड** स्थापित करना चाहिए।
- **मंजूरी प्रक्रिया:** PPP परियोजनाओं को समय पर विनियामकीय मंजूरी देने के लिए **समय-सीमा निर्धारित करना चाहिए** और **सिंगल विंडो मंजूरी प्रणाली** की व्यवस्था अपनानी चाहिए।
    - **डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया को आसान बनाना:** सभी डाक्यूमेंट्स को प्रस्तावित कॉमन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म **"कार्गो सुविधा के लिए राष्ट्रीय पोर्टल[44]"** के माध्यम से प्रॉसेस करने पर बल देना चाहिए।

भारत में बंदरगाह क्षेत्रक के लिए शुरू की गई पहलें

- **सागरमाला कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम को **मार्च, 2015** में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विदेशी और घरेलू व्यापार के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करना, कंटेनर आवागमन में सुधार करना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।
- **समुद्री अमृत काल विजन 2047:** इसे **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय बंदरगाहों का विकास करना तथा अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय शिपिंग और संधारणीय समुद्री क्षेत्रक को बढ़ावा देना है।
    - इसमें 2047 तक पत्तनों, शिपिंग और जलमार्गों को बढ़ाने के लिए 300 से अधिक कार्रवाई योग्य पहलें शामिल की जाएंगी। ये 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क पर आधारित हैं।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन):** यह सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफ़ॉर्म है। यह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के हितधारकों को जोड़कर दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाता है तथा लागत और देरी को कम करता है।
- **सागर मंथन:** यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा उसके संगठनों के लिए **रियल टाइम परफॉरमेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड** प्रदान करता है। इससे परियोजनाओं, मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) और वित्तीय मापदंडों की ट्रैकिंग संभव होती है।
- **सागर-सेतु:** यह एक मोबाइल ऐप है। यह रियल टाइम आधार पर बंदरगाह संचालन, निगरानी तथा जहाज, कार्गो, कंटेनर, वित्त और विनियामक प्राधिकरण से जुड़े डेटा प्राप्ति को आसान बनाकर ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस को बढ़ाता है।

[44] National Portal for Cargo Facilitation

अन्य संबंधित तथ्य: गैलेथिया बंदरगाह

केंद्र सरकार ने **भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908** की **धारा 5** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **गैलेथिया खाड़ी** को **'महापत्तन'** के रूप में अधिसूचित किया है।

- इसे **इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP)** के रूप में निर्मित किया जा रहा है। यह भारत का **14वां महापत्तन (बड़ा बंदरगाह)** होगा।
    - **ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वास्तव में ऐसा हब या स्थान** होता है, जहां **कार्गो को एक जहाज से दूसरे जहाज में स्थानांतरित** किया जाता है, ताकि उसे उसके **अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया** जा सके।

अंडमान-निकोबार की गैलेथिया खाड़ी में ICTP का महत्त्व

- **आर्थिक महत्त्व:**
    - गैलेथिया खाड़ी में ICTP से **आयात-निर्यात को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी**, क्योंकि यह **अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन मार्ग** पर स्थित है।
        - वर्तमान में, **भारत के लगभग 75% ट्रांसशिप कार्गो का संचालन भारत के बाहर के पत्तनों (कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग)** पर किया जाता है।
    - यह परियोजना **विदेशी मुद्रा की बचत करेगी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करेगी, अन्य भारतीय पत्तनों पर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि** सुनिश्चित करेगी,आदि ।
- **रणनीतिक महत्त्व:** यह ट्रांसशिपमेंट पत्तन **मलक्का जलसंधि जैसे चोक पॉइंट तथा यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया को जोड़ने वाले पूर्व-पश्चिम पोत परिवहन मार्ग** के निकट स्थित है।

पोर्ट कनेक्टिविटी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #49 (अंग्रेजी में): पोर्ट कनेक्टिविटी: भारत का विश्व से संपर्क

3.6. प्रधान मंत्री ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने **"प्रधान मंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहैंसमेंट (PM E-DRIVE)"** योजना को अधिसूचित कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- पी.एम. ई-ड्राइव योजना भारत में **फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-I), 2015** और FAME-II (2019) जैसे पहले के कार्यक्रमों पर आधारित है।
- **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS-2024)** को भी इसमें शामिल कर दिया गया है।
    - जुलाई, 2024 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-2W) और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (e3W) वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए EMPS-2024 लॉन्च किया गया था।

पी.एम. ई-ड्राइव योजना (PM E-DRIVE SCHEME) के बारे में

- **उद्देश्य:** इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की खरीद पर अग्रिम आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके ऐसे वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, साथ ही EVs के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की सुविधा प्रदान करना।
  - पर्यावरण पर परिवहन के प्रभाव को कम करना एवं वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है।
- **फंड आवंटन:** 10,900 करोड़ रुपये
- **योजना-अवधि:** 2024-26
- **लक्ष्य:**
  - इलेक्ट्रिक-2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक-3 व्हीलर और इलेक्ट्रिक-बसों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
  - इलेक्ट्रिक-4 व्हीलर के लिए 22,100 फास्ट चार्जिंग प्वाइंट्स, ई-बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जिंग प्वाइंट्स और e2 व्हीलर/ 3 व्हीलर के लिए 48,400 फास्ट चार्जिंग प्वाइंट्स की स्थापना करना।
- **नोडल मंत्रालय:** भारी उद्योग मंत्रालय
  - इस परियोजना की समग्र निगरानी, मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में **परियोजना कार्यान्वयन और मंजूरी समिति (PISC)**[45] का गठन किया गया है। यह अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति है।

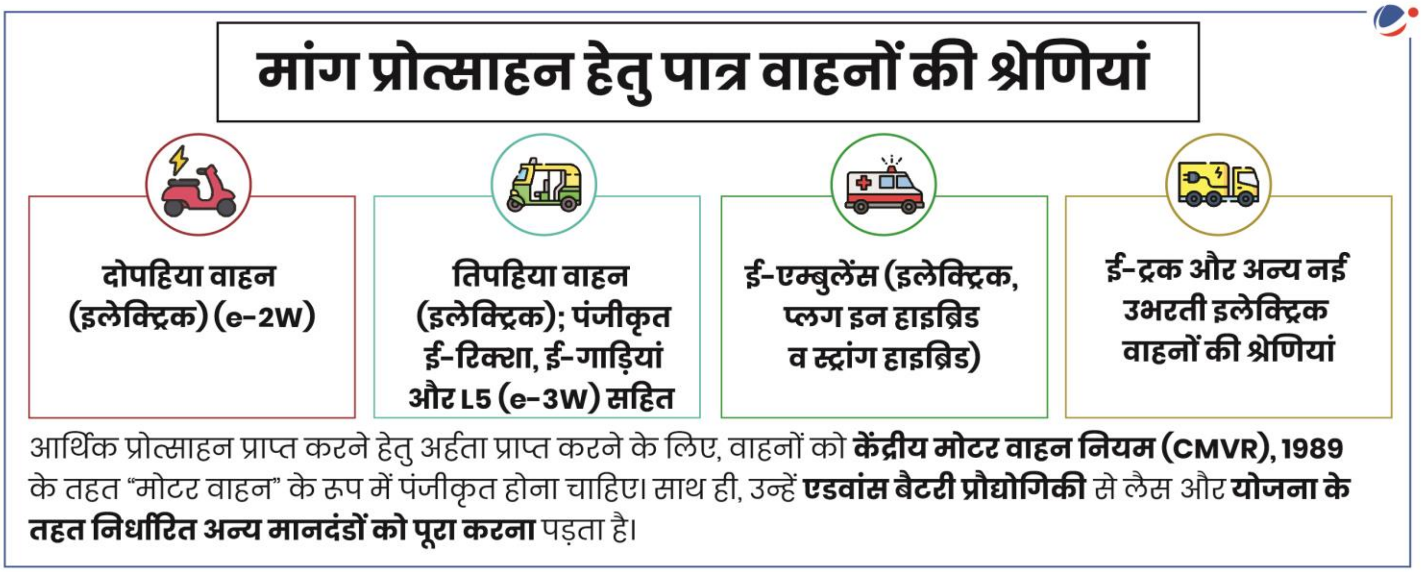

योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **सब्सिडी:** उपभोक्ताओं (खरीदारों/ अंतिम उपयोगकर्ताओं) को कुछ श्रेणियों की इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर **सब्सिडी/ मांग आधारित प्रोत्साहन** देने का प्रावधान है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रारंभिक खरीद मूल्य को कम करने के लिए पी.एम. ई-ड्राइव ऐप/ पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए आधार नंबर से प्रमाणित **ई-वाउचर** उपलब्ध कराए जाएंगे।
    - भारत सरकार द्वारा सब्सिडी या प्रोत्साहन की राशि मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEM)[46] को सीधे तौर उपलब्ध कराई जाएगी।
  - **प्रस्तावित प्रोत्साहन (बैटरी क्षमता के आधार पर यानी kWh में मापा गया ऊर्जा कंटेंट):** e-2W और e-3W श्रेणियों के लिए **वित्त वर्ष 2024-25 में 5,000 रुपये प्रति kWh** और वित्त वर्ष **2025-26 में 2,500 रुपये प्रति kWh** निर्धारित की गई है। दोनों प्रकार के वाहनों के मामले में प्रोत्साहन की ऊपरी सीमा एक्स-फैक्टरी मूल्य के 15% के बराबर होगी।

---

[45] Project Implementation and Sanctioning Committee

[46] Original equipment manufacturer

- **पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान:** इसमें **ई-बसें, इलेक्ट्रिक वाहन पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों (EVPCS)** के नेटवर्क की स्थापना करना तथा चिन्हित **टेस्टिंग एजेंसियों** का अपग्रेडेशन शामिल है।
    - ई-बसों के लिए सहायता **राज्य/ शहर परिवहन उपक्रमों (STUs)** के माध्यम से परिचालन व्यय (OPEX)/ सकल लागत अनुबंध (GCC)[47] मॉडल पर प्रदान की जाएगी।
        - **2 करोड़ रुपये से कम एक्स-फैक्ट्री कीमत** वाली ई-बसों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
    - शुरूआत में EVPCS को चयनित शहरों {जहाँ पर **EV को अपनाने की दर अधिक है (मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे देश के 9 बड़े शहर)}** और **चयनित राजमार्गों** पर स्थापित किया जाएगा।
    - चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के **"इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन के लिए दिशा-निर्देश-2024"** के अनुसार की जाएगी (बॉक्स देखें)।
- **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)[48]:** इस योजना को PMA के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा, जो सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी।
- **अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं:**
    - मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEMs) और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर/ पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों को सरकारी सहायता हेतु पात्र होने के लिए **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम** (PMP)[49] का पालन करना होगा।
    - योजना के तहत प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन/ अनुदान राशि **ऑटोमोबाइल और ऑटो कल-पुर्जा उद्योग के लिए उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना (PLI-Auto)** और **एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के लिए PLI योजना (PLI-ACC)** के तहत प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहनों से स्वतंत्र और इसके अतिरिक्त है।
    - यह योजना **राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन** (जैसे- रोड टैक्स में रियायत, टोल छूट और पार्किंग शुल्क में कटौती, आदि) प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

शब्दावली को जानें

- **सकल लागत अनुबंध (Gross Cost Contract: GCC) मॉडल:** यह एक प्रकार का खरीद-मॉडल है, जहां **बस का स्वामित्व, संचालन, और रखरखाव** सेवा प्रदाताओं (OEM या OEM और बस सेवा प्रदाताओं के एक समूह) द्वारा एक विशिष्ट दर पर और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए किया जाता है।
    - प्राधिकरण **सेवा प्रदाता को प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया** के जरिए पहले से तय **प्रति किलोमीटर शुल्क का भुगतान** करता है।

"इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन के लिए दिशा-निर्देश-2024" के बारे में

- **उद्देश्य:** चार्जिंग स्टेशनों को सुरक्षित, विश्वसनीय और सुलभ बनाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, आदि।
- **इन दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं:**
    - **कार्यान्वयन तंत्र: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।
    - **कवरेज:** ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित पर लागू होंगे:
        - **सार्वजनिक स्थान:** वाणिज्यिक परिसर, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, हवाई अड्डे, मेट्रो स्टेशन, आदि।
        - **निजी स्थान:** ऑफिस बिल्डिंग, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, आदि।
    - **पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों (PCS) के लिए सार्वजनिक भूमि का प्रावधान:**
        - सरकार/ सार्वजनिक संस्थाएं पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए सरकारी/ सार्वजनिक/ निजी संस्था को रियायती दर पर भूमि प्रदान करेंगी।
        - यह **रेवेन्यू-शेयरिंग मॉडल** पर आधारित होगा, जहां जमीन के मालिकाना हक वाली एजेंसी को चार्जिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली एक रुपया प्रति kWh की दर से मिलेगी।

---

47 Gross cost contract

48 Project Management Agency

49 Phased Manufacturing Programme

- पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की अवस्थिति:
  - 2030 तक, शहरी क्षेत्रों में 1 कि.मी. x 1 कि.मी. ग्रिड के भीतर कम-से-कम एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए।
  - राजमार्गों के साथ, कम रेंज वाले EV वाहनों/ e-कारों के लिए हर 20 कि.मी. तथा बसों और ट्रकों जैसे लंबी दूरी और भारी वाहनों के लिए हर 100 कि.मी. पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- **केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा **राज्य नोडल एजेंसियों (SNA)**[50] के सहयोग से देश भर के **पब्लिक चार्जिंग स्टेशन** का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाएगा।
- **अन्य:**
  - सभी इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित सभी उपकरण **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** के मानकों के अनुरूप होंगे।
  - इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, दिन के समय (सोलर ऑवर) कम प्रशुल्क लगाया जाएगा।
  - साथ ही, चार्जिंग स्टेशनों पर बिजली की लागत मार्च, 2028 तक **'आपूर्ति की औसत लागत'** से अधिक नहीं होगी।

नोट: *इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया जुलाई, 2024 मासिक समसामयिकी में आर्टिकल 3.8. ई-मोबिलिटी और मार्च, 2024 संस्करण में आर्टिकल 3.12. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 देखें।*

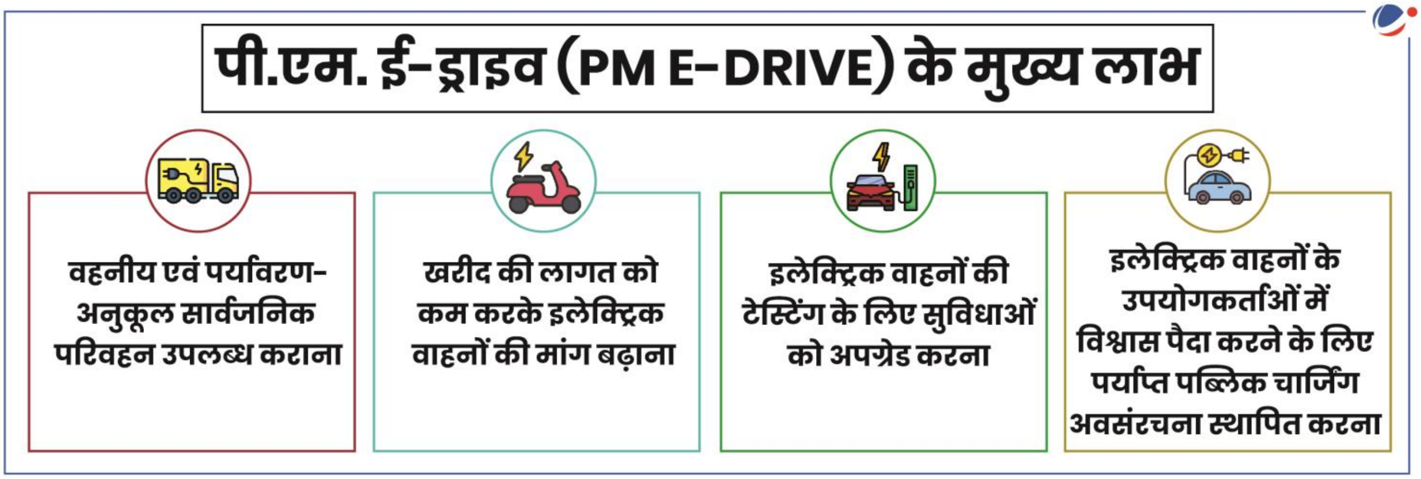

संबंधित सुर्ख़ियां: पी.एम. ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (PM-eBus Sewa-Payment Security Mechanism: PSM)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (PTAs)**[51] द्वारा ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए **पी.एम.-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM)** योजना को मंजूरी दी है।
- **योजना की मुख्य विशेषताएं:**
  - यह योजना **वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों)** का परिचालन शुरू करने का समर्थन करेगी।
  - ऐसी बसों के संचालन की **तारीख से 12 साल तक की अवधि तक** आर्थिक समर्थन दिया जाएगा।
  - **सकल लागत अनुबंध (GCC) मॉडल पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी:**
    - सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों को बस की अग्रिम लागत का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
    - मूल उपकरण विनिर्माता (OEM)/ ऑपरेटर, मासिक भुगतान के साथ सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों के लिए ई-बसों की खरीद और संचालन करेंगे।
    - एक समर्पित फंड के माध्यम से OEM/ ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL)

[50] State Nodal Agencies

[51] Public Transport Authorities

3.7. स्वैच्छिक वाहन-आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Voluntary Vehicle Modernization Program)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने **स्वैच्छिक वाहन-आधुनिकीकरण कार्यक्रम** या **वाहन स्क्रैपिंग नीति** शुरू की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **'पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं' (RVSFs)**[52] और **'स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (ATSs)[53]'** के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में **अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम का विकास करना** है।
- इसके तहत वाणिज्यिक और यात्री वाहनों के विनिर्माता ग्राहकों द्वारा **स्क्रैपेज सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने पर क्रमशः दो वर्ष और एक वर्ष की अवधि के लिए डिस्काउंट/ छूट** योजना शुरू करेंगे।
- इससे पहले, **केंद्र सरकार ने 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति** की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य 15-20 साल से अधिक पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाना है ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, सड़क सुरक्षा में सुधार किया जा सके और नए वाहनों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके।

स्वैच्छिक वाहन-आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **सर्कुलर इकोनॉमी:** इसका उद्देश्य रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देकर और कच्चे माल की खपत को कम करके ऑटोमोटिव क्षेत्र में **सर्कुलर इकोनॉमी** को बढ़ावा देना है।
- फिटनेस टेस्ट में फेल होने वाले वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा और वाहन मालिकों को सबूत के तौर पर **सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (स्क्रैपेज सर्टिफिकेट)** प्रदान किया जाएगा। इस प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल नए वाहन खरीदने पर छूट प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

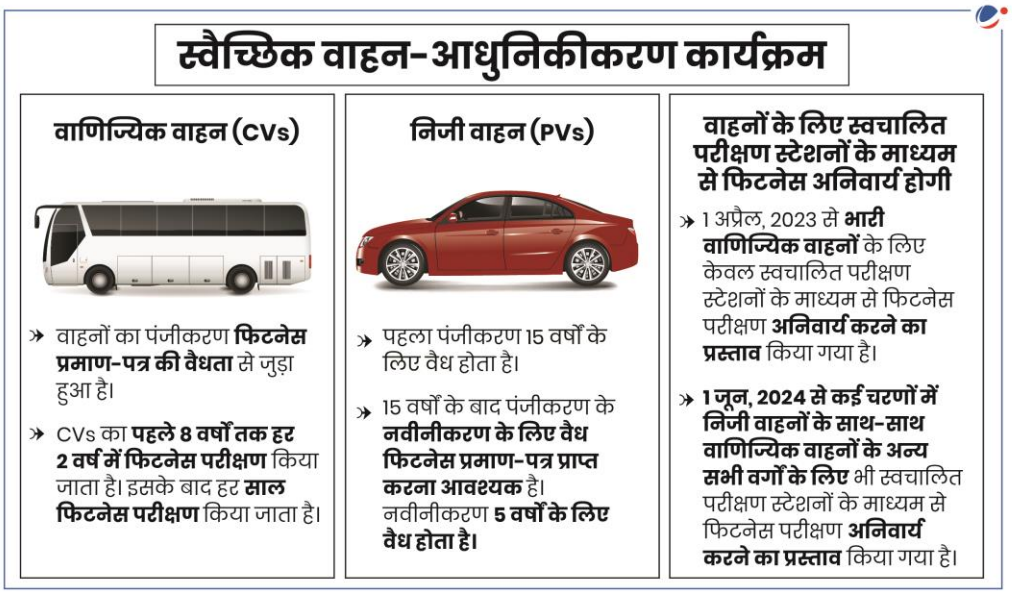

- **स्क्रैपिंग के लिए आर्थिक प्रोत्साहन:**
  - वाहन स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए विनिर्माताओं ने कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है:
    - **कमर्शियल/ वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता** एक्स-शोरूम कीमत पर **3% तक की छूट** देते हैं।
    - **पैसेंजर/ यात्री वाहन व्हीकल विनिर्माता** एक्स-शोरूम कीमत पर **1.5% की छूट** देते हैं।
  - ये छूट पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं द्वारा प्रदान किए गए स्क्रैप मूल्य और सरकारी प्रोत्साहनों, जैसे- **मोटर वाहन को खरीदने में कर रियायत** व **पंजीकरण शुल्क पर छूट** आदि के अतिरिक्त हैं।

पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का महत्त्व

- **पर्यावरण:** पुराने वाहनों की तकनीक सामान्यतः पुरानी हो चुकी होती है एवं उनकी ईंधन दक्षता बहुत कम होती है। इस कारण पुराने वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और पार्टिकुलेट मैटर (PM) जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन अधिक होता है।

---

[52] Registered Vehicle Scrapping Facilities

[53] Automated Testing Stations

- उन्हें स्क्रैप करने से वायु प्रदूषण कम होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने और शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है।

- **आर्थिक महत्त्व:** यह लोगों को नए वाहन खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा, जिससे ऑटोमोबाइल उद्योग में मांग बढ़ेगी।
- **सर्कुलर इकोनॉमी:** पुराने वाहनों को नष्ट करने से स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा, रबर जैसी उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है, जिससे नए वाहनों के निर्माण में धातुओं के खनन एवं कच्चे माल को तैयार करने की आवश्यकता कम हो जाती है।
- **सड़क सुरक्षा:** पुराने वाहन आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस नहीं होते हैं। इसलिए इन्हें सड़कों से हटाकर दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा और सड़क परिवहन को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।
- **नियमों का पालन:** पुराने वाहनों को स्क्रैप करके भारत में सड़कों पर चलने वाले वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण को कम किया जा सकता है और BS-VI उत्सर्जन मानकों का पालन बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है।

भारत में वाहन स्क्रैपिंग को प्रभावी तरीके से लागू करने के समक्ष चुनौतियां

- **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा:** ऑथराइज्ड रीसाइक्लिंग सेंटर्स के सुव्यवस्थित नेटवर्क का अभाव तथा स्क्रैपिंग के कार्य में असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व बड़ी चुनौतियां हैं। असंगठित क्षेत्रों में स्क्रैपिंग के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस वजह से लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है तथा अपशिष्ट भी सही तरीके से प्रबंधित नहीं हो पाता है।
- **सर्कुलर इकॉनमी पर अधिक ध्यान नहीं देना:** मानक रीसाइक्लिंग आपूर्ति श्रृंखलाओं में स्क्रैप किए गए वाहनों से प्राप्त सामग्री को प्रभावी ढंग से नए वाहनों और अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। वहीं, मानक रीसाइक्लिंग आपूर्ति श्रृंखला नहीं होने से स्क्रैपिंग का कार्य दक्षतापूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है एवं पुराने वाहनों की उपयोगी सामग्रियों को भी नहीं प्राप्त किया जाता है।

डेटा बैंक

भारत में वाहन स्क्रैपिंग की वर्तमान स्थिति

- देश में **17 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 60 से अधिक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (RVSFs)** और **12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 75 से अधिक स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATSs)** कार्यरत हैं।
- देश में **21 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** ने जमा प्रमाण-पत्र के बदले खरीदे गए वाहन पर मोटर वाहन कर में छूट की घोषणा की है।
- देश में **18 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने RVSFs** में स्क्रैपिंग के लिए लाए गए वाहनों पर लंबित देनदारियों की माफी की घोषणा की है।

- **जागरूकता और भागीदारी की कमी:** कई वाहन मालिकों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने से पर्यावरण और आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, वाहन मालिकों का अपने पुराने वाहनों के प्रति भावनात्मक लगाव जैसी चुनौतियां भी स्वैच्छिक रूप से वाहन स्क्रैपिंग को हतोत्साहित करती हैं।
- **आर्थिक बाधाएं:** पुराने वाहनों को बेचने पर कम मूल्य मिलते हैं। साथ ही, नए और फ्यूल एफिशिएंट वाहन की कीमत काफी अधिक है। ऐसे में विशेष आर्थिक प्रोत्साहन नहीं मिलने से लोग नए वाहन खरीदने से बचते हैं।
- **नियमों को सही से लागू नहीं करना:** स्थानीय स्तर पर अधिक जांच नहीं होने और भ्रष्टाचार के कारण अक्सर पुराने वाहनों के लिए फर्जी प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाते हैं। इस वजह से ये वाहन नियमों को धत्ता बताते हुए सड़कों पर दिखाई देते हैं।

आगे की राह

- **स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण:** स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्क्रैप किए गए वाहनों से रीसाइकल्ड सामग्री प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण पर बल देना चाहिए, आदि।
- **वाहन स्क्रैपिंग प्रक्रिया को आसान बनाना:** स्क्रैपिंग केंद्रों को वाहन-मालिकों के लिए वन-स्टॉप सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहिए। पुराने वाहनों के पंजीकरण रद्द करने से लेकर सामग्रियों की रीसाइक्लिंग तक की प्रक्रियाओं को आसान बनाकर प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना चाहिए। इससे स्क्रैपिंग की प्रक्रिया अधिक दक्ष बनेगी।
- **स्क्रैपिंग संबंधी कानूनों को सख्ती से लागू करना:** पुराने वाहनों के लिए नियमित और सख्त उत्सर्जन परीक्षण लागू करना चाहिए, अधिक पुराने वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, आदि।
  - संधारणीयता, सुरक्षा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू से ही **इलेक्ट्रिक एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल (ELVs)** और **बैटरियों** के प्रबंधन को एकीकृत करना चाहिए।
- **जन जागरूकता:** स्क्रैपिंग के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने एवं स्क्रैपिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्थानीय समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों और वाहन संघों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।

3.8. खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क (Minerals Security Partnership Finance Network)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत **संयुक्त राज्य अमेरिका** के नेतृत्व वाले **खनिज सुरक्षा भागीदारी (MSP) वित्त नेटवर्क** में शामिल हुआ। भारत के इस कदम का उद्देश्य **क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों)** की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क में भारत की भागीदारी **क्रिटिकल खनिजों की आपूर्ति के लिए कई स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाने और आपूर्ति को सुरक्षित बनाने** की व्यापक योजना का हिस्सा है।
- इसका उद्देश्य क्रिटिकल खनिजों के मामले में **चीन पर निर्भरता को कम करना** भी है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में वैश्विक क्रिटिकल खनिज आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का प्रभुत्व है।

"खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क" क्या है?

- यह **"खनिज सुरक्षा भागीदारी"** की एक पहल है। यह **दुनिया भर में क्रिटिकल खनिज परियोजनाओं का वित्त-पोषण करने** के लिए डिज़ाइन की गई एक **संयुक्त वित्त-पोषण संस्था** है।
- **उद्देश्य:** इसका लक्ष्य क्रिटिकल खनिजों के लिए **विविध, सुरक्षित और सतत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने** के उद्देश्य से **हिंद-प्रशांत क्षेत्र और यूरोप के संस्थानों को एकजुट करना, उनके बीच सहयोग को मजबूत करना, भाग लेने वाले संस्थानों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान और सह-वित्तपोषण को बढ़ावा** देना है।
  - यह **वैश्विक क्रिटिकल खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सतत निवेश को भी बढ़ावा देगा,** जिसमें उत्पादन, खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति परियोजनाओं में निजी क्षेत्रक से पूंजी जुटाना शामिल है।
- **सदस्य:** भारत सहित कुल 14 देश और यूरोपीय आयोग इसके सदस्य हैं।
  - इसमें US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (DFC), यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक (EIB), जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (JICA) जैसे कुछ अन्य संगठन भी शामिल हैं।

खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) के बारे में

- **शुरुआत:** इसे 2022 में आरंभ किया गया था।
- **उद्देश्य:** रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित परियोजनाओं में **सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के निवेश को सुविधाजनक बनाना**, ताकि क्रिटिकल खनिजों की अधिक सुरक्षित, विविध और **सतत आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण** करने में मदद मिल सके।
- **सदस्य:** इसमें **14 देश** और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ये सभी **सामूहिक रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 50% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते** हैं। इसमें यूरोपीय आयोग द्वारा यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किया जाता है।
  - **भारत इस भागीदारी में 2023 में शामिल हुआ था।**
- खनिज सुरक्षा भागीदारी (MSP) द्वारा निवेश केवल खनिज सुरक्षा भागीदारी के सदस्य देशों की परियोजनाओं तक ही सीमित नहीं है।

क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं?

- ये खनिज वर्तमान में कई **नवीन प्रौद्योगिकियों के उत्पादन और विकास के लिए अति महत्वपूर्ण घटक** हैं। चूंकि, वैश्विक स्तर पर इन खनिजों का उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिए भू-राजनीतिक वजहों से **इनकी आपूर्ति में व्यवधान का खतरा** बना रहता है।
  - क्रिटिकल मिनरल्स के कुछ उदाहरण हैं- **लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स,** आदि।
- भारत सरकार ने भारत के लिए **30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची** जारी की है।
  - **ये खनिज हैं-** एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हाफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, PGE, फास्फोरस, पोटाश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।

भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित आपूर्ति करने में कौन-सी चुनौतियां मौजूद हैं?

- **सीमित घरेलू भंडार:** भारत में कई क्रिटिकल मिनरल्स के पर्याप्त भंडार मौजूद नहीं हैं। इस वजह से इन खनिजों के लिए आयात पर अधिक निर्भरता बनी हुई है। जाहिर है वैश्विक संकटों की स्थिति में इनकी आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने का खतरा बना रहेगा।
    - **निजी निवेश में कमी, तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव और नए कानून** भी क्रिटिकल मिनरल्स के घरेलू उत्पादन में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** उदाहरण के लिए- डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दुनिया के लगभग 70% कोबाल्ट की आपूर्ति करता है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वहां से इसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे बैटरी और मिश्र धातुओं के लिए कोबाल्ट पर निर्भर उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति श्रृंखला में निहित कमियां:** उदाहरण के लिए- वैश्विक रेयर अर्थ एलिमेंट्स की लगभग 85% प्रोसेसिंग क्षमता और वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स के लगभग 60% उत्पादन पर चीन का प्रभुत्व है। इस वजह से उच्च तकनीक पर आधारित विनिर्माण से जुड़े क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन का एकाधिकार बना हुआ है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएं:** क्रिटिकल मिनरल्स के खनन और प्रोसेसिंग से अक्सर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे स्थानीय आबादी और पर्यावरण समूह क्रिटिकल मिनरल्स के खनन से जुड़ी परियोजनाओं का विरोध करते हैं।
- **रीसाइक्लिंग अवसंरचना की कमी:** इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और उपयोग कर ली गई प्रौद्योगिकियों से क्रिटिकल मिनरल्स की रीसाइक्लिंग का कार्य अविकसित है। यह क्षेत्र काफी हद तक असंगठित है और इसमें अकुशल श्रमिकों की बहुलता है।

आगे की राह

- **क्रिटिकल मिनरल्स पर राष्ट्रीय संस्थान/ उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना:** ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (CSIRO)[54] की तर्ज पर खान मंत्रालय के तहत क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CECM)[55] की स्थापना की जानी चाहिए। इसे क्रिटिकल मिनरल्स पर शोध, अन्वेषण और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए।

---

[54] Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation

- **घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ावा देना:** क्रिटिकल मिनरल्स के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) की स्थापना की जानी चाहिए।
    - क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ी **परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए एक "ग्रीन चैनल"** शुरू करना चाहिए। इसमें सख्त लेकिन दक्ष पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रिया की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- **क्रिटिकल मिनरल्स की पुनर्प्राप्ति के लिए सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देना:** शहरी केंद्रों में अत्याधुनिक ई-अपशिष्ट रीसाइक्लिंग सुविधाएं स्थापित करना, ई-अपशिष्ट रीसाइक्लिंग, अर्बन माइनिंग के क्षेत्र में जन जागरूकता और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए **"रीसायकल फॉर रिसोर्सेस"** नाम से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करना चाहिए।

शब्दावली को जानें

- **अर्बन माइनिंग:** यह **अपशिष्ट से उपयोगी सामग्री प्राप्त** करने की प्रक्रिया है। ये अपशिष्ट या तो लैंडफिल में फेंक दिए जाते हैं या उनका भस्मीकरण कर दिया जाता है।
    - इनमें सामान्य धातुओं और प्लास्टिक के साथ-साथ दुर्लभ लेकिन मूल्यवान तत्व भी शामिल हो सकते हैं।

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** सतत और विविध स्रोत आधारित मूल्य श्रृंखला स्थापित करने तथा भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs)[56] और खनन कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने चाहिए।

3.9. भारत में इस्पात क्षेत्रक (Steel Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **2034 तक 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन** का लक्ष्य निर्धारित किया है।

डेटा बैंक

- **140.8 मीट्रिक टन: भारत, दुनिया में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।** प्रथम स्थान पर चीन है।
- **2023-24 में 97.7 किलोग्राम:** भारत में प्रति व्यक्ति फिनिश्ड स्टील की खपत।
- चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद **भारत, विश्व में इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है।**

भारत के इस्पात क्षेत्रक के बारे में

- पारंपरिक रूप से **धातुओं में इस्पात का शीर्ष स्थान** रहा है और यह **औद्योगीकरण के प्रमुख कारकों** में शामिल रहा है।
- इस्पात **लोहे और कार्बन की एक मिश्रधातु** है। इसमें कार्बन की मात्रा 2% से कम, मैंगनीज की मात्रा 1% और आंशिक मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। कार्बन की मात्रा अधिक होने पर इसे **कास्ट आयरन** कहा जाता है।
- **भारत में इस क्षेत्रक का विकास घरेलू स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता से प्रेरित है,** जैसे- **लौह अयस्क** (लौह अयस्क का पांचवां सबसे बड़ा भंडार), **सस्ता श्रम** (जैसे- पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर), और **अवसंरचना विकास में वृद्धि** तथा फलते-फूलते ऑटोमोबाइल क्षेत्रक और रेलवे, आदि।
- **भारत में इस्पात उद्योग के विकास को प्रेरित करने वाले अन्य स्थानिक कारक हैं:** जल की उपलब्धता (जैसे- स्वर्णरेखा नदी के निकट जमशेदपुर में टाटा स्टील), **बाजारों से निकटता** (जैसे- छत्तीसगढ़ में भिलाई संयंत्र) और **परिवहन साधन की उपलब्धता** (जैसे- विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास आंध्र प्रदेश में विजाग स्टील प्लांट)।

भारत में इस्पात क्षेत्रक के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं?

- **पूंजी की कमी:** इस्पात उद्योग में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ग्रीनफील्ड रूट के माध्यम से 1 टन इस्पात बनाने की क्षमता स्थापित करने के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ती है।
    - **इस्पात की मांग, चक्रीय प्रकृति की होती है।** इसलिए, मंदी के दौरान **निवेश पर रिटर्न कम हो जाता है।**
- **लॉजिस्टिक की उच्च लागत:** नीति आयोग का अनुमान है कि जमशेदपुर से मुंबई तक माल ढुलाई की लागत 50 डॉलर प्रति टन तक हो सकती है, जबकि रॉटरडैम से मुंबई तक यह प्रति टन 34 अमेरिकी डॉलर है।

---

[55] Centre of Excellence for Critical Minerals

[56] Original Equipment Manufacturers

- **कच्चे माल की कमी:** हालांकि, भारत में लौह अयस्क और कोयले का पर्याप्त भंडार है, लेकिन **कोर्किंग कोल का भंडार न के बराबर है।**
    - भारत अपनी कोकिंग कोल की ज़रूरतों को **ऑस्ट्रेलिया से महंगे आयात** के माध्यम से पूरा करता है।

- **प्रति व्यक्ति खपत कम:** 2023 में विश्व में प्रति व्यक्ति तैयार स्टील की खपत 219.3 किलोग्राम थी और चीन में यह 628.3 किलोग्राम थी। वहीं, **2023-24 में भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात खपत महज 97.7 किलोग्राम** थी।
- **इस्पात उत्पादन के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत:** विश्व में इस्पात उद्योग सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जित करने वाला विनिर्माण क्षेत्रक है। इसलिए, इस उद्योग का **कार्बन फुटप्रिंट का स्तर काफी अधिक** होता है।
- **निर्यात में चुनौतियां:** उदाहरण के लिए, भारत के लौह और इस्पात का निर्यात मुख्य तौर पर यूरोपीय संघ (EU) को किया जाता है। EU द्वारा इस्पात के आयात पर **19.8% से 52.7% तक के कार्बन टैक्स लगाने के प्रस्ताव के कारण** भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकता है।

इस्पात क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलें

- **राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017:** इसका लक्ष्य **2030-31 तक भारत में इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 300 मिलियन टन (MT)** करना और **प्रति व्यक्ति इस्पात खपत को बढ़ाकर 160 किलोग्राम** करना है।
- **'मेक इन इंडिया' पहल के साथ पी.एम. गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:** इस्पात की खपत को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, आवास जैसे प्रमुख क्षेत्रकों में मांग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

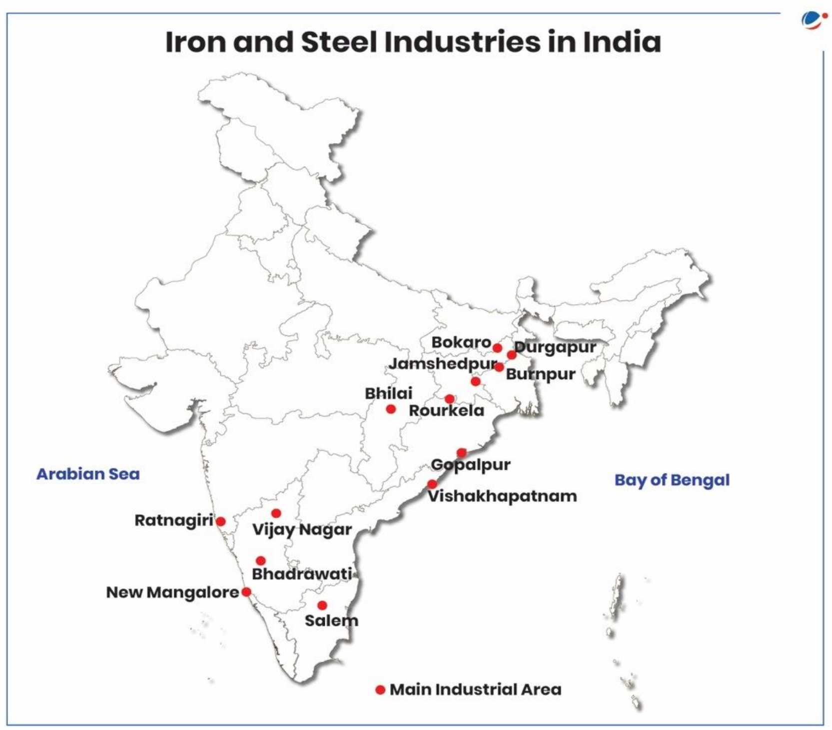

- **स्पेशलिटी स्टील हेतु उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना:** इस योजना का उद्देश्य भारत में स्पेशलिटी इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देना और पूंजी निवेश आकर्षित करके आयात को कम करना है।
- **मिशन पूर्वोदय:** यह मिशन कोलकाता में एकीकृत इस्पात हब की स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत (ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश) के त्वरित विकास के लिए शुरू किया गया है।
- **संशोधित इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (SIMS)[57] 2.0:** इसका उद्देश्य इस्पात के आयात की अधिक प्रभावी तरीके से निगरानी करना और घरेलू इस्पात उद्योग को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान करना है।

आगे की राह

- **इस्पात उद्योग के डीकार्बोनाइज़ेशन के लिए जरूरी नीतियां तैयार करना:** इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए **इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और ग्रीन हाइड्रोजन** जैसी **स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश** करने की आवश्यकता है।
- **एडवांस प्रौद्योगिकी:** दक्षता और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए **अनुसंधान एवं विकास में निवेश** बढ़ाया जाना चाहिए।

---

[57] Steel Import Monitoring System

○ **ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग** जैसी इंडस्ट्री 4.0 प्रौद्योगिकियां, उत्पादकता को बढ़ा सकती हैं और भारतीय इस्पात उद्योग को घरेलू और वैश्विक माँगों को पूरा करने में सक्षम बना सकती हैं।

- **उत्पाद विविधीकरण पर जोर देना:** जैसे- निर्माण कार्य के लिए एडवांस स्ट्रक्चरल इस्पात, ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस के इस्तेमाल के लिए विशेष मिश्र धातु का निर्माण करना, आदि।

अन्य संबंधित तथ्य

इस्पात क्षेत्रक को कार्बन मुक्त बनाना

- इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री ने **"भारत में इस्पात क्षेत्रक को हरित बनाना: रोडमैप और कार्य योजना"** रिपोर्ट जारी की है।
  ○ यह रिपोर्ट मंत्रालय द्वारा गठित 14 टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई है।
- **हरित इस्पात:** वैसे, भारत सरकार ने "ग्रीन इस्पात" को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है, लेकिन आमतौर पर जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना इस्पात के उत्पादन को ग्रीन स्टील यानी हरित इस्पात कहा जाता है।
- **भारतीय इस्पात क्षेत्रक की CO_2 उत्सर्जन तीव्रता:** 2005 में प्रति टन कच्चे इस्पात पर लगभग 3.1 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का उत्सर्जन होता था, जो 2022 में घटकर लगभग 2.5 टन CO_2 रह गया है।

इस्पात क्षेत्रक को कार्बन मुक्त करने के लिए शुरू की गई पहलें

- **परफॉर्म, अचीव और ट्रेड (PAT) योजना:** यह योजना राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन[58] का हिस्सा है। यह योजना इस्पात उद्योग को ऊर्जा की खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **इस्पात स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति 2019:** यह लौह स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग के लिए **धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को सुगम बनाने और बढ़ावा देने** के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM)[59]:** इसके तहत इस्पात मंत्रालय को इस्पात निर्माण में **ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग** को बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना के बजट का 30% हिस्सा आवंटित किया गया है।
- **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS)[60]:** इसका उद्देश्य विभिन्न सेक्टर्स से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने या रोकने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में इस्पात क्षेत्रक सहित **कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट व्यापार तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करना है।**

3.10. भारत का डेयरी सहकारी क्षेत्रक (India's Dairy Cooperative Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने **'श्वेत क्रांति 2.0'** के लिए मानक संचालन प्रक्रिया[61] जारी की है। इसका उद्देश्य भारत के डेयरी सहकारी क्षेत्रक में बदलाव लाना है।

श्वेत क्रांति 2.0 के मुख्य उद्देश्य

- **डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में वृद्धि:** इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना है। इससे **2029 तक डेयरी सहकारी समितियों में दूध की खरीद बढ़कर 1,000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन** तक हो जाने का अनुमान है।
- **महिला कृषकों को सशक्त बनाना:** ग्रामीण क्षेत्रों में **डेयरी क्षेत्रक में रोजगार सृजन** के माध्यम से महिलाओं को **आत्मनिर्भर और सशक्त बनाकर** तथा **कुपोषण के खिलाफ लड़ाई** में उनकी भूमिका को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाया जाएगा।

---

[58] National Mission for Enhanced Energy Efficiency

[59] National Green Hydrogen Mission

[60] Carbon Credit Trading Scheme

[61] Standard Operating Procedure

* **डेयरी संबंधी अवसंरचनाओं को मजबूत बनाना:** श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्यों को केंद्रीय क्षेत्रक की योजना **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)**[62] **2.0** के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।
    * **NPDD** के तहत **डेयरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए गांव के स्तर पर दूध खरीद प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण दूध खरीद हेतु मिल्क चिलिंग प्लांट** स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
* **डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना:** दूध के परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों को स्वदेशी स्तर पर विकसित करके, बल्क में दूध की खरीद करके एवं डेयरी संबंधी अवसंरचनाओं के विकास के माध्यम से डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
* **वित्तीय समावेशन: 'सहकारी समितियों के बीच सहयोग'** पहल का राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तार करने की घोषणा भी की गई है। इसे गुजरात में पायलट परियोजना के रूप में सफलतापूर्वक संचालित किया गया है।
    * इस कार्यक्रम के तहत किसानों को **रुपे-किसान क्रेडिट कार्ड** के माध्यम से ब्याज मुक्त नकद ऋण प्रदान कराया जाएगा और **डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो-ए.टी.एम. वितरित** किए जाएंगे। इससे किसानों के घर तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

श्वेत क्रांति के बारे में

* देश में 'श्वेत क्रांति' 1970 में **ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम** के साथ शुरू हुई थी। यह एक डेयरी विकास कार्यक्रम था, जिसे भारत को **दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर** बनाने के लिए शुरू किया गया था।
* ऑपरेशन फ्लड को **भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड** (NDDB)[63] द्वारा संचालित किया गया और यह **विश्व का सबसे बड़ा 'दुग्ध विकास कार्यक्रम' है।**
* इस आंदोलन का नेतृत्व **डॉ. वर्गीज कुरियन** ने किया था। उन्हें **"भारत में श्वेत क्रांति के जनक'** के रूप में जाना जाता है।
    * भारत में **डॉ. वर्गीज कुरियन** की जयंती को प्रतिवर्ष **26 नवंबर** को **राष्ट्रीय दुग्ध दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
* **ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित तीन चरणों में लागू किया गया था:**
    * **चरण-1 (1970-80):** इसके तहत देश के 18 प्रमुख मिल्क-शेड्स को 4 शहरों **(दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई)** से जोड़ा गया।
    * **चरण-2 (1981-1985):** इसके तहत **43,000 ग्राम सहकारी समितियों** की स्थापना की गई थी। इससे दूध पाउडर का उत्पादन 22,000 टन से बढ़कर 140,000 टन हो गया।
    * **चरण-3 (1985-1996):** इसके तहत **30,000 नई सहकारी समितियां** स्थापित की गई थीं। साथ ही, **पशु स्वास्थ्य** क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया।

डेयरी क्षेत्रक में सहकारिता (कोऑपरेटिव्स) का महत्त्व

* **किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना:** अमूल और नंदिनी जैसी सहकारी समितियों ने किसानों में आर्थिक असमानता को कम करते हुए धन का समान रूप से वितरण सुनिश्चित किया है।

---
[62] National Programme for Dairy Development

[63] National Dairy Development Board

- **बाजार तक पहुंच:** सहकारी समितियां लघु किसानों को अपने उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराती हैं। इससे उनकी **सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति** बढ़ती है और उन्हें उपभोक्ताओं तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद मिलती है।
- **महिला सशक्तीकरण का समर्थन:** डेयरी क्षेत्रक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर सहकारी समितियां उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में योगदान देती हैं। **डेयरी सहकारी समितियों में 35% प्रतिभागी महिलाएं हैं।**
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा:** सहकारी बैंक किसानों और अपने सदस्यों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं।
- **संकट से निपटने की क्षमता और जोखिम न्यूनीकरण:** सहकारी समितियां **बुरे दौर में मजबूत सहायता नेटवर्क** उपलब्ध कराकर अपने सदस्यों को आर्थिक संकट से निपटने में मदद करती हैं और बाजार के मूल्य उतार-चढ़ाव से उनकी रक्षा करती हैं।

भारत की डेयरी सहकारी समितियों के समक्ष चुनौतियां

मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और केरल के कुछ हिस्सों में सफल सहकारी मॉडल देखे गए हैं। देश के अन्य राज्यों में सहकारी मॉडल अधिक सफल नहीं रहा है। **इसके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:**

- **वित्त-पोषण:** सहकारी समितियों को कंपनियों की तुलना में निवेश आकर्षित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सहकारी समितियां अपने सदस्यों के वित्तीय योगदान या ऋण पूंजी पर निर्भर होती हैं, वहीं कंपनियां मुख्य रूप से इक्विटी पूंजी पर निर्भर होती हैं।
- **मिल्क ग्रिड बनाने में बाधाएं:** देश में दूध उत्पादन इकाइयां बिखरी हुई हैं और दूध उत्पादन वाली भौगोलिक स्थलाकृतियां भी असमान हैं। इससे एक बड़े सुपर स्ट्रक्चर के रूप में मिल्क ग्रिड के विकास में रुकावट आती है। ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को जो खरीद मूल्य प्राप्त होता है उसे अकुशलता की वजह से पशुधन विस्तार या दुग्ध उत्पादन में निवेश नहीं किया जाता है। इससे उन्हें प्राप्त मूल्य की वास्तविक वैल्यू और कम हो जाती है। इसके अलावा, दुग्ध परिवहन और प्रसंस्करण की लागत भी अधिक होती है।
- **डेयरी किसानों/ दूध उत्पादकों के समक्ष चुनौतियां:** किसानों को दूध की कम कीमतें मिलने, चारे या पशु आहार की उच्च लागत, बाजार में उतार-चढ़ाव, पशु चिकित्सा सेवाओं की कमी, दूध निकालने वाले उपकरणों का अभाव, गोबर के निपटान तथा दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड रखने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
  - जिन पशुपालक किसानों के पास सिंचित भूमि है, वे तुलनात्मक रूप लाभ की स्थिति में होते हैं, जबकि भूमिहीन किसान पशुपालकों को कई प्रकार के नुकसानों का सामना करना पड़ता है।
- **उपभोक्ता प्राथमिकताएं और बाजार के ट्रेंड:** दुग्ध सहकारी समितियों को कुछ अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे- उपभोक्ता की पसंद में निरंतर बदलाव, अधिक नियम-कानून, बाजार में प्रतिस्पर्धा, मौसम में निरंतर बदलाव, आदि।

डेयरी क्षेत्रक को मजबूत करने के लिए शुरू की गई पहलें

- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** इसे **गाय की देशज नस्लों** के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य **दूध और दूध से निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना** एवं डेयरी से संबंधित **आधारभूत अवसंरचनाओं को मजबूत करके दूध की संगठित खरीद** की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।
- **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)[64]:** इसका उद्देश्य रोगनिरोधी टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना है।
- **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि:** इसका उद्देश्य उद्यमियों, निजी कंपनियों आदि द्वारा डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):** इसके तहत पशुपालकों और डेयरी किसानों को बैंकों से आसानी से और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

आगे की राह

भारत की डेयरी सहकारी समितियों को अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निम्नलिखित पहलों को अपनाया जा सकता है:

- **तकनीकों को अपनाना:** दुग्ध सहकारी समितियों के संचालन को सहज बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) को अपनाने को बढ़ावा देना चाहिए।
  - प्रमुख स्थानों पर **साइबर स्टोर स्थापित करना** चाहिए और ग्राहक डेटाबेस तैयार करना चाहिए। इससे बाजार के वर्गीकरण में मदद मिलेगी और लक्षित बिक्री बढ़ाई जा सकेगी।
  - **ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए वेब-आधारित बिजनेस-टू बिजनेस प्रणाली** शुरू करनी चाहिए। इससे डीलरों और स्टॉकिस्टों के साथ लेनदेन को आसान बनाया जा सकेगा।

[64] Livestock Health & Disease Control Programme

- **दुग्ध का दक्षतापूर्वक प्रसंस्करण:**
    - **गुणवत्ता और सुरक्षा पर ध्यान देना:** उच्च स्तर की खाद्य सुरक्षा (फ़ूड सेफ्टी) और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए शुद्ध दुग्ध की खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए।
    - **कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर:** अधिक समय तक दूध की गुणवत्ता बनाए रखने और दुग्ध का सुचारू परिवहन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना आवश्यक है।
    - **ब्रांड निर्माण और प्रचार:** दुग्ध ब्रांड के प्रचार के लिए ऑनलाइन माध्यमों, इंटरैक्टिव वेब-साइट्स और विपणन की नई रणनीतियों के माध्यम से ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए- फ़ूड तैयार करने की गाइड या क्विज़ के माध्यम से उपभोक्ताओं को आकर्षित करना।
- **निर्यात को बढ़ावा देना:**
    - **प्रतिस्पर्धात्मकता:** अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के समक्ष घरेलू ब्रांड्स की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर देश के डेयरी ब्रांड्स में विश्वास पैदा करना चाहिए।
    - **व्यावसायिक नजरिया रखना:** किसानों को डेयरी सहकारी समितियों का प्रबंधन व्यावसायिक सोच के साथ करना चाहिए, जिसमें लाभप्रदता और संधारणीयता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
    - **मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखना:** देश के दुग्ध उत्पादकों एवं घरेलू मिल्क ब्रांड्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए डेयरी क्षेत्रक को मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से बाहर रखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

सहकारी मॉडल का लाभ उठाकर, भारत का डेयरी क्षेत्रक अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर सकता है। इससे भारत को वैश्विक स्तर पर डेयरी उत्पादों का अग्रणी निर्यातक बनाया जा सकेगा।

3.11. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.11.1. वित्तीयकरण (Financialisation)

मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार भारत को अति 'वित्तीयकरण' (Financialisation) के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है

- वित्तीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत **वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थान और वित्तीय अभिजात वर्ग का आर्थिक नीतियों एवं आर्थिक परिणामों पर अधिक प्रभाव स्थापित** हो जाता है।
- इस प्रकार, **वित्तीय मध्यवर्ती और प्रौद्योगिकियां हमारे दैनिक जीवन पर काफी प्रभाव** डालने लगते हैं।
- इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि पारंपरिक रूप से, **'भौतिक परिसंपत्तियों' (जैसे रियल एस्टेट, स्वर्ण आदि) की बजाय 'वित्तीय परिसंपत्तियों' (जैसे म्यूचुअल फंड) में निवेश** किया जाने लगा है।

वित्तीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारक			
खर्च करने की बढ़ती क्षमता के साथ **मध्यम वर्ग का उदय।**	लोगों में मुद्रास्फीति के कारण फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में **अन्य विकल्पों से अधिक रिटर्न हासिल करने की इच्छा।**	सरकार द्वारा **फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को दिए जा रहे प्रोत्साहन।**	डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन का **बढ़ता स्तर।**

अति वित्तीयकरण एक चिंता का विषय क्यों है?

- **असमानता में वृद्धि:** वित्तीय आय का एक बड़ा हिस्सा (जैसे कि स्टॉक और अन्य निवेशों से होने वाला लाभ) सबसे अधिक इक्विटी स्वामित्व वाले धनी व्यक्तियों को मिलता है। ये धनी व्यक्ति आबादी का शीर्ष 1% हैं।
- **अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव:** ऐसा इस कारण, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की बजाय **वित्तीय निवेश से अधिक लाभ** होने लगता है।
    - इस प्रकार, अर्थव्यवस्था पर **शेयर बाजार का अधिक प्रभाव स्थापित हो** जाता है और रोजगार सृजन या जीवन स्तर में वृद्धि की अनदेखी होने लगती है।
- **आम लोगों द्वारा ऋण लेने में वृद्धि:** वास्तविक आय में ठहराव के चलते आम लोगों की **ऋण पर निर्भरता बढ़** सकती है (जैसा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में देखा गया है)।
- **नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव:** वित्तीयकरण से **प्रीडेटरी लेंडिंग, अधिक जोखिम लेने और श्रमिक संरक्षण की उपेक्षा करने वाली नीतियों को बढ़ावा** मिल सकता है।

विकासशील देशों को अक्सर तब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जब उनके वित्तीय बाजार बहुत तेजी से बढ़ते हैं या जटिल नवाचार को बाजार में ले कर आते हैं, जबकि इसे संभालने के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं होती है। इससे गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि 1997-98 का एशियाई वित्तीय संकट। इस कारण भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके वित्तीय बाजार सावधानीपूर्वक, स्थिर और सुव्यवस्थित तरीके से विकसित हों, ताकि अर्थव्यवस्था इसके साथ तालमेल बिठा सके और बड़े संकटों से बचा जा सके।

3.11.2. EAC-PM के एक वर्किंग पेपर के अनुसार 1947 के बाद से खाद्य पर औसत घरेलू (पारिवारिक) व्यय आधा हो गया है (Average Household Spending on Food Falls Below Half Since 1947: EAC-PM Paper)

यह तथ्य प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने **"भारत के खाद्य उपभोग में परिवर्तन और नीतिगत निहितार्थ: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 2011-12 का एक व्यापक विश्लेषण[65]"** शीर्षक वाले एक वर्किंग पेपर में उजागर किया है।

वर्किंग पेपर के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **क्षेत्रीय भिन्नताएं:** पूरे देश में घरेलू (पारिवारिक) व्यय में वृद्धि हुई है। हालांकि, इस व्यय की सीमा राज्य और क्षेत्र के अनुसार भिन्न-भिन्न है। उदाहरण के लिए- 2011-12 और 2022-23 के बीच **पश्चिम बंगाल में 151% और तमिलनाडु में 214%** की वृद्धि देखी गई थी।
- **ग्रामीण बनाम शहरी क्षेत्र में व्यय:** ग्रामीण परिवारों द्वारा उपभोग व्यय में वृद्धि (164%) शहरी परिवारों (146%) की तुलना में **अधिक** थी।
- **पोषक तत्व और आहार विविधता:** अनाज आधारित खाद्य उपभोग से ऐसे आहार की ओर बदलाव हुआ है जिसमें फल, दूध व दूध संबंधी उत्पाद, अंडे, मछली एवं मांस शामिल हैं।
- **प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ:** सभी आय समूहों में रेडी-टू-ईट और पैकेज्ड प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर घरेलू खर्च में वृद्धि हुई है। हालांकि, यह शीर्ष 20% परिवारों में सबसे अधिक है और शहरी क्षेत्रों में काफी अधिक प्रचलित है।

बदलते उपभोग पैटर्न के कारण नीतिगत निहितार्थ

- सरकार को **विविध खाद्य पदार्थों (मुख्य रूप से फलों, सब्जियों और पशु-स्रोत आधारित खाद्य पदार्थों आदि) के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीतियों** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- अलग-अलग क्षेत्रों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेवन में भिन्नता के कारण **सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने वाली नीति** को अच्छी तरह से लक्षित किया जाना चाहिए।
- कृषि संबंधी नीतियों में **अनाज के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों पर भी ध्यान केंद्रित** करना चाहिए, क्योंकि अनाज की खपत कम हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसे समर्थनकारी उपाय, जो अनाज संबंधी फसलों को लक्षित करते हैं, किसानों को केवल सीमित लाभ प्रदान करेंगे।

3.11.3. भारत स्टार्ट-अप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) पहल (BHASKAR Initiative for India's Startup Ecosystem)

भास्कर पहल एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगी। इसे स्टार्ट-अप्स व निवेशकों सहित उद्यमशीलता इकोसिस्टम के भीतर प्रमुख हितधारकों के बीच **सहयोग को केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित और बढ़ाने** के लिए तैयार किया गया है। भास्कर पहल **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** की पहल है।

- इसका प्राथमिक लक्ष्य **स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के तहत हितधारकों के लिए विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री** बनाना है।
- यह पहल **स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम** के अंतर्गत संचालित की जाएगी।
  - **स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम** का उद्देश्य देश में नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है।

भास्कर की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- **नेटवर्किंग और सहयोग:** भास्कर प्लेटफॉर्म स्टार्ट-अप्स, निवेशकों, सलाहकारों और अन्य हितधारकों के बीच के अंतराल को समाप्त करेगा। इससे अलग-अलग क्षेत्रकों में समेकित अंतर्क्रिया संभव हो सकेगी।

---

[65] Changes in India's Food Consumption and Policy Implications: A Comprehensive Analysis of Household Consumption Expenditure Survey 2022-23 and 2011-12

- **संसाधनों तक केंद्रीकृत पहुंच:** भास्कर स्टार्ट-अप्स को महत्वपूर्ण उपकरणों और ज्ञान तक तत्काल पहुंच प्रदान करेगा। इससे **तेजी से निर्णय लेने और अधिक कुशल स्केलिंग में सहायता मिलेगी।**
- **व्यक्तिगत पहचान बनाना:** प्रत्येक हितधारक को **विशिष्ट भास्कर आई.डी.** दी जाएगी। इससे प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत अंतर्क्रिया और अनुरूप अनुभव सुनिश्चित होंगे।
- **खोज क्षमता को बढ़ाना:** शक्तिशाली खोज सुविधाओं के माध्यम से यूजर आसानी से प्रासंगिक संसाधनों, सहयोगियों और अवसरों का पता लगा सकते हैं। इससे तेजी से निर्णय निर्माण और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
- **भारत के ग्लोबल ब्रांड का समर्थन:** यह **नवाचार हब के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ावा** देगा। इससे स्टार्ट-अप्स और निवेशकों के लिए सीमा-पार सहयोग अधिक सुलभ हो जाएगा।

स्टार्ट–अप को मान्यता देने के लिए पात्रता मानदंड

- **अवधि:** किसी व्यवसाय को उसके **निगमन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक स्टार्ट–अप माना जाएगा।**
- **स्वरूप:** स्टार्ट–अप को **प्राइवेट लिमिटेड कंपनी** (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत) या **लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP** अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- **टर्नओवर:** पिछले किसी भी वित्तीय वर्ष में **100 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर नहीं** होना चाहिए।

भारत का स्टार्ट-अप इकोसिस्टम

- भारत में **विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम** है। यहां 1,46,000 से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स हैं।
- भारत में **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** किसी व्यवसाय को एक स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता देता है।

स्टार्ट–अप्स के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- नीति आयोग द्वारा अटल इन्क्यूबेशन सेंटर
- DPIIT द्वारा स्टार्ट–अप इंडिया का **MAARG (मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेसिलिएंस एंड डेवलपमेंट) पोर्टल**
- **स्टार्ट–अप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS) योजना**

3.11.4. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (Priority Sector Lending)

RBI ने "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL): भारत का अनुभव[66]" शीर्षक से एक स्टडी रिपोर्ट जारी किया है।

PSL को **1972 में औपचारिक** रूप दिया गया था, ताकि ऐसे क्षेत्रकों को **ऋण प्राप्ति की सुविधा मिल सके, जो ऋण लेने के लिए पात्र तो हैं, लेकिन औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हैं।**

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता:** PSL परिसंपत्ति गुणवत्ता के प्रति उत्तरदायी है। PSL में उच्च वृद्धि से **समग्र बैंक परिसंपत्ति गुणवत्ता में बढ़ोतरी** होती है।
- **विशिष्ट PSL सेगमेंट्स में बैंक ऋण में बढ़ोतरी:** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण प्रमाण-पत्र (PSLC) की शुरुआत के बाद से, समग्र बैंक ऋण में PSL की हिस्सेदारी बढ़ी है। इससे कुछ बैंक **विशिष्ट PSL सेगमेंट्स में विशेषज्ञता हासिल करने में सक्षम** हुए हैं।
- **PSL संबंधी लक्ष्य प्राप्त करना:** अलग-अलग अवधियों और बैंक श्रेणियों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को दिया जाने वाला ऋण लगातार 40% से अधिक रहा है, जो अलग-अलग बैंकों की रणनीतियों से प्रभावित है।
    - सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों (PSBs) ने अक्सर अपने **18% कृषि ऋण लक्ष्य को पूरा** किया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL) के बारे में

- **उद्देश्य:** समाज के कमजोर वर्गों और अविकसित क्षेत्रों की ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- **PSL लक्ष्य:** बैंकों को अपने **समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के ऋण के समान राशि (CEOBE)** का एक हिस्सा (जो भी अधिक हो) PSL के लिए अनिवार्य रूप से आवंटित करना होगा।
    - अनिवार्य लक्ष्य अलग-अलग बैंकों के लिए अलग-अलग है। यह **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए 40% है, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों के लिए यह 75% है।**
    - **शहरी सहकारी बैंकों** को वित्त वर्ष 2024-25 में **PSL सेगमेंट में 65% ऋण आवंटित** करना होगा, लेकिन **वित्त वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर 75%** करना होगा।

***नोट:** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया जून, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.1. देखें।*

3.11.5. यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस (Unified Lending Interface: ULI)

यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस (ULI) के बारे में

- यह एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होगा, जो **बाधारहित ऋण उपलब्ध** कराएगा।
- इससे ऋणदाताओं के लिए विविध डेटा सेवा प्रदाताओं से **डिजिटल सूचना का निर्बाध और सहमति-आधारित प्रवाह** सुगम हो जाएगा। इन सूचनाओं में **अलग-अलग राज्यों के भूमि अभिलेख (land records)** भी शामिल हैं।
- इसमें **कॉमन एंड स्टैंडर्डाइज्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस** होगा, जिसे **'प्लग एंड प्ले' एप्रोच** के लिए डिज़ाइन किया गया है।

---

[66] Priority Sector Lending (PSL): The Indian Experience

ULI के लाभ

- यह ऋण लेने वालों को **व्यापक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता के बिना ऋण के निर्बाध वितरण और त्वरित समय-सीमा का लाभ प्राप्त करने में सक्षम** बनाएगा।
- यह **कृषि और MSME क्षेत्रकों** के लिए ऋण की समस्या का समाधान करेगा।

3.11.6. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक (National Bank for Financing Infrastructure and Development: NaBFID)

केंद्र सरकार ने **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत NaBFID को **सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (PFI)** के रूप में अधिसूचित किया है।

- केवल उन संस्थानों को **PFI के रूप में अधिसूचित** किया जा सकता है, जो किसी **केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित हों या जिनकी कम-से-कम 51% पेड-अप कैपिटल केंद्र या राज्य सरकार के पास हो।**

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक (NaBFID) के बारे में

- इसकी स्थापना 2021 में **'राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021** द्वारा की गई थी। इसे अवसंरचना पर केंद्रित **विकास वित्तीय संस्थान (DFI)** के रूप में स्थापित किया गया है।
- इसकी स्थापना भारत में **दीर्घकालिक नॉन-रिकोर्स अवसंरचना वित्त-पोषण** के विकास का समर्थन करने के लिए की गई है, जिसमें **बॉण्ड और डेरिवेटिव बाजारों का विकास** भी शामिल है।

3.11.7. परपेचुअल बॉण्ड्स (Perpetual Bonds)

हाल ही में, नियमों में बदलाव के बाद **भारत का पहला अतिरिक्त टियर-I (AT-1) परपेचुअल बॉण्ड** जारी किया गया। नियमों में बदलाव परपेचुअल बॉण्ड को अधिक आकर्षक बनाने के लिए किए गए थे।

परपेचुअल बॉण्ड्स के बारे में

- ये **धन जुटाने के साधन** हैं। सामान्य बॉण्ड्स के विपरीत इनकी कोई **परिपक्वता अवधि नहीं** होती है।
- यह अपने धारकों को **नियमित रूप से ब्याज या कूपन का भुगतान** करता रहता है। ऐसे बॉण्ड की कोई **निश्चित समाप्ति तिथि नहीं** होती है।
- इसमें बॉण्डधारक **द्वितीयक बाजार में बॉण्ड बेचकर या जब जारीकर्ता बॉण्ड को भुनाने का निर्णय लेता है, तब अपना मूलधन वापस प्राप्त** कर सकते हैं।
- इन बॉण्डस के जारीकर्ताओं को तब तक ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक वे बॉण्ड धारकों को **देय ब्याज (कूपन) का भुगतान** करते रहते हैं।

3.11.8. विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax)

केंद्र ने **घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को कम** कर दिया है।

विंडफॉल टैक्स के बारे में

- विंडफॉल टैक्स सरकारों द्वारा कुछ ऐसे **उद्योगों** पर लगाया जाने वाला कर है, जो **अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण औसत से काफी अधिक लाभ कमाते हैं।**
- इसका उद्देश्य **अतिरिक्त लाभ को एक क्षेत्र में पुनर्वितरित करके व्यापक सामाजिक कल्याण** के लिए धन जुटाना है।
- सरकारें यह तर्क देकर कर को **उचित ठहराती हैं कि ये लाभ केवल कर देने वाले निकाय के प्रयासों के कारण ही नहीं, बल्कि बाहरी कारकों के कारण भी प्राप्त** हुए हैं।

3.11.9. कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund: AIF)

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'कृषि अवसंरचना कोष (AIF)' के तहत वित्त-पोषण की सुविधा वाली **केंद्रीय क्षेत्रक योजना में प्रगतिशील विस्तार** को मंजूरी दी है। इस विस्तार का उद्देश्य इस योजना को और अधिक **आकर्षक, प्रभावशाली और समावेशी** बनाना है।

कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के हालिया विस्तार के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियां:** AIF योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को **'सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजना'** के तहत शामिल अवसंरचनाओं के निर्माण की अनुमति दी गई है।
- **एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाएं:** कृषि अवसंरचना कोष के तहत पात्र गतिविधियों की सूची में **एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाओं को शामिल** किया गया है।
- **प्रधान मंत्री कुसुम घटक-A: किसानों, कृषक समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और पंचायतों** के मामलों में पीएम-कुसुम योजना के घटक-A को कृषि अवसंरचना कोष में शामिल करने की अनुमति दी गई है।
- अब **एनएबीसंरक्षण (NABSanrakshan)** द्वारा भी किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के कृषि अवसंरचना कोष ऋण को गारंटी कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। ज्ञातव्य है कि इस ऋण को **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** की गारंटी प्राप्त है।
    - NABSanrakshan, **नाबार्ड (NABARD) की पूर्ण स्वामित्व** वाली सहायक कंपनी है।

कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के बारे में

- इसके तहत **फसल कटाई के बाद फसलों के प्रबंधन हेतु अवसंरचना निर्माण और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण** हेतु व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए **मध्यम से दीर्घावधि हेतु ऋण** दिया जाता है। इस ऋण पर **ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता** भी दी जाती है।

भारत में कृषि अवसंरचना से जुड़ी समस्याएं

अपस्ट्रीम (उत्पादन और प्रारंभिक प्रसंस्करण) समस्याएं: सिंचाई के लिए अधिक अवसंरचना मौजूद नहीं हैं (निवल बुआई क्षेत्र की लगभग **51% कृषि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर** है)। बड़े पैमाने पर कृषि गतिविधियों का मशीनीकरण नहीं हो सका है (2022 में **केवल 47%**), **मृदा परीक्षण केंद्रों की कमी** है, पर्याप्त संख्या में **कोल्ड–स्टोरेज अवसंरचना मौजूद नहीं** है, आदि।

डाउनस्ट्रीम (फसल कटाई के पश्चात प्रबंधन, प्रसंस्करण और वितरण) समस्याएं: खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी; आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में दक्षता का अभाव है; बाजार के उतार–चढ़ाव के बारे में सही जानकारी नहीं होने से **'कॉबवेब परिघटना' (Cobweb phenomenon)** देखी जाती है, आदि।

- इस योजना के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान **1 लाख करोड़ रुपये तक का ऋण** प्रदान कर सकते हैं। ऋण पर **प्रतिवर्ष 3% की ब्याज छूट** दी जाती है और CGTMSE के तहत **2 करोड़ रुपये तक के ऋण को क्रेडिट गारंटी कवरेज** दिया जाता है।

नोट: *पी.एम. कुसुम योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया अगस्त, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 10.2. देखें।*

3.11.10. SPICED योजना (SPICED Scheme)

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने SPICED योजना को मंजूरी प्रदान की

SPICED योजना के बारे में

- **'निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में संधारणीयता' (SPICED)** स्पाइस बोर्ड की एक योजना है।
    - **उद्देश्य:** इलायची की खेती के क्षेत्र का विस्तार करना तथा **छोटी व बड़ी इलायची** की उत्पादकता बढ़ाना, निर्यात संवर्धन करना, क्षमता निर्माण करना और हितधारकों का कौशल विकास करना आदि।
    - **इस योजना के प्रमुख घटक निम्नलिखित है:**
        - इलायची की खेती की उत्पादकता में सुधार करना;
        - फसल कटाई के बाद गुणवत्ता उन्नयन करना;
        - बाजार विस्तार के प्रयास करना;
        - व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देना;
        - नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना;
        - अनुसंधान और क्षमता निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना; तथा
        - हितधारकों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
    - योजना का कार्यान्वयन **15वें वित्त आयोग की शेष अवधि (2023-24 से 2025-26 तक)** के लिए किया जाएगा।

इलायची के बारे में

- इलायची की व्यावसायिक खेती इसके **ड्राई फ्रूट्स (कैप्सूल्स)** के लिए की जाती है।
- **छोटी इलायची के बारे में:**
  - **स्थानिक:** यह दक्षिण भारत के **पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों की स्थानिक** प्रजाति है।
  - **छोटी इलायची के प्रमुख उत्पादक:** केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु।
  - **छोटी इलायची के लिए अनुकूल दशाएं:**
    - घने छायादार क्षेत्र;
    - अम्लीय वनीय दोमट मृदा;
    - ऊंचाई: 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर;
    - पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए आदि।

स्पाइसेस बोर्ड इंडिया

कोचीन (केरल)

उत्पत्ति: इसे स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 के तहत **1987** में स्थापित किया गया था।

मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

भूमिका: यह एक **स्वायत्त** निकाय है। यह **52 अनुसूचित मसालों के निर्यात संवर्धन और इलायची (छोटी व बड़ी) के विकास** के लिए जिम्मेदार है।

- **बड़ी इलायची**
  - **वितरण:** पूर्वोत्तर भारत, नेपाल और भूटान के उप-हिमालयी क्षेत्र।
  - **बड़ी इलायची के लिए अनुकूल दशाएं:** इसकी खेती के लिए लगभग **200 दिनों में 3000-3500 मि.मी. औसत वर्षा** उपयुक्त होती है।
    - तापमान **6-30 डिग्री सेल्सियस** के बीच होना चाहिए।

3.11.11. नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा-पत्र (Delhi Declaration on Civil Aviation)

हाल ही में, दूसरा **एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (APMC)** संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की समाप्ति पर **दिल्ली घोषणा-पत्र** को सर्वसम्मति से अपनाया गया।

- ज्ञातव्य है कि APMC **अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) की 80वीं वर्षगांठ** भी मना रहा है। APMC का आयोजन भारत के **नागर विमानन मंत्रालय और ICAO** द्वारा किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (International Civil Aviation Organization: ICAO)

मॉन्ट्रियल (कनाडा)

उत्पत्ति: इसे **शिकागो कन्वेंशन के आधार पर 1944** में स्थापित किया गया था। यह **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।**

सदस्य: 193 क्या भारत इसका सदस्य है ✓

विज़न: वैश्विक नागर विमानन प्रणाली का सतत विकास हासिल करना।

मिशन: नीतियां और मानक विकसित करना, अनुपालन का निरीक्षण करना तथा सदस्य देशों एवं हितधारकों के साथ सहयोग करना।

प्रमुख समझौते/पहलें: अंतर्राष्ट्रीय विमानन हेतु कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना (CORSIA), दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्य (LTAG) आदि।

दिल्ली घोषणा-पत्र के अंतर्गत प्रमुख प्रतिबद्धताएं:

- **नागर विमानन पर एशिया और प्रशांत मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र की पुष्टि (बीजिंग):** राज्य सुरक्षा कार्यक्रम और एशिया/प्रशांत निर्बाध वायु नेविगेशन सेवा योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना।
- **विमानन सुरक्षा एवं संरक्षा:** वैश्विक विमानन सुरक्षा योजना के आकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करना।
- **लैंगिक समानता:** लैंगिक समानता को हासिल करने के लिए आवश्यक उपाय करना।
- **विमानन पर्यावरण संरक्षण:** विमानन के उत्सर्जन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय वायु कानून संधियों का अनुसमर्थन:** अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय में संशोधनों का अनुसमर्थन करने के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को प्रोत्साहित करना।

भारत में नागर विमानन क्षेत्रक

- भारत विश्व में **सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है और वर्तमान में डोमेस्टिक सेगमेंट में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है।**
    - भारत में **विमानों की संख्या 800 से** अधिक है तथा **हवाई अड्डों की संख्या** तेजी से बढ़कर **157** हो गई है।
- **लैंगिक समानता:** भारत में 15% पायलट महिलाएं हैं, जबकि **वैश्विक औसत 5% है।**
- **विमानन क्षेत्र के लिए योजनाएं:** क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)- उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान/ UDAN), डिजी यात्रा, कार्बन न्यूट्रैलिटी को प्राथमिकता देने हेतु ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति, 2008 आदि।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

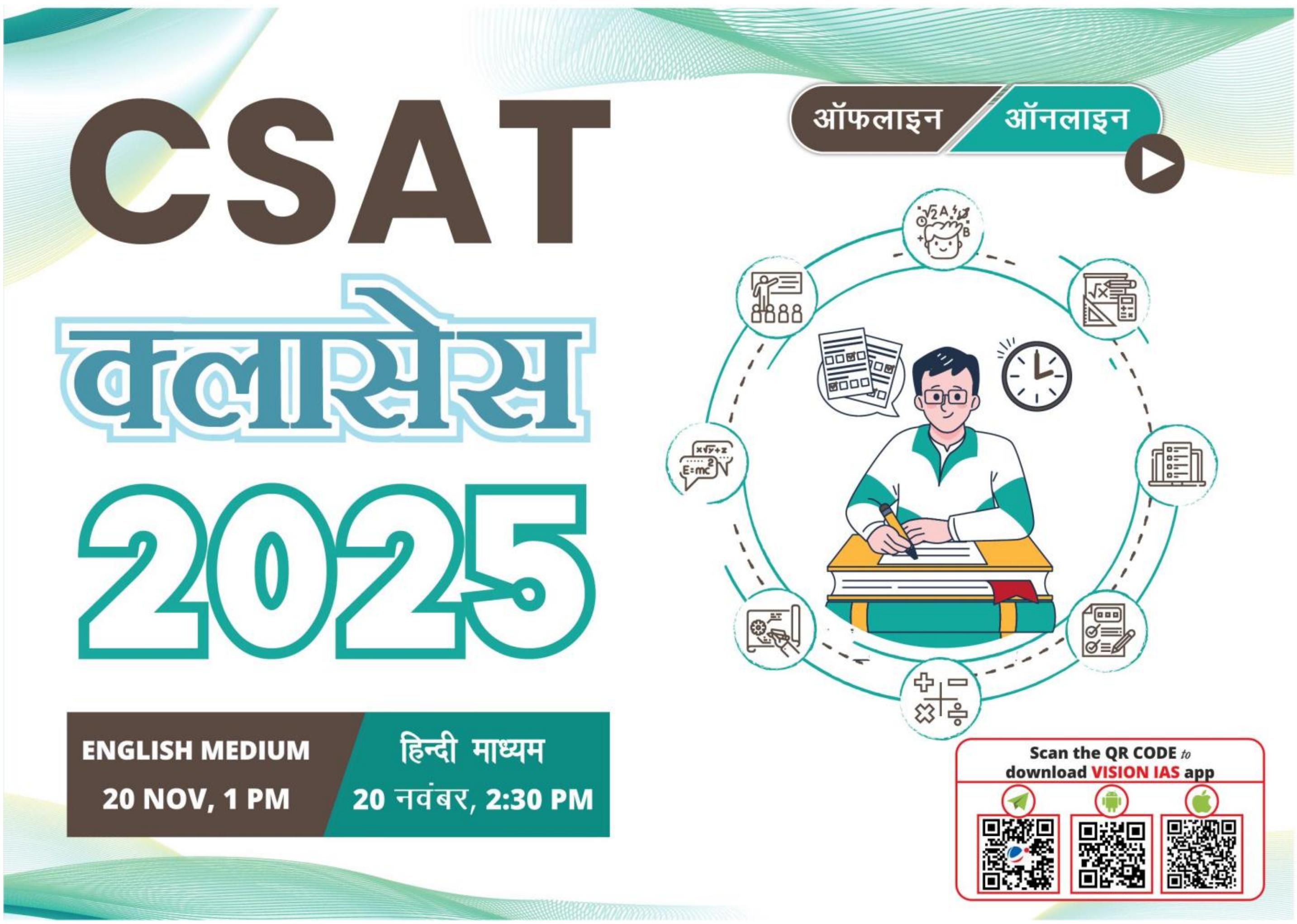

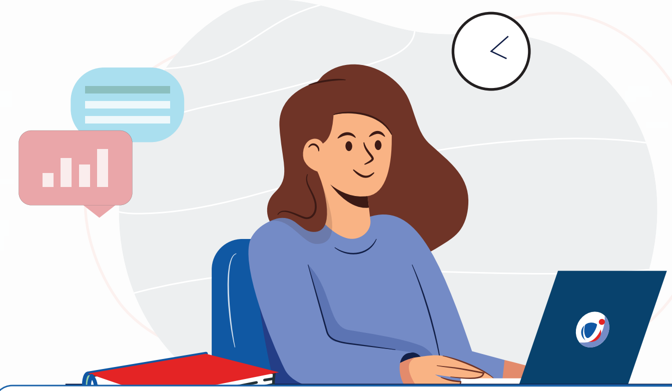

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए
एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व-मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड-रिलेशन, कोडिंग-डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं- ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन-टू-वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन-टू-वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

4. सुरक्षा (Security)

4.1. ड्रोन और आंतरिक सुरक्षा (Drones and Internal Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

असम राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने मणिपुर में ड्रोन-रोधी सिस्टम तैनात किए हैं। इसका उद्देश्य विद्रोहियों के ड्रोन हमलों से निपटना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मणिपुर में, **सशस्त्र आतंकी समूह "इम्पैक्ट एक्सप्लोसिव" गिराने के लिए** ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे अधिक ऊंचाई से बम गिराया जा सकता है।
- ऐसे हमलों को रोकने के लिए, **सुरक्षाकर्मी संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन-रोधी सिस्टम तैनात कर रहे हैं।**
    - ड्रोन-रोधी सिस्टम, रियल टाइम आधार पर विद्रोही समूह के ड्रोन्स की पहचान करने, उनका पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने (सॉफ्ट/ हार्ड किल) में सक्षम होते हैं।
- साथ ही, **मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (DGP)** ने **उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन्स** की गतिविधियों का विश्लेषण करने, उनसे जुड़े साक्ष्य एकत्र करने और उनसे निपटने के तरीके सुझाने के लिए पांच शीर्ष अधिकारियों की एक समिति गठित की है।

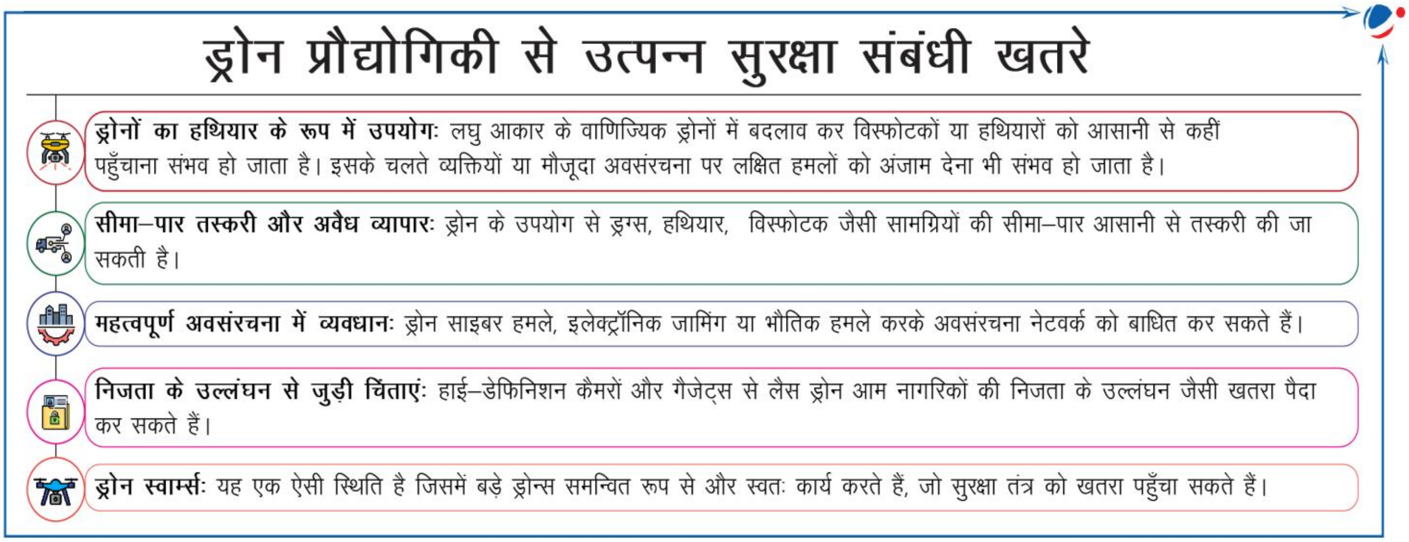

सुरक्षा प्रबंधन में ड्रोन की भूमिका

- **सीमा सुरक्षा:** ये बड़े क्षेत्रों की निगरानी कर सकते हैं तथा सीमाओं की निगरानी और टोही-कार्यों में दक्षता को बढ़ावा देते हैं। यहां तक कि ये उन दुर्गम क्षेत्रों में भी कार्य कर सकते हैं जहां इंसानी खुफिया तंत्र की तैनाती संभव नहीं है (जैसे कि पर्वतीय या जंगली इलाकों में)।
    - इनका उपयोग सैन्य लॉजिस्टिक की व्यवस्था करने और दुर्गम क्षेत्रों में दुश्मनों या उनकी अवसंरचनाओं पर घातक हमला करने के लिए भी किया जा सकता है।
- **रियल टाइम में खुफिया जानकारी जुटाना:** एडवांस सेंसर से लैस ड्रोन युद्धरत क्षेत्रों में परिस्थितियों की सटीक जानकारी जुटाने के लिए रियल टाइम डेटा प्रदान करते हैं।
- **'मनोवैज्ञानिक युद्ध' का साधन:** युद्धरत क्षेत्रों में मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) की निरंतर मौजूदगी शत्रुओं में बेचैनी और असहजता पैदा करती है। इसका उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा होता है। इसके अलावा, अचानक हमलों का डर भी उन्हें कोई कार्रवाई करने से रोकता है।
- **मानवयुक्त विमानों का विकल्प:** यह सुरक्षा अभियानों के दौरान पायलट की जान को जोखिम में डाले बिना सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर सकता है।
- **कानून और व्यवस्था बनाए रखना:** पुलिस बल ड्रोन का प्रयोग अधिक भीड़ पर नजर रखने, अवैध गतिविधियों की निगरानी करने तथा खोज और बचाव अभियान जैसे कार्यों में कर सकते हैं।

- **सटीक निशाना लगाना:** लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस UAVs शत्रुओं की सामरिक जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने में सेना के सहायक हो सकते हैं। **इससे हमले के दौरान संभावित जोखिम और नागरिक हताहतों की संख्या कम होती है।**
- **कम लागत में कई कार्य करने की क्षमता:** ड्रोन कम लागत में प्रभावी तरीके से निगरानी की क्षमता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, ड्रोन का रखरखाव भी आसान है और इसके लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है। साथ ही, इसे आसानी से और शीघ्रता से तैनात भी किया जा सकता है।

ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए भारत की पहलें

- **काउंटर ड्रोन सिस्टम (D4 सिस्टम):** इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसे निर्मित किया है। यह उड़ते हुए ड्रोन (माइक्रो/ स्मॉल UAVs) की रियल टाइम आधार पर पहचान करने, उनका पता लगाने, ट्रैक करने तथा निष्क्रिय (सॉफ्ट/ हार्ड किल) करने में सक्षम है।
- **एंटी-रॉग ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी (ARDTC):** इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गठित किया है। इसका उद्देश्य देश विरोधी गतिविधियों में ड्रोन के इस्तेमाल से निपटने के लिए उपलब्ध तकनीक का अध्ययन करने एवं देश विरोधी ड्रोन गतिविधियों से निपटने में इस तकनीक की प्रभावशीलता को प्रमाणित करना है।
- **UAVs की गतिविधियों के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाना:** सीमावर्ती क्षेत्रों में आम लोगों को ड्रोन गतिविधियों से जुड़े सुरक्षा संबंधी खतरों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही, ऐसी किसी भी घटना की सूचना सीमा सुरक्षा बल (BSF) और स्थानीय पुलिस के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।
- **ड्रोन-रोधी सिस्टम की तैनाती:** ड्रोन से जुड़े खतरों का मुकाबला करने के लिए पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन-रोधी सिस्टम तैनात किए गए हैं। साथ ही एंटी-रॉग ड्रोन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार किया गया है और फील्ड यूनिट में इनकी तैनाती की गई है।
- **ड्रोन से खतरे वाले क्षेत्रों की विस्तृत मैपिंग की गई है:** इसके तहत **भारत-पाकिस्तान सीमा** जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में वाहनों और कैमरों, सेंसर्स और इंफ्रारेड अलार्म से लैस अतिरिक्त विशेष निगरानी उपकरण तैनात किए गए हैं।

ड्रोन के दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे की राह

- **राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कार्रवाई:** आतंकी गतिविधियों सहित नॉन-स्टेट सशस्त्र समूहों द्वारा UAVs के उपयोग को रोकने, इनसे सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा इनके विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना तैयार की जानी चाहिए।
  - 2019 में, नागर विमानन मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय काउंटर रॉग ड्रोन दिशा-निर्देश' जारी किए थे। इन्हें ड्रोन से जुड़े खतरों का आकलन करने के बाद जारी किया गया था।
- **आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा से संबंधित उपाय:** UAVs के लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए तथा UAVs से संबंधित कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाना चाहिए। साथ ही, इनका उचित उपयोग और ड्रोन नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु उपाय किए जाने चाहिए।

क्या आप जानते हैं?

> **ड्रोन नियम, 2021** ड्रोन उड़ाने की मंजूरी के आधार पर **भारतीय हवाई क्षेत्र को तीन क्षेत्रों- ग्रीन, येलो और रेड** में विभाजित करता है।
>
> - **रेड जोन** वे क्षेत्र हैं जहां केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होती है।

- **जागरूकता का प्रसार:** ड्रोन के सुरक्षित और वैध उपयोग के लिए नियम-कानूनों के पालन के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिए। साथ ही, UAVs के खतरों के प्रभावों से निपटने के लिए जनता को तैयार रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- **निजी क्षेत्र की भूमिका:** नॉन-स्टेट एक्टर्स से जुड़े खतरों की शुरुआत में पहचान और एहतियाती उपायों के लिए निजी क्षेत्र, उद्योग जगत और विशेषज्ञों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **खतरों का आकलन:** अति महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं और सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा से जुड़े खतरों की पहचान करने के लिए समय-समय पर आकलन किए जाने चाहिए। इनसे निपटने वाली टीम को बेहतर प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ड्रोन हमलों की किसी भी घटना का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें।
- **मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाना:** हनी ड्रोन (HDs) जैसी रक्षा रणनीतियों का उपयोग साइबर अटैकर्स को महत्वपूर्ण UAV मिशनों से दूर रखने के लिए जा सकता है। इसके लिए कम वजन वाली वर्चुअल मशीनों का उपयोग करके हमलों को बेअसर किया जा सकता है। यह मिशन के संचालन तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।
- **ड्रोन उपयोग फ्रेमवर्क को मजबूत करना:**
  - **लाइसेंसिंग:** प्रत्येक ड्रोन का पंजीकरण करके उसे लाइसेंस प्रदान किया जाना चाहिए। इससे अधिकारियों को किसी भी दुर्भावनापूर्ण ड्रोन के मालिक की पहचान करने में आसानी होगी।

- **फ्लाइंग परमिट:** पंजीकृत ड्रोन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस के समान एक फ्लाइंग परमिट जारी किया जाना चाहिए।
- **मल्टी-फैक्टर सत्यापन:** सत्यापन की सख्त विधियां, आम सुरक्षा के कई खतरों को रोकने में मदद कर सकती हैं।
- **ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्रों की पहचान करना:** मैप आधारित पब्लिक ऐप में उन क्षेत्रों के बारे में बताया जाना चाहिए जिनमें UAVs/ ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है।

निष्कर्ष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई प्रौद्योगिकियों के आने से ड्रोन प्रौद्योगिकी और अधिक आधुनिक होती जा रही है। ऐसे में भारत को सक्रिय और बहुआयामी अप्रोच अपनाने की जरूरत है। इसके तहत मजबूत विनियामक फ्रेमवर्क बनाना, काउंटर ड्रोन इंडस्ट्री में निवेश बढ़ाना तथा अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों को ड्रोन के खतरों से निपटने में मदद मिलेगी।

4.2. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट, 2024 (FATF Mutual Evaluation Report 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)[67] ने 'धन शोधन-रोधी और आतंकवाद वित्तपोषण-रोधी (AML/CTF)[68] उपाय' शीर्षक से **भारत के लिए अपनी पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की।** इस रिपोर्ट में FATF ने धन-शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण सहित अवैध स्रोतों से अर्जित धन से निपटने के उपायों को लागू करने के भारत के प्रयासों की सराहना की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर

- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने **FATF की सभी अनुशंसाओं** के अनुरूप **तकनीकी अनुपालन का उच्च स्तर प्राप्त किया** है।
- भारत को FATF ने **"रेगुलर फॉलो-अप"** श्रेणी में रखा है, जो कि रेटिंग की **सर्वोच्च श्रेणी** है।
  - इस श्रेणी में G20 के केवल कुछ सदस्यों (**यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस** और **इटली**) को ही रखा गया है।
- भारत ने वित्तीय समावेशन में अधिक प्रगति की है। भारत में **बैंक खातों वाली आबादी का अनुपात दोगुने से भी अधिक** हो गया है। इससे **डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स** का अधिक उपयोग सुनिश्चित हुआ है।
- भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, परिसंपत्ति की स्थिति में सुधार करने तथा परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों के प्रसार के वित्त-पोषण के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों** को लागू करने में भी सकारात्मक परिणाम हासिल किए हैं।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे 1989 में स्थापित किया गया।
- **उद्देश्य:** वित्तीय प्रणालियों और व्यापक अर्थव्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण तथा परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों के प्रसार हेतु वित्तपोषण के खतरों से बचाना। इससे वित्तीय क्षेत्रक के काम-काज को पारदर्शी बनाया जा सकता है और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
- **सचिवालय:** पेरिस (फ्रांस)।
- **सदस्य:** वर्तमान में FATF के **सदस्यों की संख्या 40** है। इसमें **38 देश** और **2 क्षेत्रीय संगठन (खाड़ी सहयोग परिषद** और **यूरोपीय आयोग**) शामिल हैं।
  - **भारत 2010** में इसका सदस्य बना।
- **कार्य:**
  - **तरीका और ट्रेंड विकसित करना:** यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खतरों की पहचान करने, उनका आकलन करने और उन्हें समझने में देशों की सहायता के लिए **तरीकों और ट्रेंड** पर शोध करता है।
  - **मानक निर्धारित करना:** FATF की अनुशंसाएं संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के लिए **समन्वित वैश्विक प्रयास** सुनिश्चित करती हैं।
  - **कार्यान्वयन का आकलन:** यह देशों की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे **FATF मानकों** को पूर्ण और प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं।

[67] Financial Action Task Force

[68] Anti-Money laundering and Counter Terrorist Financing

- **उच्च जोखिम वाले देशों का FATF द्वारा वर्गीकरण**
  - **उच्च जोखिम वाले क्षेत्र/देश जिनसे अधिक कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है (ब्लैक लिस्ट):** ऐसे देश या क्षेत्राधिकार जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और हथियारों के प्रसार से निपटने के प्रयासों में गंभीरता का अभाव है।
    - वर्तमान में, **इसमें केवल 3 देश शामिल हैं** - डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान और म्यांमार।
  - **अधिक निगरानी वाले देश/क्षेत्राधिकार (ग्रे लिस्ट):** ऐसे देश जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और हथियारों के प्रसार का वित्तपोषण से निपटने हेतु अपने गवर्नेंस में निहित कमियों को दूर करने के लिए FATF के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।

मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण (ML/TF) क्या हैं?

मनी लॉन्ड्रिंग (ML)

- मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रकार की अवैध गतिविधि है। इसमें आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन के स्रोत को छिपाकर उसे वैध स्रोत से प्राप्त होने जैसा दिखाया जाता है। यह गतिविधि अपराधी को धन के स्रोत को उजागर किए बिना इसका उपयोग करने में मदद करती है।

आतंकवाद का वित्त-पोषण (Terrorist Financing: TF)

- इसमें आतंकवादी संगठनों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले **साधन और तरीके** शामिल हैं।
- इसे **वैध स्रोतों** (जैसे व्यवसायों और चैरिटी से प्राप्त लाभ) और **आपराधिक स्रोतों** (जैसे नशीली दवाओं का व्यापार, हथियारों की तस्करी, और फिरौती के लिए अपहरण) दोनों, से प्राप्त किया जा सकता है।

रिपोर्ट में भारत में ML/TF से संबंधित जताई गयी चिंताएं

- **मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य स्रोत:** भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के प्रमुख स्रोतों में साइबर-आधारित धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, और नशीली दवाओं की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियां शामिल हैं।
- **सुरक्षा संबंधी खतरे:** इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट **(ISIL)** और **अल-कायदा** से जुड़े समूह जम्मू और कश्मीर व उसके आस-पास के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
    - इसके अलावा, **पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत में क्षेत्रीय विद्रोही समूह और वामपंथी चरमपंथी समूह** भी सक्रिय हैं।

- **कानूनी प्रणाली और कानून को लागू करने में समस्या:** मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाइयों से संबंधित कई मामलों को न्यायालयों में चुनौती दी गई है। हालांकि, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों को सही ठहराया था, इसके बावजूद कई मामले अभी भी लंबित हैं।
    - पिछले पांच वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े **केवल 28 मामलों में सजा** दी गई है।
- **निगरानी की कमी:** डेज़िग्नैटिड नॉन-फाइनेंशियल बिज़नेस एंड प्रोफेशनल्स (DNFBPs) क्षेत्रक में या तो निगरानी की कमी है या वहां निगरानी अभी शुरू नहीं हुई है, विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रकों में।
    - कर कानून के तहत नकद लेनदेन पर प्रतिबंध से **बहुमूल्य धातुओं और जवाहरात (DPMS)** के विक्रेताओं से जुड़े ML/TF जोखिमों को पर्याप्त रूप से कम नहीं किया जा सका है।
- **पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन्स (PEPs):** धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), धन शोधन निवारण नियम, और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों (RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA) द्वारा जारी दिशानिर्देशों में **देश के राजनीतिज्ञों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है।**
    - PEP वे व्यक्ति होते हैं जो किसी प्रमुख पद (राज्य या सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी, न्यायिक या सैन्य अधिकारी आदि) पर आसीन होते हैं, और इनके द्वारा **अवैध धन शोधन या भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी जैसे अपराध** करने के लिए अपने पद का **दुरुपयोग करने की संभावना** होती है।

भारत में AML/CFT से संबंधित कानूनी फ्रेमवर्क और सरकारी एजेंसियां

मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002: इस कानून का मुख्य उद्देश्य धन शोधन यानी मनी-लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों पर रोक लगाना है। साथ ही, इसमें मनी-लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में शामिल संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है।

गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967: इसका उद्देश्य गैर-कानूनी गतिविधियों और आतंकवाद के वित्त-पोषण सहित आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है।

भारत की वित्तीय आसूचना एकक यानी 'फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया' (FIU-IND): इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। FIU-IND का मुख्य उद्देश्य संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी जुटाना, उसे प्रॉसेस करना तथा जुटाई गई जानकारी के विश्लेषण और प्रसार के लिए केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप कार्य करना है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED): यह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच और अभियोजन तथा देश भर में PMLA के तहत आपराधिक तरीके से अर्जित आय को जब्त करने के लिए जिम्मेदार है।

भारत में पहचाने गए जोखिमों पर लागू नीतियां

पहचाने गए जोखिम	उठाए गए कदम
नकदी-आधारित आर्थिक गतिविधियों से जुड़े जोखिम	**वित्तीय समावेशन कार्यक्रम** - देश के प्रत्येक निवासी को विशिष्ट बायोमेट्रिक पहचान संख्या (आधार) जारी की गई है। बिना किसी शुल्क के जीरो-बैलेंस बैंक खाता खोलने की योजना (जनधन) चलाई जा रही है।
अदृश्य व्यापार आपूर्ति श्रृंखला	**2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरूआत** की गई। इसमें ई-चालान, ई-बिल और केंद्रीय स्तर पर डेटा की प्रोसेसिंग जैसे प्रावधान हैं।
बैंक धोखाधड़ी से जुड़े जोखिम	**सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री (CFR) में पंजीकरण आसान किया गया है।** यह 2016 में स्थापित वेब आधारित सर्चेबल डेटाबेस है।
भ्रष्टाचार से जुड़े जोखिम	**2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किए गए।** इसके तहत वाणिज्यिक संगठनों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों की जिम्मेदारी को स्पष्ट किया गया और रिश्वतखोरी से जुड़े अपराध की सजा में वृद्धि की गई है।
अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों के जोखिम	**पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT)[69] पोर्टल** को 2022 में लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
लीगल पर्सन्स के दुरुपयोग से जुड़े जोखिम	**2017 में शेल कंपनियों पर कार्य बल का गठन** किया गया। इसने अवैध गतिविधियों में उपयोग की गई शेल कंपनियों की पहचान करने के लिए एक डेटाबेस संकलित किया। इस डेटाबेस के अनुसार कई शेल कंपनियों में समान निदेशकों की नियुक्ति की गई थी।
नई प्रौद्योगिकियों से जुड़े जोखिम	**RBI ने 2022** में **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी** जैसी नई पहलों को बढ़ावा देने के लिए **फिनटेक विभाग** की स्थापना की।
ML/TF से निपटने वाली एजेंसियों की क्षमता में सुधार करना	**वर्ष 2022** में **फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट - इंडिया (FIU-IND) FINNET सिस्टम** विकसित किया गया। इसका उद्देश्य वित्तीय खुफ़िया जानकारी जुटाना, इनका विश्लेषण करना और एजेंसियों के साथ साझा करना है। इसके लिए कई डेटा स्रोतों पर आधारित अत्याधुनिक रिस्क स्कोरिंग का उपयोग किया जाता है।

आगे की राह: रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

- **जोखिम विश्लेषण: मानव तस्करी और प्रवासी तस्करी से जुड़े धन-शोधन तरीकों का अधिक व्यापक वित्तीय नेटवर्क विश्लेषण** करना चाहिए।
- **कानून में सुधार:** अदालती कार्यवाही की क्षमता और ED की क्षमता बढ़ाने के लिए कानूनों में व्यापक बदलाव किए जा सकते हैं। इससे धन-शोधन से जुड़े नए और लंबित, दोनों प्रकार के मामलों की संख्या को कम किया जा सकता है।
- **पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन्स (PEPs) की पहचान:** रिपोर्टिंग संस्थाओं को घरेलू PEPs की पहचान में सुधार करना चाहिए और उनसे जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए।
- **निगरानी में सुधार:** संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर **DNFBPs को संदिग्ध लेनदेन से जुड़ी सभी गतिविधियों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।**
- **लीगल पर्सन्स और व्यवस्थाओं की निगरानी: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)** को रजिस्ट्रियों की निगरानी बढ़ानी चाहिए ताकि लीगल पर्सन्स पर पर्याप्त, सटीक और अपडेटड जानकारी तथा लाभ अर्जक स्वामित्व (BO)[70] से जुड़ी जानकारी उपलब्ध हो सके।
- **आतंकवाद के वित्त-पोषण की रोकथाम:** लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों (TFS)[71] को लागू करने के लिए फ्रेमवर्क में सुधार करना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सभी नेचुरल और लीगल पर्सन्स बिना देरी के धन और संपत्ति को फ्रीज करने के लिए बाध्य हों।

---

[69] Mutual Legal Assistance Treaty

[70] Beneficial Ownership

[71] Targeted Financial Sanctions

4.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.3.1. सैन्य क्षेत्र में AI के जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग हेतु ब्लूप्रिंट (Blueprint for Action on Responsible AI in Military)

रिस्पॉन्सिबल AI इन मिलिट्री डोमेन (REAIM) शिखर सम्मेलन, 2024 **दक्षिण कोरिया के सियोल** में आयोजित किया गया था। इसमें मिलिट्री डोमेन यानी सैन्य क्षेत्र में AI के जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए **कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी एक "ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन"** की घोषणा की गई है।

- **REAIM को 2023 के इसके प्रथम शिखर सम्मेलन** के साथ शुरू किया गया था। यह **सैन्य क्षेत्र में AI के जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग को सुनिश्चित** करने के तरीकों पर सभी हितधारकों के साथ वैश्विक चर्चा का मंच है।

'ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन' की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर AI का प्रभाव:** सैन्य क्षेत्र में AI का इस तरह से विकास और उसे इस तरीके से तैनात व उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे **अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनी रहे तथा उसमें कोई कमी न आए।**
    - इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि **AI के उपयोग से प्रत्याशित और अप्रत्याशित दोनों प्रकार के जोखिम** उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें **हथियारों की होड़, गलत अनुमान, तनाव में वृद्धि और संघर्ष का बढ़** जाना शामिल है।
    - सभी कार्यों (विशेषकर उन कार्यों में जो परमाणु हथियारों के उपयोग के लिए संप्रभु निर्णय से संबंधित हैं) में **मानव नियंत्रण और भागीदारी** होनी चाहिए। इस संदर्भ में, यह लक्ष्य भी है कि एक ऐसा विश्व बने, **जहां परमाणु हथियारों का अस्तित्व ही न हो।**
- **सैन्य क्षेत्र में AI का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग:** AI का उपयोग **नैतिक और मानव-केंद्रित** होना चाहिए। साथ ही, इसे **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून** के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, **कठोर परीक्षण और मूल्यांकन (T&E) प्रोटोकॉल** पर संवाद को भी बढ़ावा देना चाहिए।
- **सैन्य क्षेत्र में AI का भावी गवर्नेंस:** इसके गवर्नेंस पर की जाने वाली **चर्चा खुली और समावेशी तरीके** से होनी चाहिए, ताकि सभी दृष्टिकोणों का पूरा ध्यान रखा जा सके। साथ ही, AI के जिम्मेदारीपूर्वक विकास और तैनाती के संबंध में **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण** पर ध्यान देना होगा, ताकि **ज्ञान के अंतर को कम** किया जा सके।

4.3.2. ऑपरेशन चक्र III (Operation Chakra III)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने ऑपरेशन चक्र III (चरण-3) के माध्यम से एक **वर्चुअल संपत्ति और बुलियन-समर्थित साइबर अपराध नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त** कर दिया है।

- यह ऑपरेशन **संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (FBI) के साथ समन्वय** में किया गया था।

ऑपरेशन चक्र के बारे में

- इसे **2022 में CBI द्वारा शुरू** किया गया था। यह **इंटरपोल** द्वारा सहायता प्राप्त एक वैश्विक कार्रवाई है। इसका उद्देश्य **संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराध नेटवर्क से निपटना और उसे नष्ट** करना है।
- **2023 में इसका चरण-2, जबकि 2022 में चरण-1** शुरू किया गया था।

4.3.3. अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी 'INS अरिघात' भारतीय नौसेना में शामिल की गई (Second Arihant-Class submarine 'INS Arighaat' commissioned into Indian Navy)

इस अतिरिक्त पनडुब्बी के साथ, भारतीय नौसेना के पास अब **दो SSBN (शिप, सबमर्सीबल, बैलिस्टिक और न्यूक्लियर) पनडुब्बियां (INS अरिहंत एवं INS अरिघात)** हो गई हैं।

भारत की परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियां

- अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास और निर्माण **उन्नत प्रौद्योगिकी पोत (ATV) परियोजना** के तहत स्वदेशी रूप से किया जा रहा है।
    - ATV परियोजना के तहत **भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को 2016 में नौसेना में शामिल** किया गया था।
        - INS अरिहंत ने **2022 में एक पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) का सफल प्रक्षेपण** किया था।
        - यह **चार परमाणु-सक्षम K-4 SLBMs** (रेंज 3,500 कि.मी. से अधिक) या **बारह K-15 SLBMs** (रेंज लगभग 750 कि.मी.) ले जा सकती है।
- वर्ष 2019 में भारत ने **10 वर्षों के लिए अकुला-श्रेणी की परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बी को लीज़ पर लेने हेतु रूस के साथ 3 बिलियन डॉलर का सौदा** किया था।

भारत के लिए इन पनडुब्बियों का महत्त्व

- **परमाणु प्रतिरोधक क्षमता:**
    - **परमाणु त्रयी (Nuclear triad)** को मजबूती मिलती है। इस त्रयी में **भूमि-आधारित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स** शामिल हैं।
    - **विश्वसनीय सेकंड-स्ट्राइक की क्षमता:** ये भारत की **'नो फर्स्ट यूज की नीति'** के अनुरूप हैं।
- **सामरिक महत्त्व:** SSBN पनडुब्बियां **दक्षिण एशिया,** विशेष रूप से भारत के परमाणु-सशस्त्र सम्पन्न पड़ोसियों **(चीन और पाकिस्तान)** के संदर्भ में सामरिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा।
- **भारत की नौसेना शक्ति में वृद्धि:** ब्लू वॉटर नौसैनिक क्षमता (गहरे समुद्र में ऑपरेशन करने वाली नौसेना) में और बढ़ोतरी होगी।
- **अन्य महत्त्व: आत्मनिर्भर भारत** की दिशा में योगदान मिलेगा। साथ ही, महत्वपूर्ण रक्षा और आक्रमण क्षमताओं को बेहतर किया जा सकेगा।

4.3.4. कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल {Vertical Launch Short Range Surface-to-Air Missile (VL-SRSAM)}

हाल ही में, **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना** द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से VL-SRSAM का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है।

- यह उड़ान परीक्षण भूमि-आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया था।

कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल (VL-SRSAM) के बारे में

- यह भारतीय **नौसेना** द्वारा उपयोग की जाने वाली **सभी मौसमों के लिए सक्षम** मिसाइल है। यह **ऊर्ध्वाधर रूप से लॉन्च** की जाने वाली **सतह से हवा में मार** करने वाली मिसाइल है।
- VL-SRSAM **पोत पर तैनात की जाने वाली हथियार प्रणाली** है। यह सी-स्किमिंग करने वाले लक्ष्यों सहित सीमित दूरी के विभिन्न हवाई खतरों को निष्प्रभावी कर सकती है।
- **विशेषताएं:** स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सीकर आदि।
- इसका विकास **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** ने किया है।

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

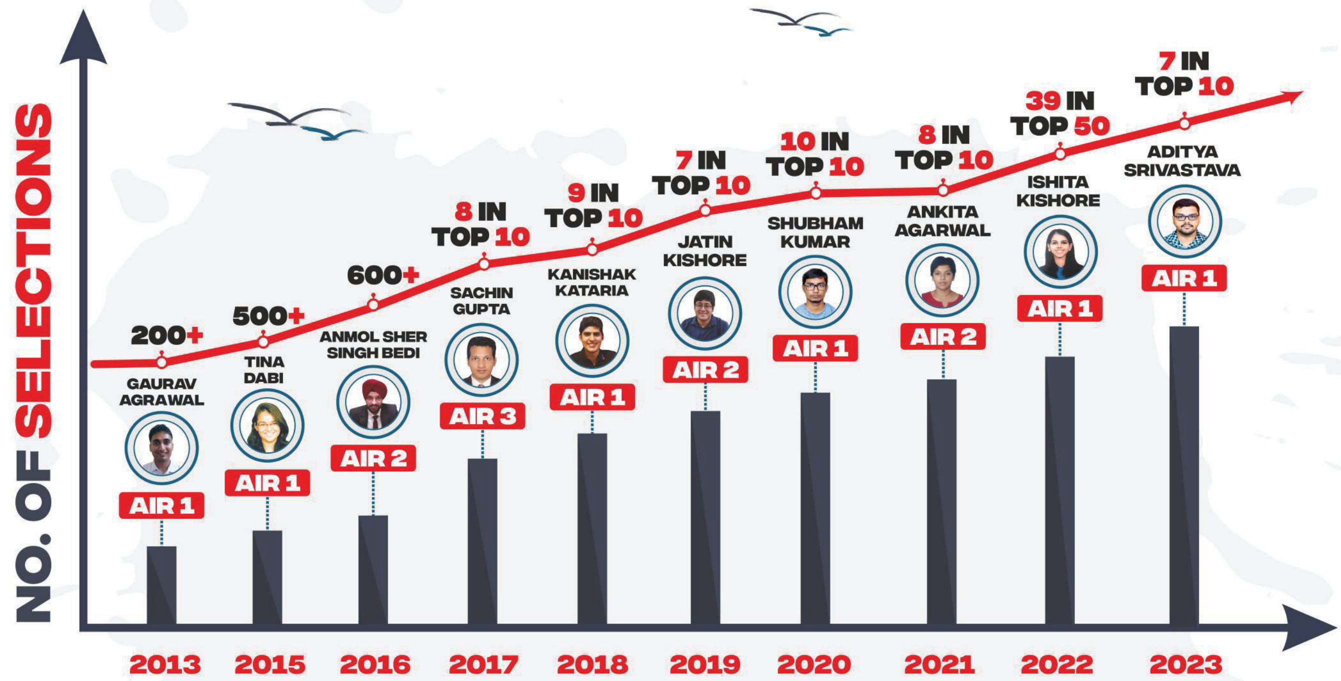

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI: 18 OCT, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 12 NOV, 6 PM

BENGALURU: 5 DEC | JAIPUR: 16 DEC | HYDERABAD: 11 NOV | JODHPUR: 3 OCT

LUCKNOW: 5 DEC | BHOPAL: 5 DEC | ADMISSION OPEN AHMEDABAD | CHANDIGARH | PUNE

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 20 नवंबर, 8 AM | JAIPUR: 16 दिसंबर | JODHPUR: 3 अक्टूबर | प्रवेश प्रारम्भ BHOPAL | LUCKNOW

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. जल संचय जन भागीदारी (Jal Sanchay Jan Bhagidari)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गुजरात के सूरत से **जल संचय जन भागीदारी पहल** की शुरूआत की गई है।

जल संचय और जन भागीदारी पहल के बारे में

- इस पहल का उद्देश्य **सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व पर विशेष जोर देते हुए जल संरक्षण को बढ़ावा देना है।**
- इसका लक्ष्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लगभग **24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना** है, जिससे राज्य में **लंबे समय तक जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित** हो सके।
- यह **गुजरात सरकार की जल संचय पहल की सफलता पर आधारित** है, जिसमें नागरिकों, स्थानीय निकायों, उद्योगों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से जल संचयन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त हुए हैं।
- **मंत्रालय**: यह जल शक्ति मंत्रालय की पहल है।

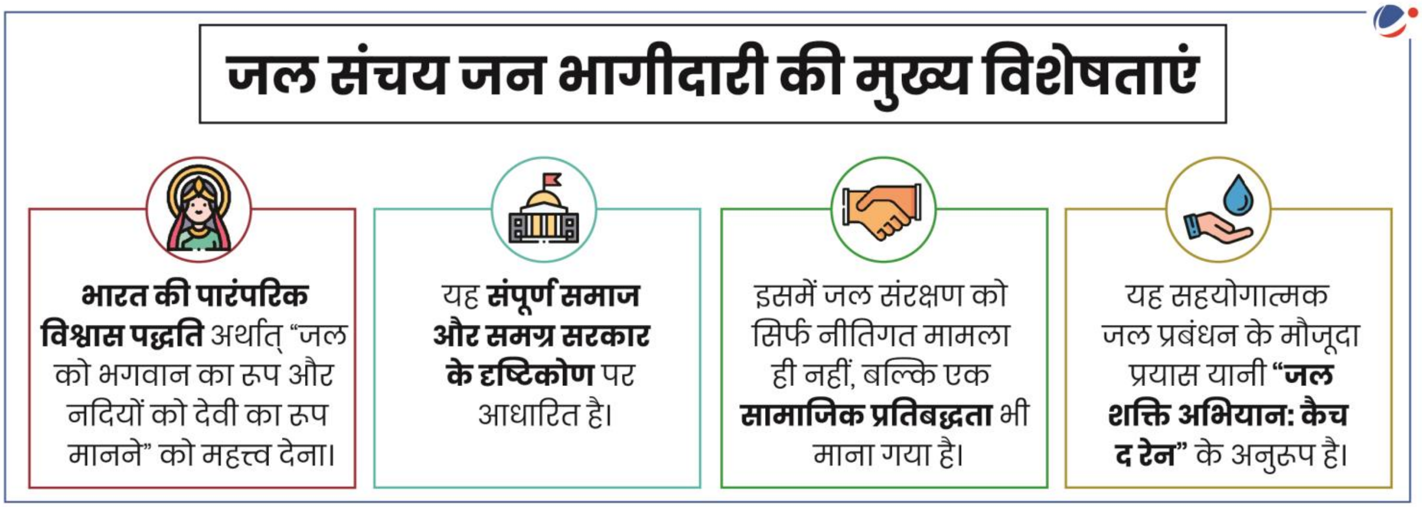

जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी का महत्त्व

- **व्यवहार में बदलाव को बढ़ावा देना:** इसमें नीति के तहत संचालित प्रतिक्रिया के बजाए वास्तविक कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाता है।
    - **उदाहरण के लिए: बुंदेलखंड की पानी-पंचायतों में** जल सहेलियों ने जल संरक्षण की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा दिया है।
- **स्थानीय ज्ञान और समझ का उपयोग:** स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र की जल संबंधी आवश्यकताओं और चुनौतियों की बेहतर समझ होती है।
    - **उदाहरण के लिए: बारी खेती प्रणाली (असम)** में तालाबों के नजदीक फलों के पेड़ों को लगाया जाता है और सब्जियों की खेती की जाती है।
- **लोगों में स्वामित्व की भावना पैदा करना:** इससे जल-कुशल पद्धतियों को अपनाने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित करने हेतु साझे नेतृत्व का विकास होगा।
    - **उदाहरण के लिए: ओडिशा के पानी पंचायत में** सतही और भूजल के संचयन एवं वितरण में किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी होती है।
- **समावेशिता और समानता को बढ़ावा**: यह सुभेद्य समुदायों की समस्याओं का समाधान करता है और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने में मदद करता है।
- **नवीन अनुभवों को शामिल करना**: इससे शामिल समुदायों के जीवन के अनुभवों के आधार पर स्थानीय रूप से प्रासंगिक जल संरक्षण पहलों का विकास करना संभव हो सकेगा।

जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी के कुछ उदाहरण

- **जल-जीवन मिशन के तहत स्थानीय जल समितियां:** इसमें कम-से-कम 50% स्थानीय ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी होती है।
- **नीरू-चेट्टू (आंध्र प्रदेश):** इसमें प्राकृतिक संसाधनों के कायाकल्प और पुनरुद्धार में समुदायिक भागीदारी शामिल होती है।
- **जल जीवन हरियाली (बिहार):** इसमें सभी सार्वजनिक जल भंडारण संरचनाओं की पहचान, जीर्णोद्धार और नवीनीकरण किया जाता है।
- **जल ही जीवन है (हरियाणा):** इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना और मक्का, अरहर जैसी कम जल की आवश्यकता वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देना है।
- **मिशन काकतीय (तेलंगाना):** इसका उद्देश्य लघु सिंचाई स्रोतों को बहाल करके तालाबों का पुनरुद्धार करना है।

भारत में पारंपरिक जल भंडारण प्रणालियां

- **जल मंदिर** (गुजरात);
- **खत्री, कुहल** (हिमाचल प्रदेश);
- **जाबो** (नागालैंड);
- **एरी, ओरानिस** (तमिलनाडु);
- **डोंग्स** (असम);
- **कटास, बांधा** (ओडिशा और मध्य प्रदेश);
- **पार, जोहड़** (राजस्थान);
- **पाट** (मध्य प्रदेश)

जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने में आने वाली चुनौतियाँ

- **सीमित जानकारी और क्षमता:** जल संसाधन संबंधी डेटा की उपलब्धता के अभाव और जटिलता के कारण जल संरक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान सीमित है।
- **नीतिगत प्रक्रियाएं असमानता को बढ़ावा देती हैं**: नीतिगत प्रक्रियाओं में तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों का प्रभुत्व होता है।
- **केवल औपचारिक भागीदारी:** कई बार कानूनी अनिवार्यताओं के चलते समुदायों की भागीदारी जरूरी होती है, लेकिन वास्तविक धरातल पर शायद ही इसे लागू किया जाता है।
- **बाहरी लोगों के साथ सीमित जुड़ाव:** यह समुदायों को ऐसे नेटवर्क में भाग लेने से रोकता है, जो आम सहमति बनाने और भविष्य में परामर्श को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

सहभागी जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आगे की राह

- **लोगों तक आधारभूत डेटा की उपलब्धता:** सरकारों को जल नीति से संबंधित मामलों पर व्यापक और समग्र संचार प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का उपयोग करना:** इसके माध्यम से गुजरात के कई जिलों में लगभग 10,000 बोरवेल रिचार्ज संरचनाओं को पूरा किया गया है।
- **संधारणीय पद्धतियों को बढ़ावा देना:** LiFe[72] जैसी पहलों के माध्यम से जल का आवश्यकता के अनुसार उपयोग, पुनः उपयोग, भंडारण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए।
- **अभिनव दृष्टिकोण और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग:** इसमें सौर ऊर्जा संचालित वॉटर फिल्ट्रेशन; विलवणीकरण प्रणाली, नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि शामिल हैं।
- **नीतिगत समर्थन**: इसके तहत मक्का, तिलहन, दलहन, बाजरा जैसी कम जल-गहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए।

[72] पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली/ Lifestyle for Environment

जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने वाली अन्य सरकारी पहलें

- **जल जीवन मिशन (JJM):** यह ग्राम स्तर पर जल संबंधी अवसंरचना को बनाए रखने के लिए विकेंद्रीकृत, मांग-संचालित, समुदाय-प्रबंधित प्रोग्राम है।
- **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक:**
    - **हर खेत को पानी** (सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा);
    - **वाटरशेड का विकास** (बांध, तालाब जैसी जल संचयन संरचनाओं का निर्माण);
    - **प्रति बूंद अधिक फसल** (बेहतर कृषि दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ड्रिप, स्प्रिंकलर जैसे जल का कुशल उपयोग करने वाले विकल्पों का उपयोग करना)।
- **अटल भूजल योजना:** इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल का संधारणीय प्रबंधन करना है।

***नोट:** भारत में भूजल की स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, दिसंबर 2023 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.8. देखें*

5.2. मिशन मौसम (Mission Mausam)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **मिशन मौसम** को मंजूरी दी। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये के बजट निर्धारित किया गया है।

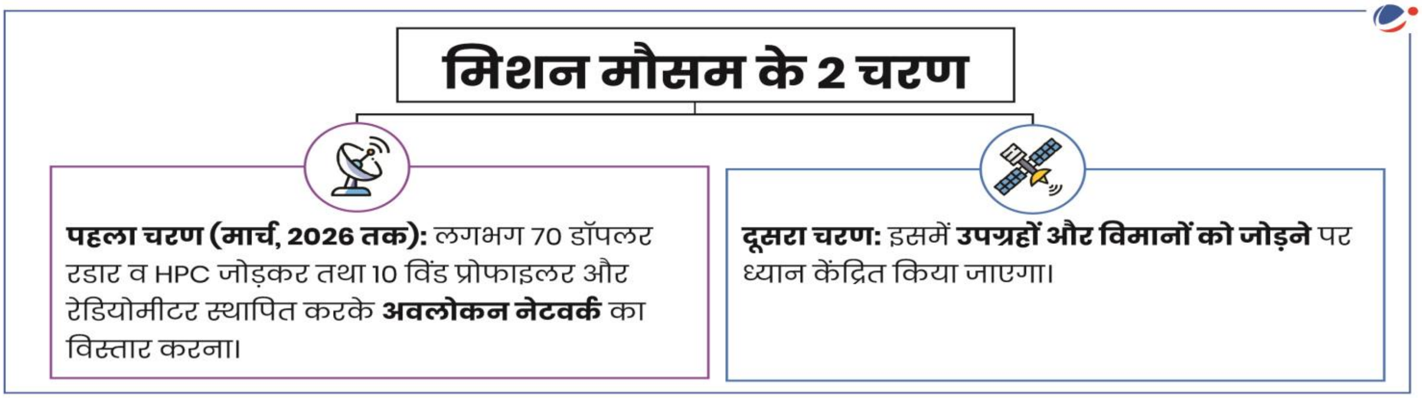

मिशन मौसम के बारे में

- "मिशन मौसम" **भारत के मौसम और जलवायु विज्ञान, अनुसंधान एवं सेवाओं को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी पहल** के रूप में शुरू किया गया है।
- **इसकी प्रमुख विशेषताओं पर एक नज़र:**
    - रडार और सैटेलाइट्स, विंड प्रोफाइलर्स, रेडियोमीटर, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटर (HPC) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/ मशीन लर्निंग (AI/ ML) आधारित मॉडल्स के व्यापक नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। इससे मौसम के **बहुआयामी अवलोकन और भविष्यवाणी में सहायता** मिलेगी।
    - भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM)[73] में एक 'क्लाउड-सिमुलेशन चैंबर' की स्थापना की जाएगी। इसका उपयोग मौसम संबंधी हस्तक्षेपों, जैसे- क्लाउड सीडिंग के परीक्षण के लिए किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)
    - इस मिशन को मुख्य रूप से MoES के तहत तीन संस्थान लागू करेंगे-
        - **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)[74],**
        - **राष्ट्रीय मध्यम-अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF)[75], और**
        - **भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM)**।

---

[73] Indian Institute of Tropical Meteorology

[74] Indian Meterological Department

[75] National Centre for Medium-Range Weather Forecasting

©Vision IAS

मिशन मौसम का महत्त्व

- **भारत को जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाना और मौसम में बदलावों के लिए तैयार करना:** इसके तहत स्थानिक और सामयिक आधार पर मौसम पूर्वानुमान की **भौतिक प्रक्रियाओं और विज्ञान से संबंधित समझ बढ़ेगी।**
- **समय पर सूचना और सेवाएं:** इससे बदलते मापदंडों, जैसे- पवन की गति, दाब आदि के मामले में नियमित आधार पर सूचना प्राप्त होगी, जिससे क्षमता निर्माण और सामुदायिक रेजिलिएंस सुनिश्चित होगा।
- **विभिन्न क्षेत्रकों को लाभ:** इससे कृषि, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि के साथ-साथ शहरी नियोजन, सड़क और रेल परिवहन आदि में **डेटा-आधारित निर्णय** लेने में मदद मिलेगी।
- **हितधारकों का सशक्तीकरण:** यह नागरिकों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले उपयोगकर्ताओं सहित कई हितधारकों को चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में बेहतर ढंग से सक्षम बनाने में मदद करेगा।
- **पूर्वानुमान के लिए नया दृष्टिकोण:** यह अम्ब्रेला मॉडल प्रदान करेगा, जिसमें हाइपर लोकल फोरकास्टिंग या पूर्वानुमान के साथ-साथ पूर्वानुमानों की सटीकता भी बेहतर होगी।
- **अंतिम छोर तक पूर्वानुमान:** यह घटना के **10 से 15 दिन पहले पंचायत स्तर तक** सूचना प्रदान करेगा और नाउकास्ट फ्रीक्वेंसी को 3 से 1 घंटे तक कम करेगा।
  - नाउकास्ट **बहुत ही अल्पकालिक पूर्वानुमान** प्रदान करता है। यह आमतौर पर अगले कुछ घंटों के लिए तथा तेजी से बदलते मौसम की घटनाओं जैसे कि आंधी-तूफान आदि पर नज़र रखने के लिए उपयोगी होता है।

भारत में मौसम पूर्वानुमान संबंधी चुनौतियां

- **वायुमंडलीय प्रक्रियाओं की जटिलता:** उष्णकटिबंधीय अवस्थिति और मानसून की अप्रत्याशितता ने भारत में मौसम पूर्वानुमान को मुश्किल बना दिया है।
- **स्थानीय पूर्वानुमान क्षमता का कमजोर होना:** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) वर्तमान में 12 कि.मी. x 12 कि.मी. क्षेत्र में मौसम की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है, जो कि किसी शहर के लिए पूर्वानुमान प्रदान करता है। हालांकि, यह शहर के भीतर किसी विशेष स्थान के लिए नहीं पूर्वानुमान लगाने में सक्षम नहीं है।
- **पूर्वानुमान लगाने वाले उपकरणों की कमी:** वर्तमान में, IMD के पास 39 डॉपलर रडार हैं और कोई भी विंड प्रोफाइलर नहीं है, जबकि चीन के पास 217 रडार और 128 विंड प्रोफाइलर हैं।
- **पूर्वानुमान की खराब व्याख्या:** पूर्वानुमान में बार-बार होने वाली चूक का कारण मौसम विज्ञानियों द्वारा उपग्रह से प्राप्त इमेज, रडार और अन्य डेटा की खराब व्याख्या है।
- **जलवायु परिवर्तन की भूमिका:** जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम पैटर्न अनिश्चित हो गए हैं। इससे भारी बारिश और सूखे जैसी स्थानीय घटनाएँ अधिक हो रही हैं।
  - बादल फटने, आंधी-तूफान आने जैसी घटनाओं की वर्तमान में अच्छी तरह से व्याख्या नहीं हो पाती है।

भारत में मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए की गई अन्य पहलें

- **मानसून मिशन (2012):** यह कई समयावधियों पर मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। साथ ही, यह बेहतर आर्थिक नियोजन के लिए दीर्घावधि के मानसून पूर्वानुमान में सुधार करेगा।
- **मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली (WINDS)**[76]: यह प्रणाली कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की मदद के लिए दीर्घ-अवधिक, हाइपर-लोकल मौसम डेटा तैयार करना है।
- **पृथ्वी विज्ञान (PRITHVI) योजना:** यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। इसके तहत **पांच उप-योजनाएं जारी हैं:**
  - वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं (Atmosphere & Climate Research-Modelling Observing Systems & Services: ACROSS)

[76] Weather Information Network and Data System

- महासागर सेवाएँ, मॉडलिंग एप्लीकेशन, संसाधन और प्रौद्योगिकी (Ocean Services, Modelling Application, Resources and Technology: O-SMART)
  - ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान (Polar Science and Cryosphere Research: PACER)
  - भूकंप विज्ञान और भू-विज्ञान (Seismology and Geosciences: SAGE) और
  - अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और पहुँच (Research, Education, Training and Outreach: REACHOUT)।
- **भू-अवलोकन उपग्रह:** इनसैट-3D (2013), इनसैट-3DR (2016) और इनसैट-3DS (2024)।
- **IMD द्वारा शुरू की गई पहलें**: यह वर्तमान मौसम की जानकारी के साथ-साथ, नाउकास्ट, शहरी मौसम का पूर्वानुमान, वर्षा की जानकारी, अखिल भारतीय बहु-खतरा शीतकालीन चेतावनी बुलेटिन, आदि प्रदान करता है।
- **मोबाइल एप्लीकेशन:** इसमें MAUSAM (मौसम पूर्वानुमान), मेघदूत (कृषि मौसम संबंधी सलाह का प्रसार), दामिनी (बिजली की चेतावनी), आदि शामिल हैं।
- **MoES ने 2018 में मौसम पूर्वानुमान के लिए प्रत्युष और मिहिर नामक सुपर कंप्यूटर** का संचालन शुरू किया।

आगे की राह

- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देना:** जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जटिलताओं को समझने तथा कम लागत पर बेहतर पूर्वानुमान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता का उपयोग करने हेतु निवेश को बढ़ाने की जरूरत है।
- **एजेंसियों और विशेषज्ञों के बीच समन्वय बढ़ाना:** स्थानीय पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों और योजनाकारों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।
- **मौसम पूर्वानुमान से संबंधित बुनियादी ढांचे का निरंतर अपग्रेडेशन करना:** इसे महासागर अवलोकन प्रणाली और उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले भू-अवलोकन उपग्रहों की स्थापना के ज़रिये उन्नत करना चाहिए।
- **क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान करना:** डॉप्लर रडार द्वारा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को बेहतर तरीक़े से कवर किया जाना चाहिए।
- **सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बीच साझेदारी को बढ़ावा:** एडवांस तकनीकों तथा पूर्वानुमान उपकरणों के विकास के कार्य को और बेहतर बनाने के लिए IMD को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक से सहयोग दिया जाना चाहिए।

5.3. मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में भेड़ियों के हमलों के चलते मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है।

डेटा बैंक

- वर्ष 2023-24 में भारत के अनेक राज्यों में हाथी और बाघ के हमलों के कारण क्रमश: **606 (2019 में 574) और 82 (2019 में 49) लोगों की मौत** हो गई।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के बारे में

- यह संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब **वन्यजीवों की उपस्थिति या उनका व्यवहार मानव हितों के लिए खतरा** पैदा करता है, जिससे लोगों या वन्यजीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- ये घटनाएं आमतौर पर उन क्षेत्रों में घटित होती हैं, जहां **वन्यजीव और मानव आबादी वाले क्षेत्रों के बीच काफी निकटता होती है।**
- मानव-वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन संबंधित **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश** सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
  - हाल ही में, **केरल ने** भी मानव-वन्यजीव संघर्ष को **राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित** किया है। इस घोषणा के परिणामस्वरूप मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन की **जिम्मेदारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हो** गई।

मानव वन्यजीव संघर्ष का प्रभाव

- **वन्यजीवों पर प्रभाव:** यह कई **स्थलीय और समुद्री प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डालता** है, क्योंकि प्रतिशोध या खतरे की आशंका के चलते वन्यजीवों की हत्याओं से प्रजातियाँ विलुप्त हो सकती हैं।
- **पारिस्थितिक तंत्रों पर प्रभाव:** इससे **फसलों और पशुधन को नुकसान** पहुंच सकता है, जिससे शिकारी-शिकार का संतुलन और भी बिगड़ सकता है।
- **सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव:** यह हितधारकों के बीच मतभेद को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि किसान वन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार को दोषी ठहराते हैं। वहीं, दूसरी ओर संरक्षणवादी किसानों और उद्योगों पर वन्यजीवों के आवासों को नष्ट करने का आरोप लगाते हैं।
- **स्थानीय समुदायों पर प्रभाव:** इससे होने वाली जान-माल, मवेशियों, फसलों और संपत्ति की हानि का सबसे अधिक असर गरीब, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर पड़ता है।
- **वस्तु उत्पादन पर प्रभाव:** यह कृषि उत्पादों से संबंधित व्यवसायों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिससे उनकी उत्पादकता और लाभप्रदता में कमी आती है।
- **अन्य प्रभाव:** इससे आजीविका की असुरक्षा; खाद्य असुरक्षा; वन्यजीवों के स्थानांतरण आदि को बढ़ावा मिलता है।

मानव वन्यजीव संघर्ष के समाधान के लिए उठाए गए कदम

- **संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का गठन:** इसमें **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत** पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व स्थापित किए गए हैं, ताकि वन्यजीवों और उनके पर्यावासों का संरक्षण किया जा सके।
- **विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण हेतु दिशा-निर्देश:** ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें हाथी, गौर, तेंदुआ, मगरमच्छ जैसी 10 प्रजातियां शामिल हैं।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत संरक्षण:** इसके तहत **'वन्यजीव पर्यावासों का विकास (Development of Wildlife Habitats), 'प्रोजेक्ट टाइगर' और 'प्रोजेक्ट एलीफेंट'** जैसी योजनाओं के लिए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (NWAP)[77] 2017-2035:** इसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन पर एक समर्पित अध्याय को शामिल किया गया है।
- **राष्ट्रीय मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन रणनीति और कार्य योजना (2021-26):** यह सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व और मनुष्यों एवं वन्यजीवों की समग्र भलाई को सुनिश्चित करती है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने की दिशा में आगे की राह

- **संघर्ष से सह-अस्तित्व की ओर ध्यान केंद्रित करना:** इसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है।
    - **उदाहरण के लिए,** भारत का **वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** राज्यों के **मुख्य वन्यजीव वार्डनों** को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर एवं बाहर मनुष्यों तथा वन्यजीवों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें।

---
[77] National Wildlife Action Plan

* **मानव-वन्यजीव संघर्ष को समझना:** मानव-वन्यजीव संघर्ष के संदर्भ को समझने, हॉटस्पॉट की मैपिंग, स्थानिक और समयगत विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त अनुसंधान किया जाना चाहिए।
* **अवरोधों का निर्माण करना:** इसके तहत मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा से चलने वाली बिजली की बाड़, बायोफेन्स जैसी **भौतिक बाधाओं का निर्माण किया जाना चाहिए**।
* **नीतिगत फ्रेमवर्क को सक्षम बनाना:** प्रभावी मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन योजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कानूनों और सम्मेलनों में उपयुक्त सिद्धांत, प्रोटोकॉल और प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए।
    * **उदाहरण के लिए:** WWF ने सतत विकास लक्ष्यों के तहत या **संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय के तहत** मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन योजना को शामिल करने का सुझाव दिया है।
* **समुदाय की भूमिका को बढ़ावा देना:** इसके लिए समुदाय-आधारित स्वयंसेवकों या मौजूदा 'वन्यजीव मित्रों' जैसी त्वरित कार्रवाई करने वाली टीमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

भेड़िया (कैनिस ल्यूपस/ Canis lupus) के बारे में

* **गति:** ये 45 कि.मी./ घंटा तक की तेज गति से दौड़ सकते हैं।
* **प्राकृतिक शिकारी:** ये मुख्य रूप से कृंतक, खरगोश और मवेशियों का शिकार करते हैं।
* **अत्यधिक सामाजिक:** ये 6 से 8 तक के झुंड में रहते हैं और इन्हें लगभग 180-200 वर्ग किलोमीटर के पर्यावास क्षेत्र की आवश्यकता होती है।
* **समूह की व्यवस्था:** यह आमतौर पर **आजीवन एकल साथी (Monogamous)** के साथ रहता है। समूह में **नर भेड़िये का प्रभुत्व** होता है।
* **संचार: ये अलग-अलग आवाजें निकालकर और गंध छोड़कर** आपस में संचार करते हैं।

भारत में भेड़िये की दो प्रजातियां पाई जाती हैं: ग्रे वुल्फ और हिमालयन वुल्फ।

ग्रे वुल्फ या भारतीय भेड़िया (कैनिस ल्यूपस पैलिप्स)

* **पर्यावास:** ये **कांटेदार वन,** झाड़ीदार वन, शुष्क और अर्ध-शुष्क घास के मैदान, अर्ध-शुष्क भारत के कृषि-पशुपालन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
    * इनमें से अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के बाहर, आबादी वाले क्षेत्रों के निकट रहते हुए अपना जीवन बिताते हैं।
* **संरक्षण की स्थिति**
    * **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची I
    * **IUCN: लिस्ट कंसर्न**

हिमालयन वुल्फ या तिब्बती भेड़िया (कैनिस ल्यूपस चान्को)

* **पर्यावास:** ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू, कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम सहित अपर-ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की बंजर भूमि में पाए जाते हैं।
* **संरक्षण स्थिति**
    * **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची I
    * **IUCN: वल्नरेबल**

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र
ENGLISH MEDIUM 2025: 27 OCTOBER
हिन्दी माध्यम 2025: 27 अक्टूबर

5.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.4.1. वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच {Air Quality Management Exchange Platform (AQMx)}

इसे 7 सितंबर को आयोजित किए गए **इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई** के दौरान लॉन्च किया गया था।

- इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई का आयोजन **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** के नेतृत्व में किया जाता है। इस वर्ष के आयोजन की थीम है-**'स्वच्छ वायु में अभी निवेश करें (Invest in Clean Air Now)।**

वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच (AQMx) के बारे में

- यह एक **वन-स्टॉप-शॉप** की तरह कार्य करेगा। इसके तहत **WHO वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों के अंतरिम लक्ष्यों को प्राप्त करने** के लिए प्रस्तावित नवीनतम **वायु गुणवत्ता प्रबंधन मार्गदर्शन तथा अन्य सहायता** प्रदान की जाएगी।
- यह **CCAC क्लीन एयर फ्लैगशिप** का एक घटक है। यह वैश्विक स्तर पर **वायु गुणवत्ता में सुधार** लाने के उद्देश्य से **क्षेत्रीय सहयोग और साझा कार्यवाहियों** को बढ़ावा देने के लिए **UNEA (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा)-6 संकल्प** के कार्यान्वयन में योगदान देगा।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच (AQMx) की आवश्यकता क्यों है?

- **वायु प्रदूषण का खतरा:** हर साल वायु प्रदूषण के कारण **8 मिलियन से अधिक लोगों की असामयिक मौत** हो जाती है। इससे निर्धन और हाशिये पर रहने वाले लोग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।
- **क्षमता अंतराल:** AQMx के तहत वायु गुणवत्ता निगरानी, स्वास्थ्य प्रभाव आकलन आदि पर बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ ही **वायु गुणवत्ता प्रबंधन क्षमता में आई कमियों को दूर करने में भी मदद की जाएगी।**
- **ज्ञान साझाकरण:** यह **क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय समुदायों को** वायु गुणवत्ता प्रबंधन से जुड़े सर्वोत्तम **तरीकों एवं ज्ञान का आदान-प्रदान करने की सुविधा** प्रदान करेगा।

जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन (CCAC) के बारे में

- इसका गठन **वर्ष 2012 में UNEP के नेतृत्व** में किया गया था। यह 160 से अधिक सरकारों, अंतर-सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों का एक **स्वैच्छिक साझेदारी आधारित गठबंधन** है। **भारत 2019 में CCAC में शामिल** हुआ था।
- यह **अल्पकालिक किन्तु शक्तिशाली जलवायु प्रदूषकों जैसे- मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) तथा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के उत्सर्जन में कमी लाने** के लिए कार्य करता है। ये प्रदूषक तत्व **जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण** दोनों को बढ़ावा देते हैं।

WHO वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश (AQG)

- ये विशिष्ट **वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की उच्चतम सीमा का निर्धारण करने वाली साक्ष्य-आधारित सिफारिशों का एक सेट हैं।**
- ये सामान्य वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के **स्तरों और अंतरिम लक्ष्यों** की सिफारिश करते हैं। इन प्रदूषकों में **पार्टिकुलेट मैटर्स (PM), ओजोन (O_3), NO2, SO_2 और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)** शामिल हैं।
  - उदाहरण के लिए, **PM2.5 का 24 घंटे का औसत 15 μg/m³ से अधिक नहीं** होना चाहिए। साथ ही **PM2.5 का वार्षिक औसत 5 μg/m³ से अधिक नहीं** होना चाहिए (इन्फोग्राफिक्स देखें)

Pollutant	Averaging Time	2005 AQGs	2021 AQGs
$PM_{2.5}$, μg/m³	Annual	10	5
	24-hour	25	15
PM_{10}, μg/m³	Annual	20	15
	24-hour	50	45
O_3, μg/m³	Peak season	-	60
	8-hour	100	100
NO_2, μg/m³	Annual	40	10
	24-hour	-	25
SO_2, μg/m³	24-hour	20	40
CO, mg/m³	24-hour	-	4

5.4.2. वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन (Air Quality and Climate Bulletin)

संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने अपना चौथा वार्षिक "वायु गुणवत्ता और जलवायु" बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन में **वायु गुणवत्ता की स्थिति और इस पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों** के बारे में बताया गया है।

इस बुलेटिन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

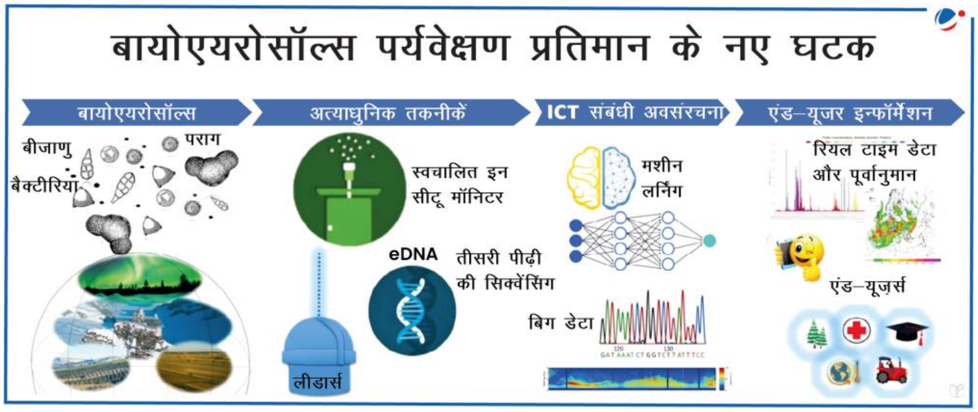

- **PM2.5 की वैश्विक सांद्रता: यूरोप और चीन में PM2.5 संबंधी प्रदूषण का स्तर कम** है, जबकि **उत्तरी अमेरिका एवं भारत में मानवजनित गतिविधियों से इसके उत्सर्जन में वृद्धि** देखी गई है।
    - **2.5 माइक्रोमीटर से छोटे व्यास वाले पार्टिकुलेट मैटर को PM2.5** कहा जाता है।
- **पार्टिकुलेट मैटर के ग्लोबल हॉटस्पॉट्स:** इसमें **मध्य अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत, चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया** के कृषि क्षेत्र शामिल हैं।
- **फसलों पर पार्टिकुलेट मैटर का प्रभाव:** यह पत्तियों की सतह पर जमा होकर पत्तियों तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम कर देता है। इससे **फसल की पैदावार 15% तक कम** हो जाती है।
- **एयरोबायोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति:** नई तकनीकों ने **बायोएयरोसॉल्स की रियल टाइम निगरानी** को संभव किया है।

एयरोबायोलॉजी के बारे में

- एयरोबायोलॉजी **मानव, पशु और पादपों के स्वास्थ्य पर वायु में मौजूद जैविक कणों या बायोएयरोसॉल्स के संचरण एवं प्रभाव का अध्ययन** है। बायोएयरोसॉल्स में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **बैक्टीरिया, फंगल बीजाणु, पराग कण, वायरस** आदि।
- बायोएयरोसॉल्स **जैव विविधता, पादपों में फूल खिलने के पैटर्न और पादपों के वितरण में परिवर्तन** को दर्शाते हैं, ये सभी **जलवायु परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील** होते हैं।
    - इसलिए, बायोएयरोसॉल्स की समझ को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता है। इससे **पूर्वानुमान लगाने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के आकलन को और बेहतर** किया जा सकेगा।
- **बायोएयरोसॉल्स पर्यवेक्षण संबंधी नई तकनीकें:** इसमें **हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेज विश्लेषण, होलोग्राफी, मल्टी-बैंड स्कैटरमेट्री, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री और DNA सीक्वेंसिंग के लिए नैनो तकनीक** शामिल हैं।

5.4.3. टील कार्बन (Teal Carbon)

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (KNP) में भारत का पहला 'टील कार्बन' अध्ययन किया गया है।

- अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि यदि आर्द्रभूमि में मानवजनित प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, तो **टील कार्बन जलवायु परिवर्तन शमन में उपयोगी** सिद्ध हो सकता है।
- अध्ययन से यह भी पता चला है कि **विशेष प्रकार के बायोचार (जो कि चारकोल का एक रूप है)** के उपयोग से **उच्च मीथेन उत्सर्जन को कम** किया जा सकता है।

टील कार्बन के बारे में

- टील कार्बन से तात्पर्य **गैर-ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्रभूमि में संग्रहित कार्बन** से है। इसमें **वनस्पति, सूक्ष्मजीवी बायोमास तथा विघटित एवं कणिकीय (Particulate) कार्बनिक पदार्थों में संग्रहित कार्बन** शामिल है।

- टील कार्बन, एक **रंग-आधारित शब्दावली है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।** इसमें ऑर्गेनिक कार्बन के वर्गीकरण को उसके भौतिक गुणों की बजाय **उसके कार्यों और स्थान के आधार पर दर्शाया** जाता है।
- इसके विपरीत, **काला और भूरा कार्बन** कार्बनिक पदार्थों के **अपूर्ण दहन** से उत्पन्न होते हैं और **ग्लोबल वार्मिंग में योगदान** करते हैं।
- **महत्त्व:** यह भूजल स्तर में वृद्धि, बाढ़ शमन और हीट आइलैंड प्रभाव में कमी करने में योगदान देता है। साथ ही, संधारणीय शहरी अनुकूलन को समर्थन प्रदान करता है।

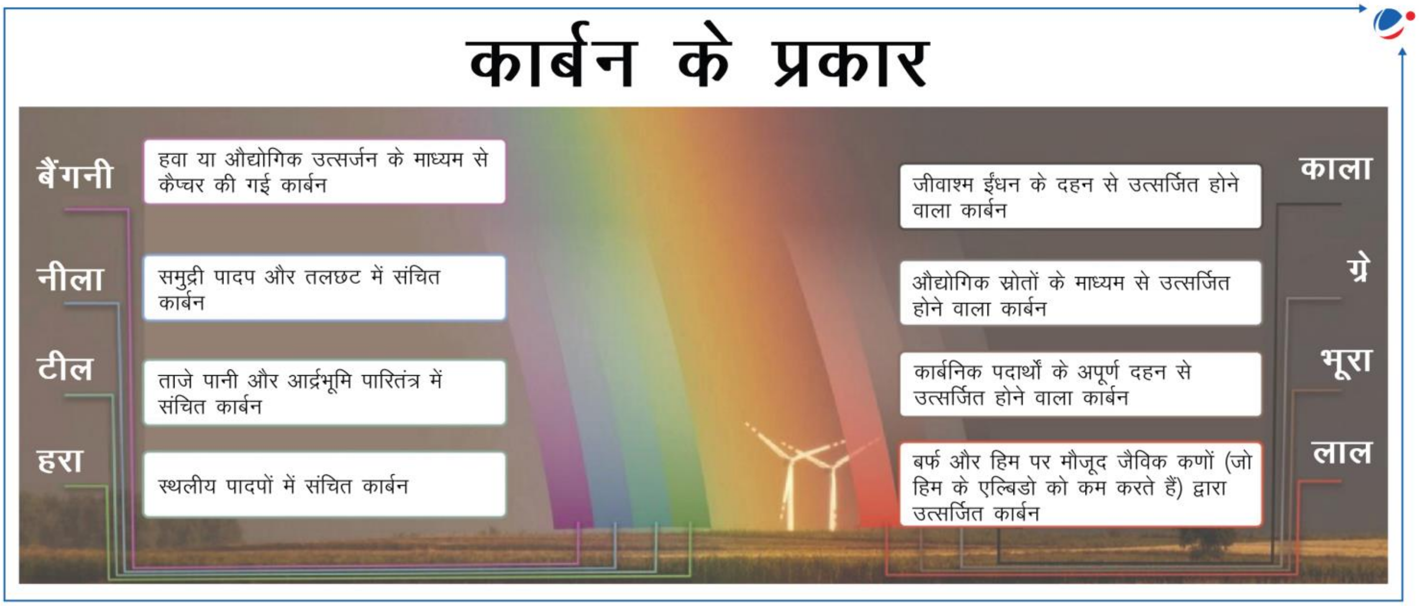

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर, राजस्थान) के बारे में

- इसे **1982 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** घोषित किया गया था।
- यह **370 से अधिक प्रजातियों के पक्षी और प्राणी** जैसे अजगर, साइबेरियन सारस आदि का पर्यावास है।
- **1990 में "जल की कमी और असंतुलित चराई"** के कारण इसे **मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड (रामसर कन्वेंशन)** में शामिल किया गया था।

5.4.4. जलविद्युत परियोजनाओं हेतु योजना {Scheme for Hydro Electric Projects (HEP)}

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सक्षमकारी अवसंरचना लागत हेतु बजटीय सहायता की योजना” में संशोधन को मंजूरी दी है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **जलविद्युत परियोजनाओं (HEP) के त्वरित विकास और दूरदराज एवं पहाड़ी परियोजना स्थलों में अवसंरचना में सुधार** हेतु योजना में संशोधन को मंजूरी दी है।
- भारत में जलविद्युत क्षेत्रक को बढ़ावा देने हेतु “जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सक्षमकारी अवसंरचना लागत हेतु बजटीय सहायता की योजना” को **विद्युत मंत्रालय ने 2019** में शुरू किया था। साथ ही, कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपाय भी अपनाए थे।
    - इस योजना के तहत प्रमुख बांध, बिजली घर और अन्य परियोजना संबंधी अवसंरचनाओं को **निकटतम राज्य/ राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़कों एवं पुलों के निर्माण** के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जाती है।

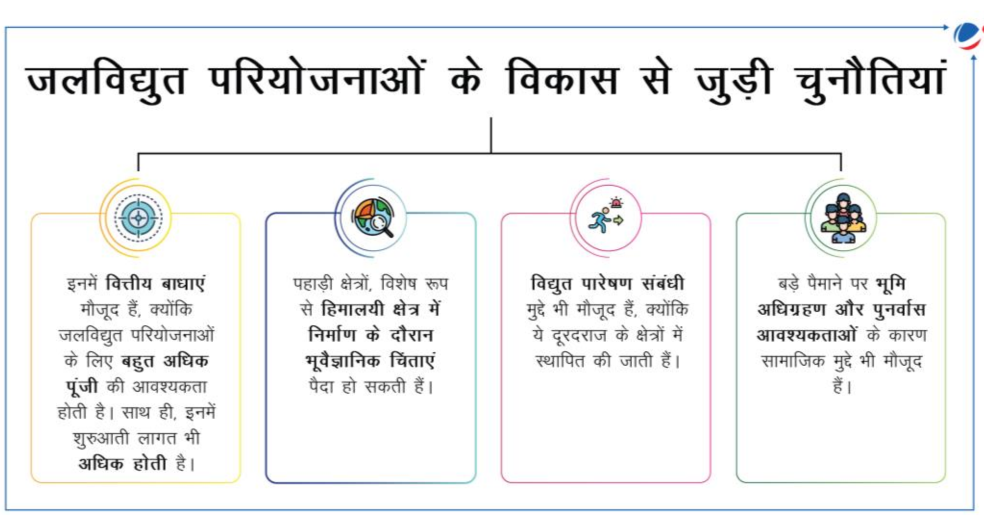

संशोधित योजना के बारे में

- **वित्त-पोषण:** लगभग **31,350 मेगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता** के लिए 12,461 करोड़ रुपये का कुल आवंटन किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन अवधि:** वित्त वर्ष **2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32** तक।
- **विस्तार: सड़कों व पुलों के अलावा ट्रांसमिशन लाइन्स, रोपवे, रेलवे साइडिंग और संचार अवसंरचना** के निर्माण की लागत को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार किया गया है।
- **पात्रता:** इसमें निजी क्षेत्रक की परियोजनाओं और सभी पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं (PSP) सहित **25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाएं** शामिल हैं।

जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए अन्य उपाय

- 25 मेगावाट से अधिक **बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित** किया गया है।
- **जलविद्युत खरीद दायित्व (Hydro Power Purchase Obligations: HPOs)** अपनाए गए हैं। इनके तहत संस्थाओं को जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली खरीदना अनिवार्य किया गया है।
- जलविद्युत शुल्क को कम करने के लिए **प्रशुल्क युक्तिकरण उपाय** लागू किए जाएंगे।
- **बाढ़ नियंत्रण और जल भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता** प्रदान की जाएगी।

5.4.5. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिशा-निर्देश (Environmental Compensation Guidelines for Battery Waste Management)

ये दिशा-निर्देश **बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** ने जारी किए हैं। इन्हें जारी करने का उद्देश्य **पूरे देश में बैटरी अपशिष्ट के उचित प्रबंधन से संबंधित पद्धतियों और पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा** देना है।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) क्या होती है?

- **अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022:** इसके तहत नियमों का पालन न करने की स्थिति में CPCB **अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनर्चक्रण में शामिल उत्पादकों एवं संस्थाओं पर पर्यावरणीय कर लगा व वसूल सकता है।**
- **"प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत" के आधार पर निम्नलिखित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जाएगी:**
  - **पंजीकरण के बिना गतिविधियां संचालित** करने वाली संस्थाओं पर;
  - पंजीकृत संस्थाओं द्वारा **गलत सूचना प्रदान करने/ जानबूझकर तथ्यों को छिपाने आदि पर।**
- यह इन नियमों के तहत निर्धारित **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)**[78] लक्ष्यों, जिम्मेदारियों और बाध्यताओं को पूरा **नहीं कर पाने वाले उत्पादकों पर भी आरोपित** की जाएगी।
  - EPR का अर्थ है कि **किसी बैटरी निर्माता की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपशिष्ट बैटरी (Waste Battery) का पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन** सुनिश्चित करे।
- हालांकि, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने से बैटरी निर्माता को इन नियमों के तहत निर्धारित **EPR दायित्व से छूट नहीं** मिलेगी। उदाहरण के लिए, किसी **वर्ष विशेष में पूरी नहीं की गई EPR संबंधी बाध्यताओं को अगले वर्ष के लिए कैरिड फॉरवर्ड** कर दिया जाएगा।

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर:

- **पर्यावरणीय कर को दो व्यवस्थाओं में विभाजित किया गया है:**
  - **पर्यावरणीय कर व्यवस्था 1-** इसके तहत पर्यावरणीय कर धातु-वार (लेड एसिड, लिथियम-आयन और अन्य बैटरियों के लिए) EPR संबंधी लक्ष्यों को पूरा न करने वाले निर्माताओं पर लगाया जाएगा।
  - **पर्यावरणीय कर व्यवस्था 2-** इसके तहत अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 का पालन न करने की स्थिति में किसी भी संस्था पर आवेदन शुल्क के आधार पर पर्यावरणीय कर लगाया जाएगा।

***नोट:** बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम और संशोधन 2024 के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, मार्च 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.2. देखें*

[78] Extended Producer Responsibility

5.4.6. वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए भारत-जर्मनी प्लेटफॉर्म (India-Germany Platform for Investments in Renewable Energies Worldwide)

चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और प्रदर्शनी (RE-INVEST) में वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए भारत-जर्मनी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया।

- RE-INVEST का आयोजन **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** द्वारा किया जाता है।

भारत-जर्मनी प्लेटफॉर्म के बारे में

- इसका उद्देश्य **भारत में और विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के त्वरित विस्तार के लिए ठोस एवं संधारणीय समाधान विकसित** करना है।
- यह विश्व भर के हितधारकों के लिए एक **अंतर्राष्ट्रीय मंच** के रूप में कार्य करेगा, ताकि **2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की सहायता** के लिए समाधान विकसित किया जा सके।
- यह **भारत और जर्मनी** के बीच 2022 में हस्ताक्षरित **हरित एवं सतत विकास साझेदारी (GSDP)** के तहत एक पहल है।

5.4.7. UN द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन प्रिंसिपल्स (Energy Transition Principles by UN)

"रिसोर्सिंग द एनर्जी ट्रांजिशन: प्रिंसिपल्स टू गाइड क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स टूवड्र्स इक्विटी एंड जस्टिस" रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट **क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स (CETM)** पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नेतृत्व में गठित पैनल ने जारी की है।

- यह पैनल **एनर्जी ट्रांजिशन** के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करने हेतु गठित किया गया था।
- CETM वे खनिज होते हैं, जो **नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण, उत्पादन, वितरण और भंडारण** के लिए आवश्यक हैं।
  - इनमें **दुर्लभ भू खनिज, तांबा, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ग्रेफाइट, कैडमियम, सेलेनियम** आदि शामिल हैं।
  - विश्व जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ट्रांजिशन कर रहा है। इसलिए, **CETM की मांग 2030 तक तीन गुना बढ़ने की उम्मीद** है।

रिपोर्ट के बारे में

- रिपोर्ट में नवीकरणीय क्रांति को सफल बनाने के लिए **न्याय और समानता में सात मार्गदर्शक सिद्धांत (इन्फोग्राफिक देखें) तथा पांच कार्रवाई योग्य सिफारिशें** की गई हैं।
  - मार्गदर्शक सिद्धांत जरूरी हैं, क्योंकि CETM की बढ़ती मांग से **कमोडिटी पर निर्भरता को बढ़ावा मिलने; भू-राजनीतिक तनाव व पर्यावरणीय एवं सामाजिक चुनौतियों के बढ़ने तथा एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में प्रयासों के कमजोर होने** का जोखिम है।
- **कार्रवाई योग्य सिफारिशों में निम्नलिखित की स्थापना शामिल है:**
  - **उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह:** CETM मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक लाभ-साझाकरण, मूल्य संवर्धन और आर्थिक विविधीकरण में तेजी लाने के लिए।
  - **वैश्विक ट्रेसेब्लिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही फ्रेमवर्क:** संपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला के साथ यह फ्रेमवर्क जरूरी है।
  - **ग्लोबल माइनिंग लीगेसी फंड:** खदान बंद करने और पुनर्वास के लिए वित्तीय आश्वासन तंत्र को मजबूत करने हेतु।
  - कारीगरों और छोटे पैमाने के खनिकों को **जिम्मेदारीपूर्ण खनन के लिए सशक्त** बनाने वाली पहलें शुरू की जा सकती हैं।
  - उपभोग को संतुलित करने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए **मटेरियल एफिशिएंसी और सर्कुलेटरी लक्ष्य** निर्धारित किए जाने चाहिए।

5.4.8. इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने 'स्टेट ऑफ द राइनो' रिपोर्ट जारी की {International Rhino Foundation (IRF) released State of the Rhino 2024 Report}

इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन (IRF) **विश्व भर की गैंडा प्रजातियों के अस्तित्व को बचाने** के लिए कार्य कर रहा है। इस संगठन की स्थापना **1991 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन** के रूप में की गई थी।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- राइनो की **सभी पांच प्रजातियों को मिलाकर, दुनिया में लगभग 28,000 गैंडे शेष** बचे हुए हैं।
- 2022 से 2023 के बीच **अफ्रीका में गैंडों के अवैध शिकार में 4% की वृद्धि** दर्ज की गई है।
- 2022 से 2023 के बीच **सफेद गैंडों की संख्या में वृद्धि** हुई है, लेकिन **एक सींग वाले गैंडों (भारतीय गैंडा) की संख्या लगभग स्थिर** रही है।
- अवैध शिकार के बावजूद **दक्षिण अफ्रीका में सफेद गैंडों की संख्या बढ़** रही है।

गैंडों के बारे में

- **गैंडों की पांच प्रजातियां:** इनमें **दो अफ्रीकी** प्रजातियां **(सफेद गैंडा और काला गैंडा)** तथा तीन **एशियाई** प्रजातियां **(भारतीय गैंडा, सुमात्राई गैंडा और जावा गैंडा)** शामिल हैं।
- **गैंडों के संरक्षण हेतु शुरू की गई पहलें:**
  - भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए **राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति, 2019** जारी की गई है;
  - **एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा-पत्र 2019** जारी किया गया है;
  - **इंडियन राइनो विजन, 2020** जारी किया गया है आदि।

अफ्रीकी गैंडे और एशियाई गैंडे के बीच अंतर

विशेषताएं	अफ्रीकी गैंडा	एशियाई गैंडा
आकार	**सफेद गैंडा** हाथियों के बाद **जमीन पर रहने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी** है।	**भारतीय गैंडा** सभी एशियाई गैंडा प्रजातियों में **सबसे बड़ा** है।
रंग-रूप और व्यवहार	• इसकी कवच जैसी दिखाई देने वाली गांठदार त्वचा बहुत कम होती है, • अधिक आक्रामक, • **2 सींग वाला** • **तैरने में कुशल नहीं होते**, और वे गहरे पानी में डूब सकते हैं, इसलिए वे कीचड़ में लोटते हैं। • लड़ने के लिए सींगों का इस्तेमाल करते हैं। • ये जमीन पर उगने वाली छोटी-छोटी घास और कम ऊँची वनस्पतियों को खाते हैं ।	• इसकी कवच जैसी दिखाई देने वाली गांठदार त्वचा बहुत अधिक होती है,, • कम आक्रामक, • **2 सींग** (सुमात्राई गैंडा) और **1 सींग** (भारतीय गैंडा व जावा गैंडा) • **अच्छे तैराक** • लड़ते समय अपने निचले दांतों का उपयोग करते हैं। • आहार के लिए लंबी घास, झाड़ियों और पत्तियों पर निर्भर हैं।
पर्यावास	घास-भूमियां, सवाना और झाड़ियां; रेगिस्तान	उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय घास-भूमियां तथा सवाना व उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन
संरक्षण स्थिति (IUCN रेड लिस्ट)	• **सफेद गैंडा:** नियर थ्रेटेन्ड • **काला गैंडा:** क्रिटिकली एंडेंजर्ड	• **भारतीय गैंडा:** वल्नरेबल; ○ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध। • **सुमात्राई गैंडा:** क्रिटिकली एंडेंजर्ड। • **जावा गैंडा:** क्रिटिकली एंडेंजर्ड।

5.4.9. वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास (Integrated Development of Wildlife Habitats)

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास (IDWH)" योजना को जारी रखने** को मंजूरी दी।

- यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- मौजूदा योजना के **मौलिक एवं मुख्य घटकों को मजबूत** किया गया है। साथ ही, यह योजना बाघ एवं अन्य वन्य जीव बहुल वनों में विविध विषयगत (थीमेटिक) क्षेत्रकों में प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देती है।

'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' (IDWH) योजना के बारे में

- **उद्देश्य:** यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई "**केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना**" है। इसका उद्देश्य भारत में **वन्यजीव पर्यावासों का विकास** करना है।
- **योजना के घटक:**
    - राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व जैसे **संरक्षित क्षेत्रों को सहायता** प्रदान करना।
    - **संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों** का संरक्षण सुनिश्चित करना।
    - अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने के लिए **पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Recovery programs) संचालित** करना।
        - प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक **22 प्रजातियों की पहचान** की जा चुकी है।
- **IDWH के अंतर्गत उप-योजनाएं:**
    - **प्रोजेक्ट टाइगर (1973):** इसके तहत **बाघ के प्राकृतिक पर्यावास वाले 18 राज्यों के कुल 55 टाइगर रिजर्व** शामिल हैं। ये रिजर्व देश के **5 भू-परिदृश्यों (Landscapes)** में स्थित हैं।
        - यह प्रोजेक्ट देश में महत्वाकांक्षी **प्रोजेक्ट चीता का भी समर्थन करता है।**
    - **वन्यजीव पर्यावासों का विकास:** इस उप-योजना के अंतर्गत **प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन** को भी कार्यान्वित किया गया है।
    - **प्रोजेक्ट एलीफेंट (1992):** इसमें हाथियों, उनके पर्यावासों और गलियारों की रक्षा करना; मानव-हाथी संघर्ष से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना तथा बंदी (कैप्टिव) हाथियों का कल्याण करना शामिल है।
        - इसे **हाथी पर्यावास वाले 22 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** में कार्यान्वित किया जा रहा है।

नोट: वित्त वर्ष 2023-24 में **प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट योजनाओं का आपस में विलय** कर दिया गया है। अब इसे **"प्रोजेक्ट टाइगर और एलीफेंट"** के नाम से जाना जाता है।

5.4.10. आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन की पांचवीं वर्षगांठ मनाई गई {Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) marks its Fifth Anniversary}

पांचवीं वर्षगांठ के अवसर पर, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) ने **अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस प्रोग्राम (UIRP) के तहत 2.5 मिलियन डॉलर के फंड** की घोषणा की। इस फंड का उपयोग **भारत सहित 30 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के शहरों को जलवायु परिवर्तन-रोधी बनाने** में किया जाएगा।

CDRI का महत्त्व

- **वित्त-पोषण:** यह CDRI के उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु वित्त-पोषण और समन्वय के लिए एक वैश्विक तंत्र प्रदान करता है।
- **तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण:** यह आपदा से निपटने और आपदा के बाद पुनर्बहाली हेतु सहायता प्रदान करता है; नवाचार का समर्थन करता है आदि।

CDRI आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure: CDRI)

HQ नई दिल्ली (भारत)

- **उत्पत्ति:** भारत ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में इसका शुभारंभ किया था।
- **सदस्य:** 40 देश और 7 संगठन
- **CDRI क्या है:** यह राष्ट्रों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और निजी क्षेत्र की एक वैश्विक साझेदारी है।
- **उद्देश्य:** जलवायु संबंधी आपदा जोखिमों को सहने वाली **मजबूत अवसंरचनाओं के विकास को बढ़ावा देकर संधारणीय विकास सुनिश्चित** करना।
- **CDRI द्वारा जारी रिपोर्ट:** ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस रिपोर्ट

CDRI द्वारा शुरू की गई पहलें

- **इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स (IRIS):** इसका उद्देश्य **लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS)** में लचीली, संधारणीय और समावेशी अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देना है।
- **DRI कनेक्ट प्लेटफॉर्म:** यह आपदा-रोधी ज्ञान का आदान-प्रदान करने, एक-दूसरे के उदाहरणों से सीखने और सहयोग करने हेतु प्लेटफॉर्म है।
- **अंतर्राष्ट्रीय आपदा-रोधी अवसंरचना सम्मेलन (ICDRI):** यह आपदा-रोधी चुनौतियों पर चर्चा करने और अच्छी पहलों की पहचान करने के लिए विशेषज्ञों व निर्णयकर्ताओं को एक साथ लाने वाला **वार्षिक सम्मेलन** है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस एक्सेलेरेटर फंड (IRAF):** यह आपदा-रोधी अवसंरचनाओं पर वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है।
    - इसे **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR)** के समर्थन से स्थापित किया गया है।

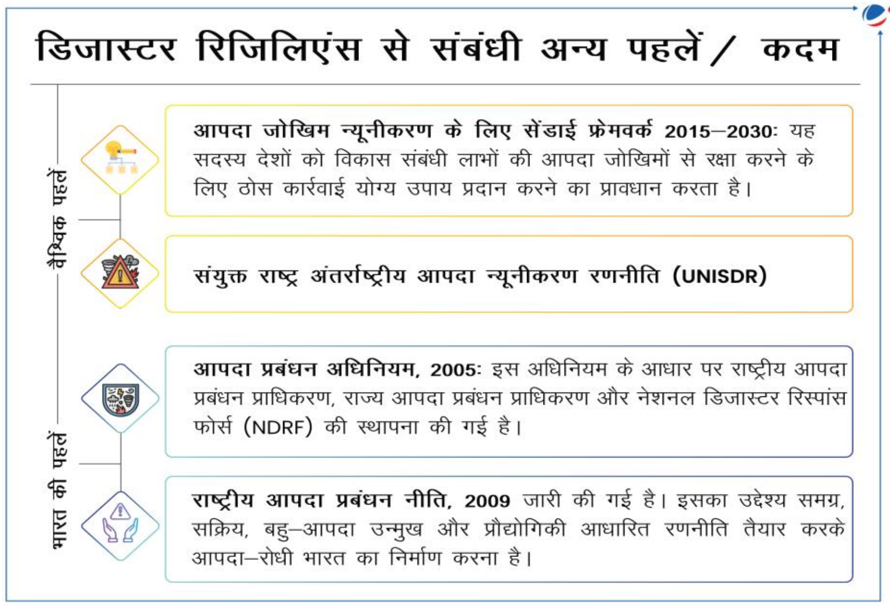

5.4.11. टार्डिग्रेड्स (Tardigrades)

हाल ही में, **पहली बार खोजे गए टार्डिग्रेड जीवाश्म के अध्ययन** से उन्हें वर्गीकृत करने और **उनके विकासवादी इतिहास का पता लगाने में मदद मिली है।**

टार्डिग्रेड्स (जलीय भालू या मॉस पिगलेट) के बारे में

- ये **छोटे आठ पैर वाले जलीय जीव** हैं। ये पृथ्वी पर लगभग **सभी पर्यावासों** में पाए जाते हैं।
- इनमें **दो** मुख्य वर्ग शामिल हैं: **हेटेरोटार्डिग्रेडा और यूटार्डिग्रेडा।**
- ये **कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों** जैसे कि भीषण गर्मी, जमा देने वाली ठंड, पराबैंगनी विकिरण और यहां तक कि बाह्य अंतरिक्ष में भी जीवित रह सकते हैं।
    - ये कठोर परिस्थितियों में इसलिए जीवित रह पाते हैं, क्योंकि ये **अपना चयापचय (जिसे क्रिप्टोबायोसिस के नाम से जाना जाता है) को लगभग रोक देने में सक्षम** होते हैं तथा केवल तभी पुनर्जीवित होते हैं, जब परिस्थितियां बेहतर होती हैं।

5.4.12. फ़्रीनराचने डिसिपिएंस (Phrynarachne Decipiens)

देश में पहली बार फ़्रीनराचने डिसिपिएंस प्रजाति की **मकड़ी को असम के कामरूप जिले और कोकराझार जिले में खोजा** गया है।

फ़्रीनराचने डिसिपिएंस के बारे में

- इसे लोकप्रिय रूप से **बर्ड डंग या बर्ड-ड्रॉपिंग क्रैब स्पाइडर** कहा जाता है।
  - फ़्रीनराचने प्रजाति की मकड़ियां **पक्षी के मल की एक ड्रॉप की तरह** दिखाई देती हैं। यहां तक कि ये मल या मूत्र की भांति गंध भी उत्पन्न करती हैं।
  - इससे उन्हें **शिकार को आकर्षित करने और घात लगाने** में मदद मिलती है। साथ ही, इससे उन्हें **शिकारियों की नजर से बचने में भी सहायता** प्राप्त होती है।
- आम तौर पर यह **मलेशिया और इंडोनेशिया के जावा एवं सुमात्रा द्वीपों** पर पाई जाती है।

5.4.13. कलमी/ करमुआ/ नारी साग (Water Spinach)

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित तकनीक से **अब किसान आम खेतों में भी कलमी/ करमुआ/ नारी साग की खेती कर सकते हैं।**

कलमी/ करमुआ/ नारी साग के बारे में

- यह **उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों** की मूल प्रजाति है। माना जाता है कि इस **अर्ध-जलीय बारहमासी पादप की सबसे पहले खेती दक्षिण-पूर्व एशिया** में की गई थी।
- **लाभ:**
  - यह **फोलिक एसिड (विटामिन B9)** से भरपूर होता है और इसमें **बीटा कैरोटीन, कैल्शियम तथा विटामिन E और C** भी पाया जाता है।
  - यह **गर्भ में पल रहे शिशु में न्यूरल ट्यूब विकार को रोकने** में मदद करता है।
  - **आयरन से भरपूर** होने के कारण यह **एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है।**
  - इसमें **जलीय पर्यावासों के शोधक या प्यूरीफायर** के रूप में कार्य करने की काफी क्षमता होती है।

5.4.14. AIKYA अभ्यास (Exercise AIKYA)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय थल सेना की दक्षिणी कमान द्वारा चेन्नई (तमिलनाडु) में AIKYA अभ्यास की मेजबानी की जाएगी।

- इस अभ्यास का **प्राथमिक उद्देश्य आपदा तैयारियों में सुधार करना और प्रमुख हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग** को बढ़ावा देना है।
- अभ्यास में **सिमुलेशन, प्रौद्योगिकी चर्चा और विविध आपदा प्रबंधन भूमिकाओं में विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि** सम्मिलित की जाएगी।

SBI इकोरैप 2023 के अनुसार, 1900 से भारत को बाढ़ और तूफान से सर्वाधिक नुकसान हुआ है। इन दोनों आपदाओं ने भारत को 150 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।

5.4.15. अटाकामा साल्ट फ्लैट/ नमक का मैदान (Atacama Salt Flat)

हाल ही में, **चिली विश्वविद्यालय** के शोधकर्ताओं ने अटाकामा साल्ट फ्लैट पर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन में पाया गया कि चिली का अटाकामा साल्ट फ्लैट **लिथियम ब्राइन निकालने के कारण धंसता** जा रहा है।

अटाकामा साल्ट फ्लैट के बारे में

- इसे **सालार डी अटाकामा** के नाम से भी जाना जाता है। यह चिली का सबसे बड़ा **नमक निक्षेप** है।
- इसकी खुरदरी सफेद सतह है, जिसके नीचे नमक की एक बड़ी झील है।
  - यह झील **विश्व के सबसे बड़े लिथियम भंडारों** में से एक है।
- यह **चिली के अटाकामा रेगिस्तान** में स्थित है, जो संभवतः **पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान** है।
- फ्लैट का उत्तरी भाग **सैन पेड्रो नदी डेल्टा** है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए **"धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान"** का शुभारंभ किया। इसे **प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA)** के रूप में भी जाना जाता है।

भारत में जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति	
जनसांख्यिकीय स्थिति	**मानव पूंजी की स्थिति**

• **जनसंख्या:** 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10.45 करोड़ (8.6%) है। **इसमें 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs) भी शामिल हैं**, जो ज़्यादातर दूर-दराज के और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं।
• **सामाजिक-आर्थिक स्थिति: दो-तिहाई से ज़्यादा जनजातीय लोग प्राथमिक क्षेत्रक** में काम कर रहे हैं।
  ○ कुल मिलाकर, **अनुसूचित जनजातियों की 40.6% आबादी गरीबी रेखा से नीचे** जीवन यापन कर रही है।
• **आवश्यक सुविधाओं तक पहुँच की कमी: अनुसूचित जनजातियों के** क्षेत्रों में **44% ग्रामीण परिवारों के पास अब तक नल कनेक्शन नहीं है।**
• **जनसांख्यिकी:** इनकी जनसंख्या का लगभग **90%** **हिस्सा ग्रामीण, पहाड़ी और वन क्षेत्रों** में निवास करता है।
  ○ **प्रजनन क्षमता:** प्रजनन दर घट रही है।
    ▪ **कुल प्रजनन दर: 2.5** है, जो कि प्रतिस्थापन स्तर 2.1 के करीब है।
  ○ **लिंगानुपात:** जनजातीय समुदायों में लिंगानुपात 1000:990 है। इस तरह अनुसूचित जनजातियों के बीच लिंगानुपात अखिल भारतीय औसत 933 से बेहतर है।
    ▪ **बाल लिंग अनुपात:** यह 2001 के 972 से घटकर 2011 में 957 हो गया।
	• **शिक्षा:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट (2021-2022) से पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति आबादी की साक्षरता दर बढ़कर **72.1%** हो गई है।
	  ○ अनुसूचित जनजाति के केवल 35% लोगों ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है, जबकि 2% से भी कम लोगों ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त की है।
	  ○ **सकल नामांकन अनुपात (GER)[79]:**
	    ▪ **उच्चतर प्राथमिक स्तर पर:** यह 2013-14 के 91.3 से बढ़कर 2021-22 में 98 हो गया।
	    ▪ **उच्चतर शिक्षा के स्तर पर:** यह 2014-15 के 13.7 से बढ़कर 2020-21 में 18.9 हो गया।
	• **स्वास्थ्य:** अनुसूचित जनजाति के लोगों की जीवन प्रत्याशा 63.9 वर्ष है, जबकि औसत आबादी की जीवन प्रत्याशा 67 वर्ष है।
	  ○ **कम वजन का प्रतिशत:** यह पाँच वर्ष से कम आयु में 2005-06 में 54.5 था, जो घटकर 2015-16 में 45.3 हो गया।
	  ○ **संस्थागत प्रसव:** यह 2005-06 के 17.7% से बढ़कर 2019-21 में 82.3% हो गया।
	  ○ **शिशु मृत्यु दर:** यह 2005-06 के 62.1 से घटकर 2019-21 में 41.6 हो गई।
	  ○ **बीमारियों का तिहरा बोझ: कुपोषण और मलेरिया व टीबी जैसी संक्रामक बीमारियां,** कैंसर, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी **गैर-संचारी बीमारियां** तथा मानसिक बीमारियां और विशेष रूप से नशे की लत आदि देखी जा रही हैं।
	  ○ **कुपोषण:** NFHS-4 में ठिगनापन (Stunting), दुबलापन (Wasting) और कम वज़न (Underweight) की व्यापकता क्रमशः 43.8%, 27.4% और 45.3% थी, जो NFHS-5 में क्रमशः 40.9%, 23.2% और 39.5% हो गई है।
	  ○ **टीबी:** अनुमानित रूप से प्रति 1,00,000 आबादी में टीबी के 703 मामले थे, जबकि गैर-जनजातीय आबादी में इसके 256 मामले थे।
	  ○ **आनुवंशिक विकार:** प्रत्येक 86 जन्मों में से 1 में **सिकल सेल रोग (SCD)** पाया जाता है। अन्य प्रचलित आनुवंशिक विकारों में **थैलेसीमिया** और **ग्लूकोज़-6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज (G6PD) की कमी** शामिल हैं।

[79] Gross Enrolment Ratio

	• **बुनियादी ढांचा:** 31 मार्च, 2015 तक अखिल भारतीय स्तर पर, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों में 6,796 स्वास्थ्य उप-केंद्र, 1,267 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 309 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी थी।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों तक सुविधाओं की 100% पहुँच सुनिश्चित करके **जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार** लाना है।
  - इसमें **अलग-अलग योजनाओं** के एकीकरण और लोगों तक पहुँच द्वारा सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में **अंतराल को समाप्त** करने की परिकल्पना की गई है।
  - इसका उद्देश्य **PMJANMAN** (प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) से प्राप्त सीख और सफलता के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों एवं **समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित** करना है।
- **वित्त पोषण:** इसका कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये है। इसमे केंद्र सरकार का योगदान 56,333 करोड़ रुपये और राज्यों का योगदान 22,823 करोड़ रुपये है।
- **कवरेज:** इसमें लगभग **63,000 गांवों** को शामिल किया जाएगा, जिससे **5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी को लाभ** होगा।
  - इसमें **30 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** के सभी जनजातीय बहुल गांवों वाले **549 जिलों और 2,740 ब्लॉक्स को शामिल** किया जाएगा।
- **मिशन के घटक:** इसमें **25 योजनाएं शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित** किया जाएगा।
  - इसके तहत अगले 5 वर्षों में **अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST)**[80] के तहत मंत्रालयों को धन आवंटित किया जाएगा।
    - इसमें साक्षरता, स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, आजीविका, कृषि आदि से संबंधित 200 से अधिक योजनाएं शामिल हैं।
- **मैपिंग और निगरानी:** इस अभियान के तहत शामिल जनजातीय आबादी वाले गांवों का मानचित्रण किया जाएगा और पी.एम. गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से उनकी निगरानी की जाएगी।

मिशन के तहत लक्ष्य	
लक्ष्य-1: सक्षमकारी बुनियादी ढांचे का विकास करना	• **पात्र परिवारों के लिए अन्य सुविधाओं के साथ-साथ पक्का घर:** ○ अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्का आवास मिलेगा। इसमें **नल से जल (जल जीवन मिशन)** और बिजली आपूर्ति की उपलब्धता शामिल होगी। ○ अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों को **आयुष्मान भारत कार्ड (पी.एम. जन आरोग्य योजना) तक** भी पहुंच होगी। • **गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार को बढ़ावा:** ○ अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में **हर मौसम में सड़क संपर्क** सुनिश्चित करना (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना), ○ **मोबाइल कनेक्टिविटी** (भारत नेट) और इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना, ○ **स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा** (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समग्र शिक्षा और पोषण)।
लक्ष्य-2: आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा	• **कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन और उन्नत आजीविका (स्व-रोजगार):** ○ प्रशिक्षण तक पहुँच (कौशल भारत मिशन/ JSS) प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित लड़के/ लड़कियों को हर साल 10वीं/ 12वीं कक्षा के बाद दीर्घकालिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।

[80] Development Action Plan for Scheduled Tribes

	○ जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (TMMC)[81] के माध्यम से **विपणन सहायता** देना, ○ **टूरिस्ट होम स्टे,** और ○ FRA (वन अधिकार अधिनियम) के तहत पट्टा धारकों के लिए कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित सहायता प्रदान की जाएगी।
लक्ष्य-3: अच्छी शिक्षा तक पहुंच का सार्वभौमीकरण	• स्कूल और उच्चतर शिक्षा में **सकल नामांकन अनुपात (GER)** को बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया जाना है। • जिला/ ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में **जनजातीय छात्रावासों की स्थापना** करके जनजातीय छात्रों के लिए सस्ती और सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना (समग्र शिक्षा अभियान)।
लक्ष्य-4: स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक वृद्धावस्था	• अनुसूचित जनजाति के परिवारों को **गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुँच** सुनिश्चित करना, • शिशु मृत्यु दर (IMR), मातृ मृत्यु दर (MMR) में **कमी कर** राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचना, • जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेंद्र 10 किलोमीटर (मैदानी क्षेत्रों) और 5 किलोमीटर (पहाड़ी क्षेत्रों) से अधिक दूर हैं, वहां **मोबाइल चिकित्सा यूनिट्स के माध्यम से टीकाकरण की सुविधा** दी जाएगी। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)।

प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA) के तहत शुरू की गई नई योजनाएं

- **ट्राइबल होम स्टे:** पर्यटन मंत्रालय द्वारा **स्वदेश दर्शन योजना के तहत** जनजातीय क्षेत्रों की **पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 1,000 होम स्टे** को बढ़ावा दिया जाएगा।
    - **एक गांव में 5-10 होम स्टे के निर्माण** के लिए जनजातीय परिवारों और गांव को धन मुहैया कराया जाएगा।
    - प्रत्येक परिवार को दो नए कमरों के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये और मौजूदा कमरों के नवीकरण के लिए 3 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। साथ ही, गांव की **सामुदायिक आवश्यकता के लिए 5 लाख** रुपये प्रदान किए जायेंगे।
- **वन अधिकार धारकों (FRA) को स्थायी आजीविका:** इस मिशन का विशेष ध्यान **22 लाख FRA पट्टा धारकों पर** है और कई मंत्रालयों की अलग-अलग योजनाओं का एकीकृत लाभ उन्हें प्रदान किया जाएगा।
    - इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य **वन अधिकारों को मान्यता देना और उन्हें सुरक्षित करने** की प्रक्रिया में तेजी लाना है।
- **सरकारी आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना:** इस अभियान का उद्देश्य पी.एम.-श्री विद्यालयों की तर्ज पर आश्रम विद्यालयों /छात्रावासों/ जनजातीय विद्यालयों/ सरकारी आवासीय विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
- **सिकल सेल रोग (SCD) के निदान के लिए उन्नत सुविधाएं स्थापित करना:** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के साथ-साथ उन राज्यों के प्रमुख संस्थानों में सक्षमता केंद्र (CoC) स्थापित किए जाएंगे, जहां **सिकल सेल रोग** का ज्यादा प्रभाव है।
    - सक्षमता केंद्र (CoC)[82] को प्रसव पूर्व निदान के लिए सुविधाओं, प्रौद्योगिकी, कर्मियों और अनुसंधान क्षमताओं से लैस किया जाएगा। इसकी लागत 6 करोड़ रुपये प्रति सक्षमता केंद्र होगी।
- **जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (TMMC)[83]:** जनजातीय समुदाय के उत्पादकों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं को जनजातीय उपज खरीदने में सुविधा प्रदान करने के लिए **100 TMMC स्थापित किए जाएंगे।**
    - यह केंद्र **कटाई और उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान को कम करने** और उत्पाद के **मूल्य को बनाए रखने में भी मदद** करेगा।

जनजातीय समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य पहलें

- **अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA):** यह वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें वन अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

---

81 Tribal Multipurpose Marketing Centre

82 Centre of Competence

83 Tribal Multipurpose Marketing Centre

©Vision IAS

- **शिक्षा:** आवासीय स्कूली शिक्षा सुविधाओं के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के छात्रों (कक्षा VI-XII) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)**[84] स्थापित किए गए हैं।
    - वर्तमान में, **401 EMRS में 1.2 लाख से अधिक छात्र नामांकित** हैं।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** लघु वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान किया जाता है और **प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन के माध्यम से** जनजातीय उत्पादों के लिए मार्केटिंग सहायता प्रदान की जाती है।
    - **प्रधान मंत्री वनबंधु विकास योजना** के तहत, जनजातीय समुदाय के युवाओं द्वारा उद्यमिता/ स्टार्ट-अप परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक **वेंचर कैपिटल फंड** की स्थापना की गई है।
        - इसके तहत **3,958 वन धन विकास केंद्र (VDVK) स्वीकृत** किए गए हैं।
- **बुनियादी ढांचे का विकास: प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना** (PMAAGY) का उद्देश्य अधिक जनजातीय आबादी वाले गांवों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है।
- **स्वास्थ्य परिणाम में सुधार पर बल: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** के तहत जनजातीय आबादी को प्रभावित करने वाले सिकल सेल रोग सहित हीमोग्लोबिन की कमी से संबंधित विकारों को नियंत्रित करने और रोकने के लिए एक व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किया गया है।

निष्कर्ष

PM-JUGA के तहत बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक सशक्तीकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच पर केंद्रित एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय आबादी के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों को समाप्त करना है। जैसे-जैसे इसके परिणाम सामने आएंगे, जनजातीय समुदायों के उत्थान और सशक्तीकरण की प्रतिबद्धता देश में समावेशी विकास हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भारत में जनजातियों के विकास के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #77: भारत में जनजातियां: एक विकास पथ का निर्माण

6.2. स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के 10 वर्ष पूरे हुए।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस मिशन के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत दिवस 2024 मनाया गया। यह 'स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता' की थीम के साथ निम्नलिखित तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित था:
    - **स्वच्छता की भागीदारी:** स्वच्छ भारत के लिए जन भागीदारी, जागरूकता और सहयोग को बढ़ावा देना।
    - **सम्पूर्ण स्वच्छता:** पहुंचने में कठिनाई वाले और गंदे स्थानों (स्वच्छता लक्ष्य इकाइयाँ) को लक्षित करके मेगा सफाई अभियान को बढ़ावा देना।
    - **सफाई मित्र सुरक्षा शिविर:** सफाई कर्मचारियों के कल्याण और स्वास्थ्य के लिए सिंगल-विंडो सर्विस, सुरक्षा और मान्यता शिविर की स्थापना करना।

डेटा बैंक

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की प्रमुख उपलब्धियां

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

- 11 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए गए हैं।
- 5.5 लाख से अधिक गांवों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

- **63 लाख से अधिक घरों में शौचालय** बनाए गए हैं।
- **1,429** शहरों को **ODF++** घोषित किया जा चुका है।

---

[84] Eklavya Model Residential Schools

स्वच्छ भारत मिशन (2014) के बारे में

- **शुरुआत:** इसे महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2014 को एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में शुरू किया गया।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाना है।
- **उप-मिशन**: इसके 2 उप-मिशन हैं। ये दोनों केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं:
    - **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):** यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित है।
        - SBM(G) चरण- II (2020-21 से 2024-25) को लागू किया जा रहा है।
    - **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी):** यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के तहत संचालित है।
        - SBM-U 2.0 चरण II को 2026 तक लागू किया जा रहा है।
- इसके तहत **"समग्र सरकार दृष्टिकोण"** को अपनाया जाता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **SBM का महत्त्व:** इस योजना ने भारत में **जल, सैनिटेशन और स्वच्छता (WASH)** में सुधार किया है तथा **स्वास्थ्य, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों को बेहतर** बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी एवं ग्रामीण) के अंतर्गत समग्र सरकार दृष्टिकोण

स्वच्छ सर्वेक्षण
इसे प्रमुख मात्रात्मक और गुणात्मक SBM–G मापदंडों पर राज्यों एवं जिलों के प्रदर्शन को रैंक प्रदान करने के लिए 2018 से आयोजित किया जा रहा है।

स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल (Swachh Iconic Places: SIP)
इसमें 100 'प्रतिष्ठित' धरोहर, धार्मिक और/या सांस्कृतिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों को शामिल किया गया है।

चैलेंज फंड
यह स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सेवा स्तर के मानदंडों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करता है।

रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान
यह ग्रामीण क्षेत्रों में मल गाद यानी मानव अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करता है।

कचरा मुक्त शहर (GFCs)–स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल
इसे शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच प्रतिस्पर्धी व मिशन–मोड भावना को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है।

स्वच्छ भारत कोष
वित्त मंत्रालय के तहत स्थापित यह कोष सार्वजनिक क्षेत्रक, कॉर्पोरेट्स और व्यक्तियों को फंड में योगदान करने की अनुमति देता है।

स्वास्थ्य, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों को बेहतर बनाने में स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की परिवर्तनकारी भूमिका

- **मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सुधार:** एक शोध के अनुसार, SBM के तहत निर्मित 30% से अधिक शौचालय वाले जिलों में **शिशु मृत्यु दर (IMR) में 5.3%** की कमी आयी है। साथ ही, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर **(U5MR) में 6.8% की कमी** दर्ज की गई है।
    - खुले में शौच **जल और खाद्य प्रदूषण का स्रोत** है। SBM के तहत खुले में शौच को रोककर हर साल 60 से 70 हजार बच्चों की जान बचाई गई है।
- **रोग:** WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया से 3,00,000 मौतें कम हुई हैं।
    - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अनुसार, ऐसे क्षेत्र जो खुले में शौच मुक्त नहीं हैं, **वहां बच्चों में वेस्टिंग (दुबलापन) के मामले 58% अधिक हैं।**

शब्दावली को जानें

➤ **शिशु मृत्यु दर (IMR):** प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की होने वाली मृत्यु की संख्या।

* **छात्रों का नामांकन:** जल, सैनिटेशन और स्वच्छता (WASH) की खराब सुविधाएं खासकर छात्राओं की उपस्थिति और नामांकन पर प्रतिकूल असर डालती हैं।
* **महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी:** यूनिसेफ के अनुसार, स्वच्छता सुविधाओं तक बेहतर पहुंच को, **93% महिलाओं ने घर पर सुरक्षित महसूस** करने का एक बड़ा कारण माना है।
* **स्वास्थ्य व्यय में कमी से बचत:** यूनिसेफ के अनुसार, स्वच्छता के कारण, गांवों में परिवारों द्वारा हर साल औसतन 50,000 रुपये की बचत की जा रही है। ये राशि पहले बीमारियों के इलाज के लिए ख़ुद ही खर्च करनी पड़ती थी।
* **आजीविका के अवसरों को बढ़ावा:** यूनिसेफ के अनुसार, SBM के करण लगभग 1.25 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप में रोजगार मिला है।
* **पर्यावरण में सुधार:** यूनिसेफ के अनुसार, खुले में शौच में कमी से **भूजल संदूषण** की संभावना 12.70 गुना कम हो गई है।

स्वच्छ भारत मिशन स्वास्थ्य, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों को बेहतर बनाने में सफल क्यों रहा है?

SBM की सफलता इसके नए दृष्टिकोण में निहित है। इस दृष्टिकोण के तहत शौचालय निर्माण को सामुदायिक सहभागिता के साथ जोड़ा गया और IEC[85] में बड़े निवेश किए गए, ताकि व्यवहार में बदलाव लाया जा सके। इसे निम्नलिखित के रूप में देखा जा सकता है-

* इसके तहत सरकारी अधिकारियों, फ्रंटलाइन कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और समुदायों के लिए **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश** किया गया।
* प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपचार संयंत्रों और पुनर्चक्रण केंद्रों के साथ-साथ **अपशिष्ट पृथक्करण, संग्रह, परिवहन और निपटान प्रणालियों की स्थापना** की गई।
* नागरिक जुड़ाव और निगरानी के लिए **मोबाइल और वेब एप्लिकेशन** लांच किए गए हैं।
* राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (NARSS)[86] के माध्यम से **प्रगति का आकलन** किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित प्रमुख मुद्दे

* **व्यवहार में बदलाव की चुनौती:** सर्वेक्षणों के दौरान, कई घरों में यह पाया गया है कि शौचालयों का उपयोग गोबर आदि के भंडारण के लिए किया जा रहा है।
* **बुनियादी ढांचे की कमी:** इसमें **कचरा प्रबंधन प्रणालियों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कमी** प्रमुख समस्याएं हैं।
  * SBM (G) के तहत शौचालयों के निर्माण में खराब गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग किया जा रहा है।
* **जल की उपलब्धता:** जिन राज्यों में शौचालयों में जल की उपलब्धता कम है, वहाँ खुले में शौच की अधिकता है।
* **वित्त-पोषण:** इसके तहत बजटीय आवंटन 2017-18 में लगभग 16,000 करोड़ था, जो घटकर 2024-25 में लगभग 7,000 करोड़ हो गया है।
  * साथ ही, IEC गतिविधियों के लिए धन के उपयोग में भी गिरावट आई है।
* **ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM)[87] की चुनौती:** अपशिष्ट पृथक्करण की कमी और आबादी क बिखरे हुए पैटर्न में बसावट के चलते आर्थिक रूप से व्यवहार्य बाजार-आधारित समाधान लाना कठिन हो जाता है।

आगे की राह

* **व्यवहार में बदलाव को बढ़ावा:** व्यापक जागरूकता अभियान जैसे उपायों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  * मिशन के तहत **IEC का उपयोग** ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए।
* **मानक बुनियादी ढांचे का निर्माण:** प्रभावी स्वच्छता के लिए, नोडल एजेंसियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मानक गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग किया जाए।

---

[85] Information, Education and Communication/ सूचना, शिक्षा और संचार

[86] National Annual Rural Sanitation Survey

[87] Solid & Liquid Waste Management

- **पानी की उपलब्धता:** सभी गाँवों में खुले में शौच से मुक्त का दर्जा प्राप्त करने के लिए शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ पानी की उपलब्धता के प्रावधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **विश्वसनीय डेटा तक पहुँच:** संस्थागत तंत्र के माध्यम से या पुनः सर्वेक्षण द्वारा खुले में शौच से मुक्त घोषित गांवों/ शहरों की जानकारी निरंतर अंतराल पर सटीक रूप से एकत्र की जानी चाहिए।
- **अव्ययित शेष राशि का उपयोग करना:** यदि राज्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ आवंटित राशि का उपयोग नहीं कर रही हैं, तो सरकार अव्ययित शेष राशि का उपयोग करने के लिए राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएँ बना सकती है।
- **केंद्र सरकार के हिस्से का समयबद्ध आवंटन:** केंद्र का हिस्सा केवल तभी जारी किया जाना चाहिए जब केंद्र सरकार को राज्यों से प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों (Utilisation Certificates: UCs) की सत्यता सुनिश्चित हो।

6.3. आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat PM-JAY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवर को मंजूरी दी है।

योजना के विस्तार से संबंधित विवरण

- **पात्रता मानदंड: 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के** सभी वरिष्ठ नागरिक इस योजना के पात्र होंगे, चाहे उनकी आय कुछ भी हो।
  - इस योजना से **लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ** मिलेगा।
- **दिए जाने वाले लाभ:** वरिष्ठ नागरिकों को **सालाना 5 लाख रुपये का परिवार आधारित स्वास्थ्य कवर** मिलेगा।
  - जो लोग पहले से ही AB-PMJAY के तहत शामिल हैं, उन्हें **अपने परिवार के मौजूदा कवर से अलग, सालाना 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप** मिलेगा।
- **आसान एक्सेस:** पात्र वरिष्ठ नागरिकों को **अलग से एक कार्ड** जारी किया जाएगा।
- **अन्य प्रमुख विशेषताएं:**
  - अन्य लोक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे वरिष्ठ नागरिक **या तो अपनी मौजूदा योजना या AB PM-JAY को चुन** सकते हैं।
  - **निजी स्वास्थ्य बीमा या कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं** के अंतर्गत आने वाले वरिष्ठ नागरिक भी AB PM-JAY लाभ के लिए **पात्र** हैं।

AB PM—JAY के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने की आवश्यकता क्यों?

बढ़ती जनसंख्या	बुजुर्ग आबादी हेतु अपर्याप्त सुरक्षा तंत्र	परिवार पर निर्भर
➢ **70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आबादी** 2001 में भारत की जनसंख्या का **2.8%** थी। यह 2021 में बढ़कर **4.3%** हो गई और **2031 तक इससे दोगुनी** होने की संभावना व्यक्त की गई है।	➢ **बुजुर्ग आबादी** (60 वर्ष से अधिक आयु) के **लगभग 1/5 हिस्से को ही स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर** किया गया है। ➢ भारत में बुजुर्ग आबादी की देखभाल में सुधारों पर नीति आयोग के एक अध्ययन अनुसार, लगभग **78% लोगों को किसी तरह के पेंशन का लाभ नहीं मिल** रहा है।	➢ लगभग **70% बुजुर्ग व्यक्ति** रोजमर्रा के भरण–पोषण के लिए अपने परिवार और रिश्तेदारों पर निर्भर हैं।

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (2018) के बारे में

- **मंत्रालय**: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- **योजना का प्रकार:** आयुष्मान भारत मिशन के तहत **केंद्र प्रायोजित योजना।**

- **योजना की पृष्ठभूमि**: PM-JAY को पहले **राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS)**[88] के रूप में जाना जाता था।
  - इसमें 2008 में शुरू की गई **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)** को भी शामिल कर लिया गया है।
- **योजना का उद्देश्य:** इसका उद्देश्य गरीब और कमजोर समूहों पर गंभीर बीमारियों के कारण अस्पताल में अधिक खर्चे से उत्पन्न होने वाले वित्तीय बोझ को कम करना और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना है।
  - **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)** को प्राप्त करना भी इसका एक उद्देश्य है।
- **योजना का लक्ष्य:** इसमें 12 करोड़ परिवारों (लगभग 55 करोड़ लाभार्थी) को शामिल किया गया है। इसमें आबादी के सबसे गरीब 40% लोगों को प्राथमिकता दी गई है।
- **वित्त-पोषण:** यह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त-पोषित योजना है।
  - **केंद्र और राज्य द्वारा वित्त-पोषण का अनुपात 60:40 है।** हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों और दो हिमालयी राज्यों- हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर (वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश) के लिए यह अनुपात 90:10 है।
  - **बिना विधान-मंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र का हिस्सा 100%** है, जबकि **विधान-मंडल वाले** केंद्र शासित प्रदेशों के लिए योगदान का अनुपात **60:40** है।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां:** इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)[89] द्वारा किया जा रहा है। NHA एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा की जाती है।
  - **राज्य:** राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण इसका कार्यान्वयन करता है।
  - **जिला:** जिला स्तर पर इसका कार्यान्वयन जिला कार्यान्वयन इकाई (DIU) द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जिले का DC/ DM/ कलेक्टर करता है।
- **लाभार्थी:** सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 (SECC-2011) के माध्यम से पहचाने गए परिवार इसके लाभार्थी हैं।
  - साथ ही, वे परिवार भी इसके लाभार्थी होंगे, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आते थे, लेकिन SECC-2011 का हिस्सा नहीं थे।

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के प्रमुख घटक

- **आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना (AAM):** इसके तहत 1,50,000 AAM की स्थापना की जाएगी। ये पूर्व में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWCs) के रूप में स्थापित थे। इसका उद्देश्य लोगों को ऐसी व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, जो सार्वभौमिक और निःशुल्क होगी।
  - इसके तहत मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा गैर-संचारी रोगों, पैलिएटिव और रिहैबिलिटेशन स्वास्थ्य सेवाओं, ओरल, नेत्र और ENT देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य आदि के लिए एक्सटेंड सर्विसेस प्रदान करने कल्पना की गई है।

क्या आप जानते हैं?

> आयुष्मान भारत–प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM–JAY) **सरकार द्वारा वित्त–पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना** है।

- **प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY):** इसके तहत **द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए** अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में **5 लाख रुपये/ परिवार प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर प्रदान** किया जाता है।
  - इसके तहत अस्पताल में **भर्ती होने से पहले के 3 दिनों तक और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों तक के खर्च** को भी कवर किया जाता है।
  - इसके तहत अस्पताल की सभी **स्वास्थ्य सेवाएं कैशलेस और पेपरलेस रखी गई हैं।**
  - **इसमें परिवार के आकार, व्यक्ति की आयु या जेंडर से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं है।**
  - इसमें एनरोलमेंट के पहले दिन से ही **पहले से मौजूद सभी बीमारियों को कवर** किया जाता है।
  - इस योजना के तहत **राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी की सुविधा है अर्थात् लाभार्थी देश के किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक या निजी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं।**

---

[88] National Health Protection Scheme

[89] National Health Authority

AB PM-JAY की प्रमुख उपलब्धियां

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुँच	स्वास्थ्य देखभाल के बोझ में कमी	स्वास्थ्य देखभाल में लैंगिक समानता	स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को बढ़ावा
➤ **35.4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड** जारी किए गए हैं। ➤ **30,529 अस्पतालों** (17,063 सरकारी और 13,466 निजी) को सफलतापूर्वक पैनल में शामिल किया जा चुका है। ➤ **7.79 करोड़ रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद** उनके स्वास्थ्य खर्चे का बिल भरा जा चुका है।	➤ स्वास्थ्य देखभाल पर **आउट–ऑफ–पॉकेट (OOP) व्यय में 21% की कमी** आई है। ➤ स्वास्थ्य संबंधी खर्चों हेतु लिए गए **आपातकालीन ऋणों** की घटनाओं में **8% की कमी** आई है।	➤ **49% आयुष्मान** कार्ड महिलाओं को जारी किए गए हैं। ➤ **3.61 करोड़ महिला रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद** उनके स्वास्थ्य खर्चे का बिल भरा जा चुका है।	➤ AB PM–JAY योजना के तहत मरीजों के इलाज के लिए मिलने वाले भुगतान के कारण जिला अस्पतालों को प्रति वर्ष **26.1 मिलियन डॉलर का शुद्ध लाभ** हो रहा है। ◆ यह वित्तीय प्रोत्साहन रोगियों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाता है।

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ी चिंताएं/ चुनौतियां (CAG रिपोर्ट, 2023 के अनुसार)

- **लाभार्थी डेटाबेस में त्रुटियां:** सत्यापन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण लाभार्थी डेटाबेस में कई त्रुटियां देखी गईं हैं। उदाहरण के लिए- **फर्जी नाम, अवास्तविक जन्म तिथि, डुप्लिकेट PMJAY आईडी, एक घर में परिवार के सदस्यों की अवास्तविक संख्या,** आदि।
  - उदाहरण के लिए- तमिलनाडु में, सात आधार नबंर पर 4,761 पंजीकरण किए गए थे।
- **खराब बुनियादी ढांचा:** कुछ सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (EHCPs)[90] **सपोर्ट सिस्टम और बुनियादी ढाँचे के न्यूनतम मानदंडों को भी पूरा नहीं** करते हैं। साथ ही, ये EHCPs निर्धारित गुणवत्ता मानकों तथा मानदंडों का भी पालन नहीं करते हैं।
- **वित्तीय अनियमितताएं:**
  - इसमें प्रीऑथराइज़ेशन (उपचार के लिए भुगतानकर्ता से पहले से अनुमति लेना) से पहले भर्ती होना, योजना की शुरुआत से पहले के खर्च को जोड़ना, रोगी की अस्पताल से छुट्टी के बाद सर्जरी, दावों के सबमिशन से पहले भुगतान, तिथियों की अनुपलब्धता/ अवैध तिथियाँ, अपर्याप्त सत्यापन, आदि शामिल हैं।
  - कई सरकारी अस्पतालों ने PMJAY से प्राप्त पैसे का उपयोग योजना के तहत **निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं** किया है।
- **कार्यान्वयन में देरी:** इसमें अस्पतालों द्वारा दावे प्रस्तुत करने में देरी, प्रीऑथराइज़ेशन की मंजूरी, शिकायतों का देरी से समाधान, आदि शामिल हैं।
- **मास्टर डेटा की अनुपस्थिति:** यह समस्या डेटा को बनाए रखने के लिए सामान्य प्रारूप की कमी के कारण उत्पन्न हो रही है।

निष्कर्ष

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना ने लाखों लोगों को आवश्यक कवरेज प्रदान करके और चिकित्सा व्यय से जुड़े वित्तीय बोझ को कम कर स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को काफ़ी अधिक बदल दिया है। इसके कार्यान्वयन को अक्षरशः सुनिश्चित करने के लिए NHA द्वारा कुशल सत्यापन प्रक्रिया, बेहतर बुनियादी ढांचा, अस्पतालों की जियो-टैगिंग, नियमित सत्यापन जैसे और अधिक सक्रिय कदम उठाने होंगे।

---

[90] Empanelled Health Care Providers

6.4. बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (Child Sexual Exploitative and Abuse Material: CSEAM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि **बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) को किसी भी रूप में रखना या देखना 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012'** तथा **'सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000'** के तहत एक गंभीर अपराध है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर एक नज़र:

- **मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया:** सुप्रीम कोर्ट ने **मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट** दिया, जिसमें कहा गया था कि **बाल पोर्नोग्राफ़िक सामग्री का मात्र भण्डारण करना कानून का उल्लंघन नहीं है,** जब तक कि व्यक्ति ने पोर्नोग्राफ़िक उद्देश्यों के लिए किसी बच्चे या बच्चों का इस्तेमाल न किया हो।
- **CSEAM का भण्डारण अपराध है:** सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसी सामग्री का **न केवल भौतिक भंडारण बल्कि "कंस्ट्रक्टिव नियंत्रण" भी POCSO अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत आएगा,** भले ही व्यक्ति ने सामग्री का सक्रिय रूप से उत्पादन या वितरण न किया हो। **कंस्ट्रक्टिव नियंत्रण (Constructive possession)** एक कानूनी अवधारणा है, जो एक ऐसी स्थिति का वर्णन करती है, जहां किसी के पास किसी परिसंपत्ति पर भौतिक/ वास्तविक अधिकार किए बिना उसे नियंत्रित करने की शक्ति होती है।
  - POCSO अधिनियम की **धारा 15** में बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफ़िक सामग्री के भंडारण या स्वामित्व को **दंडनीय** अपराध घोषित किया गया है।
- **दुष्ट इरादा (Common Malevolent Intent):** CSEAM देखने और बाल यौन शोषण के कृत्य में कोई अंतर नहीं है, भले ही ये दोनों व्यावहारिक रूप से अलग हैं। ऐसा इस कारण, क्योंकि दोनों गतिविधियों में समान रूप से यौन संतुष्टि के लिए बच्चे का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार, इन दोनों ही कृत्यों में दुष्ट इरादा निहित है।
- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** सुप्रीम कोर्ट ने CSEAM को बच्चों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से **सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन माना** है।
- **शब्दावली में बदलाव:** सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की अदालतों को निर्देश दिया है कि वे **"चाइल्ड पोर्नोग्राफी" शब्दावली का इस्तेमाल न करें।** इसकी बजाय **"चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल यानी बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM)"** शब्दावली का इस्तेमाल करें।
  - सुप्रीम कोर्ट ने संसद को सुझाव भी दिया कि इस शब्दावली को बदलने के लिए POCSO अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। साथ ही, केंद्र सरकार से इस दौरान **अध्यादेश जारी करने** के लिए भी कहा गया है।

CSEAM का प्रभाव

- **मानसिक आघात:** यह अवसाद, चिंता और मनोवैज्ञानिक विकार के रूप में प्रकट हो सकता है।
- पीड़ित को लोगों द्वारा हेय दृष्टि से देखने से उसमें लज्जित होने, अपराधबोध और मूल्यरहित होने की भावनाएं बढ़ने लगती हैं।
- **बच्चे का अमानवीयकरण:** जहां बच्चे को उपभोग की जाने वाली वस्तु के रूप में देखा जाता है।
- **सामाजिक प्रभाव:** इसमें घोर सामाजिक कलंक और अलगाव शामिल है।
- **आर्थिक प्रभाव:** इसमें कम शैक्षणिक उपलब्धि, रोजगार पाने में कठिनाई और आर्थिक कठिनाइयां आदि आते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के सुझाव

- **यौन शिक्षा को बढ़ावा देना:** व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी के कानूनी और नैतिक प्रभावों के बारे में जानकारी शामिल हो।
  - इन कार्यक्रमों से युवाओं को **सहमति और शोषण के प्रभाव की स्पष्ट समझ** मिलनी चाहिए।
  - कोर्ट ने **झारखंड में उड़ान कार्यक्रम** जैसे सफल यौन शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।

- **समिति का गठन करना:** केंद्र सरकार **एक विशेषज्ञ समिति के गठन** पर विचार कर सकती है। यह समिति स्वास्थ्य और यौन शिक्षा के लिए एक समग्र कार्यक्रम तैयार करेगी तथा साथ ही, बच्चों में POCSO के बारे में जागरूकता भी बढ़ाएगी।
- **सहायता और पुनर्वास:** सरकार द्वारा पीड़ितों को सहायता सेवाएं प्रदान करनी चाहिए और अपराधियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।
  - इन सेवाओं में अंतर्निहित समस्याओं का समाधान करने और स्वास्थ्यप्रद विकास को बढ़ावा देने के लिए **मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सा सहायता तथा शैक्षिक सहायता** शामिल की जानी चाहिए।
- **युवाओं में समस्यात्मक यौन व्यवहार की शुरुआती पहचान और हस्तक्षेप:** ऐसे युवाओं की समय रहते पहचान करनी चाहिए और उनके सुधार के लिए रणनीतियां लागू करनी चाहिए।
- **सरकार के दायित्व पर जोर:** POCSO केंद्र और राज्य सरकारों को उपाय करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि इसके प्रावधानों का टेलीविजन, रेडियो एवं प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के अलग-अलग माध्यमों से व्यापक प्रचार किया जाए।
- **सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना:** समाज को POCSO अधिनियम के तहत अपराधों से पीड़ित हुए बच्चों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करना होगा; पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कानूनी फ्रेमवर्क में सुधार करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 के बारे में

- **उद्देश्य:** POCSO **यौन शोषण और दुर्व्यवहार से सभी बच्चों की सुरक्षा एवं बचाव** के उद्देश्य से बनाया गया एक व्यापक कानून है।
  - इसमें न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चों के हित और कल्याण को समुचित महत्त्व दिया गया है। इसके लिए इस कानून में रिपोर्टिंग, साक्ष्य के एकत्रीकरण, अपराधों की जांच और ट्रायल के लिए बाल अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाया गया है।
- **अपराध:** POCSO के तहत **दंडनीय यौन अपराधों की तीन व्यापक श्रेणियां हैं:** यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी के लिए बच्चे का इस्तेमाल करना।
  - POCSO के तहत **'बच्चे' को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति** के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **2019 में अधिनियम में संशोधन:** इस संशोधन के जरिये बच्चों से जुड़े यौन अपराध के मामलों में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान शामिल किया गया है।
- **विशेष न्यायालयों की स्थापना:** POCSO नियमों के तहत विशेष न्यायालय राहत या पुनर्वास के दौरान बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरिम मुआवजे का आदेश पारित कर सकता है।
  - इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की एक रिपोर्ट के अनुसार, **फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालय, POCSO मामलों को निपटाने में अन्य न्यायालयों की तुलना में अधिक दक्ष हैं** (फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालयों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए इस टॉपिक के अंत में दिया गया बॉक्स देखें)।

बच्चों की सुरक्षा के लिए किए गए अन्य उपाय

- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000:** इसमें **2008 में संशोधन** किया गया था। इस संशोधन द्वारा इस अधिनियम के दायरे को व्यापक बनाया गया है। इसमें उन अपराधों को भी शामिल किया गया है, जिनके प्रति बच्चे सबसे अधिक सुभेद्य होते हैं।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम[91], 2021** का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) के प्रसार को रोकना है।
    - ये नियम सोशल मीडिया मध्यवर्तियों के लिए CSEAM की पहचान करने और ऐसी सामग्री तक उपयोगकर्ता की पहुंच को रोकने के लिए टूल्स विकसित करना अनिवार्य बनाते हैं।
- **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम[92], 2015:** यह अधिनियम देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे को ऐसे बच्चे के रूप में परिभाषित करता है, जिसके साथ यौन या अवैध उद्देश्यों के लिए दुर्व्यवहार, अत्याचार या शोषण किया गया है; किया जा रहा है; या होने की संभावना है।

---

[91] Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules

[92] Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act

- **भारतीय न्याय संहिता:** इसका अध्याय-V महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों, विशेष रूप से यौन अपराधों से संबंधित है।
- **बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016:** यह योजना बच्चों के खिलाफ अपराधों, विशेष रूप से यौन अपराधों को रोकने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UN-CRC)[93], 1990 का अनुसमर्थन:** भारत द्वारा CRC का अनुसमर्थन ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधानों को मजबूत करता है। यह उनके अधिकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित बनाए रखना सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारत में बाल यौन शोषण से संबंधित कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। कोर्ट ने बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के मात्र भण्डारण को भी अपराध घोषित करके तथा बच्चों के लिए कानूनी सुरक्षा का विस्तार करके, बाल सुरक्षा कानूनों के अधिक मजबूत प्रवर्तन के लिए रास्ता तैयार किया है।

संबंधित सुर्ख़ियां: फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs)

- **इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन** द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, **बलात्कार के मामलों और 'POCSO अधिनियम' से संबंधित मामलों को निपटाने में फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) अधिक कुशल हैं।**
  - **फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) के बारे में:**
    - सरकार ने **2019 में FTSC योजना** बनाई थी, ताकि देशभर में FTSCs और विशेष POCSO न्यायालयों की स्थापना की जा सके। इससे बलात्कार और POCSO अधिनियम के तहत आने वाले मामलों का त्वरित निपटान किया जा सकेगा।
      - **विधि और न्याय मंत्रालय** इस योजना को राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों तथा हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर लागू कर रहा है।
      - FTSCs संबंधी योजना एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। इस योजना को **2019** में शुरू किया गया था। अब इसे **2026 तक बढ़ा** दिया गया है।
      - **FSTC के सदस्य:** इसके प्रत्येक न्यायालय में **1 न्यायिक अधिकारी और 7 कर्मचारी सदस्य** के रूप में शामिल होते हैं।
  - **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - **2022 में 83%** और **2023 में 94%** निपटान दर के साथ, FTSCs ने उच्चतम दक्षता का प्रदर्शन किया है।
    - इसके विपरीत, इससे पहले सभी न्यायालयों में बलात्कार और POCSO से जुड़े मामलों की निपटान दर अत्यंत कम थी। जिसमें **2022 में पारंपरिक अदालतों द्वारा यह दर केवल 10%** ही थी।
    - अगस्त 2024 तक, **1023 निर्धारित न्यायालयों में से, 410 समर्पित POCSO** न्यायालय हैं और इन्हे मिलाकर **कुल 755 FTSCs** कार्यरत हैं।
    - भारत को देशभर में लंबित बलात्कार और POCSO के सभी मामलों को खत्म करने के लिए योजना में **कम-से-कम 1,000 और FTSCs शामिल करने की आवश्यकता** होगी।
    - **निर्भया फंड का 24% अप्रयुक्त है और अभी तक आवंटित नहीं** किया गया है। इसका उपयोग करके अतिरिक्त FTSCs को कम-से-कम 2 वर्षों तक संचालित किया जा सकता है।

6.5. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment of Women at Workplace)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में **मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के शोषण, यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता का खुलासा हुआ है।**

---

[93] UN Convention on the Rights of the Child

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

- **परिभाषा:** यह किसी भी **कार्यस्थल पर अवांछित यौन प्रस्ताव, यौन संबंध की मांग, अथवा यौन प्रकृति के अन्य मौखिक या शारीरिक आचरण** को संदर्भित करता है।
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, **2022 में देश में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 419 से अधिक मामले (यानी लगभग 35 मामले प्रति माह)** दर्ज किए गए थे।
- **यौन उत्पीड़न के प्रकार:** यौन उत्पीड़न को पारंपरिक रूप से **दो प्रमुख प्रकारों** में विभाजित किया जाता है:
  - **किसी लाभ के बदले यौन संबंध (क्विड प्रो क्वो):** इसमें **पदोन्नति, उच्च वेतन** आदि के वादे जैसे कार्यस्थल संबंधी लाभों के बदले में यौन संबंधों की मांग करना शामिल है।
  - **कार्यस्थल पर अनुचित माहौल:** एक ऐसा कार्यस्थल जहां कर्मचारी नियमित रूप से अवांछित यौन व्यवहार का सामना करते हैं, जो इतना गंभीर होता है कि यह उनके काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है और उन्हें अपमानित, डरा हुआ या असुरक्षित महसूस कराता है। इस तरह के व्यवहार में यौन उत्पीड़न, यौन छेड़छाड़, यौन टिप्पणियां और यौन प्रकृति के अवांछित शारीरिक संपर्क शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए- यौन चुटकुले, अनुचित स्पर्श आदि।

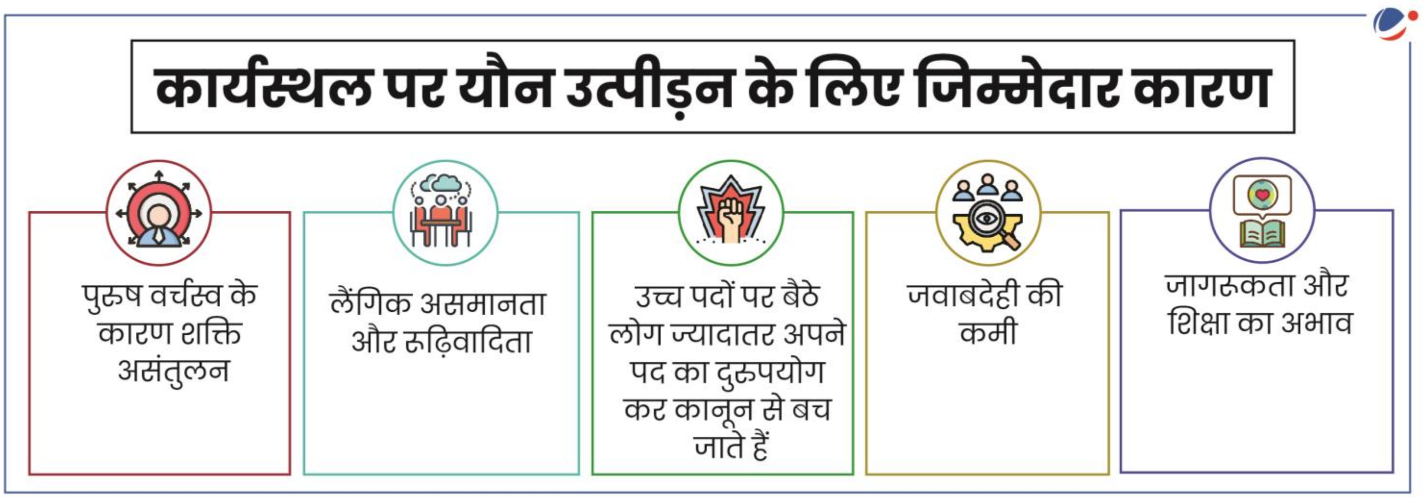

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रभाव

- **महिला पर प्रभाव:**
  - **करियर में व्यवधान:** यह एक असुरक्षित और प्रतिकूल कार्य संस्कृति का निर्माण करता है, जो महिलाओं के पेशेवर विकास में बाधा डालती है तथा उनके समग्र कल्याण को प्रभावित करती है।
  - **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिला अक्सर तनाव और अत्यधिक चिंता की स्थिति का सामना करती है। साथ ही, उसे आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास में कमी का भी अनुभव करना पड़ता है।
  - **महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** कार्यस्थल पर महिलाओं का **यौन उत्पीड़न लैंगिक भेदभाव** का एक रूप है। यह संविधान के **अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार** का उल्लंघन है।
- **कार्यस्थल पर प्रभाव:**
  - **दूषित कार्य संस्कृति:** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न **दूषित कार्य संस्कृति का निर्माण** कर सकता है। ऐसी कार्य संस्कृतियां भेदभाव, धमकियों और अनुचित व्यवहार को सामान्य बनाती हैं। इससे महिलाओं के लिए कार्यस्थल का परिवेश असुरक्षित और गैर-समावेशी हो जाता है।
  - **उत्पादकता में गिरावट:** यौन उत्पीड़न अक्सर **संगठनात्मक दक्षता और वित्तीय प्रदर्शन** को दुष्प्रभावित करता है।
- **समाज पर प्रभाव:**
  - **लैंगिक असमानता का बने रहना:** यौन उत्पीड़न महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करता है। यह महिलाओं की करियर वृद्धि और पेशेवर विकास को हतोत्साहित करके लैंगिक असमानता को मजबूत करता है।

- **महिलाओं की कार्यबल में कम भागीदारी:** जब महिलाएं उत्पीड़न के कारण अपनी नौकरी या करियर को छोड़ती हैं, तो इससे कुल कार्यबल में उनकी भागीदारी कम हो जाती है।
    - यौन उत्पीड़न के कारण नौकरी में बदलाव या करियर में व्यवधान वेतन में लैंगिक अंतराल में वृद्धि को भी बढ़ावा देते हैं।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए शुरू की गई पहलें

- **विशाखा दिशा-निर्देश (1997):** ये दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य** मामले में जारी किए गए थे।
    - POSH अधिनियम से पहले, विशाखा दिशा-निर्देश भारत में **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था।**
- **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम)[94]:** इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना है। साथ ही, ऐसे उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करना है।
    - यह यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान के लिए **आंतरिक शिकायत समिति (ICC) और स्थानीय शिकायत समितियों** के गठन का प्रावधान करता है। **10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में एक ICC को अनिवार्य** किया गया है।
- **यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स (She-Box):** यह कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। इसे **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2017** में लॉन्च किया था।
- **महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय:** यह एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है, जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने के अधिकार को सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता देता है।
    - **भारत ने 1993 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि** की थी।

आगे की राह

- **POSH अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाना:** कंपनियों द्वारा **आंतरिक शिकायत समितियों (ICCs) की स्थापना** सुनिश्चित करने के लिए **बिना पूर्व सूचना के ऑडिट** करना चाहिए। साथ ही, अनुपालन करने में विफल रहने वाले संगठनों पर सख्त दंड लागू करना चाहिए।
    - अनौपचारिक क्षेत्रक में महिलाओं के लिए **स्थानीय शिकायत समितियों को अधिक सुलभ** बनाया जाना चाहिए।
- **कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** कंपनियों के वरिष्ठ पदों पर लैंगिक विविधता पितृसत्तात्मक संरचनाओं को खत्म करने में सहायता करती है और उत्पीड़न की घटनाओं को कम करती है।

---
[94] Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act

- **सिविल सोसाइटी समूहों के साथ सहयोग:** विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्रक जैसे कि कृषि क्षेत्रक में और घरेलू काम करने वाली महिलाओं को शिक्षित करने तथा उनका समर्थन करने में इनका उपयोग किया जाना चाहिए।
- **हेमा समिति की सिफारिशें:**
    - **सिनेमा में महिलाओं का चरित्र चित्रण:** फिल्मों में उन्हें **सिविल सेवक, राजदूत, नेता** जैसे शक्तिशाली पदों पर आसीन व्यक्तियों के रूप में चित्रित करना चाहिए।
    - **लैंगिक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करना:** इसमें पुरुषों द्वारा प्राप्त सत्ता के एकाधिकार को चुनौती देना; महिलाओं को पुरुषों के बराबर प्रस्तुत करना आदि शामिल है।
    - **पुरुषत्व और स्त्रीत्व को फिर से परिभाषित करना:** पुरुषत्व को हिंसा और आक्रामकता की बजाय **न्याय, समानता और करुणा** के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए।
        - **स्त्रीत्व को निष्क्रियता और मौन होकर पीड़ा सहने वाले चित्रण से अलग करना चाहिए।**
            - **महिलाओं की सहायता के लिए कल्याण कोष का निर्माण:** प्रसव और स्वास्थ्य या अन्य जिम्मेदारियों के कारण नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं की सहायता के लिए कल्याण कोष का गठन करना चाहिए।

6.6. महिला नेतृत्व वाले स्वयं-सहायता समूह (SHGs): लखपति दीदी {Women-Led Self-Help Groups (SHGS): Lakhpati Didi}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई "लखपति दीदियों"** को सम्मानित किया।

शब्दावली को जानें

- **स्वयं सहायता समूह (SHGs):** ये **स्वैच्छिक** और **अनौपचारिक** संगठन होते हैं जो **समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि** वाले व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं। ये संगठन स्व-शासित होते हैं और इनपर इनके सदस्यों का ही नियंत्रण होता है। इनमें अधिकतम **20 सदस्य** शामिल होते हैं। **सभी सदस्य एक साझे उद्देश्य के लिए SHGs से जुड़ते हैं।**

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने **2,500 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड** भी जारी किया। इस फंड से **4.3 लाख स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ** मिलेगा।
    - रिवॉल्विंग फंड का उद्देश्य **ऋण देने की प्रक्रिया में तेजी लाना और SHGs के विकास के लिए आवश्यक निधि में बढ़ोतरी** करना है।
    - SHGs को रिवॉल्विंग फंड प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य **SHGs के सदस्यों में बचत और संस्थागत ऋण की आदत डालना तथा बाहर से लिए गए फंड्स के प्रबंधन पर उनकी संस्थागत क्षमताओं** का निर्माण करना है।
    - यह SHGs की सहायता के लिए बना एक **स्थायी कोष है।**
- इसके अलावा, प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर **5,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण भी वितरित** किए। इससे **2.35 लाख SHGs के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ** होगा।

लखपति दीदी पहल के बारे में

- लखपति दीदी **कोई अलग योजना नहीं** है, बल्कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) की **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)** के तहत शुरू की गई है। यह पहल **महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लक्ष्य के अंतर्गत आने वाला एक परिणाम है।**
    - DAY-NRLM का उद्देश्य प्रत्येक **ग्रामीण गरीब परिवार से कम-से-कम एक महिला सदस्य को SHGs का सदस्य बनाना** और उसे उसकी आर्थिक गतिविधियों में सहयोग देना है।

    - DAY-NRLM को **2011 से मिशन मोड** में लागू किया जा रहा है।
- लखपति दीदी SHG की एक सदस्य होती है, जो **घरेलू वार्षिक आय के रूप में एक लाख रुपये या उससे अधिक कमाती** है।
    - इस आय की **गणना कम-से-कम चार कृषि मौसमों और/ या व्यावसायिक चक्रों** के लिए की जाती है। इसमें **औसत मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक** होती है, ताकि यह आय सतत हो।
    - इस योजना को **2023** में शुरू किया गया था।
    - **योजना का लक्ष्य:** तीन करोड़ लखपति दीदी बनाना इसका लक्ष्य है।
- यह योजना कर्मचारियों और समुदाय के सदस्यों के क्षमता निर्माण के साथ साथ **आजीविका संबंधी विविध गतिविधियों, जिला-स्तरीय नियोजन, घरेलू सहायता, सरकारी विभागों के अभिसरण** आदि पर भी केंद्रित है।

संभावित लखपति दीदियों की पहचान के लिए मानदंड

- एक SHG सदस्य, जिसने सदस्यता के कम-से-कम **दो वर्ष पूर्ण कर लिए हों और सामुदायिक निवेश निधि (CIF) का लाभ उठाया हो।**
- वह DAY-NRLM के माध्यम से आजीविका प्राप्त करने की लाभार्थी हो और **कम-से-कम दो आजीविका संबंधी गतिविधियों का संचालन** कर रही हो।

स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) और उसके सदस्यों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता

- **पूंजीगत समर्थन:**
    - **रिवॉल्विंग फंड:** आंतरिक तौर पर ऋण देने की प्रक्रिया को गति देने और सदस्यों की तात्कालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में SHGs को समर्थ बनाने के लिए **प्रत्येक पात्र SHGs को 20,000 से 30,000 रुपये** दिए जाते हैं।
    - **सामुदायिक निवेश निधि (CIF)[95]:** यह वित्तीय सहायता **केवल SHGs और उनके संघों** को ऋण देने के लिए दी जाती है। इसका उद्देश्य सदस्यों को सूक्ष्म ऋण/ निवेश योजनाओं के अनुसार अपनी सामाजिक-आर्थिक गतिविधियां संचालित करने में सक्षम बनाना है।
        - **CIF के लिए स्वीकार्य अधिकतम राशि प्रति SHG 2.50 लाख रुपये है।**
- **बैंक ऋण:**
    - **SHGs को बिना किसी जमानत के 20 लाख रुपये तक का बैंक ऋण देने का प्रावधान** किया गया है।
    - **ब्याज अनुदान:** महिला SHGs द्वारा बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से लिए गए सभी ऋणों पर बैंकों की ब्याज दर और 7 प्रतिशत के बीच के अंतर को कवर करने के लिए **प्रति SHG अधिकतम 3,00,000 रुपये का ब्याज अनुदान** देने का प्रावधान किया गया है।

[95] Community Investment Fund

- ○ **ओवरड्राफ्ट सुविधा:** जन-धन खाता रखने वाली प्रत्येक SHG महिला सदस्य **5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट (OD)** सुविधा के लिए पात्र है।
- **आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY):** इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में **लोगों और वस्तुओं के लिए परिवहन सेवाएं शुरू करने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहन के रूप में रियायती दर पर ऋण प्रदान** किए जाते हैं।
  - इसके तहत **व्यक्तियों के लिए 6.5 लाख रुपये** तक के ऋण और **समूहों (SHG/VO/CLF/PG/PE) के लिए 8.5 लाख रुपये** तक के ऋण का प्रावधान किया गया है।
- **सुभेद्यता में कमी हेतु फंड (VRF)[96]:** यह एक प्रकार का **रिवॉल्विंग फंड** है। इसे क्लस्टर स्तरीय संघों द्वारा **ग्राम संगठनों (VOs)** को दिया जाता है।
  - इसके तहत प्रत्येक **ग्राम संगठन (VO) को 1,50,000 रुपये** की राशि दी जाती है।
  - VRF एक **कॉर्पस** फंड है। इसे परिवारों व समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली **खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य जोखिम, आकस्मिक बीमारी/ अस्पताल में भर्ती होने, प्राकृतिक आपदा** आदि से निपटने के लिए दिया जाता है।
- **महिला उद्यम प्रोत्साहन फंड (Women Enterprise Acceleration Fund):**
  - **व्यक्तिगत उद्यमों के लिए-**
    - **ऋण गारंटी सहायता:** इसके तहत व्यक्तिगत महिला उद्यमियों को **5 वर्षों की अवधि के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये** तक के ऋण हेतु ऋण गारंटी दी जाती है।
    - **समय पर भुगतान पर ब्याज में छूट:** अच्छे **पुनर्भुगतान व्यवहार** को प्रोत्साहित करने के लिए, समय पर ऋण चुकाने वाली महिला उद्यमियों को अधिकतम **3 वर्षों की अवधि के लिए 1.5 लाख रुपये तक के ऋणों पर 2% की ब्याज छूट** दी जाती है।
  - **सामूहिक उद्यमों या किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के लिए-**
    - **सामूहिक उद्यमों/ FPOs को जमानत सहायता:** इस फंड का उपयोग ऋणदाता संस्थाओं को दिए गए **कुल ऋण का 50% (या 2 करोड़ रुपये तक, जो भी कम हो) तक के खिलाफ जमानत प्रदान** करने के लिए किया जाएगा।

महिलाओं के नेतृत्व वाले SHGs का महत्त्व: लखपति दीदी

- **उद्देश्य में बदलाव:** अब SHGs को सामाजिक और वित्तीय समावेशन का माध्यम मात्र मानने से हटकर उन्हें उद्यमशील उपक्रमों के रूप में आगे बढ़ाने और उच्च आय वर्ग की ओर बढ़ने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- **महिलाओं की सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि:** यह कार्य महिलाओं की वित्तीय निर्णय लेने में भागीदारी बढ़ाने, सामाजिक संबंधों को मजबूत करने, परिसंपत्तियों के स्वामित्व और आजीविका के विविधीकरण के माध्यम से किया जा रहा है।
- **आर्थिक विकास को बढ़ावा:** महिला-SHGs सूक्ष्म उद्यमों के विकास में अग्रणी हैं और वे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित कर रहे हैं।
- **ऋण गुणवत्ता में सुधार:** महिला SHGs द्वारा लिए गए ऋणों के मामले में **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) 1.6%** हैं।
- **सार्वजनिक सेवा वितरण तक पहुंच में वृद्धि:** SHGs अलग-अलग सरकारी योजनाओं जैसे DAY-NRLM, मनरेगा, समेकित बाल विकास योजना (ICDS) आदि का लाभ पहुंचाने के माध्यम के रूप में भी कार्य करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, **झारखंड के गुमला में जनजातीय महिला SHGs ने मिशन रागी** के तहत खरीद से लेकर विपणन तक की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को संभाला है। इसके परिणामस्वरूप, किसानों की आय में सुधार हुआ है तथा **एनीमिया और कुपोषण से निपटने में मदद** मिली है।
- **गरीबी उन्मूलन और सामाजिक गतिशीलता:** SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2024 के बीच सापेक्ष आय के संदर्भ में **65% ग्रामीण SHGs के सदस्यों की आय में वृद्धि** हुई है।
- **दबाव समूह का निर्माण और राजनीतिक भागीदारी:** शासन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी उन्हें दहेज, शराबखोरी, खुले में शौच, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दों को उजागर करने तथा नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है।

[96] Vulnerability Reduction Fund

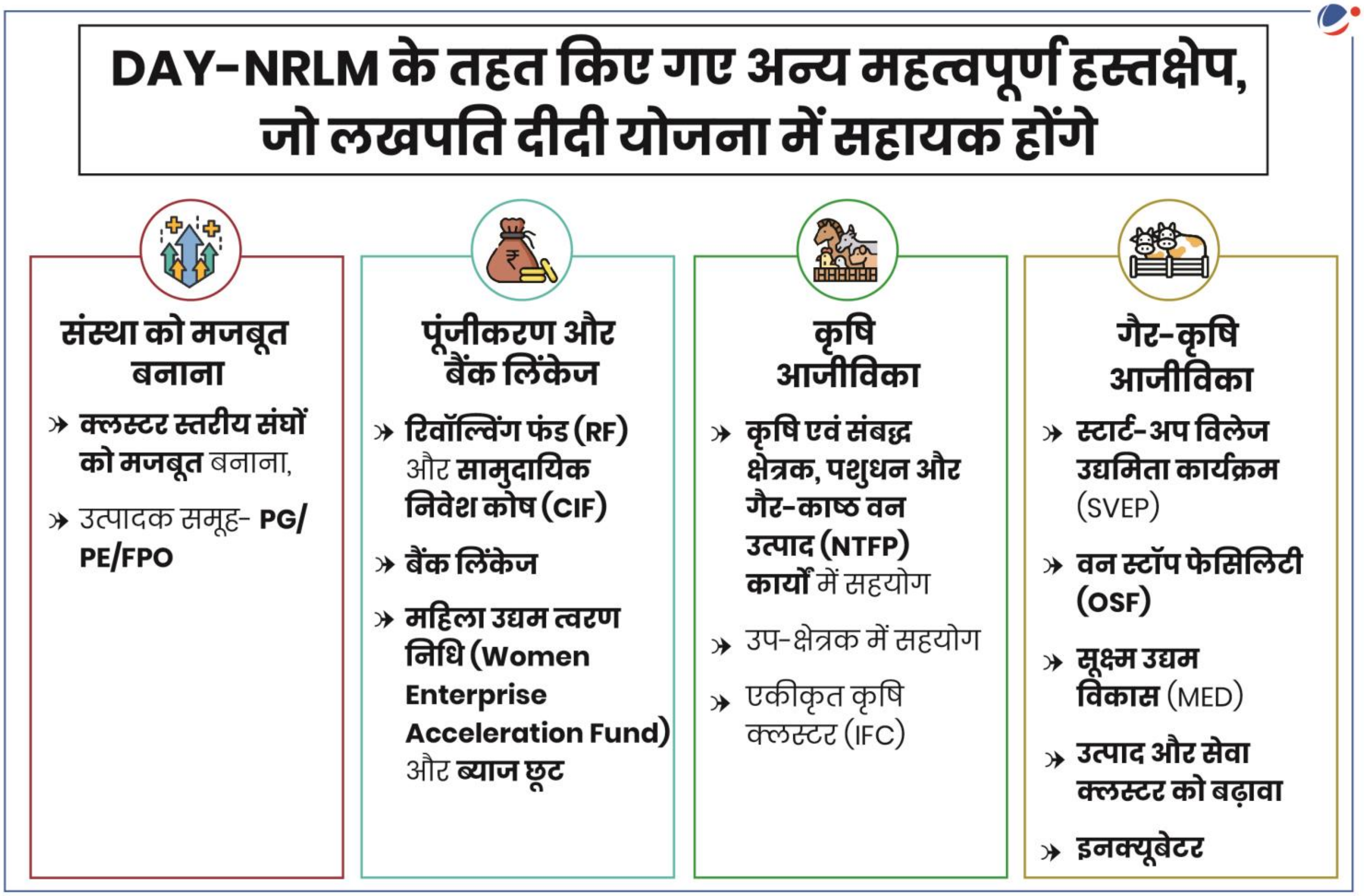

महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के समक्ष चुनौतियां

- **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं:** पितृसत्तात्मक सोच, जातिगत बाधाएं, जागरूकता और साक्षरता की कमी आदि महिलाओं के नेतृत्व वाले SHGs की भागीदारी एवं विकास को सीमित करते हैं।
- **डिजिटल सशक्तीकरण का अभाव:** महिला SHGs में डिजिटलीकरण से संबंधित ज्ञान और कौशल का अभाव है। इसके अलावा, उनकी प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुंच भी सीमित है।
- **गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और कौशल का अभाव:** यह खराब विपणन रणनीतियों, उत्पाद गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों आदि समस्याओं को बढ़ाता है। इससे महिला SHGs के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के विकास में बाधा आती है।
- **क्षेत्रीय असमानताएं:** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा प्रकाशित माइक्रो फाइनेंस की स्थिति रिपोर्ट (2019-20) के अनुसार लगभग 68.56% SHGs दक्षिण भारत में स्थित हैं।
- **जागरूकता की कमी:** प्राय: गरीब महिलाओं को SHGs के लाभों के बारे में ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है। इसके अलावा, SHGs पर अक्सर उच्च वर्ग का नियंत्रण होता है, जो उसके मूल उद्देश्य को कमजोर करता है।

आगे की राह

- **प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना:** सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में SHGs के सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण एवं कौशल विकास आवश्यक है।
- **प्रौद्योगिकी संबंधी उन्नति को बढ़ावा देना:** डिजिटल साक्षरता और उस तक पहुंच को बढ़ाकर SHGs के संचालन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए- इस दिशा में **नाबार्ड** द्वारा चलाई जा रही **ई-शक्ति परियोजना** एक अच्छी पहल है।

* **क्षेत्रीय फोकस को बढ़ावा:** पिछड़े और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में महिला SHGs (WSHGs) को बढ़ावा देने की योजना जैसी पहलों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
* **निगरानी, मूल्यांकन और सीखने (MEL) पर बल:** इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए आंतरिक प्रक्रियाओं एवं प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु एक मजबूत प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए।
* **हितधारकों के साथ समन्वय:** इसके लिए SHGs को कॉर्पोरेट और नागरिक समाज संगठनों के साथ जोड़ना चाहिए, ताकि उन्हें सहायता प्रदान की जा सके तथा उनके उद्यमों को बढ़ाया जा सके।

6.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.7.1. समाज में सूक्ष्म स्तर पर व्याप्त लैंगिक भेदभाव (Subtle Gender Discrimination in Society)

भारत के उपराष्ट्रपति ने समाज में सूक्ष्म स्तर पर व्याप्त लैंगिक भेदभाव को दूर करने पर बल दिया।

* उपराष्ट्रपति के अनुसार, प्रत्यक्ष रूप वाले लैंगिक भेदभाव (जैसे- जेंडर अनुकूल अवसंरचना का अभाव आदि) का उन्मूलन हो गया है, परन्तु इस भेदभाव ने अब सूक्ष्म रूप धारण कर लिया है।
* **सूक्ष्म स्तर पर लैंगिक भेदभाव** उन दृष्टिकोणों और व्यवहारों के माध्यम से प्रकट होता है, जो पहली नजर में जेंडर अनुकूल लग सकते हैं, परन्तु वास्तव में वे जेंडर आधारित **पारंपरिक भूमिकाओं को मजबूत बनाने और असमानता बनाए रखने में योगदान देते हैं।**

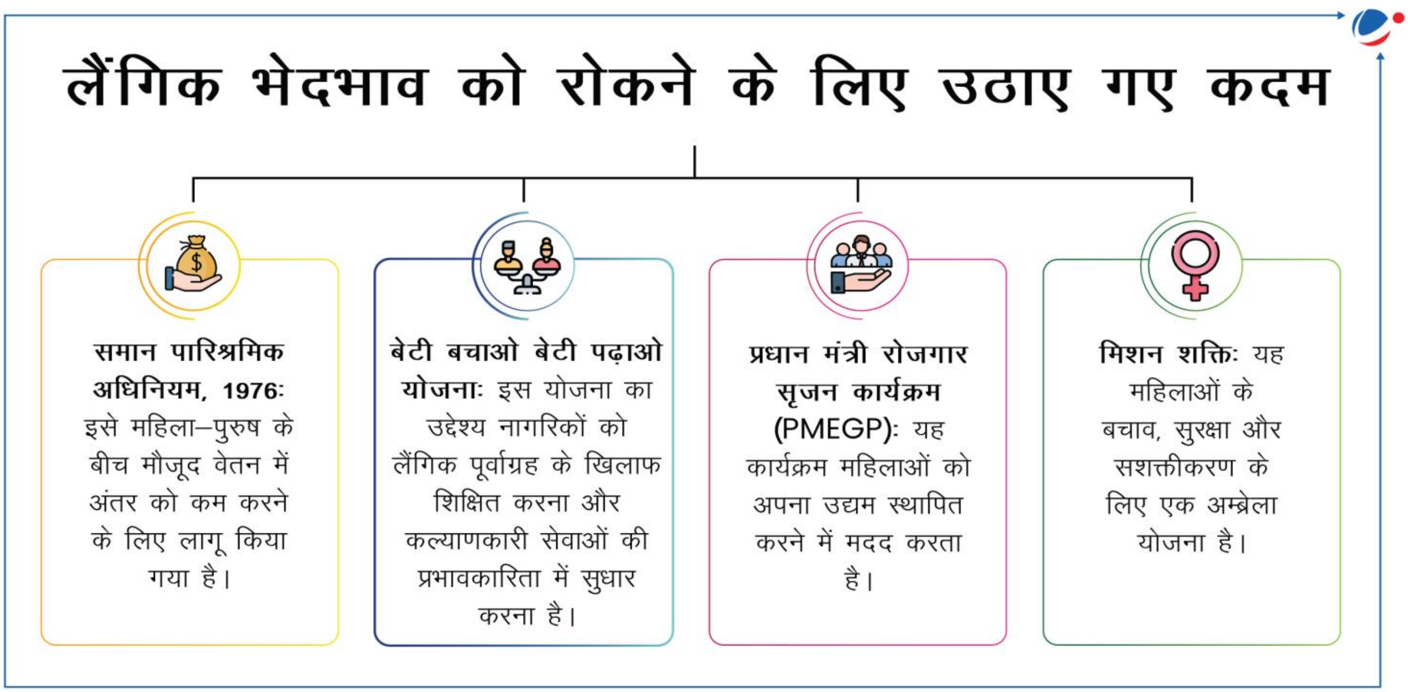

लैंगिक भेदभाव के सूक्ष्म रूप:

* **रूढ़िवादिता को मजबूत करने वाली प्रशंसा:** इसके तहत ऐसी सकारात्मक टिप्पणियां शामिल होती हैं, जो वास्तव में पुरुषों और महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं को मजबूती प्रदान करती हैं और महिलाओं की क्षमताओं को कमतर करती हैं।
* **भर्ती, पदोन्नति और मूल्यांकन:** शारीरिक बल वाले कार्यों अथवा नेतृत्व या प्रबंधन वाले पदों पर **पुरुषों को नियुक्त किए जाने से संबंधित रूढ़िवादी पूर्वाग्रह** अभी भी मौजूद है।
* **सूक्ष्म स्तर पर अपमान (माइक्रोअग्रेशन):** अक्सर अनजाने में की गई छोटी-छोटी टिप्पणियां भी लैंगिक रूढ़िवादिता को मजबूत करती हैं, भले ही ये टिप्पणियां प्रत्यक्ष रूप से हानि नहीं पहुंचाती हों। उदाहरण के लिए- यह कहना कि महिलाएं पारिवारिक कारणों से अपने करियर के प्रति कम प्रतिबद्ध होती हैं।
* **ऑफिस कार्य और घरेलू जीवन के बीच संतुलन से जुड़ी मान्यताएं:** पारंपरिक रूप से समाज यह मानता है कि **बच्चों की देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने का काम महिलाओं** का है। इस प्रकार की मान्यताएं महिलाओं को अधिक प्रभावित कर सकती हैं।

लैंगिक भेदभाव के सूक्ष्म रूपों के समाधान के तरीके

- **जेंडर उजागर किए बिना उम्मीदवार का मूल्यांकन:** उदाहरण के लिए, नौकरी हेतु आवेदन में शारीरिक माप या लक्षणों की मांग नहीं की जानी चाहिए।
- **समावेशिता की संस्कृति बनाना:** कार्यस्थलों पर ऐसी संस्कृति विकसित की जानी चाहिए, जो जेंडर तटस्थ होकर सभी के विचारों और सुझावों का सम्मान करती हो।
- **कार्यस्थल पर रूढ़िवादी लैंगिक पूर्वाग्रह पर नजर रखना:** यह कार्य विविध तरीकों के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। इनमें लोगों की धारणाओं का सर्वेक्षण; भाषा के प्रयोग का विश्लेषण; वेतन और करियर उन्नति में जेंडर के आधार पर भेदभाव का विश्लेषण आदि शामिल हैं।
- **पुरुषवादी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता:** यह लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता को व्यापक तौर पर बढ़ावा देने के जरिए किया जाना चाहिए।

6.7.2. NPS वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Scheme)

हाल ही में, **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य (NPS वात्सल्य) योजना** शुरू की गई है। यह **नाबालिगों** के लिए एक पेंशन योजना है।

NPS वात्सल्य योजना

- **पात्रता:** सभी नाबालिग नागरिक (18 वर्ष से कम आयु)।
    - वयस्क होने पर योजना को आसानी से **सामान्य NPS खाते में परिवर्तित** किया जा सकता है।
- **विनियमन और प्रशासन:** पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)।
- **उद्देश्य:** दीर्घकालिक वित्तीय योजना और सुरक्षा को बढ़ावा देना; बचत की आदत विकसित करना और वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने हेतु प्रेरित करना।
- **सब्सक्राइबर का योगदान:**
    - **न्यूनतम: 1000/- रुपये प्रति वर्ष।**
    - **अधिकतम: कोई सीमा नहीं।**
- PFRDA सब्सक्राइबर्स को **सरकारी प्रतिभूतियां, कॉर्पोरेट ऋण, इक्विटी** जैसे विविध निवेश विकल्प उपलब्ध कराएगा।

6.7.3. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम {New India Literacy Programme (NILP)}

शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने **'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (NILP)'** के तहत साक्षरता और पूर्ण साक्षरता को परिभाषित किया।

उल्लेखनीय है कि **वयस्क शिक्षा/ साक्षरता** का समर्थन करने के लिए साक्षरता और पूर्ण साक्षरता दोनों को परिभाषित करना आवश्यक है। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 और सतत विकास लक्ष्य (SDG)-4.6** में वयस्क शिक्षा/ साक्षरता का समर्थन करने पर जोर दिया गया है।

- **SDG-4.6** के तहत यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है कि **सभी युवा और वयस्क 2030 तक साक्षरता एवं संख्यात्मक गणना कौशल प्राप्त** कर लें।
- **साक्षरता: समझते हुए पढ़ने, लिखने और गणना करने की क्षमता** साक्षरता कहलाती है। इसमें **पहचान, समझ, व्याख्या और सृजन** करने की क्षमता के साथ-साथ **महत्वपूर्ण जीवन कौशल, जैसे- डिजिटल और वित्तीय साक्षरता** भी शामिल है।
- **पूर्ण साक्षरता (100% साक्षरता के समतुल्य माना जाएगा):** किसी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में **95% साक्षरता प्राप्त करना पूर्ण साक्षरता के समतुल्य** माना जाएगा।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (NILP) के बारे में

- **इसे ULLAS (अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ़लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी)** के नाम से भी जाना जाता है।
- यह **शिक्षा मंत्रालय** द्वारा शुरू की गई एक **केंद्र प्रायोजित योजना है।**
- **अवधि: वित्त वर्ष 2022-27** (5 वर्ष) तक।
- **उद्देश्य:**
    - यह योजना देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर-साक्षरों को लक्षित करती है। इनमें **महिलाओं और साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े राज्यों पर अधिक ध्यान** दिया जाता है।
    - योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-27 के लिए **5 करोड़ शिक्षार्थियों (1.00 करोड़ प्रति वर्ष)** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए **"ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम (OTLAS)"** का उपयोग किया जाएगा। इस अभियान में **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NCERT और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NOIS)** का सहयोग लिया जाएगा।
- यह योजना स्कूलों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा शिक्षक शिक्षा संस्थानों के **स्वयंसेवी शिक्षकों और छात्रों के माध्यम से क्रियान्वित** की जाएगी।
- यह योजना **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है।**
- **इसकी आवश्यकता क्यों है:** 2011 की जनगणना के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में **गैर-साक्षरों (non-literates)** की कुल आबादी 25.76 करोड़ है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Bharatiya Antariksh Station: BAS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान प्रोग्राम का दायरा बढ़ाते हुए **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को मंजूरी दे दी है।**

अन्य संबंधित तथ्य:

- संशोधित गगनयान प्रोग्राम में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **दिसंबर, 2028** तक BAS-1 मॉड्यूल का विकास करना और BAS के लिए विविध प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन एवं सत्यापन हेतु **चार मिशन।**
    - गगनयान प्रोग्राम के तहत **चार मिशन** को **2026** तक पूरा करना।
- संशोधित प्रोग्राम के तहत गगनयान प्रोग्राम के लिए कुल वित्तीय सहायता को **12,000 करोड़ रुपए से** बढ़ाकर **20,000 करोड़ रुपये कर** दिया गया है।

गगनयान प्रोग्राम के बारे में

- **उत्पत्ति:** गगनयान प्रोग्राम **'भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान'** मिशन है। इसे दिसंबर 2018 में स्वीकृत किया गया था।
- **उद्देश्य:**
  - **अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम को तीन दिन के मिशन के लिए पृथ्वी से 400 कि.मी. ऊपर की कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना।**
  - दीर्घकालिक रूप से भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की आधारशिला स्थापित करना।
- **तकनीकी विकास:** गगनयान मिशन हेतु कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाएगा, जैस-
  - चालक दल को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ह्यूमन-रेटेड लांच व्हीकल (LVM 3),
  - अंतरिक्ष में चालक दल को पृथ्वी जैसी स्थितियां प्रदान करने के लिए लाईफ सपोर्ट सिस्टम,
  - चालक दल के लिए इमरजेंसी एस्केप की व्यवस्था, और
  - चालक दल के प्रशिक्षण, रिकवरी और रिहैबिलिटेशन के लिए चालक दल प्रबंधन पहलुओं का विकास करना।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) के बारे में

- BAS **वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए** भारत द्वारा **पृथ्वी की सतह से** लगभग 400-450 कि.मी. ऊपर की कक्षा में स्थापित अंतरिक्ष स्टेशन होगा।
  - इसमें **पांच मॉड्यूल** होंगे और इसका निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
- **लक्ष्य: पहला मॉड्यूल** (बेस मॉड्यूल) **2028 में लॉन्च किया जाएगा और BAS को 2035 तक संचालन में लाया जाएगा।**
- **वर्तमान स्थिति:** BAS **वर्तमान में योजना के चरण में है,** जिसके अंतर्गत समग्र आर्किटेक्चर, मॉड्यूल की संख्या और प्रकार, डॉकिंग पोर्ट आदि पर अध्ययन किया जा रहालंबी अवधि के मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के तरीकों का अध्ययन कर है।

BAS का महत्त्व

- **अंतरिक्ष उड़ान और ह्यूमन-हैबिटेट या मानव निवास स्थल:** BAS ने के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में काम करेगा। यह **भारत के अन्य दीर्घकालिक अंतरिक्ष लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा।**
- **पृथ्वी अवलोकन:** अंतरिक्ष स्टेशन दिन और रात, दोनों समय में बेहतर आकाशीय (Spatial) रिज़ॉल्यूशन प्रदान कर सकता है। इससे **प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सहायता मिल सकती है।**
- **माइक्रोग्रैविटी आधारित अनुसंधान:** उदाहरण के लिए, मांसपेशियां और हड्डियां पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष में अलग तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। इस प्रकार, BAS में नियंत्रित दशाओं में प्रयोगों को तेजी से ट्रैक किया जा सकता है, ताकि मांसपेशी के कमजोर होने और हड्डियों के घनत्व में कमी जैसी स्वास्थ्य स्थितियों का अध्ययन किया जा सके।
- **नवाचारों को बढ़ावा देना:** लघु उद्यमी अंतरिक्ष में अपनी तकनीक का परीक्षण कर सकते हैं। इससे अंतरिक्ष और संबद्ध उद्योगों से संबंधित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रक में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
  - नैसकॉम (NASSCOM) और भारतीय अंतरिक्ष संघ की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, **वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार 546 बिलयन डॉलर है, जिसमें** भारत की हिस्सेदारी **केवल 2% है।**
    - भारत का लक्ष्य इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर **10% करना है।**

- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से उपजे नवाचार (स्पिन-ऑफ)**: स्पिन-ऑफ उत्पाद अंतरिक्ष क्षेत्रक आधारित ऐसे नवाचार और तकनीक होती हैं जिनका उपयोग अन्य क्षेत्रकों में किया जा सकता है, जैसे कि:
    - पर्यावरण निगरानी के लिए **अंतरिक्ष-आधारित डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिदम या,**
    - **विकसित किए गए एडवांस्ड मटेरियल का उपयोग एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्रक में किया जा सकता है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा:** अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करके भारत विश्व के चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जायेगा, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित चुनौतियां:

- **परियोजना के विकास से संबंधित चुनौतियां:**
    - **अनुसंधान एवं विकास हेतु कम बजटीय आवंटन:** भारत में अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर खर्च अपेक्षाकृत काफी कम है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का मात्र 0.7% है।
        - वित्तीय बाधाएं **परियोजना की गति और दायरे** तथा इसके द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों को सीमित करती हैं।
    - **नई तकनीक का विकास:** भारत ने उपग्रहों के विकास में अपनी क्षमताएं साबित कर दी हैं। हालांकि, अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अलग कौशल और प्रणालियों की आवश्यकता होती है।
        - इसमें **लाइफ सपोर्ट सिस्टम, विकिरण से सुरक्षा, संरचनात्मक मजबूती और ऑर्बिटल मेंटेनेंस आदि शामिल हैं।**
    - **भू-राजनीतिक मुद्दों का प्रबंधन:** अंतरिक्ष स्टेशन न केवल एक वैज्ञानिक प्रयास है, बल्कि एक रणनीतिक परिसंपत्ति भी है।
        - देश को अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ जैसे अन्य अंतरिक्ष में सक्रिय देशों से संभावित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और उनके साथ सहयोग भी बनाना होगा।
- **अंतरिक्ष स्टेशन के संबंध में उत्पन्न होने वाली चुनौतियां:**
    - **अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए ख़तरा:** सही सुरक्षा उपकरणों और सावधानियों के बिना अंतरिक्ष का वातावरण अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जानलेवा हो सकता है। इससे संबंधित सबसे बड़े खतरे हैं:
        - **अंतरिक्ष स्टेशन की बंद और नियंत्रित दशाओं से ऑक्सीजन एवं आवश्यक दबाव में कमी आना**;
        - **सेरेब्रल वेंट्रिकल्स** का विस्तार हो सकता है (यह मस्तिष्क के मध्य में रिक्त स्थान होता है जिसमें मस्तिष्कमेरु द्रव होता है जो अचानक बल या झटके के मामले में मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करके उसकी रक्षा करता है);
        - **गुरुत्वाकर्षण के स्तर में बदलाव;**
        - अलगाव और अकेलेपन से जुड़े **मनोवैज्ञानिक प्रभाव।**
    - **अंतरिक्ष मलबा:** अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि से अंतरिक्ष अभियानों के सामने गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं तथा ऐसे में टकराव से बचने के लिए तकनीक को बेहतर करना अनिवार्य हो जाता है।

आगे की राह

- **पर्याप्त वित्त-पोषण सुनिश्चित करना:** भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रमों में पर्याप्त वित्त-पोषण सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निजी क्षेत्रक की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।
- **क्षमता का विकास करना:** इसरो के लाइफ सपोर्ट, विकिरण सुरक्षा, संरचनात्मक मजबूती और ऑर्बिटल मेंटेनेंस जैसे घटकों के लिए मौजूदा तकनीकी अवसंरचनाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।
- **दीर्घावधि तक कार्य करने में सक्षम:** भारत को अपने अंतरिक्ष स्टेशन को क्रियाशील बनाये रखने के लिए नियमित तौर पर रखरखाव, पुनः आपूर्ति मिशन और उसे बेहतर बनाने हेतु एक स्पष्ट योजना विकसित करनी होगी।
- **भू-राजनीतिक मुद्दों का प्रबंधन:** भारत को अपनी अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना को आगे बढ़ाते हुए **अपने राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों में संतुलन बनाना होगा।**
    - भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़े कानून एवं व्यवस्था के मौजूदा मानदंडों एवं नियमों का भी पालन करना होगा।

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंतरिक्ष स्टेशन का अनुभव रखने वाले देशों (अमेरिका, रूस) के साथ सहयोग से बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है और इससे लागत को भी कम किया जा सकता है।

अन्य अंतरिक्ष स्टेशन:

- **निष्क्रिय**
  - **सैल्यूट 1:** यह **दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था, जिसे अप्रैल 1971 में सोवियत संघ** द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
  - **स्काईलैब:** यह संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था, जिसे नासा द्वारा 1973 में प्रक्षेपित किया गया था।
- **कार्यशील**
  - **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS):** यह एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसे 1998 में स्थापित किया गया था और यह 2000 से कार्यरत है।
    - इसे पृथ्वी की निम्न भू-कक्षा (LEO)[97] में स्थापित किया गया है। इसका रखरखाव निम्नलिखित **पांच अंतरिक्ष एजेंसियों और उनके कांट्रैक्टर्स** के सहयोग से किया जाता है:
      - **नासा (संयुक्त राज्य अमेरिका), रोस्कोस्मोस (रूस), ESA (यूरोप), JAXA (जापान), और CSA (कनाडा)।**
  - **चीन:** तियांगोंग 1 को 2011 में लॉन्च किया गया, तियांगोंग-2 को 2016 में लॉन्च किया गया था। ये अंतरिक्ष आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं थीं। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को 2021 में लॉन्च किया गया था। यह 2022 के अंत से पूरी तरह से संचालन में है।
- **आगामी:**
  - **गेटवे स्पेस स्टेशन: यह** नासा के नेतृत्व वाला गेटवे प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से **आर्टेमिस अभियान के** एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में **चंद्रमा की कक्षा में पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा।**
  - **एक्सिओम स्टेशन:** यह एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसे एक्सिओम स्पेस द्वारा निम्न भू-कक्षा में संचालित करने के लिए विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया का **पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन होगा।**

***नोट:** स्पेस हैबिटेशन और आउटर स्पेस गवर्नेंस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जनवरी 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.3. देखें*

7.2. ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (Brain Computer Interfaces: BCIs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, न्यूरालिंक के एक ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) इम्प्लांट **'ब्लाइंडसाइट'** को संयुक्त राज्य अमेरिका के फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) से "ब्रेकथ्रू डिवाइस" का दर्जा प्राप्त हुआ है।

अन्य संबंधित तथ्य:

- 'ब्लाइंडसाइट' चिप का उद्देश्य उन दृष्टिहीन मरीजों की मदद करना है जिन्होंने अपनी दोनों आंखें और ऑप्टिक नर्व खो दी हैं या जो व्यक्ति जन्म से ही दृष्टिहीन हैं। इस चिप की मदद से वे अपनी देखने की क्षमता को वापस पा सकेंगे।
  - हालांकि, पुनः देखने की क्षमता केवल तभी संभव हो सकेगी, जब मरीज का विजुअल कॉर्टेक्स सुरक्षित हो।
- FDA का **ब्रेकथ्रू डिवाइस डेजिग्नेशन (BDD) प्रोग्राम ऐसे चिकित्सा उपकरणों के विकास, समीक्षा और मूल्यांकन में तेजी लाने में** मदद करता है, जो जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले या शरीर या मस्तिष्क को दुर्बल करने वाले रोगों के निदान या उपचार में मदद कर सकते हैं।

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) इम्प्लांट के बारे में

- BCI एक कंप्यूटर-आधारित प्रणाली है। यह मस्तिष्क के संकेतों को प्राप्त करती है, उनका विश्लेषण करती है और उन्हें किसी डिवाइस में भेजे जाने वाले कमांड में तब्दील करती है, ताकि इच्छित कार्य किया जा सके। (नीचे दिए गए इन्फोग्राफिक को देखें)।
- इस प्रकार, **BCI के तीन मुख्य भाग हैं:**
  - **मस्तिष्क की गतिविधि को डिटेक्ट करने वाला उपकरण:** यह आमतौर पर हेडसेट के रूप में होता है, जिसमें विशेषीकृत सेंसर लगे होते हैं
  - डिटेक्ट की गई **मस्तिष्क की गतिविधि को प्रोसेस करने और उसका विश्लेषण करने वाला कंप्यूटर।**

[97] Low Earth Orbit

- ○ कमांड को निष्पादित करने हेतु एक **डिवाइस या एप्लीकेशन।**
    - ▪ एक बार जब कंप्यूटर यह 'निर्धारित' कर लेता है कि उपयोगकर्ता क्या करना चाहता है, तो वह आदेश को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन/ डिवाइस को संकेत भेजता है।

- **BCI का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग फीडबैक:** फीडबैक से उपयोगकर्ता को BCI प्रणाली के अनुकूल होने में मदद मिलती है।
- **उपयोगकर्ता और BCI मिलकर काम करते हैं।** उपयोगकर्ता, प्रायः प्रशिक्षण के के बाद, मस्तिष्क के संकेत उत्पन्न करता है जो उसके इरादे को व्यक्त करते हैं।
    - ○ BCI भी प्रशिक्षण के बाद मस्तिष्क के संकेतों को डिकोड करके आउटपुट डिवाइस को आदेश भेजता है, जो उपयोगकर्ता के इरादे को पूरा करता है।
- अतः **BCI मस्तिष्क** के सामान्य निर्देश मार्गों जैसे नर्व और मांसपेशियों के जाल का उपयोग नहीं करता है।
    - ○ **इसलिए BCI प्रणाली** केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) द्वारा उत्पन्न संकेतों को मापती और उपयोग करती है।

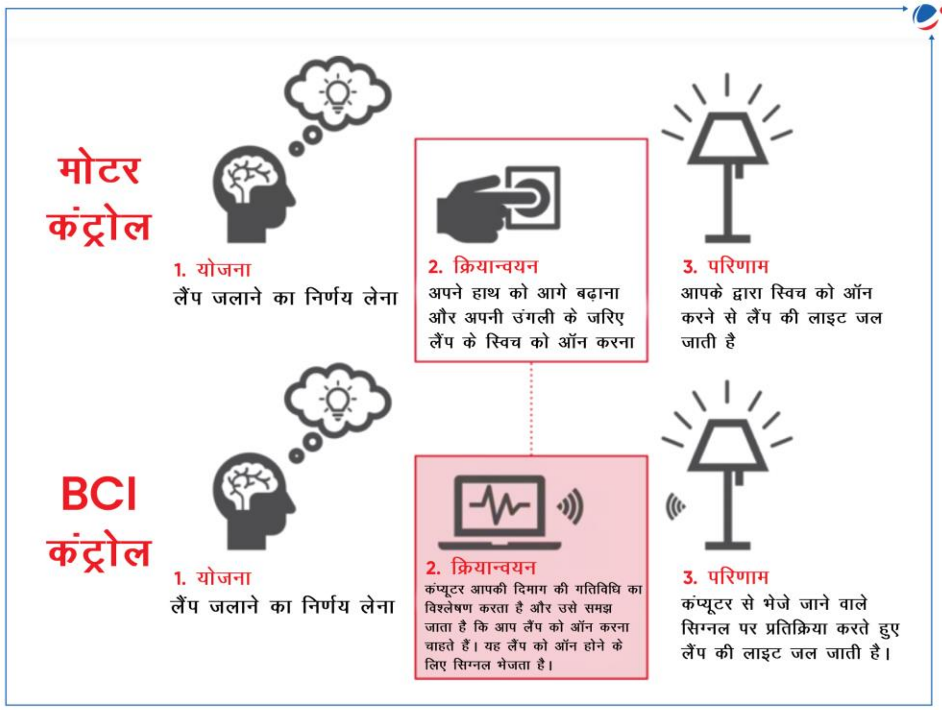

- ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस किसी व्यक्ति के मस्तिष्क से बिना उस व्यक्ति की अनुमति के जानकारी या संकेतों को डिटेक्ट करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उपयोगकर्ता अपनी **मांसपेशियों** के बजाय **मस्तिष्क के संकेतों** के माध्यम से कार्यों को अंजाम दे सकें।

BCI के प्रकार

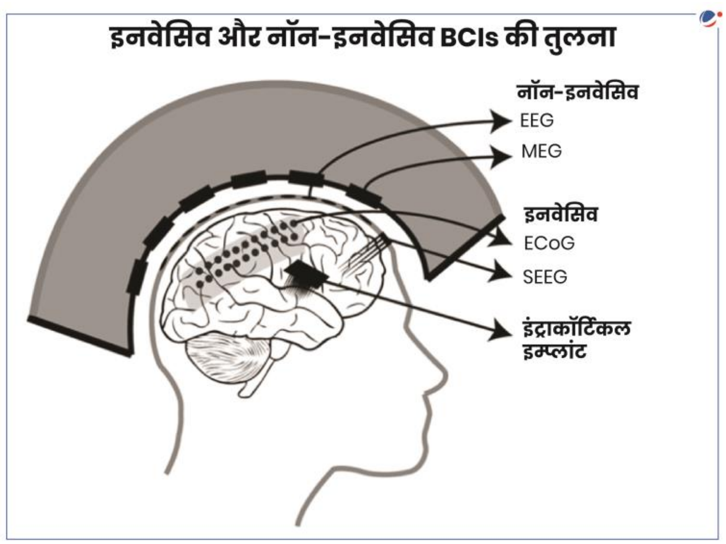

- **इनवेसिव BCI (ब्रेन इम्प्लांट्स):** इनवेसिव BCI को न्यूरोसर्जरी के जरिए सीधे **मस्तिष्क के ग्रे मैटर** में **प्रत्यारोपित किया जाता है। ये मस्तिष्क गतिविधि को बेहतर रूप में रिकॉर्ड करते हैं।**
    - ○ उदाहरण के लिए, **न्यूरालिंक का इम्प्लांट।**
- **नॉन-इनवेसिव BCI (सरफेस डिटेक्टर): यह** इलेक्ट्रोड्स का सेट होता है, जिसे **इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ (EEG) के रूप में जाना जाता है। यह** कपाल पर लगाया जाता है। **इलेक्ट्रोड्स** मस्तिष्क के संकेतों को पढ़ सकते हैं।
    - ○ उदाहरण के लिए, **इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (EEG),** फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (fMRI) आदि।
- **पार्शियली इनवेसिव BCI (ड्यूरा मेटर इम्प्लांट):** ये उपकरण कपाल के अंदर लेकिन मस्तिष्क के ग्रे मैटर के बाहर प्रत्यारोपित किए जाते हैं। ये नॉन-इनवेसिव BCI की तुलना में बेहतर रिज़ोलुशन वाले सिग्नल उत्पन्न करते हैं।
    - ○ उदाहरण के लिए, **इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी (ECoG),** यह इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से मस्तिष्क की सतह या सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ सीधे संपर्क के जरिए मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है।

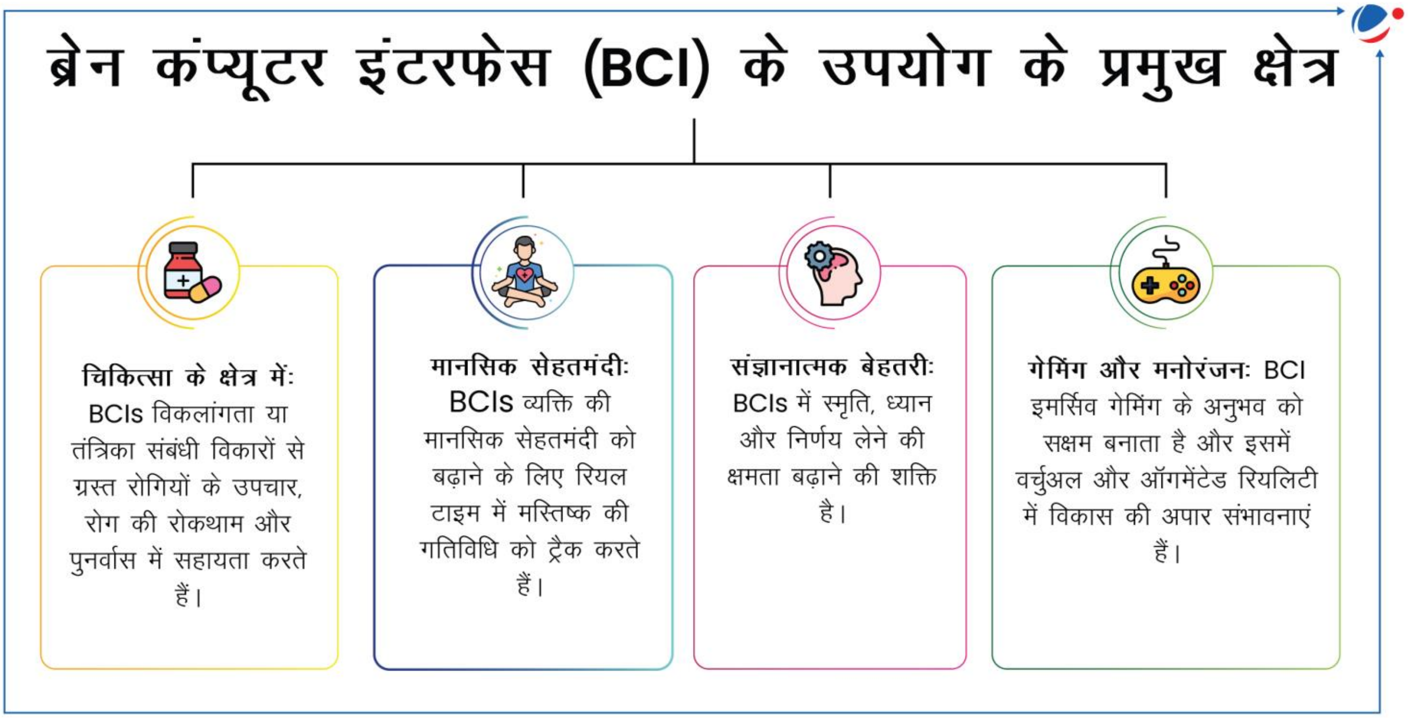

ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के समक्ष चुनौतियां:

- **तकनीकी चुनौतियां:** इसमें जटिल न्यूरल या तंत्रिका पैटर्न की व्याख्या करने में असमर्थता, कमजोर ब्रेन संकेत और पर्यावरणीय हस्तक्षेप आदि शामिल हैं।
    - इनवेसिव BCI से तंत्रिका या नर्व कोशिकाओं और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुँच सकता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
- **ब्रेन टैपिंग:** मस्तिष्क के संकेतों को इंटरसेप्ट करने से निजता का उल्लंघन हो सकता है, जिससे किसी व्यक्ति की भावनाएं, प्राथमिकताएं और विश्वास को उजागर किया जा सकता है।
- **भ्रामक उत्तेजना हमले:** संकेतों या फीडबैक में हेरफेर करके मस्तिष्क को हाईजैक किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित हो सकता है।
- **कानूनी बाधाएं:** वर्तमान में, BCI के उपयोग से संबंधित सुरक्षा, प्रभावशीलता और डेटा सुरक्षा के संदर्भ में कोई व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है।
- **नैतिक चिंताएं:**
    - इसमें तथ्य और साक्ष्य के आधार पर सहमति, सामाजिक कलंक की भावना और भेदभाव की संभावनाएं, अनुसंधान से जुड़ी नैतिकता, स्वायत्तता से समझौता आदि शामिल हैं।
    - मस्तिष्क और मशीनों के बीच सीधे संपर्क से इंसान के साइबॉर्ग बनने का खतरा हो सकता है। (साइबॉर्ग का अर्थ होता है, वह जीव जिसके शरीर में जैविक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के अंग होते हैं)
        - इसमें शक्तिशाली क्षमताएं, जैसे- अत्यधिक ताकत, पैनी इंद्रियां, कंप्यूटर से सहायता प्राप्त मस्तिष्क और शरीर में हथियार का समावेश करना आदि शामिल हो सकते हैं।

आगे की राह

- **पारदर्शिता और सहमति:** BCI के उपयोग के संबंध में निजता से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए और उपयोगकर्ता से तथ्य और साक्ष्य के आधार पर सहमति सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **विनियामकीय निगरानी:** कानूनी फ्रेमवर्क के तहत BCI के हानिकारक उपयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

- **सुरक्षा उपायों को बेहतर करना:** क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा सहित उन्नत सुरक्षा उपायों के लिए और अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है।
- **जन जागरूकता:** BCI के जोखिमों और सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है।

मुख्य शब्दावलियां

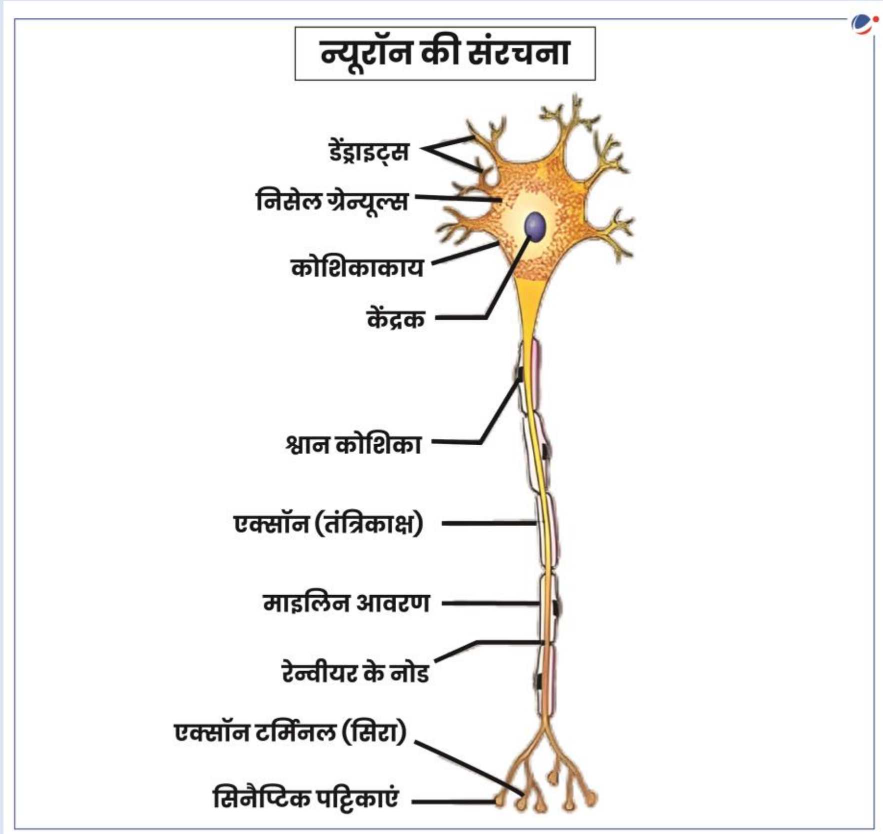

- **न्यूरॉन, नियंत्रण और समन्वय:**
    - मस्तिष्क लाखों कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। ये न्यूरॉन एक बड़े नेटवर्क में मिलकर शरीर की प्रक्रियाओं को समन्वित करते हैं, जैसे सुनना, स्वाद महसूस करना, हृदय गति को नियंत्रित करना आदि। इसके अलावा, ये न्यूरॉन शरीर की विभिन्न गतिविधियों को भी संचालित करते हैं।
    - न्यूरॉन्स एक-दूसरे से विद्युत-रासायनिक संकेतों के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। जब एक न्यूरॉन सक्रिय होता है, तो वह एक विद्युत संकेत उत्पन्न करता है, जो नेटवर्क के अगले न्यूरॉन तक पहुंचता है। फिर वह न्यूरॉन इस संकेत को आगे के न्यूरॉन तक भेजता है, और यह श्रृंखला इसी तरह आगे बढ़ती रहती है।
    - इस तरह जानकारी मस्तिष्क के अंदर तेजी से फैलती है, जो कई हिस्सों को आपस में जोड़ती है, जो अलग-अलग प्रक्रियाओं और शरीर के अंगों को नियंत्रित करते हैं।
- **मस्तिष्क गतिविधि और उसका मापन या उसे रिकॉर्ड करना:**
    - मस्तिष्क की गतिविधि का मतलब मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विद्युत संकेतों और रासायनिक प्रक्रियाओं से है, जो अलग-अलग संज्ञानात्मक कार्यों, भावनाओं, अनुभवों और व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं।
    - एक अकेला न्यूरॉन अपने आप में ज्यादा विद्युत संकेत नहीं पैदा करता, लेकिन कई न्यूरॉन्स की संयुक्त गतिविधि इतने विद्युत संकेत उत्पन्न करती है, जिसे मापा या रिकॉर्ड किया जा सकता है।
    - इस मस्तिष्क के विद्युत संकेतों को विशेष प्रकार सेंसर को कपाल पर या कपाल के अंदर लगाकर मापा या रिकॉर्ड किया जा सकता है।
- **इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (EEG) आधारित BCI:** EEG का उपयोग हंस बर्जर के काम और खोज के कारण संभव हुआ है। हंस बर्जर ने 1924 में पाया था कि मानव मस्तिष्क के विद्युत संकेतों को कपाल से मापा जा सकता है। मस्तिष्क की गतिविधि को बाहरी डिटेक्टरों या इलेक्ट्रोड्स से मापने को **इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (EEG)** कहा जाता है।

7.3. ऑर्गन-ऑन-चिप (OOC) प्रौद्योगिकी {Organ-On-Chip (OOC) Technology}

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑर्गन-ऑन-चिप तकनीक BioE3[98] के पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के दायरे को बढ़ावा दे सकती है। ऑर्गन-ऑन-चिप तकनीक का बाजार 2032 तक लगभग 1.4 बिलियन डॉलर के मूल्य तक पहुंचने की उम्मीद है।

---

[98] Biotechnology for Economy, Environment, and Employment/ अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी

ऑर्गन-ऑन-चिप (OoC) तकनीक

- यह **मानव-अनुरूप 3D कल्चर मॉडल्स में से एक है, जिसे 'न्यू अप्रोच मेथड्स' (NAMs)** भी कहा जाता है।
  - 3D कल्चर प्रणाली शोधकर्ताओं को एक ही प्रयास में मानव अंगों और बीमारियों की संरचना को पुनः बनाने की सुविधा प्रदान करती है।
    - यह **रीजेनरेटिव मेडिसिन, औषधि की खोज करने, प्रिसिजन मेडिसिन, कैंसर संबंधी अनुसंधान और जीन एक्सप्रेशन अध्ययन** जैसे अनेक उपयोगों के लिए बहुत आशाजनक मानी जाती है।

इस संबंध में अन्य नये दृष्टिकोण:

- **ऑर्गेनोइड्स:** इन्हें ऊतक, भ्रूण स्टेम कोशिकाओं या इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं से नियंत्रित दशाओं में **कोशिकाओं को विकसित करके बनाया जाता है।**
- **स्फेरॉइड्स:** ऐसा माना जाता है कि ये पारंपरिक **द्वि-आयामी (2D) सेल कल्चर्स की तुलना में ट्यूमर के व्यवहार की अधिक प्रभावी ढंग से नकल करते हैं।**
- **बायो प्रिंटिंग:** इसे 3D बायो प्रिंटिंग या **एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है।** यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें जीवित ऊतकों और अंगों को बनाने के लिए **3D प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है।**

- OoC एक **माइक्रो-स्केल सिस्टम है जिसका उपयोग मानव शरीर की स्थितियों की नकल करने** के लिए किया जाता है। इसके तहत शरीर में अनुभव की जाने वाली शारीरिक और यांत्रिक स्थितियों की नकल करने के लिए **कोशिकाओं के साथ-साथ माइक्रोफ्लुइडिक्स का उपयोग किया जाता है।**
- इसमें चैनल्स, चैंबर्स और मेंब्रेनेस आदि का उपयोग करके **पदार्थों और कोशिकाओं की गति एवं व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है।** ऑर्गन-ऑन-ए-चिप का लक्ष्य **डिज़ीज़ मॉडलिंग और दवा के परीक्षण के लिए मानव ऊतक मॉडल विकसित करना है।**
- शोधकर्ताओं ने पहली बार 2010 के एक अध्ययन में ऑर्गन-ऑन-चिप मॉडल की उपयोगिता का ज़िक्र किया था।

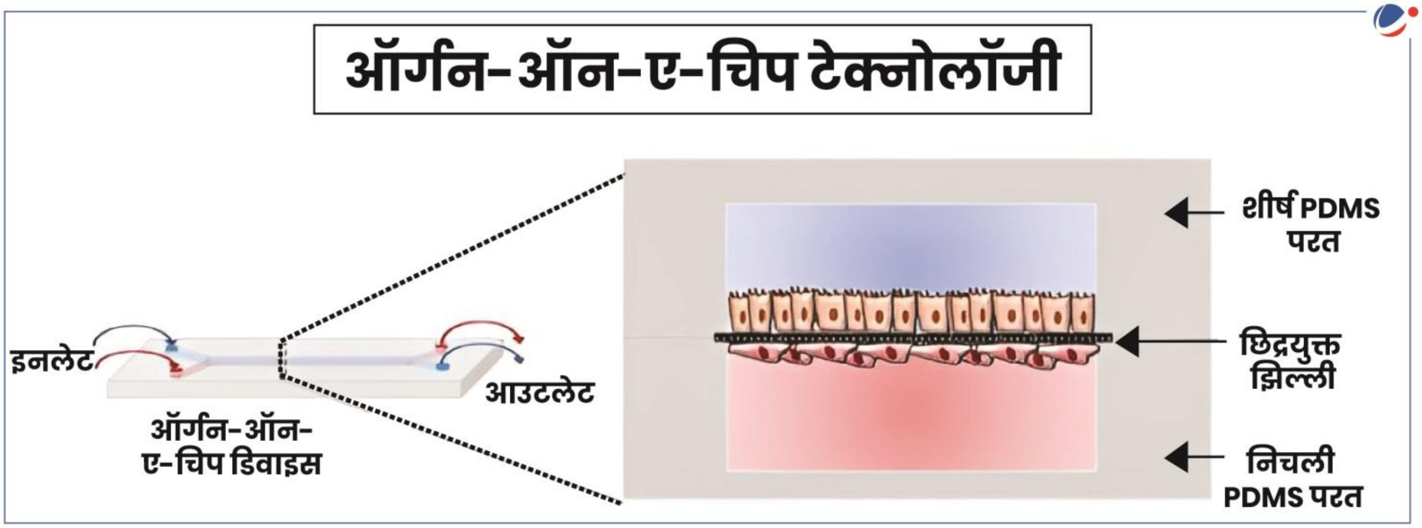

ऑर्गन-ऑन-ए-चिप डिवाइस के चार प्रमुख घटक हैं:

- **माइक्रोफ्लुइडिक्स:** यह **छोटे चैनलों के माध्यम से कोशिकाओं को विशिष्ट स्थानों पर पहुंचाने और संवर्धन प्रक्रिया (कल्चर प्रोसेसेस) के दौरान द्रव प्रवाह को नियंत्रित या प्रबंधित करते हैं।**
  - **माइक्रोफ्लुइडिक्स** की विशेषताएं:
    - **छोटा आकार:** यह अत्यंत छोटे पैमाने पर काम करता है।
    - **एकीकृत:** इसे अन्य प्रणालियों के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है।
    - **स्वचालित:** यह प्रक्रिया स्वतः नियंत्रित होती है, जिससे मानव हस्तक्षेप कम होता है और दक्षता बढ़ती है।
- **जीवित कोशिका उत्तक या लिविंग सेल टिश्यूज़:** इस भाग में विशेष प्रकार की कोशिकाओं को सही स्थानों पर व्यवस्थित किया जाता है, ताकि ऊतक के वास्तविक कार्यों की नकल की जा सके।
- **सिम्युलेशन या ड्रग डिलीवरी:** कुछ ऊतकों को वास्तविक स्थितियों का निर्माण करने के लिए विद्युत या रासायनिक उद्दीपन जैसे संकेतकों की आवश्यकता होती है।
  - इन संकेतों का उपयोग ड्रग डिलीवरी में भी किया जा सकता है।

- **सेंसिंग:** डिवाइस में लगे सेंसर्स डेटा को ट्रैक करते और मापते हैं। यह काम या तो डिवाइस में लगे सेंसर्स से होता है या फिर विज़ुअल मॉनिटरिंग सिस्टम से, ताकि चिप के कामकाज का मूल्यांकन किया जा सके।

ऑर्गन-ऑन-ए-चिप तकनीक कैसे काम करती है?

- **कोशिकाओं को चिप पर रखा जाता है और उन्हें 3D संरचनाओं में विकसित होने दिया जाता है जो मानव शरीर के वास्तविक ऊतक जैसा ही होता है।**
- यह द्रव के प्रवाह के लिए सूक्ष्म चैनल्स का उपयोग करता है जो **रक्त प्रवाह,** ऑक्सीजन के परिवहन, पोषक तत्व के परिवहन आदि का अनुकरण करते हैं, ताकि चिप के आकार के डिवाइस पर **जैविक अंगों (फेफड़े, हृदय आदि)** के लघु मॉडल बनाए जा सकें।
- अंगों के अधिक **वास्तविक मॉडल बनाने के लिए,** अलग-अलग प्रकार की कोशिकाओं को परतों में संयोजित करके एक 3D संरचना बनाई जा सकती है, जो **वास्तविक अंगों की जटिलता को बेहतर ढंग से दर्शाती है।**

OoC प्रौद्योगिकी के लाभ:

- **प्रिसिजन मेडिसिन:** रोगी के विशेष ऊतक की दशाओं का अनुकरण करके, शोधकर्ता यह परीक्षण कर सकते हैं कि कोई दवा उस व्यक्ति या समूह को कैसे प्रभावित करेगी। इससे उसका अधिक सटीक उपचार करने की योजनाएं बन सकती हैं।
  - **प्रिसिजन मेडिसिन में** प्रत्येक व्यक्ति के जीन, वातावरण और जीवनशैली में होने वाली विविधताओं को ध्यान में रखकर इलाज किया जाता है।
- पहले इसे **पर्सनलाइज्ड मेडिसिन** कहा जाता था, लेकिन यह चिंता थी कि "पर्सनलाइज्ड" शब्द से यह गलतफहमी हो सकती है कि हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग उपचार और रोकथाम विकसित की जा रही है।
- **दवा के प्रभाव का परीक्षण:** OoC जीवों पर परीक्षण या इन विट्रो सेल कल्चर जैसे पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक सटीक पूर्वानुमान प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, **हेपेटाइटिस उपचार के लिए लिवर-ऑन-चिप।**
- **सटीक मानव फिजियोलॉजी सिमुलेशन:** OoC मॉडल पारंपरिक 2D सेल कल्चर्स की तुलना में मानव अंगों की संरचना और कार्य की अधिक सटीकता से नकल कर सकते हैं।
- **जीवों पर परीक्षण का एक नैतिक विकल्प:** चूंकि OoC उपकरण मानव कोशिकाओं और ऊतकों का उपयोग करते हैं, इसलिए ये जीवों पर परीक्षण करने की आवश्यकता को कम कर सकते हैं।
- **जटिल अंग अंतःक्रिया:** OoC प्रणालियां कई ऑर्गन मॉडल्स को एक साथ जोड़ सकती हैं तथा यह अनुकरण कर सकती हैं कि शरीर में अलग-अलग अंग किस प्रकार आपस में अंतःक्रिया करते हैं।
- **रोग की कार्यप्रणाली पर अनुसंधान: इसके तहत शोधकर्ता** इन चिप्स पर मानव अंगों के कार्यों की नकल करके और रोग संबंधी मॉडल बनाकर रोग की प्रगति, कोशिकीय व्यवहार और संभावित चिकित्सीय लक्ष्यों **की बेहतर समझ हासिल कर सकते हैं।**
  - कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान में, लंग्स-ऑन-चिप प्रणाली का उपयोग यह अध्ययन करने के लिए किया गया है **कि SARS-CoV-2 वायरस मानव फेफड़े के ऊतकों को कैसे** संक्रमित करता है।

ऑर्गन ऑन चिप प्रौद्योगिकी से जुड़ी चुनौतियां:

- **तकनीकी जटिलता और मानकीकरण:** जटिल अंगों के कार्यों की नकल करना काफी मुश्किल होता है। साथ ही, OoC उपकरणों के निर्माण के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रोटोकॉल और सामग्रियों की कमी भी है।
- **बहु-अंग प्रणालियों का एकीकरण:** अलग-अलग अंग प्रणालियों का सटीक अनुकरण करना तथा उनके बीच वास्तविक अंतःक्रिया को सुनिश्चित करना तकनीकी रूप से काफी कठिन है।
- **नैतिक और कानूनी मुद्दे:** इसमें विशेष रूप से डेटा की निजता, बौद्धिक संपदा और रोगी की कोशिकाओं के उपयोग से संबंधित नैतिक और कानूनी मुद्दे आदि शामिल हैं।
- **अन्य चुनौतियां: इसमें विनियामकीय** फ्रेमवर्क का अभाव, सीमित इम्यून सिस्टम मॉडलिंग, उच्च लागत आदि शामिल हैं।

प्रिसिजन मेडिसिन और ऑर्गन ऑन चिप प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उठाए गए कदम:

भारत में:

- **BioE3 नीति:** इसका उद्देश्य मुख्य रूप से **प्रिसिजन थेरेप्यूटिक्स** पर फोकस करते हुए जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में नवाचार को बढ़ावा देना है।
- **न्यू ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल्स नियम 2019 में संशोधन:** यह संशोधन नई औषधियों का मूल्यांकन करते समय जीवों पर परीक्षण करने से पहले और उसके साथ ह्यूमन-ऑर्गन-ऑन-चिप एवं अन्य NAMs (नॉन-एनिमल मेथड्स) के उपयोग की अनुमति देता है।
- **जीनोम इंडिया परियोजना (GIP):** यह भारतीय आबादी के आनुवंशिक मैप को तैयार करने के लिए सरकार द्वारा संचालित पहल है। GIP का उद्देश्य रोगियों के जीनोम के आधार पर **पर्सनलाइज्ड मेडिसिन विकसित करना है, ताकि रोगों का पूर्वानुमान लगाया जा सके और उन्हें नियंत्रित किया जा सके।**
- **फेनोम इंडिया परियोजना:** इसे CSIR द्वारा प्रिसिजन मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय आबादी के अनुरूप एक व्यापक फेनोम डेटाबेस तैयार करने के लिए शुरू किया गया है।
- **भारतीय कैंसर जीनोम एटलस (ICGA):** ICGA का मिशन भारत के मामले में कैंसर डेटा का डेटाबेस तैयार करना है, जिससे शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को पर्सनलाइज्ड कैंसर उपचार विकसित करने में मदद मिल सके।

वैश्विक स्तर पर:

- **FDA मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0:** इसे 2022 में USA द्वारा पारित किया गया था। इसने शोधकर्ताओं को विकास के **प्रीक्लिनिकल चरणों** में दवा परीक्षण के विकल्प के रूप में **ऑर्गन-ऑन-चिप्स का उपयोग करने की अनुमति दी।**
- **अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनियां:** दवा निर्माता कंपनी बायर, अन्य कंपनी टिश्यू के साथ मिलकर लिवर और मल्टी-ऑर्गन-ऑन-चिप मॉडल विकसित कर रही है।

निष्कर्ष

ऑर्गन-ऑन-चिप तकनीक दवा की खोज, रोग अनुसंधान और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आशाजनक है, लेकिन इसे व्यापक रूप से अपनाने से पहले कई चुनौतियों को दूर करना होगा। निरंतर निवेश और नवाचार के साथ, ऑर्गन-ऑन-चिप सिस्टम भविष्य के स्वास्थ्य देखभाल हेतु समाधानों में क्रांति ला सकते हैं।

7.4. विश्वस्य: राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक (Vishvasya: National Blockchain Technology Stack)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** (MeitY) ने **"विश्वस्य: राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक"**[99] **लॉन्च किया है।**

अन्य संबंधित तथ्य

इसके साथ ही MeitY ने निम्नलिखित परियोजनाएँ भी शुरू की हैं:

- **NBFLite:** यह एक ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है। इसे विशेष रूप से ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों का तेजी से प्रोटो टाइपिंग करने तथा अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण हेतु स्टार्टअप्स/ शिक्षाविदों के लिए विकसित किया गया है।
- **प्रामाणिक (Praamaanik):** यह राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क द्वारा संचालित होता है। यह ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मोबाइल ऐप के विकास के स्रोत को सत्यापित करता है।
- **राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल (National Blockchain Portal):** इसे राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क पहल से संबंधित कंटेंट के प्रबंधन के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम थीम पर विकसित किया गया है।

---

[99] Vishvasya: National Blockchain Technology Stack

विश्वस्य के बारे में: राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक

- इसे **ब्लॉकचेन-एज-ए-सर्विस (BaaS)** प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें ऐसा **नेटवर्क** इस्तेमाल किया जाता है, जो **अलग-अलग भौगोलिक स्थानों में फैला** होता है। इसके तहत **अधिकृत लोग (Permissioned) ब्लॉकचेन आधारित एप्लिकेशंस का अलग-अलग उपयोग** कर सकते हैं।
  - BaaS एक तृतीय पक्ष **क्लाउड-आधारित अवसंरचना** और प्रबंधन सेवा है। संगठन और व्यवसाय ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के विकास और प्रबंधन के लिए इसका उपयोग करते हैं।
- यह **राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति** के तहत प्रदान किए गए व्यापक **राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (NBF)** का एक हिस्सा है।
  - NBF का उद्देश्य स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, वित्त जैसे **विविध क्षेत्रकों में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग** करना है।
- **BaaS का महत्व**
  - यह नए प्रकार के डिस्ट्रिब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर विकसित करके **विश्वास निर्माण को सक्षम बनाने में सहायक होता है**। ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर उनकी साझा स्थितियों पर आम सहमति बनाने में सक्षम होते हैं और **सत्य का एकमात्र स्रोत प्रदान** करते हैं।
  - यह बुनियादी ढांचा प्रदाताओं, स्मार्ट अनुबंध डेवलपर्स और एप्लिकेशन डेवलपर्स सहित विभिन्न हितधारकों के बीच **ब्लॉकचेन के व्यापक उपयोग में आने वाली चुनौतियों का समाधान करता** है।
  - यह स्टैक में विभिन्न ब्लॉकचेन घटकों के लिए **सुरक्षा आश्वासन प्रदान करता है।**

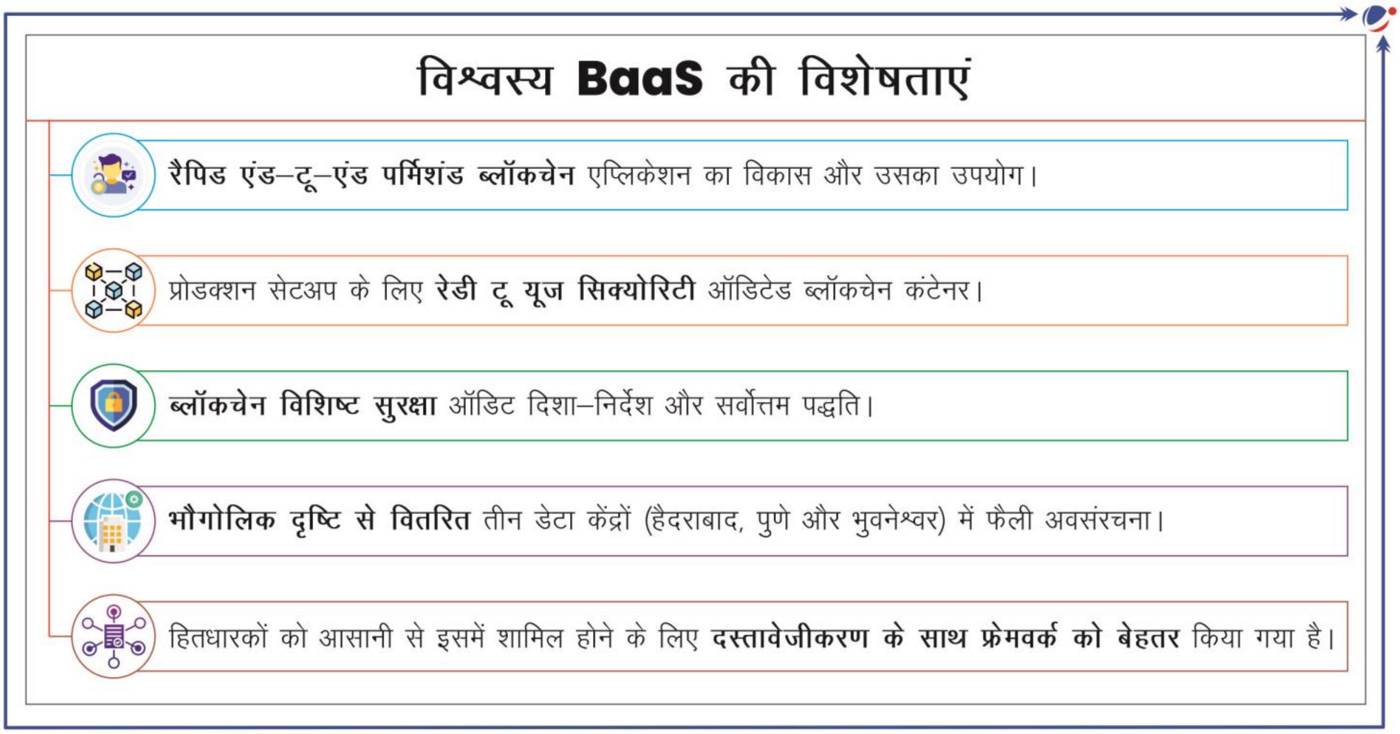

ब्लॉकचेन तकनीक क्या है?

- **ब्लॉकचेन तकनीक** एक **डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी**[100] है। इसका मूल उद्देश्य किसी भी प्रकार की डिजिटल जानकारी को सुरक्षित, पारदर्शी और छेड़छाड़ से मुक्त तरीके से संग्रहित करना है। यह पहली बार 2009 में **सातोशी नाकामोतो** द्वारा क्रिप्टोकरेंसी **बिटकॉइन** के डिजाइन और विकास के साथ शुरू की गई थी।
- यह विभिन्न प्रौद्योगिकियों, जैसे- डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्टम, क्रिप्टोग्राफी आदि का समावेशन है।
- **यह एक एक्सचेंज** प्रणाली है, जो **डेटा ब्लॉक्स** का उपयोग करके काम करती है। इसमें एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा होता है।

---

[100] Distributed Ledger Technology

कार्यप्रणाली

- ब्लॉकचेन में पीयर-टू-पीयर नेटवर्क पर डेटा और लेन-देन को विकेन्द्रीकृत तरीके से खाता बही (लेजर) में संग्रहीत किया जाता है।
- इस प्रणाली में, नेटवर्क के विभिन्न नोड्स सर्वसम्मति प्रोटोकॉल के माध्यम से लेन-देन को मान्य और सत्यापित करते हैं।

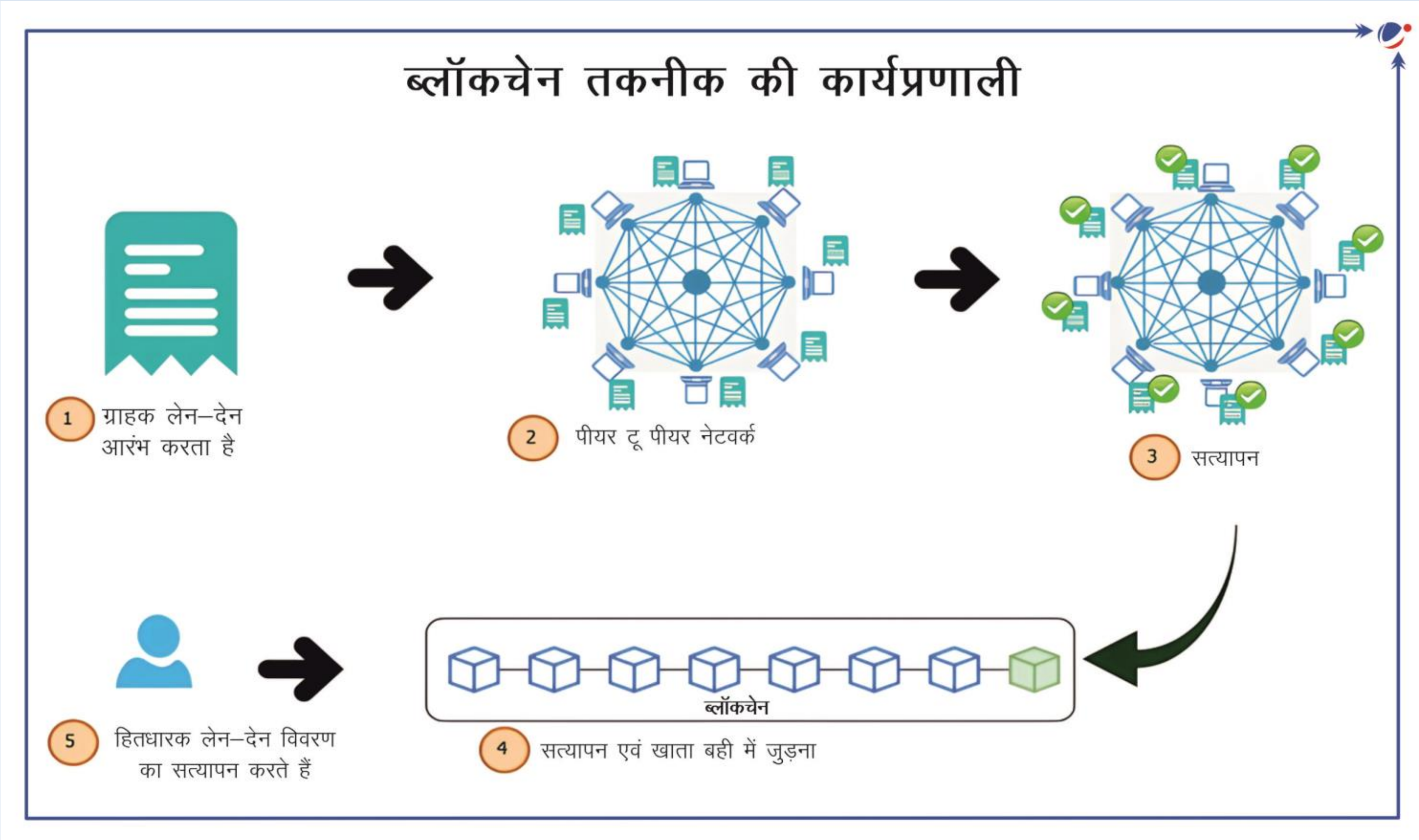

ब्लॉक चेन की विशेषताएं

- **स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स:** डिजिटल कॉन्ट्रेक्ट्स निर्धारित शर्तों के पूरा हो जाने पर स्वचालित रूप से आगे के कार्यों को करते हैं।
- **डिस्ट्रिब्यूटेड:** सभी विश्वसनीय प्रतिभागियों के पास पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खाता बही की एक प्रति होती है।
- **इम्युटेबल:** इसके तहत दर्ज कोई भी मान्य रिकॉर्ड अपरिवर्तनीय होता है और उसे बदला नहीं जा सकता है।
- **टाइम-स्टैम्प्ड:** यह हर लेनदेन को एक **विशिष्ट समय और तारीख** के साथ रिकॉर्ड करता है।
- **सर्वसम्मति:** नेटवर्क के सभी प्रतिभागी प्रत्येक रिकॉर्ड की वैधता पर सहमत होते हैं।
- **विश्वसनीय डेटा:** यह विकेन्द्रीकृत होता है और कई प्रतिभागियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- **सुरक्षित:** सभी रिकॉर्ड एन्क्रिप्टेड होते हैं।

ब्लॉकचेन के प्रकार

- **पब्लिक ब्लॉकचेन:** यह एक विकेन्द्रीकृत ओपन सिस्टम में संचालित होता है, जहां नेटवर्क में शामिल होने वाले लोगों की संख्या (पियर या सत्यापनकर्ताओं के रूप में) पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है।
    - **उदाहरण के लिए,** बिटकॉइन और एथेरियम।
- **कंसोर्टियम ब्लॉकचेन:** यह एक ऐसा सिस्टम है, जिसमें कुछ ज्ञात संस्थाओं के समूह के पास ही यह निर्धारित करने का अधिकार होता है कि कौन नेटवर्क में भाग ले सकता है और खाता-बही (लेजर) में क्या दर्ज किया जाएगा।
- **प्राइवेट ब्लॉकचेन:** यह एक ऐसा नेटवर्क है, जिसमें एक ही नियंत्रक इकाई होती है, जो यह तय करती है कि नेटवर्क में कौन सी संस्थाएं भाग लेंगी और खाता-बही (लेजर) में जानकारी जोड़ने के उनके अधिकार क्या होंगे।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग

- **क्रिप्टोकरेंसी**: क्रिप्टोकरेंसी (जैसे- बिटकॉइन, एथेरियम, लिटकॉइन, रिपल आदि) लेन-देन का रिकॉर्ड रखने और सत्यापित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती हैं। इससे ये लेन-देन सुरक्षित और पारदर्शी होते हैं।

* **आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन:** यह आपूर्तिकर्ताओं, विनिर्माताओं, वितरकों और ग्राहकों के बीच अधिक कुशल संचार एवं सहयोग को सक्षम बनाती है, जिससे समग्र संचालन सुचारू एवं विश्वसनीय बनता है।
* **मतदान प्रणाली:** इसमें मतदाता पहचान, पात्रता जांच और मतपत्र ट्रैकिंग जैसी विशेषताएं शामिल हो सकती हैं, जो पहचान सत्यापन को सक्षम बनाती हैं। इससे मतदान प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो सकती है।
* **बौद्धिक संपदा संरक्षण:** उदाहरण के लिए, **कंपनियां** ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग अपने ट्रेडमार्क और पेटेंट के प्रबंधन में कर सकती हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उनकी बौद्धिक संपदा सुरक्षित रहे और बिना उनकी अनुमति के उसका दुरुपयोग न हो।
* **रिकॉर्ड प्रबंधन:** ब्लॉकचेन-आधारित स्वास्थ्य देखभाल रिकॉर्ड प्रबंधन, रोगी के डेटा को सुरक्षित और भरोसेमंद स्रोत के रूप में भंडारित करके उसकी सटीकता एवं निजता में सुधार करने में मदद कर सकती है।
* **अन्य उपयोग:** इसमें कानून प्रवर्तन, बैंकिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्राउडफंडिंग, आदि शामिल हैं।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन में चुनौतियां

* **प्रदर्शन:** प्रत्येक नोड पर डेटा की प्रतिकृति बनाने से इसके प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही, इससे पारंपरिक केंद्रीकृत प्रणालियों की तुलना में प्रदर्शन धीमा हो जाता है।
* **स्केलेबिलिटी:** ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का जटिल ताना-बाना और कॉन्फ़िगरेशन, प्रोसेसिंग पॉवर, नेटवर्क बैंडविड्थ आदि के लिए आवश्यकता के अनुसार बदलती अनिवार्यताओं जैसे कारकों की वजह से इसकी स्केलेबिलिटी पर नकारात्मक असर पड़ता है।
* **स्टोरेज:** इसके लिए बहुत अधिक स्टोरेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी नोड्स पर एक ही डेटा (या लेन-देन) की कई प्रतियां होती हैं और यह स्थायी रूप से भंडारित रहता है।
* **ऊर्जा की खपत:** ब्लॉकचेन नेटवर्क को प्रायः काफी अधिक कम्प्यूटेशनल पॉवर की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की खपत काफी अधिक होती है।
* **इंटरऑपरेबिलिटी:** विभिन्न ब्लॉकचेन प्लेटफार्मों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी एक चुनौती हो सकती है, विशेष रूप से ऐसी प्रणाली में जहां कई नेटवर्क एक साथ मौजूद हों।
* **कानूनी: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** की धारा 43A में ब्लॉकचेन के संदर्भ में गोपनीयता और सुरक्षा के लिए आवश्यक नियमों का अभाव है।
    * **स्थानीयकरण से जुड़ी अनिवार्यताएं:** पब्लिक ब्लॉकचेन सभी नोड्स पर स्वचालित रूप से डेटा की प्रतियां स्टोर करता है। इससे स्थानीयकरण से जुड़ी अनिवार्ताओं को पूरा करने में समस्या पैदा हो सकती है।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदम

भारत में

* MeitY ने **ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति जारी की है।**
* **ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है।**
* **फ्यूचर स्किल्स प्राइम (PRIME):** इसे नैसकॉम और MeitY द्वारा ब्लॉकचेन के साथ-साथ अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए शुरू किया गया है।

वैश्विक स्तर पर

* **विश्व आर्थिक मंच के प्रेसिडियो सिद्धांत:** यह विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक ब्लॉकचेन परिषद द्वारा जारी ब्लॉकचेन अधिकार विधेयक है।
* **IBM का ब्लॉकचेन वर्ल्ड वायर:** यह सीमा-पार लेनदेन को सुगम बनाने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाला एक ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है।
* **ग्लोबल ब्लॉकचेन बिजनेस काउंसिल (GBBC):** यह एक उद्योग संघ है, जो विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष

भारत में ब्लॉकचेन के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण में कौशल विकास, नियामक स्पष्टता, व्यावहारिक कार्यान्वयन, और मजबूत सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि इसे मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सके। इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके, भारत ब्लॉकचेन नवाचार और इस प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए एक अनुकूल व्यवस्था बना सकता है, जिससे वह इस क्रांतिकारी तकनीक में वैश्विक रूप अग्रणी बन सके।

7.5. भारत का अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम (India’s R&D Ecosystem)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने तीन प्रमुख योजनाओं को एकीकृत करते हुए **'विज्ञान धारा'** नामक योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारत के अनुसंधान और विकास (R&D) इकोसिस्टम को सशक्त बनाना है।

विज्ञान धारा योजना के बारे में

- **नोडल मंत्रालय:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- **मुख्य उद्देश्य:** देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण** के साथ-साथ **अनुसंधान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास को** बढ़ावा देना।
- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **क्रियान्वयन अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक (15वें वित्त आयोग की अवधि)
- **संभावित लाभ**:
    - विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक को मजबूत करने के लिए **महत्वपूर्ण मानव संसाधन का निर्माण होगा।**
    - देश के अनुसंधान आधार का विस्तार कर फुल-टाइम इक्विवेलेंट (FTE) शोधकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी।
    - लक्षित प्रयासों के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में **महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर लैंगिक समानता सुनिश्चित हो सकेगी।**

भारत के अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम के बारे में

अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को किसी भी व्यवस्थित और रचनात्मक काम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य ज्ञान के भंडार को बढ़ाना और इस ज्ञान के आधार पर नई चीजों का अविष्कार करना होता है।

- 2020 में, भारत **वैज्ञानिक रिसर्च पेपर के प्रकाशन** और स्कॉलर आउटपुट की संख्या के मामले में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर था।

- 2022 के डेटा के अनुसार, **दायर किए गए पेटेंट की संख्या के मामले में भारत छठे स्थान पर है।**
- **भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII)**[101] **2024** में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए **133 देशों में से 39वां स्थान** हासिल किया है।

भारत के अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम के समक्ष मौजूद चुनौतियां:

- **कम बजट:** भारत अनुसंधान एवं विकास के लिए अपनी GDP के प्रतिशत (0.6-0.7%) के मामले में दुनिया में सबसे कम खर्च करने वाले देशों में शामिल है।
  - यह अमेरिका (2.8), चीन (2.1), इजरायल (4.3) और कोरिया (4.2) जैसे प्रमुख देशों से काफी कम है।
- **बड़े पैमाने पर प्रतिभा पलायन:** भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की एक बड़ी संख्या बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश पलायन कर जाती है, जिसके कारण **कुशल मानव संसाधन की कमी हो जाती है।**
  - 2020 में, भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर शोधकर्ताओं की संख्या केवल 260 थी, जबकि चीन में यह 1,602 थी **(PRS द्वारा बजट 2024-25 का विश्लेषण के अनुसार)।**

अनुसंधान एवं विकास संबंधी मजबूत इकोसिस्टम का महत्त्व

- **आर्थिक संवृद्धिः** विदेशी निवेश के आकर्षित होने और अनुसंधान एवं विकास से उत्पन्न बौद्धिक संपदा से अर्थव्यवस्था में राजस्व सृजन को बढ़ावा मिलता है।
- **ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाः** अनुसंधान एवं विकास से सकारात्मक ज्ञान प्रसार को बढ़ावा मिलता है। साथ ही, इससे भविष्य में तकनीकी बदलाव और अन्य नवाचार गतिविधियों को भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
- **विकास संबंधी चुनौतियों को समाधान करनाः** इससे कम लागत वाले नवीकरणीय ऊर्जा समाधान सुनिश्चित करना और उपेक्षित बीमारियों का उन्मूलन, आदि संभव होता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षाः** अनुसंधान एवं विकास जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर युद्ध आदि से निपटने के लिए आवश्यक क्षमता विकसित करने में मदद करता है।

- **समावेशिता का अभाव:** सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड और बाधाएं महिलाओं सहित समाज के कई वर्गों को अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने से रोकती हैं, जिससे प्रतिभावान मानव संसाधन की कमी होती जा रही है।
- **अनुसंधान को सफल प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने में मौजूद चुनौतियां: उद्योग-अकादमिक जगत के मध्य अपर्याप्त सहयोग** जैसे कारकों के कारण उपयोग-केंद्रित अनुसंधान एवं विकास की तुलना में बुनियादी अनुसंधान पर कम ध्यान दिया जाता है।
- **भारत की शिक्षा प्रणाली में मौजूद समस्याएं:**
  - **उच्चतर शिक्षण में छात्रों का कम नामांकन:** उच्चतर शिक्षा पर किए गए अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार, 2021-22 में Ph.D. में कुल नामांकन 2.12 लाख था।
  - **अनुसंधान के अवसर प्रदान करने वाले संस्थानों की कमी:** केवल 2.7% कॉलेज में ही Ph.D. प्रोग्राम उपलब्ध हैं और 35.04% कॉलेज स्नातकोत्तर स्तर के प्रोग्राम संचालित करते हैं।
  - शैक्षिक संस्थानों में **अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की पर्याप्त निगरानी या मूल्यांकन का अभाव होता है।**

भारत में अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम में सुधार हेतु आगे की राह

इसके लिए वित्त-पोषण, अवसंरचना, नीतियों और सहयोग जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

- **वित्त**
  - **वित्तीय सहायता में वृद्धि:** एक राष्ट्र के रूप में भारत को 2030 तक अनुसंधान एवं विकास में सकल घरेलू उत्पाद का कम-से-कम 2% निवेश करना चाहिए।
  - **निजी क्षेत्रक द्वारा निवेश:** इसके लिए उद्योग और सरकार द्वारा संयुक्त निवेश के माध्यम से PPP आधारित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना करना, कर में रियायत जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान, पेटेंट संबंधी प्रोत्साहन, आदि कार्य किए जाने चाहिए।

---

[101] Global Innovation Index

- ○ **अवसंरचना और सहयोग:** अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना अनुसंधान संबंधी अवसंरचना को आगे बढ़ाने और प्रगति को तीव्र करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
- **नवाचार**
  - ○ **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संरक्षण:** यद्यपि भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,00,000 से अधिक पेटेंट प्रदान किए, फिर भी कई पेटेंट का उपयोग कम ही हुआ है।
    - ▪ यह **अनुसंधान संस्थानों, उद्योग संघों और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों** की आवश्यकता को उजागर करता है।
  - ○ **विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को बढ़ावा देना:** इसमें विश्वविद्यालयों को वित्तीय और निर्णय लेने की स्वायत्तता प्रदान करना; वैश्विक/ क्षेत्रीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रकों को बढ़ावा देना; आदि शामिल है।
    - ▪ **विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास समिति/ प्रकोष्ठ की स्थापना की जा सकती है; विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में** विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को विशेष दर्जा दिया जा सकता है; आदि।
- **अनुसंधान को प्रौद्योगिकियों में रूपांतरित करने के लिए सहयोग:** उद्योग जगत, अनुसंधान संगठनों, संस्थानों, संघों, गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी निकायों सहित कई हितधारकों के साथ रणनीतिक साझेदारी और नवाचार क्लस्टर विकसित किए जा सकते हैं।
- **शिक्षा और कौशल विकास में निवेश:** प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में बुनियादी और एप्लाइड रिसर्च के लिए सरकारी निधि का व्यय बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान में, केवल 10% निधि ही इस दिशा में आवंटित की जाती है।
  - ○ **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य **उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार** को बढ़ावा देने तथा उसे उत्प्रेरित करने के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाना है। इससे समग्र अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम में भी सुधार होगा।

भारत में अनुसंधान एवं विकास संबंधी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन: इसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम, 2023 के तहत अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा उसे और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, 2013: इसका उद्देश्य विज्ञान के कुछ अग्रणी क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना की स्थापना करना है।

उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयासों को निर्देशित करने के लिए समर्पित तकनीकी मिशन: जैसे- राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और इसके उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन, आदि।

योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति/ अनुदान/ फेलोशिप के माध्यम से युवाओं को अनुसंधान के लिए आकर्षित करना: उदाहरण के लिए- प्रधान मंत्री अनुसंधान फेलोशिप (PMRF) योजना, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट ऑफ इंस्पायर्ड रिसर्च (INSPIRE) आदि।

विज्ञान एवं अनुसंधान में महिलाओं को बढ़ावा देना: उदाहरणार्थ- वुमन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग: नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग (WISE- KIRAN) योजना।

उद्योगों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच जुड़ाव को विकसित करना: उदाहरण के लिए- IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी आदि में अनुसंधान पार्क स्थापित करना और इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (IMPRINT) योजना।

7.6. ग्राफीन (Graphene)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **विकसित भारत@2047** के विजन के तहत **इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर (IGEIC) का शुभारंभ** किया है।

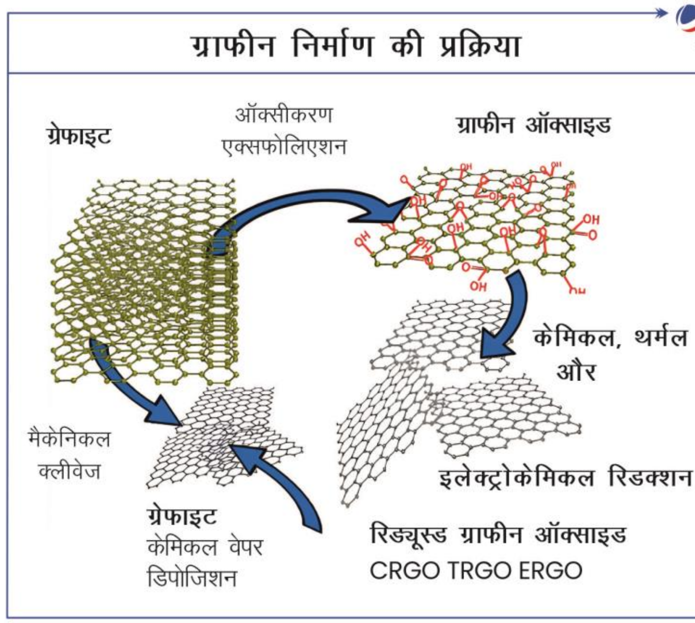

इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर (IGEC) के बारे में

- यह **कंपनी अधिनियम, 2013** की **धारा 8 के तहत पंजीकृत** एक गैर-लाभकारी उद्देश्यों वाली कंपनी है।
- **उद्देश्य:** इसे विशेष रूप से ग्राफीन तकनीक के वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु गठित किया गया है।
- **फोकस एरिया: इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा भंडारण से लेकर स्वास्थ्य सेवा के अलावा मटेरियल कोटिंग एवं परिवहन प्रणालियों तथा सस्टेनेबल मटेरियल का विकास करना शामिल हैं।**
- तिरुअनंतपुरम (केरल) में **अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया गया** है।
- बेंगलुरु (कर्नाटक) में **कॉर्पोरेट एवं बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर स्थापित** किया गया है।

ग्राफीन क्या होता है?

- **ग्राफीन की खोज 2004** में **आंद्रे गीम** और **कांस्टैंटिन नोवोसेलोव** ने की थी। इसके लिए उन्हें **2010** में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यह **कार्बन का एक अपरूप** और ग्रेफाइट का **बिल्डिंग-ब्लॉक है।** ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है।
- यह कार्बन परमाणुओं की एकल परत (द्विआयामी) होती है, जो सघन रूप से षट्कोणीय मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है।
- **ग्राफीन शीट के संश्लेषण के तरीके:** इसमें केमिकल वेपर डिपोजिशन (CVD), प्राकृतिक ग्रेफाइट का विखंडन, मैकेनिकल एक्सफोलिएशन, हाइड्रोजन आर्क डिस्चार्ज, आदि शामिल है।
- इसे **असाधारण इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण एक अद्भुत सामग्री (Wonder material) कहा जाता है।**

ग्राफीन के गुणधर्म के बारे में

- **मजबूती:** यह स्टील से **200 गुना अधिक मजबूत होता है, जबकि इसका वजन स्टील के 1/6 हिस्से के बराबर ही** होता है।
- **ऑप्टिकल पारदर्शिता:** यह केवल 2.3% प्रकाश को अवशोषित करता है। इस विशेषता के कारण, यह पारदर्शी टचस्क्रीन, सौर सेल, और डिस्प्ले प्रौद्योगिकियों के लिए एक आदर्श सामग्री है।
- **उच्च तापीय चालकता: कमरे के तापमान पर ग्राफीन की तापीय चालकता 5000 W/m/K** तक होती है, जो कि अधिकांश अन्य सामग्रियों की तुलना में बहुत अधिक है।
- **अपारगम्य/ अभेद्यता:** यह गैसों के लिए **अभेद्य है**, यहां तक कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों के लिए भी।
- **क्वांटम गुण:** ग्राफीन में **क्वांटम हॉल प्रभाव संभवतः मेट्रोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी योगदान दे सकता है।**

ग्राफीन के संभावित उपयोग

- **इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग:** सिलिकॉन की तुलना में अधिक मजबूती और ऊर्जा दक्षता के कारण, इसका उपयोग ग्राफीन-आधारित अर्धचालकों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

* **ऊर्जा भंडारण: ग्राफीन का पृष्ठीय क्षेत्रफल** काफी अधिक (2630 m^2/g) होता है, जो इसे बैटरी और सुपरकैपेसिटर जैसे ऊर्जा भंडारण उपकरणों के लिए उपयोगी बनाता है।
* **वॉटर फिल्ट्रेशन प्रौद्योगिकी:** वॉटर फिल्ट्रेशन तकनीक में, ग्राफीन नैनोपोरस मेमब्रेन्स का उपयोग जल के विलवणीकरण और फिल्ट्रेशन के लिए किया जा सकता है। ग्राफीन नैनोपोरस मेमब्रेन्स के छिद्रों के आकार और फिल्ट्रेशन के दौरान लगाए जाने वाले दाब के अनुसार इसकी दक्षता 33% से 100% तक हो सकती है।
* **पर्यावरण:** यह देखा गया है कि ग्राफीन अपने से 600 गुना भारी तरल पदार्थ को भी अवशोषित कर सकता है।
  * इसके अतिरिक्त, ग्राफीन इथेनॉल, जैतून के तेल, नाइट्रोबेंजीन, एसीटोन और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को भी अवशोषित कर सकता है।
* **बायोमेडिकल:** इसका ऑक्सीकृत रूप ग्राफीन ऑक्साइड (GO) कहलाता है। इसमें कम सायटोटॉक्सिसिटी (कोशिकाओं पर विषैला प्रभाव) होती है, जिससे यह चिकित्सा के विभिन्न उपयोगों के लिए उपयुक्त हो जाता है।
  * **उदाहरण के लिए,** टिशू इंजीनियरिंग, दवा/ जीन डिलीवरी, फोटोथेरेपी, कोशिकीय वृद्धि और विभेदन, बायोसेंसर, बायो-इमेजिंग, कैंसर या अन्य रोगों का पता लगाना, आदि।
* **रक्षा एवं सुरक्षा:** ग्राफीन की असाधारण मजबूती इसे कवच और बैलिस्टिक सुरक्षा के लिए एक बेहतर सामग्री बनाती है।

ग्राफीन से जुड़ी चुनौतियां

* **मानव स्वास्थ्य जोखिम:** कुछ अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि **ग्राफीन ऑक्साइड और ग्राफीन** की विषाक्तता मानव की कोशिका झिल्ली के सीधे संपर्क में आने के बाद लिपिड झिल्ली को नष्ट कर देते हैं, जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।
* **उच्च उत्पादन लागत:** इनके कारण ग्राहक आधार सीमित हो जाता है और इसके लिए बाजार का विकास भी बाधित होता है। इसलिए विशेष रूप से मूल्य-संवेदनशील क्षेत्रों में इसे व्यापक रूप से अपनाए जाने की संभावना कम हो जाती है।
* **बैंड गैप की समस्या:** ग्राफीन में बैंड गैप की कमी होती है, जिससे इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। अर्धचालक सामग्री में बैंड गैप होना जरूरी होता है ताकि उसे चालू और बंद किया जा सके।

वैश्विक परिदृश्य

* ग्राफीन अनुसंधान में अग्रणी देश **चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और सिंगापुर हैं।**
* **चीन और ब्राजील** ग्राफीन के **वाणिज्यिक उत्पादन** में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश हैं।
* भारत की तुलना में चीन लगभग 20 गुना अधिक ग्राफीन का उत्पादन करता है।

* **सीमित उत्पादन:** ग्राफीन का उत्पादन सीमित है और वर्षों तक इसे केवल सीमित मात्रा में ही उत्पादित किया गया था। हालांकि, ग्राफीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का एक तरीका है, लेकिन अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता आमतौर पर खराब होती है।

ग्राफीन को बढ़ावा देने के लिए भारत में की गई पहलें

* **ग्राफीन-ऑरोरा कार्यक्रम:** इसे स्टार्टअप और उद्योगों को पूर्ण सुविधा प्रदान करके अनुसंधान एवं विकास तथा वाणिज्यीकरण के बीच के अंतराल को समाप्त करने हेतु शुरू किया गया है।
* **इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन (IICG):** इसे केरल में स्थापित किया गया है। यह डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (C-MET) और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है, जिसे MeitY द्वारा वित्त-पोषित किया गया है।
* **अनुसंधान संस्थान:** IIT रुड़की द्वारा इनक्यूबेटेड **"लॉग 9"** ने ग्राफीन आधारित अल्ट्राकैपेसिटर के लिए एक प्रौद्योगिकी का पेटेंट कराया है। **नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केन्द्र (CeNS)**[102] ग्राफीन अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल है।

निष्कर्ष

नि:संदेह मौजूदा शोध से ग्राफीन कंपोजिट, हाइब्रिड मटेरियल्स और स्केलेबल प्रोसेसिंग तकनीकों में नवाचारों को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे-जैसे ये प्रयास विकसित होंगे, ग्राफीन एक अत्यंत महत्वपूर्ण मटेरियल बन सकता है। इससे कई क्षेत्रकों में हाई-परफॉर्मेंस उपकरणों, ऊर्जा दक्षता और संधारणीय प्रौद्योगिकियों में सफलता मिल सकती है।

---

[102] Centre for Nano and Soft Matter Sciences

7.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.7.1. क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (Quantum Natural Language Processing: QNLP)

क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (QNLP) **लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग (LLM) के लिए संभावित रूप से गहन निहितार्थों वाला एक उभरता हुआ अनुसंधान क्षेत्र** है।

QNLP के बारे में

- यह **नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP)** के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का अनुप्रयोग है।
  - NLP कंप्यूटर को **मानव भाषा की व्याख्या, हेरफेर और समझने** की क्षमता प्रदान करता है।
- **QNLP की आवश्यकता:** इसकी आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई, क्योंकि पारंपरिक LLMs नेचुरल लैंग्वेज के सिमेंटिक (शब्दों और वाक्यों के अर्थ से संबंधित) पहलुओं को प्रॉसेस करने में तो उत्कृष्ट हैं, लेकिन अक्सर **सिंटेक्स** के साथ संघर्ष करते हैं।
  - सिंटेक्स **एक वाक्य में शब्दों और वाक्यांशों की संरचनात्मक व्यवस्था** है।
- पारंपरिक प्रणालियों के विपरीत, QNLP **व्याकरण (सिंटेक्स) और अर्थ (सिमेंटिक)** पर एक साथ ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है।
- **QNLP के लाभ:**
  - पारंपरिक LLMs की तुलना में कम ऊर्जा लागत;
  - पारंपरिक समकक्षों की तुलना में QNLP में कम मापदंडों की आवश्यकता होती है आदि।

7.7.2. सिलिकॉन कार्बाइड (Silicon Carbide)

भारत का पहला **सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र ओडिशा** में स्थापित किया जाएगा।

सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) के बारे में

- इसे **कार्बोरंडम** के नाम से भी जाना जाता है। यह **सिलिकॉन और कार्बन का कृत्रिम रूप से निर्मित अत्यंत कठोर क्रिस्टलीय यौगिक** होता है।
- **गुण:** इसमें उत्कृष्ट **ताप-यांत्रिक** विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं में **उच्च तापीय चालकता, उत्कृष्ट यांत्रिक गुण, क्षरण और ऑक्सीकरण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधकता** आदि शामिल हैं।
- **उपयोग:** इसका उपयोग अर्धचालक उपकरणों, मैकेनिकल सील, स्ट्रक्चरल सिरेमिक, हीट एक्सचेंजर्स, ऑप्टिकल मिरर, बैलिस्टिक आर्मर आदि के निर्माण में किया जाता है।

7.7.3. पोलारिस डॉन मिशन के तहत विश्व का पहला निजी स्पेसवॉक सफलतापूर्वक पूरा किया गया (Polaris Dawn Mission Successfully Completes World's First Private Spacewalk)

पोलारिस डॉन मिशन **निजी रूप से वित्त-पोषित और संचालित एक स्पेस मिशन** है। **जेरेड आईजैकमैन ने स्पेसएक्स के साथ मिलकर** इसकी योजना बनाई है।

- हाल ही में, पोलारिस डॉन ने **पृथ्वी के उच्च विकिरण** वाले क्षेत्रों, यानी **साउथ अटलांटिक एनॉमेली और वैन एलेन रेडिएशन बेल्ट** की यात्रा की है। इसका उद्देश्य **मानव स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष विकिरण के प्रभाव का अध्ययन** करना था।

वैन एलेन रेडिएशन बेल्ट के बारे में

- इसे **तारा-भौतिकविद् जेम्स वैन एलेन ने 1958** में खोजा था।
- पृथ्वी का चुंबकमंडल **उच्च ऊर्जा वाले विकिरण कणों को बांध कर** रखता है तथा पृथ्वी को **सौर तूफानों और सौर पवनों से बचाता** है। ज्ञातव्य है कि सौर तूफान व सौर पवनें प्रौद्योगिकी के साथ-साथ पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं।
  - ये अवरुद्ध कण **विकिरण की दो बेल्ट्स (आंतरिक और बाहरी)** बनाते हैं, जिन्हें **वैन एलेन बेल्ट्स** के रूप में जाना जाता है। ये बेल्ट्स पृथ्वी को घेरे हुए हैं।

- आंतरिक बेल्ट **ब्रह्मांडीय किरणों की पृथ्वी के वायुमंडल के साथ परस्पर अंतर्क्रियाओं से उत्पन्न** होती है। बाहरी बेल्ट **सूर्य से उत्पन्न उच्च ऊर्जा वाले अरबों कणों** से बनी होती है।

- अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान को **बाह्य अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए वैन एलेन बेल्ट से होकर गुजरना** पड़ता है। इस कारण उनके **विकिरण जोखिम को सीमित करने** के लिए इस क्षेत्र से **तेजी से उड़ान भरना बहुत जरूरी** हो जाता है।
- नासा अपने आगामी **आर्टेमिस मिशनों** के जरिये अंतरिक्ष यात्रियों को वैन एलेन विकिरण बेल्ट से आगे **2025 के अंत तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर और अंततः मंगल ग्रह पर** भेजने की योजना बना रहा है।

दक्षिण अटलांटिक विसंगति (South Atlantic Anomaly: SAA) के बारे में

- यह **दक्षिण अटलांटिक महासागर के ऊपर एक भौगोलिक क्षेत्र** है। यहां **आंतरिक वैन एलेन विकिरण बेल्ट** विशेष रूप से पृथ्वी के निकट तक फैली हुई है।
- इससे **आयनकारी विकिरण के स्तर में अत्यधिक वृद्धि** होती है और पृथ्वी की निचली कक्षाओं में अंतरिक्ष यान पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए विकिरण का जोखिम** भी बढ़ जाता है।

7.7.4. वीनस ऑर्बिटर मिशन {Venus Orbiter Mission (VOM)}

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन (VOM) के विकास को मंजूरी दी है।

- भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन का उद्देश्य **शुक्र (Venus) ग्रह की कक्षा में एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान को भेजना** है। यह यान **शुक्र ग्रह की परिक्रमा** करेगा। इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी **अंतरिक्ष विभाग** को सौंपी गई है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) इस **अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण** के लिए जिम्मेदार होगा। इसका प्रक्षेपण **मार्च 2028** में निर्धारित है।
- **बजट:** वीनस ऑर्बिटर मिशन का बजट **1,236 करोड़ रुपये** है। इसमें से **824 करोड़ रुपये अंतरिक्ष यान पर खर्च** किए जाएंगे।
- **वीनस ऑर्बिटर मिशन (VOM) का महत्त्व:**
  - यह मिशन शुक्र ग्रह की **सतह व उपसतह, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं तथा इसके वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव की बेहतर समझ** प्रदान करेगा।
  - इस मिशन से **शुक्र और पृथ्वी, दोनों सिस्टर प्लैनेट्स यानी जुड़वा ग्रह के विकास-क्रम को समझने** में मदद मिलेगी।
  - यह **बड़े पेलोड ले जाने में सक्षम भविष्य के ग्रहीय मिशनों के प्रक्षेपण तथा ग्रहों की कक्षाओं में प्रवेश करने** के सबसे बेहतर तरीकों को जानने में मदद करेगा।
  - रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रकों में प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

शुक्र ग्रह के बारे मे

- शुक्र **पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह** है। समान आकार एवं आकृति के कारण शुक्र को **'पृथ्वी का जुड़वां ग्रह'** माना जाता है।
  - यह 6,052 कि.मी. के त्रिज्या वाला ग्रह है, जिसकी कक्षीय अवधि 224.7 पृथ्वी दिवस है। यह सूर्य से 108.2 मिलियन कि.मी. (0.72 खगोलीय यूनिट) की दूरी पर स्थित है।
- शुक्र का **सघन वायुमंडल ऊष्मा को भीतर ही रोककर** रखता है। इससे **ग्रीनहाउस प्रभाव अनियंत्रित** हो जाता है यानी **रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट** की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण यह हमारे **सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह** है।
- शुक्र ग्रह हमेशा **सल्फ्यूरिक एसिड के घने और विषाक्त बादलों से घिरा** रहता है।
  - **इस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन** गैस पाई गई है। गौरतलब है कि फास्फीन गैस **सूक्ष्मजीवों की मौजूदगी का संभावित संकेतक** है।
- **यूरेनस की तरह शुक्र ग्रह भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन** करता है, जबकि अन्य सभी ग्रह **पश्चिम से पूर्व की ओर** घूर्णन करते हैं।

शुक्र ग्रह के लिए मिशन		
	मिशन (वर्ष)	**प्रमुख तथ्य**
पिछले मिशन	**मैरिनर 2** (1962, संयुक्त राज्य अमेरिका)	यह शुक्र पर भेजा गया **पहला अंतरिक्ष यान** था। इस मिशन को शुक्र ग्रह पर **कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिला।**

	वेनेरा-7 (1970, सोवियत संघ)	यह किसी अन्य ग्रह (शुक्र) पर **सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान** था।
	मैगेलन 1990, संयुक्त राज्य अमेरिका	इस अंतरिक्ष यान ने शुक्र ग्रह की सतह की **पहली नियर-ग्लोबल रडार मैपिंग** की थी।
	अकात्सुकी (2015, जापान)	इसने **शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन** किया था।
भविष्य के मिशन	• **नासा का दा-विंची-** वीनस फ्लाई बाई और प्रोब (2029); • **वेरिटास-** ऑर्बिटर (2031); तथा • **एनविज़न-** यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस ऑर्बिटर (2031)।	

7.7.5. चंद्रयान-4 (Chandrayaan-4)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **चंद्रयान-4 मिशन** को मंजूरी प्रदान की है। यह **चंद्रयान-3 का परवर्ती मिशन** है। ज्ञातव्य है कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी।

चंद्रयान-4 के बारे में

- इसका उद्देश्य **चंद्रमा पर लैंडिंग करना, चंद्र नमूने एकत्र करना और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटना** है। इसके लिए यह प्रमुख तकनीकों को विकसित और प्रदर्शित करेगा।
- इस मिशन के पश्चात अंततः **भारत को 2040 तक भारतीय चालक दल युक्त चंद्र मिशन** तथा सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए **आधारभूत प्रौद्योगिकी क्षमताएं** प्राप्त हो जाएंगी।
- **इसरो** अंतरिक्ष यान का विकास और प्रक्षेपण करेगा।
- **समय-सीमा: 36 महीनों** के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।
- **बजट: 2104.06 करोड़ रुपए।**

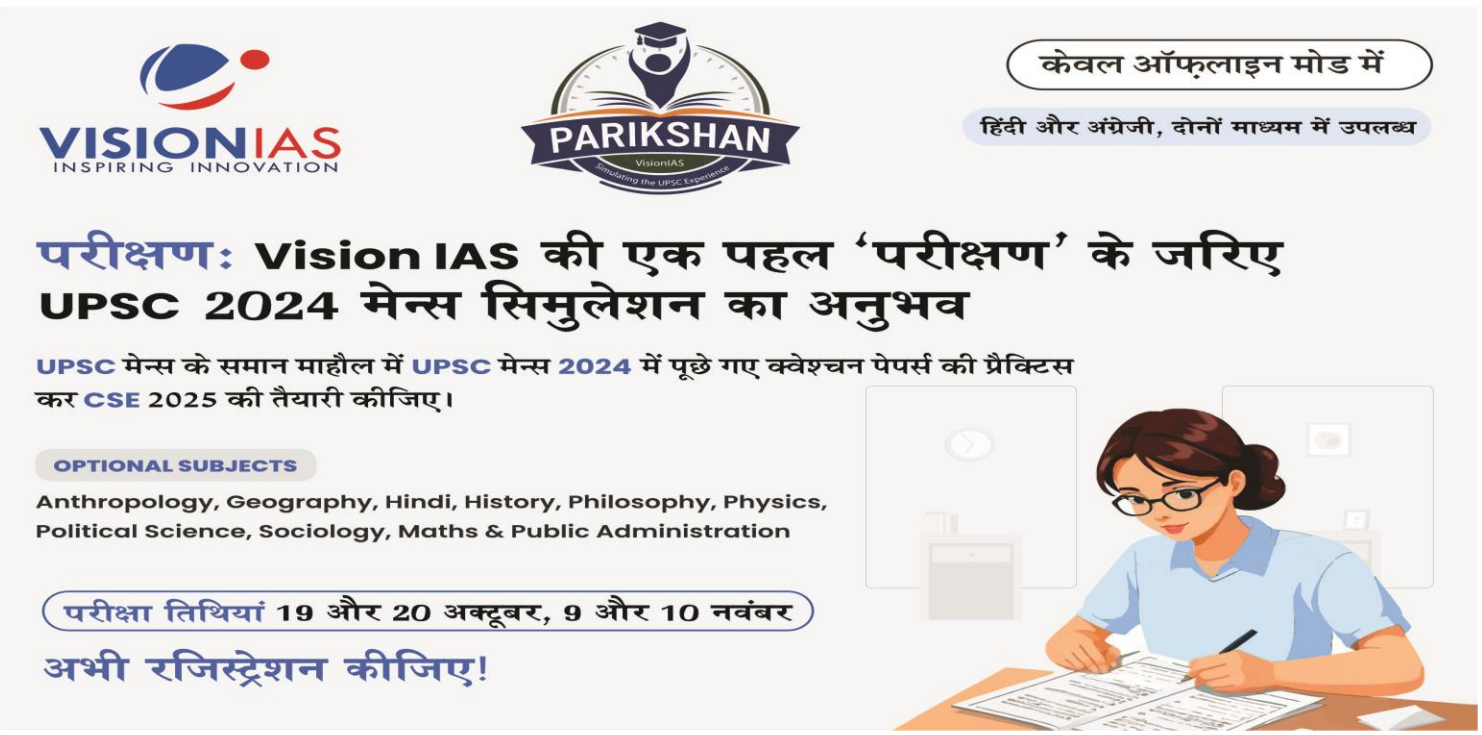

7.7.6. स्क्वायर किलोमीटर ऐरे (Square Kilometer Array)

स्क्वायर किलोमीटर ऐरे (SKA) ने **पहला पर्यवेक्षण** पूर्ण कर लिया है। इस प्रकार इसने आंशिक रूप से काम करना आरंभ कर दिया है। गौरतलब है कि यह **निर्माणाधीन प्रक्रिया विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप** है।

स्क्वायर किलोमीटर ऐरे (SKA) के बारे में

- SKA प्रोजेक्ट का लक्ष्य **विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप** बनाना है। इसका अधिग्रहण क्षेत्र **एक वर्ग किलोमीटर से अधिक** होगा।
- SKA में एक **वैश्विक वेधशाला** सम्मिलित होगी। इसके तहत दो बड़े टेलीस्कोप होंगे। इनमें से एक **दक्षिण अफ्रीका** में और एक **ऑस्ट्रेलिया** में स्थापित किया जाएगा।\
- **SKA टेलीस्कोप्स के उद्देश्य:**
    - ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति को समझना;
    - गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना;
    - आकाशगंगाओं, डार्क मैटर और ब्रह्मांडीय चुंबकत्व के विकास को समझना।
- भारत **2012 में SKA संगठन में एसोसिएट सदस्य** के रूप में शामिल हुआ था। इसने SKA टेलीस्कोप्स के निर्माण-पूर्व चरण में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

7.7.7. क्वासर (Quasars)

खगोलविदों ने यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला (ESO) के अति विशाल टेलीस्कोप (VLT) का उपयोग करके अब तक देखे गए **सबसे चमकीले क्वासर** की खोज की है। इसका नाम **J0529-4351 है।**

क्वासर के बारे में

- क्वासर शब्द **"अर्ध-तारकीय रेडियो स्रोत" (Quasi-stellar radio sources: Quasars)** का संक्षिप्त रूप है।
- क्वासर बहुत ही चमकीले और ऊर्जावान पिंड होते हैं जो कुछ दूर स्थित आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। विशालकाय ब्लैक होल इनके ऊर्जा का स्रोत होता है।
- वे ज्ञात ब्रह्मांड में **सबसे अधिक चमकदार वस्तुओं में से हैं।**
- अत्यधिक चमकदार होने के बावजूद, **पृथ्वी से** उनकी अधिक दूरी के कारण, किसी भी क्वासर को बिना उपकरण के नहीं देखा जा सकता।
- वे **रेडियो तरंगें, दृश्य प्रकाश, UV किरणें, अवरक्त तरंगें, एक्स किरणें और गामा किरणें** उत्सर्जित करते हैं।

7.7.8. शनि के वलय (Saturn's Rings)

2025 में शनि ग्रह के वलय **कुछ समय के लिए पृथ्वी पर मौजूद पर्यवेक्षकों को नहीं दिखाई** देंगे।

- इस अस्थायी परिघटना की वजह **शनि का झुकाव और ऑप्टिकल भ्रम** है।

शनि ग्रह के वलयों के बारे में

- ये वलय आमतौर पर लगभग **30 फीट चौड़े हैं।**
- ये लगभग पूरी तरह से **जलीय बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों** से बने हुए हैं। इनका आकार रेत के कण से लेकर एक पहाड़ के बराबर हो सकता है।
- इनका नामकरण **इनकी खोज के क्रम के अनुसार वर्णमाला के क्रम** में किया गया है। उदाहरण के लिए, मुख्य वलयों का नाम **A, B और C** है।
- कुछ अन्य ग्रह जिनमें वलय पाए जाते हैं: **बृहस्पति और यूरेनस।**

7.7.9. नीति आयोग ने "भविष्य की महामारी से निपटने की तैयारियों पर विशेषज्ञ समूह" की रिपोर्ट जारी की (NITI Aayog releases Expert Group Report on Future Pandemic Preparedness)

विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में **कोविड-19 महामारी के दौरान सामने आई चुनौतियों पर विचार** किया गया है। साथ ही, इसमें भविष्य की महामारी से निपटने की तैयारियों के लिए एक **व्यापक रणनीति भी प्रस्तावित** की गई है।

- रिपोर्ट में जानवरों से फैलने वाले यानी **जूनोटिक रोगों के बढ़ते खतरे** से निपटने के लिए **"वन हेल्थ" एप्रोच** अपनाने पर जोर दिया गया है।

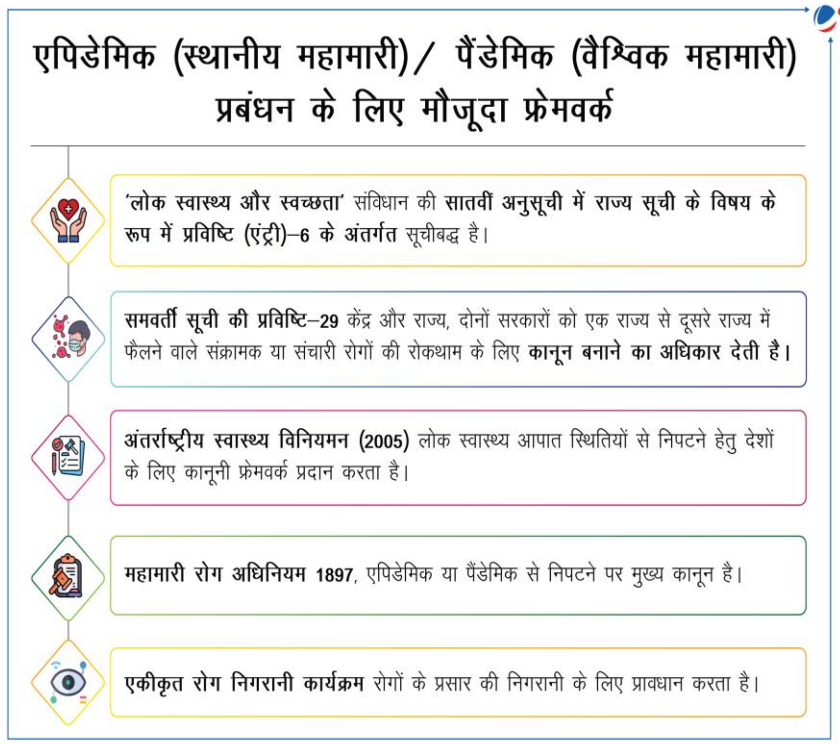

कोविड-19 के दौरान उत्पन्न समस्याएं

- **कानूनी समस्याएं:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और महामारी रोग अधिनियम (EDA) के प्रावधान लोक स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हैं।
- **निगरानी और डेटा प्रबंधन:** कई डेटा स्रोतों को अच्छी तरह से एकीकृत नहीं किया गया था, जिससे निर्णय लेने में समस्या उत्पन्न हो रही थी।
- **अनुसंधान और नवाचार:** अनुसंधान संस्थानों को औषधि उद्योगों से नहीं जोड़ा गया था। इस वजह से जांच और टीकों के तेजी से विकास में समस्या आई थी।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- **गवर्नेंस:**
  - **लोक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम (PHEMA)** बनाने की जरूरत है। इससे महामारी के अलावा गैर-संचारी रोगों, आपदाओं और जैव-आतंकवाद जैसी लोक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी।
  - **महामारी से निपटने की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया (PPER)** पर सचिवों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया जाना चाहिए। कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होंगे।
  - एक विशेष **PPER कोष** की भी स्थापना की जानी चाहिए।
- **डेटा प्रबंधन, निगरानी और प्रारंभिक पूर्वानुमान चेतावनी:**
  - अच्छी तरह से **एकीकृत मजबूत निगरानी नेटवर्क** बनाने की आवश्यकता है।
  - प्रारंभिक पूर्वानुमान के लिए एक **ठोस मॉडलिंग और पूर्वानुमान नेटवर्क** स्थापित किया जाना चाहिए।
- **अनुसंधान और नवाचार:**
  - नई प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकियों और वैक्सीन विकास के लिए एक **नवाचार संस्थान** की स्थापना की जानी चाहिए।
  - **"मानव संसाधन कौशल विकास पर उत्कृष्टता केंद्र"** स्थापित किए जाने चाहिए। इससे जिन क्षेत्रों में कमियों की पहचान की गई है, उन्हें दूर किया जा सकेगा।

7.7.10. विषाणु युद्ध अभ्यास (Vishanu Yuddh Abhyas)

विषाणु युद्ध अभ्यास, वैश्विक महामारी (Pandemic) से निपटने की तैयारी के संबंध में एक मॉक ड्रिल है। इसका आयोजन **'नेशनल वन हेल्थ मिशन (NOHM)'** के तहत किया गया था।

- **NOHM के तहत "वन हेल्थ" अप्रोच** पर फोकस किया जाता है, ताकि एकीकृत रोग नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके और वैश्विक महामारी से बेहतर तरीके से निपटा जा सके।

विषाणु युद्ध अभ्यास के बारे में

- **उद्देश्यः** मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्यजीव क्षेत्रों के विशेषज्ञों से युक्त **नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम (NJORT)** की किसी भी आपदा के **प्रति तैयार रहने की क्षमता और प्रभावी प्रतिक्रिया** का मूल्यांकन करना।
    - **इसके तहत जूनोटिक रोगों के प्रकोप का परिदृश्य तैयार किया गया,** जिससे यह समझा जा सके कि अगर ऐसा प्रकोप असल में हो तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उस स्थिति में कैसे प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया की जा सकती है।
    - **हितधारकः** इस युद्ध अभ्यास में ICMR; एम्स (जोधपुर) BSL-3 लैब; राज्य प्रशासन आदि सहित कई राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां शामिल थीं।

7.7.11. मल्टी-ड्रग रेसिस्टेंट टी.बी. (MDR-टी.बी.) के लिए नई उपचार पद्धति {New Treatment Regimen for Multi-Drug Resistant-Tuberculosis (MDR-TB)}

यह नई उपचार पद्धति **चार दवाओं यथा बेडाक्विलाइन (Bedaquiline), प्रीटोमेनिड (Pretomanid), लाइनज़ोलिड (Linezolid) और मोक्सीफ्लोक्सासिन (Moxifloxacin)** से युक्त नई **BPaLM चिकित्सा पद्धति** है। यह पिछली पद्धतियों की तुलना में एक **सुरक्षित, अधिक प्रभावी और त्वरित उपचार का विकल्प** साबित हुई है।

- इससे पहले, **प्रीटोमेनिड को भारत में उपयोग के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)** द्वारा अनुमोदित और लाइसेंस प्रदान किया जा चुका है।
- इससे टी.बी. के उपचार की अवधि **20 महीने से घटकर 6 महीने** हो गई है।
- BPaLM चिकित्सा पद्धति को **राष्ट्रीय टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू** किया गया था। इस चिकित्सा पद्धति की मदद से **2025 तक भारत में टी.बी. को समाप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में देश की प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।**

ड्रग रेसिस्टेंट टी.बी. के प्रकार

मल्टी–ड्रग रेसिस्टेंट टी.बी. (MDR–टी.बी.)	एक्सटेंसिवली–ड्रग रेसिस्टेंट टी.बी. (XDR–टी.बी.)	टोटली–ड्रग रेसिस्टेंट टी.बी. (TDR–टी.बी.)
इसमें बैक्टीरिया कम–से–कम **आइसोनियाज़िड** और **रिफाम्पिसिन** के प्रति प्रतिरोधी या रेसिस्टेंट होता है।	इसमें बैक्टीरिया **आइसोनियाज़िड और रिफाम्पिन** तथा साथ ही किसी भी **फ्लोरोक्विनोलोन** और कम–से–कम तीन इंजेक्टेबल सेकंड –लाइन दवाओं **(एमिकासिन, कैनामाइसिन, या कैप्रोमाइसिन)** में से एक के प्रति प्रतिरोधी होता है।	सभी फर्स्ट एवं सेकंड –लाइन की टी.बी. दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होता है।

टी.बी./ तपेदिक/ क्षय रोग के बारे में

- यह एक संक्रामक रोग है। इससे प्रायः **फेफड़े प्रभावित** होते हैं। यह रोग **बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया** के कारण होता है।
    - **बैसिली कैलमेट-ग्युरिन (BCG) का टीका** टी.बी. के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
- **भारत टी.बी. रिपोर्ट 2024** के अनुसार , 2023 में **25.52 लाख टी.बी. के मरीज** थे।

टी.बी. उन्मूलन के समक्ष चुनौतियां

- लोग इस बीमारी को सामाजिक कलंक मानते हैं, इस कारण इसे प्रकट करने से बचते हैं। इससे इसके निदान में देरी होती है;
- इसके उपचार की लागत अधिक है;
- इसके साथ HIV, मधुमेह आदि रोग होने की संभावना रहती है;
- ग्रामीण क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटी का अभाव है आदि।

टी.बी. उन्मूलन के लिए उठाए गए अन्य कदम

प्रधान मंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियानः इसके तहत रोगी को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है।

निक्षय मित्रः इसके तहत टी.बी. का उपचार करा रहे रोगी को अतिरिक्त डायग्नोस्टिक, पोषण और सहायता प्रदान की जाती है।

निक्षय पोषण योजनाः इसके तहत टी.बी. के रोगियों को पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7.7.12. सोनोल्यूमिनसेंस (Sonoluminescence)

पिस्टल श्रिम्प (एल्फिडे परिवार से संबंधित) अपने पंजों को तेजी से स्नैप करके (चटकाकर) सोनोल्यूमिनसेंस नामक एक अद्वितीय घटना को उत्पन्न करते हैं।

सोनोल्यूमिनसेंस के बारे में:

- यह **अल्ट्रासोनिक तरंगों के साथ तरल पदार्थों के विकिरण के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करने** की घटना है।
    - यह प्रकाश तब बनता है, जब **तरल पदार्थों में केविटेशन द्वारा निर्मित बुलबुले शक्तिशाली ध्वनि तरंगों के साथ क्रिया** करते हैं।
- **ध्वनि तरंगों के क्रमशः उच्च और निम्न दाब के** कारण **बुलबुलों का तेजी से विस्तार एवं संकुचन** होता है।
- इसके परिणामस्वरूप **तापमान में तीव्र वृद्धि होती है, बुलबुलों के भीतर गैसों का आयनीकरण होता है और प्रकाश ऊर्जा** निकलती है।

7.7.13. सरकमन्यूटेशन (Circumnutation)

एक नए अध्ययन में पादपों की वृद्धि के पैटर्न में **सरकमन्यूटेशन** की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

सरकमन्यूटेशन के बारे में:

- यह पादपों द्वारा अपने आस-पास की **पर्यावरणीय परिस्थितियों का पता** लगाने के लिए उनके द्वारा निरंतर की जाने वाली छोटी-मोटी गतिविधियों हेतु प्रयुक्त पद है।
    - ये गतिविधियां **सर्पिल या ज़िगज़ैग** के रूप में दिखाई देती हैं।
- **महत्त्व:** यह पादपों की प्रजातियों में एक अंतर्निहित व्यवहार है। यह पादपों को पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने और अपनी वृद्धि क्षमता को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है।
    - उदाहरण के लिए **सूरजमुखी का स्व-संगठन:** सूरजमुखी का पौधा घनी पंक्तियों में उगने पर एक ज़िगज़ैग पैटर्न बनाता है। इससे **सूरजमुखी एक दूसरे से दूर झुक** कर अपनी छाया से बचाव करते हैं और सूरज का अधिकतम प्रकाश प्राप्त करते हैं।
- शोधकर्ताओं ने पाया कि **सरकमन्यूटेशन अक्सर यादृच्छिक प्रक्रिया की तरह दिखाई** देता है। इसमें पादप अप्रत्याशित तरीके से गतिविधि करते हैं।

7.7.14. वुड वाइड वेब (Wood Wide Web)

जिस तरह हम एक-दूसरे से संवाद करने और सामानों का ऑर्डर देने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वैसे ही पेड़ों और अन्य पादपों का अपना नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क है **'कवक' (Fungi)**।

- वैज्ञानिक पेड़ों के इस नेटवर्क को **"वुड वाइड वेब"** कहते हैं।
- ये **भूमिगत कवक के स्ट्रिंग्स हैं, जिन्हें माइसीलियम** के रूप में जाना जाता है। ये कवक पादपों की जड़ों को जोड़ते हैं, जिससे उन्हें आपस में पोषक तत्वों को साझा करने और रासायनिक संकेतों के माध्यम से संवाद करने में मदद मिलती है।

7.7.15. AVGC-XR सेक्टर (AVGC-XR Sector)

एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE) की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसे **मुंबई** में स्थापित किया जाएगा।

- NCoE की स्थापना **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी** के रूप में की जाएगी।
- NCoE **विशेषीकृत प्रशिक्षण-सह-शिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा; अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा तथा इनक्यूबेशन केंद्र** के रूप में कार्य करेगा।

AVGC-XR सेक्टर के बारे में

- इस उद्योग में वर्तमान में **2.6 लाख लोग** कार्यरत हैं और **2032 तक इसमें 23 लाख प्रत्यक्ष रोजगार** पैदा होने की उम्मीद है।
- इस क्षेत्रक द्वारा **26 बिलियन डॉलर से अधिक राजस्व प्राप्त** करने की उम्मीद है, जो वर्तमान में 3 बिलियन डॉलर है।
- **चुनौतियां:** मानकीकरण का अभाव; कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की कमी आदि।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

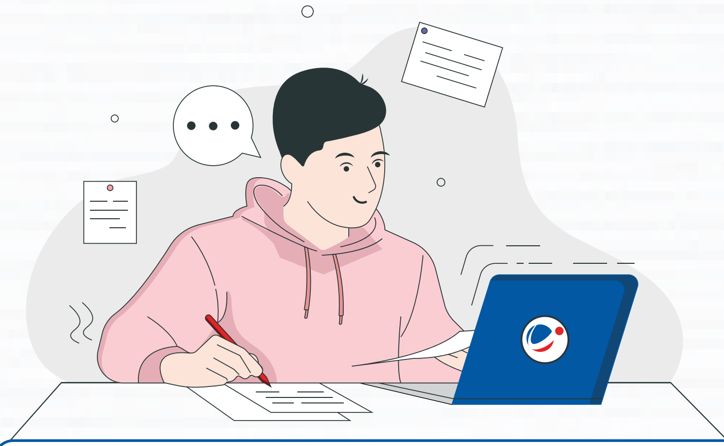

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ–साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न–पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर–की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

8. संस्कृति (Culture)

8.1. हड़प्पा सभ्यता की खोज के 100 वर्ष (100 Years Of Discovery Of Harappan Civilisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"हड़प्पा सभ्यता" की खोज को **100 वर्ष पूरे** हो गए हैं। **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** के तत्कालीन महानिदेशक **जॉन मार्शल ने 20 सितंबर, 1924 को "सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता"** की खोज की घोषणा की थी।

हड़प्पा सभ्यता के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** हड़प्पा सभ्यता को **'सिंधु घाटी सभ्यता'** के नाम से भी जाना जाता है। इस **सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हड़प्पा** नामक स्थल से की थी।
  - हड़प्पा सभ्यता एक **कांस्य युगीन सभ्यता** थी। इस सभ्यता के कई स्थलों से **कांसे की बनी वस्तुएं** पाई गई हैं। कांसा, **तांबा और टिन** से बनी एक मिश्र धातु है।
- **अवस्थिति:** हड़प्पा सभ्यता का विस्तार **भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में था।** इसके 2,000 से अधिक स्थलों को **भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान** में खोजा गया है। इसके अधिकांश स्थल **सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच** खोजे गए हैं।
- **सभ्यता का विस्तार:** इस सभ्यता का विस्तार जम्मू में **मांडा** (सबसे उत्तरी) से महाराष्ट्र में **दैमाबाद** (सबसे दक्षिणी) तक तथा उत्तर प्रदेश में **आलमगीरपुर** (सबसे पूर्वी) से पाकिस्तान में **सुतगाकेंडोर** (सबसे पश्चिमी) तक था।
- **समयावधि:** कई विद्वानों के अनुसार, यह सभ्यता **6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा** पूर्व तक अस्तित्व में थी। पुरातात्विक खोजों से हड़प्पा संस्कृति के **क्रमिक विकास** का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता को निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है-
  - **प्राक् हड़प्पा (6000 ईसा पूर्व-2600 ईसा पूर्व):** यह इस सभ्यता का एक **प्रारंभिक चरण** था;
  - **परिपक्व हड़प्पा (2600 ईसा पूर्व-1900 ईसा पूर्व):** यह इस सभ्यता का **नगरीय चरण** था, जो इसका सबसे समृद्ध काल भी था; तथा
  - **उत्तरवर्ती चरण (1900 ईसा पूर्व-1300 ईसा पूर्व):** इसे **उत्तर हड़प्पा काल** भी कहा जाता है।

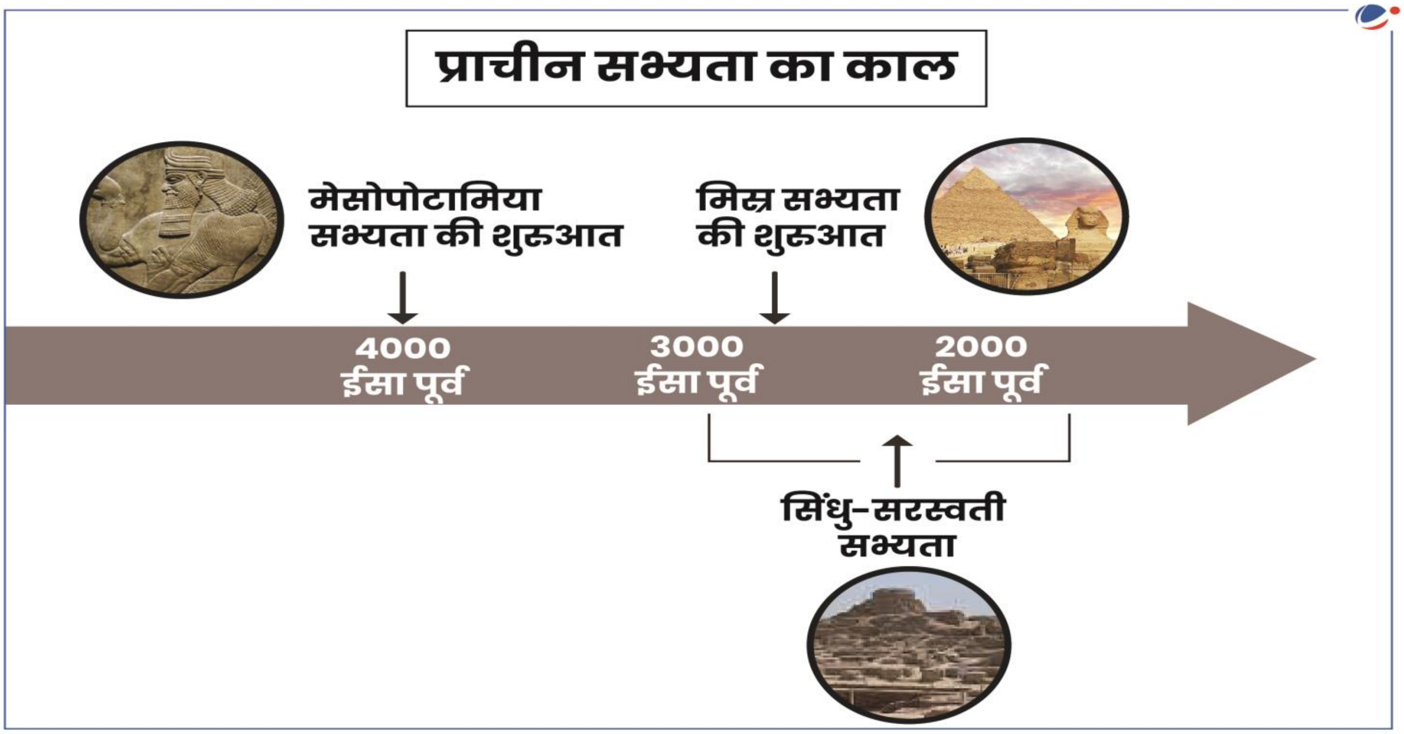

हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं

घटक	प्रमुख विशेषताएं
नगर नियोजन और स्थापत्य	• **नगर नियोजन:** ○ **ग्रिड पैटर्न:** नगर **आयताकार ग्रिड पैटर्न** में बसे हुए थे और सड़कें एक-दूसरे को **समकोण** पर काटती थीं। ○ **पकी हुई ईंटों का उपयोग:** मिट्टी की पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था, जिसे जिप्सम के मोर्टार से जोड़ा जाता था। **समकालीन मिस्र** में धूप में सुखाई गई ईंटों का उपयोग किया जाता था। ○ सभी घरों को सड़क की नालियों से जोड़ने वाली **भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी।** • **स्थापत्य:** ○ इसमें **दुर्गीकृत नगर, अन्नागार, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार और बहुमंजिला इमारतें** शामिल हैं, जो इस सभ्यता के स्थापत्य कौशल का प्रदर्शन करती हैं।
कृषि	• **कृषि:** खेतों की जुताई **लकड़ी के फाल** वाले हल से की जाती थी। ○ **मुख्य फसलें:** गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, मसूर, चना, तिल आदि। हड़प्पावासियों ने ही **विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन** किया था। यूनानी इसे **सिंडोन** कहते थे । • **जानवरों को पालतू बनाना:** बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, कूबड़ वाले बैल, ऊंट आदि पाले जाते थे। ○ हड़प्पावासी **हाथी और गैंडे** से भी परिचित थे।
शिल्प	• हड़प्पावासी **कताई, नाव बनाने, मुहर बनाने, टेराकोटा निर्माण (कुम्हार का चाक), स्वर्णकारी, मनका बनाने** आदि में दक्ष थे। ○ **मनके बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की विविधता उल्लेखनीय है।** उदाहरण के लिए- कार्नेलियन (सुंदर लाल रंग का पत्थर), जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी; तांबा, कांस्य और स्वर्ण जैसी धातुएं; तथा शंख, फेयॉन्स और टेराकोटा या पकी हुई मिट्टी इत्यादि। ○ ज्यादातर **सेलखड़ी** से बनी मुहरों का उपयोग मुख्य रूप से **व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, ताबीज बनाने के लिए, पहचान के रूप में तथा शैक्षिक उद्देश्यों** के लिए किया जाता था। ○ हड़प्पावासी **लोहे से परिचित नहीं थे।**
कला	• **कांसे की ढलाई:** हड़प्पावासियों ने **कांसे की ढलाई के लिए 'लुप्त मोम (लॉस्ट वैक्स) विधि' या साइर पर्ड्यू** का इस्तेमाल किया था। इस तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण हड़प्पा सभ्यता की **नर्तकी की कांस्य मूर्ति (डांसिंग गर्ल)** है, जो **'त्रिभंग'** नृत्य मुद्रा में खड़ी हुई है। • **पत्थर की मूर्तियां: मोहनजोदड़ो** से प्राप्त **दाढ़ी वाले व्यक्ति** की मूर्ति की पहचान एक पुजारी के रूप में की गई है। यह मूर्ती **सेलखड़ी** से बनी है। हड़प्पा से भी **लाल बलुआ पत्थर से बने** एक पुरुष के धड़ (मूर्ती) का अवशेष प्राप्त हुआ है। • **टेराकोटा की मूर्तियां:** मातृदेवी, सींग वाले देवता का मुखौटा, खिलौने, आदि।
व्यापार और वाणिज्य	• **आंतरिक और विदेशी व्यापार:** मानकीकृत वजन एवं माप के उपयोग ने व्यापार व वाणिज्य को सुविधाजनक बनाया। • विदेशी व्यापार मुख्यतः **मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान** के साथ होता था। ○ **मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को 'मेलुहा'** कहा गया है। इसके अलावा, **दो मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों दिलमुन (बहरीन) और माकन (मकरान तट)** का भी उल्लेख मिलता है। ○ हड़प्पावासी **अनाज, आभूषण और मिट्टी के बर्तनों का निर्यात** करते थे तथा **पतले तांबे और कीमती पत्थरों का आयात** करते थे।
धर्म एवं संस्कृति	• **देवता:** इस सभ्यता के लोग मुहरों पर अंकित **योगी मुद्रा में बैठे पुरुष देवता पशुपति (आद्य-शिव) तथा टेराकोटा की मूर्तियों पर उत्कीर्ण मातृदेवी** की पूजा करते थे। हड़प्पाई समाज में **लिंग पूजा** भी प्रचलित थी। ○ हड़प्पा के किसी भी स्थल से किसी भी प्रकार के **मंदिर का अवशेष नहीं** मिला है। • **प्रकृति पूजा:** हड़प्पावासियों द्वारा **वृक्षों (जैसे पीपल) और पशुओं** की पूजा की जाती थी।
लेखन प्रणाली	• **चित्रात्मक लिपि:** हड़प्पाई लिपि **बौस्ट्रोफेडन शैली** में लिखी गई है यानी, एक पंक्ति **दाएं से बाएं** और फिर अगली पंक्ति **बाएं से दाएं** लिखी जाती थी। ○ हालांकि, इसे **अभी तक पढ़ा नहीं** जा सका है।

हड़प्पा सभ्यता की खोज का महत्त्व			
दक्षिण एशिया में मानव बसावट का प्रारंभिक साक्ष्य प्रदान करती है।	इसके उन्नत नगरीय नियोजन ने आगे की नगरीय विकास की अवधारणाओं को प्रभावित किया।	यह प्राचीन विश्व में व्यापक व्यापार नेटवर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रारंभिक साक्ष्य प्रदान करती है।	जलवायु परिवर्तन शमन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण हुआ है।

हड़प्पा सभ्यता से संबंधित चुनौतियां

- **हड़प्पाई लिपि और भाषा की समझ का अभाव:** इससे हड़प्पा सभ्यता की भाषा, संस्कृति और मान्यताओं के बारे में हमारी समझ सीमित हो गई है।
- **स्पष्ट पदानुक्रम का अभाव:** हड़प्पा सभ्यता में बस्ती दो भागों में विभाजित थी: एक छोटा लेकिन ऊँचाई पर किलेबंद बस्ती थी, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। इस कारण एक केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण या स्पष्ट सामाजिक पदानुक्रम का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है।

हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नवीन साक्ष्य

- नए पुरातात्विक उत्खनन से **गुजरात के कच्छ के पड़ता बेट में 5,200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती** का पता चला है।
- **राखीगढ़ी से प्राप्त कंकालों के DNA विश्लेषण** से पता चला है कि हड़प्पावासियों का DNA आज तक बना हुआ है और **अधिकांश दक्षिण एशियाई आबादी उनकी वंशज प्रतीत** होती है।
    - हड़प्पावासियों के **दूरदराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संपर्कों के कारण, जीनों का मिश्रण अल्प मात्रा में पाया** गया है।

- **महिलाओं की भूमिका:** यद्यपि शिल्पों और मुहरों पर महिलाओं का कुछ चित्रण मिला है, लेकिन उनकी सटीक स्थिति तथा अधिकारों को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है।
- **हड़प्पा सभ्यता का पतन:** मृदा की उर्वरता में गिरावट, भूकंप, जलवायु परिवर्तन और आर्यों द्वारा आक्रमण जैसे कई कारकों को हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यद्यपि, इस मुद्दे पर भी अभी तक कोई स्पष्ट सर्वमान्य राय नहीं है।
- **उत्खनन से संबंधित चुनौतियां:**
    - **सीमित उत्खनन:** भारत-पाकिस्तान सीमा और स्थानीय विकास जैसे राजनीतिक एवं भौगोलिक कारकों ने अधिक व्यापक पुरातात्विक कार्यों में बाधा उत्पन्न की है।
    - **कलाकृतियों को पुनर्प्राप्त करना और वर्गीकृत करना:** कई कलाकृतियां या तो पिछले उत्खनन में खो गई या संरक्षण की उचित व्यवस्था न होने के कारण नष्ट हो गई। इसके अलावा, कई कलाकृतियां संग्रहालयों या निजी संग्रह में जमा हो गई और उनका वर्गीकरण नहीं हो सका।
    - **स्थलों का विनाश:** हड़प्पा सभ्यता के स्थल हजारों वर्षों से भूमि के नीचे दबे हुए थे, और कई स्थल बाढ़, क्षरण या आधुनिक विकास के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

प्रमुख नगर/ स्थल एवं खोज			
नगर/ स्थल	**वर्तमान अवस्थिति**	**खोजकर्ता/ जिनके द्वारा उत्खनन किया गया**	**प्रमुख प्राप्तियां**
हड़प्पा	**पाकिस्तान**	**1921 में दया राम साहनी द्वारा**	लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष का धड़, लिंग आकृतियां, अन्नागार, मातृदेवी की मूर्तियां आदि।
मोहनजोदड़ो	**पाकिस्तान**	**1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा**	नगर नियोजन, दुर्गीकरण, जल निकासी व्यवस्था, विशाल स्नानागार आदि।
गनवेरीवाला	**पाकिस्तान का चोलिस्तान क्षेत्र**	**1973 में रफीक मुगल द्वारा**	टेराकोटा मिट्टी से बनी यूनिकॉर्न की मूर्तियां, हड़प्पाई लिपि के साथ क्ले से बनी मुड़ी हुई गोली (टेबलेट) आदि।
राखीगढ़ी	**हरियाणा (भारत)**	**पहली बार 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खोजा गया था।**	अन्नागार, कब्रिस्तान, नालियां, टेराकोटा की ईंटें आदि।

धोलावीरा	कच्छ का रण (गुजरात)	1968 में जगत पति जोशी द्वारा	यह स्थल अपनी अनूठी जल संचयन प्रणाली के लिए विख्यात है। इसकी वर्षा जल निकासी प्रणाली विशिष्ट है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जो तीन भागों में विभाजित था। इस जगह से मेगालिथिक स्टोन सर्कल (विशाल पत्थरों के घेरे) पाए गए हैं।
लोथल	गुजरात	1955 में एस. आर. राव द्वारा	गोदीबाड़ा, अग्निवेदियां आदि।

निष्कर्ष

यद्यपि विश्व के सबसे प्राचीन और सबसे उन्नत नगरीय समाजों में से एक, हड़प्पा सभ्यता का 1300 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परन्तु इसने **नगर नियोजन, शिल्प कौशल, धातु विज्ञान आदि के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है।** इसकी अपठनीय लिपि और आकस्मिक पतन से जुड़े रहस्यों के बावजूद, हड़प्पावासियों ने **दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नींव में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।**

8.2. पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजय पुरम किया गया (Port Blair Renamed as Sri Vijaya Puram)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार (A&N) द्वीप समूह की राजधानी **पोर्ट ब्लेयर** का नाम बदलकर **श्री विजय पुरम** कर दिया गया।

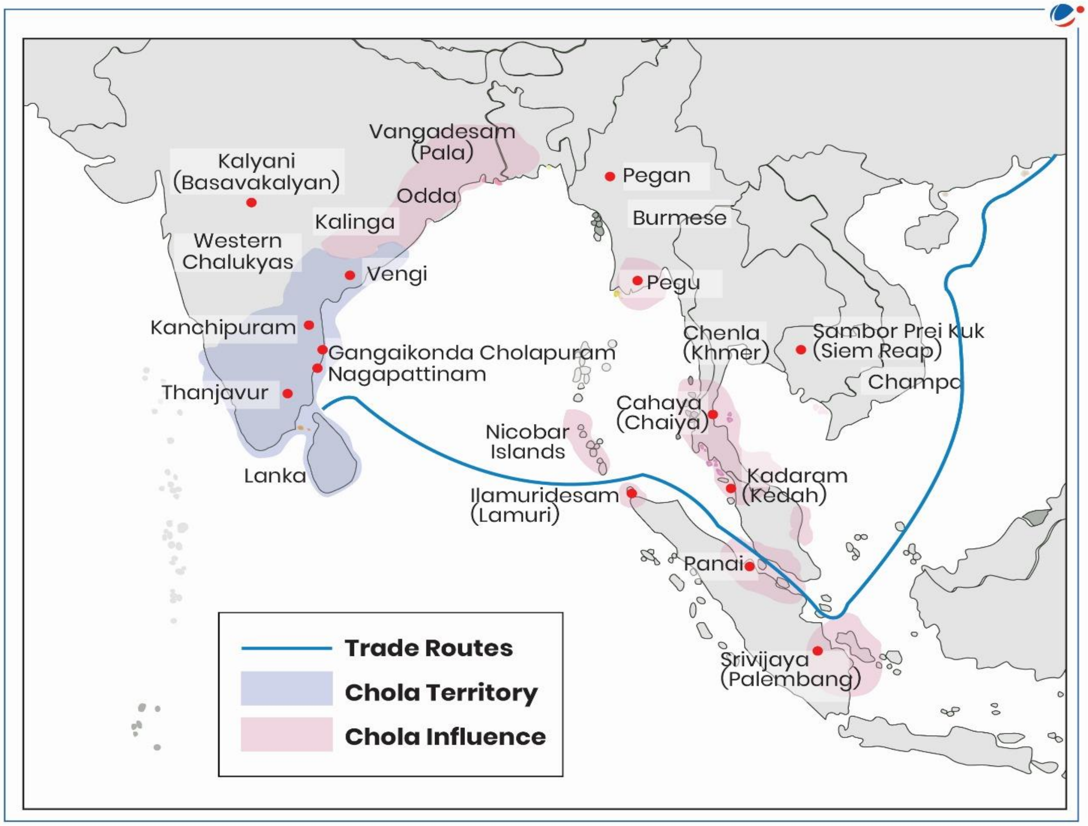

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, **केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजय पुरम** करने की घोषणा की है।
    - ज्ञातव्य है कि राज्यों के गांवों, कस्बों/ शहरों, रेलवे स्टेशनों आदि का नाम बदलने से संबंधित प्रक्रिया के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
        - उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार **यदि कोई राज्य किसी स्थान का नाम बदलने से संबंधित प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजता है, तो मंत्रालय प्रस्तावित नाम पर अपनी 'अनापत्ति' प्रदान करता है। इसके बाद राज्य सरकार नाम बदलने को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी** करती है।
- **नाम बदलने का उद्देश्य: भारत को औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्त करने** के लिए यह निर्णय लिया गया है।
    - जहां 'पोर्ट ब्लेयर' नाम औपनिवेशिक विरासत से जुड़ा हुआ है, वहीं **श्री विजय पुरम** नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हासिल की गई जीत तथा इसमें **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विशिष्ट भूमिका का प्रतीक** है।

श्री विजय पुरम और इसका सांस्कृतिक महत्त्व

- श्रीविजय एक **साम्राज्य का प्राचीन नाम** था, जिसका केंद्र **सुमात्रा** में था। इस **साम्राज्य का प्रभाव संपूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया** में था।
- **बौद्ध धर्म के विस्तार में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान** था।

- ऐसा माना जाता है कि **चोल शासकों द्वारा इसके बंदरगाहों पर नौसैनिक हमलों के बाद 11वीं शताब्दी ईस्वी के आस-पास इस साम्राज्य का पतन** हो गया था।
    - **श्रीविजय पर चोल आक्रमण भारत के इतिहास की एक अनोखी घटना** थी क्योंकि "इसके पहले दक्षिण-पूर्व एशियाई साम्राज्यों के साथ भारत के शांतिपूर्ण संबंध थे, जो लगभग एक सहस्राब्दी तक भारत के मजबूत सांस्कृतिक प्रभाव में रहे थे।"

पोर्ट ब्लेयर की औपनिवेशिक विरासत

- पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रवेश बिंदु है। इस जगह का पोर्ट ब्लेयर नाम ब्रिटिश नौसैनिक सर्वेक्षक और बॉम्बे मरीन में लेफ्टिनेंट **आर्चीबाल्ड ब्लेयर** के नाम पर रखा गया था।
- **पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल** स्थित है। **स्वतंत्रता आंदोलन** के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों को यहां कैद में रखा गया था।
- वर्तमान में, सेलुलर जेल को **राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय** में बदल दिया गया है। वर्तमान में यह जेल इसमें कैद रहे वीर नायकों की कहानियों और उनके द्वारा सहन की गई यातनाओं को प्रदर्शित करती है। सेलुलर जेल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं:
    - **शौर्यपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम की गाथा: बटुकेश्वर दत्त, बरीन्द्र कुमार घोष, सचिन्द्र नाथ सान्याल और विनायक दामोदर सावरकर** जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को सेलुलर जेल में कैद करके रखा गया था।
        - **विनायक दामोदर सावरकर** ने सेल्युलर जेल में ही **'द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857'** लिखी थी।
    - **महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा** ने जेल के भीतर की बदतर जीवन स्थितियों में सुधार की मांग को लेकर **1933** में जेल के भीतर **भूख हड़ताल** शुरू कर दी थी।
    - **लॉर्ड मेयो की हत्या: शेर अली ने 1872 में इसी जेल में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या** कर दी थी। इस अपराध के लिए **शेर अली को फांसी की सजा** दी गई थी।
- **नेता जी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रीय तिरंगा फहराना:** द्वितीय विश्व युद्ध (1942 से 1945) के दौरान पोर्ट ब्लेयर पर **जापान का नियंत्रण** हो गया था। इसके बाद जापानियों ने इसे **सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली भारत की अस्थाई सरकार** को सौंप दिया था।
    - **30 दिसंबर, 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस** ने सेल्युलर जेल के पास **भारत की धरती पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराकर** स्वतंत्रता की घोषणा की थी।

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

- **देशज जनजातियों की भूमि:** इस द्वीप समूह पर **ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनलीज, निकोबारी और शोम्पेन** जैसे **"विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)[103]"** रहते हैं।

[103] Particularly Vulnerable Tribal Groups

- **अंडमान व निकोबार द्वीप के नाम का इतिहास**
    - **हंडुमान: मलय** व्यापारी आस-पास के द्वीपों से दासों के व्यापार हेतु मूल आदिवासियों को पकड़ने के लिए अपने पश्चिम के द्वीपों पर जाते थे। उन्होंने **भगवान हनुमान के नाम पर इन द्वीपों का नाम 'हंडुमान'** रखा था।
    - **मा-नक्कवरम: 11वीं सदी की शुरुआत में, चोल शासकों** ने इसके दक्षिणी द्वीपों को सामरिक नौसैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। चोल शासकों ने इन द्वीपों को 'मा-नक्कवरम' कहा था, जिसका **तमिल भाषा में अर्थ है 'खुली/ नंगी जमीन'।**
    - **नेकुवेरन: 13वीं शताब्दी के वेनिस यात्री मार्को पोलो** ने इन द्वीपों को 'नेकुवेरन' नाम से संबोधित किया था।
    - **अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह:** यह नाम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश भी इन द्वीपों का नौसैनिक अड्डे के रूप में उपयोग करते थे।
- **रॉस, नील और हैवलॉक द्वीपों का नाम बदला गया: 2018 में,** अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तीन द्वीपों का नाम बदल दिया गया था। **रॉस द्वीप** का नाम बदलकर **नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप** और **हैवलॉक द्वीप** का नाम बदलकर **स्वराज द्वीप** कर दिया गया।

कभी चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा रहे ये द्वीप अब भारत के रणनीतिक और विकासात्मक भविष्य की कुंजी हैं, जो इन द्वीपों के विशिष्ट ऐतिहासिक एवं समकालीन महत्त्व को दर्शाता है।

8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.3.1. मनकीडिया जनजाति (Mankidia Tribes)

ओडिशा के मनकीडिया लोगों को **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** के तहत औपचारिक रूप से अधिवास अधिकार प्रदान किए गए हैं।

मनकीडिया जनजाति के बारे में

- यह **75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs)** में से एक है।
- यह **बिरहोर जनजाति** का एक अर्ध-घुमंतू वर्ग है।
- यह समुदाय **बंदरों को पकड़ने तथा छोटे पक्षियों एवं जीवों को जाल में फंसाने की अपनी कुशलता के लिए प्रसिद्ध है।**
- यह जनजाति पत्तों से बनी गुम्बदाकार झोपड़ियों में रहती है, जिन्हें **'कुंभ'** कहा जाता है।
- ये अपनी स्वयं की एक ऐसी भाषा बोलते हैं, जो **ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा समूह की मुंडा शाखा से संबंधित है।**

8.3.2. ओडिशा का अकाल, 1866 (Odisha Famine of 1866)

इस अकाल ने ओडिशा के लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया था। इस अकाल की वजह से **ओडिशा की लगभग एक तिहाई आबादी समाप्त** हो गई थी।

- इसे **'ना-अंका दुर्भिक्ष्य'** के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह **गजपति दिव्यसिंह देव के नौवें शासनकाल** के दौरान हुआ था।
- **अकाल का कारण:** ब्रिटिश शासन की लापरवाही, प्राकृतिक और आर्थिक आपदाएं आदि।
- यह अकाल ओडिशा डिवीजन के आयुक्त **थॉमस एडवर्ड रावेनशॉ** के कार्यकाल के दौरान आया था।
- **अकाल के परिणाम:**
  - अकाल के बाद **हुगली नदी (पश्चिम बंगाल) को मताई नदी (ओडिशा) से जोड़ने वाली पुरी कैनाल या कोस्ट कैनाल** का निर्माण किया गया था।
  - थॉमस एडवर्ड रावेनशॉ ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषा आधारित कई स्कूलों की स्थापना की और **ओडिया भाषा में शिक्षा पर जोर** दिया। **कटक जिला स्कूल को रावेनशॉ कॉलेज** नाम दिया गया।

8.3.3. अनुभव पुरस्कार (Anubhav Awards)

7वां अनुभव पुरस्कार समारोह **विज्ञान भवन, नई दिल्ली** में आयोजित किया जाएगा।

अनुभव पुरस्कार के बारे में

- यह **पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग** द्वारा प्रदान किया जाता है।
- यह **अनुभव लेखन,** अर्थात सेवानिवृत्त होने वाले/ सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/ पेंशनभोगियों द्वारा **'अनुभव पोर्टल' पर अनुभवों के साझाकरण पर आधारित** है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों के आधार पर **भविष्य में सुशासन और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा** देना है।

8.3.4. FIDE शतरंज ओलंपियाड (FIDE Chess Olympiad)

हाल ही में, **भारत की शतरंज टीम ने 45वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) ओलंपियाड में ओपन और महिला दोनों श्रेणियों में स्वर्ण** पदक जीता।

45वें FIDE शतरंज ओलंपियाड के बारे में

- **आयोजन:** इसका आयोजन **बुडापेस्ट, हंगरी** में किया गया था।
  - **44वां शतरंज ओलंपियाड पहली बार भारत (चेन्नई)** में आयोजित हुआ था।
- इस प्रतियोगिता में **ओपन श्रेणी में विजेता टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन-रसेल कप** है।
- **महिला श्रेणी** में विजेता टीम के लिए ट्रॉफी **वेरा मेनचिक कप** है।

FIDE के बारे में

- यह शतरंज के खेल का **शासी निकाय** है। यह सभी **अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं** को शासित करता है।

- इसका गठन एक **गैर-सरकारी संस्था** के रूप में किया गया था। इसे **1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एक वैश्विक खेल संगठन** के रूप में मान्यता दी थी।

8.3.5. सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम {Retired Sportsperson Empowerment Training (RESET) Programme}

केंद्रीय **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** ने RESET कार्यक्रम शुरू किया है।

RESET कार्यक्रम के बारे में

- इसका उद्देश्य **सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को करियर विकास और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए ज्ञान तथा कौशल से सशक्त** बनाना है।
    - इसमें **20-50 वर्ष की आयु** के ऐसे सेवानिवृत्त एथलीट शामिल होंगे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो या पदक प्राप्त किया हो।
- **RESET कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं:**
    - **शैक्षिक योग्यता के आधार पर दो स्तर-**
        - **कक्षा 12वीं** और उससे ऊपर, तथा
        - **कक्षा 11वीं** और उससे नीचे।
    - **मोड:** हाइब्रिड, जिसमें सेल्फ लर्निंग और इंटर्नशिप के साथ-साथ ऑन-ग्राउंड प्रशिक्षण भी शामिल है।
    - उद्यमशील वेंचर्स के लिए **प्लेसमेंट संबंधी सहायता और मार्गदर्शन।**

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

Vision IAS का त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. भ्रष्टाचार (Corruption)

परिचय

हाल ही में, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी 60वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में सभी श्रेणियों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के खिलाफ **भ्रष्टाचार की 74,203 शिकायतें** प्राप्त हुईं। इनमें से 66,373 का निपटारा कर दिया गया, जबकि 7,830 मामले अभी लंबित हैं।

इसके अलावा, लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए, भारत के लोकपाल ने भी **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत एक इंक्वायरी विंग (Enquiry Wing)** की स्थापना की है।

लोकपाल की इंक्वायरी विंग (Enquiry Wing) के बारे में

यह किसी भी लोक सेवक द्वारा किए गए ऐसे **कथित अपराध की प्रारंभिक जांच** करती है, जो **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988** के तहत दंडनीय हो।

- यह अपनी जांच रिपोर्ट **60 दिनों के भीतर** लोकपाल को सौंपती है।
- इसका नेतृत्व लोकपाल के अध्यक्ष के अधीन इंक्वायरी निदेशक करते हैं।
  - **निदेशक को 3 पुलिस अधीक्षक (SPs)** - SP (सामान्य), SP (आर्थिक और बैंकिंग) और SP (साइबर) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
  - प्रत्येक SP को जांच अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
- इसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत **सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां** प्राप्त होंगी।

इसी संदर्भ में, कर्नाटक के लोकायुक्त ने भी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में कथित अनियमितताओं के कारण विभिन्न आरोपियों से पूछताछ की है।

भ्रष्टाचार

- **परिभाषा:** भ्रष्टाचार को आमतौर पर **"व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक पद के दुरुपयोग"** के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  - इसकी विस्तृत परिभाषा में किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक पद, निगम में प्रभावशाली भूमिका, निजी संपत्ति या महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच, या उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण प्राप्त शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग करना भी शामिल है।
- **भ्रष्टाचार से प्राप्त लाभ:** भ्रष्टाचार से प्राप्त लाभ में वित्तीय (रिश्वत) और गैर-वित्तीय (संरक्षण, भाई-भतीजावाद, गबन, शक्ति में वृद्धि आदि) दोनों शामिल हैं।

हितधारक	भूमिका/ नैतिक दुविधाएं
लोक प्राधिकारी	• ये प्राधिकार के पदों पर आसीन होते हैं और निजी लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। • रिश्वत लेकर या सार्वजनिक धन का गबन करके व्यक्तिगत लाभ हासिल कर सकते हैं। • इनका संसाधनों पर नियंत्रण होता है और ये संसाधनों का असमान वितरण कर सकते हैं।
नागरिक	• सार्वजनिक सेवाओं तक सीमित पहुंच। • लालफीताशाही के दबाव से बाहर आने या अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्वत देना। • भ्रष्टाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना।
नागरिक समाज	• भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना। • सुशासन और पारदर्शिता की मांग करना। • गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त-पोषण में गबन।
न्यायपालिका	• कानून का अनुपालन और न्याय सुनिश्चित करना। • न्यायिक सत्यनिष्ठा को बनाए रखना। • भ्रष्टाचार के कारण कानून का चयनात्मक उपयोग।
मीडिया	• भ्रष्टाचार को उजागर करना और सत्ता को जवाबदेह बनाना। • भ्रष्ट संस्थाओं को बचाने के लिए झूठी कहानी या गलत सूचना को बढ़ावा देना।

नैतिक प्रणाली और भ्रष्टाचार		
नैतिक प्रणाली	**मुख्य सिद्धांत**	**भ्रष्टाचार पर दृष्टिकोण**
डीओन्टोलॉजी या कर्तव्य शास्त्र	कोई भी कार्य नैतिक माना जाता है यदि उसके साथ कर्तव्य या दायित्व की सार्वभौमिक भावना जुड़ी होती है।	कांट के नैतिक दर्शन पर यह नैतिक प्रणाली आधारित है। इसके तहत भ्रष्टाचार को अनैतिक अथवा नैतिक रूप से बुरा कार्य माना जाता है क्योंकि यह सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत एवं उसके साथ जुड़ी कर्तव्य की स्वाभाविक भावना के विरुद्ध होता है।
उपयोगितावाद	उपयोगितावाद के अनुसार, यदि किसी कार्य से ज्यादातर लोगों को खुशी मिले और कम से कम लोगों को दुख हो, तो वह काम नैतिक रूप से सही माना जाएगा। इसका आकलन उस कार्य विशेष से लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या या उस कार्य विशेष से लोगों को होने वाली संतुष्टि की मात्रा के संदर्भ में किया जाता है।	भ्रष्टाचार का समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह सामुहिक भलाई को खतरे में डालता है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पीड़ा पहुंचाता है।
कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म या अनुबंधवाद	हमारे कार्य तभी तक उचित माने जाते हैं जब वे दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं और उस सामूहिक सामाजिक अनुबंध को बनाए रखते हैं जिस पर समाज का आधार टिका है।	भ्रष्टाचार किसी भी तरह से सामाजिक सामंजस्य या लोगों को एक साथ लाने वाले सामाजिक अनुबंध को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि इसे खतरे में डालता है।

भ्रष्टाचार के नैतिक निहितार्थ

- **असमानता:** भ्रष्टाचार से संसाधनों और अवसरों तक पहुंच में असमानता पैदा होती है। यह उन लोगों को विशेष लाभ पहुंचाता है जो रिश्वत देने या एहसान करने में सक्षम होते हैं। इससे न्याय के नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन होता है, जो सभी के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा करता है।
    - जॉन रॉल्स ने न्याय के अपने सिद्धांत में तर्क दिया है कि निष्पक्षता सामाजिक संस्थाओं की आधारशिला होनी चाहिए।
- **विश्वास का उल्लंघन:** लोक पदधारियों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे **नागरिकों के हित में कार्य करें**। इससे **सार्वजनिक संस्थानों में लोगों के विश्वास को बढ़ावा** मिलता है। भ्रष्टाचार संस्थाओं में **जनता के इस विश्वास को कमजोर** करता है, जो समाज के सही संचालन के लिए आवश्यक है।
- **हितों का टकराव:** भ्रष्टाचार के जरिए, महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज कर अपने व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं।
    - भ्रष्टाचार में परिणामवादी (Consequentialism) दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जहां व्यक्ति अपने नैतिक दायित्वों की उपेक्षा करते हुए अपने व्यक्तिगत लाभ के आधार पर अपने कार्यों को उचित ठहराते हैं।
- **सामाजिक न्याय को क्षति:** भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता का क्षरण करता है और समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के हितों को नुकसान पहुंचाता है। विकास संबंधी परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं या शिक्षा के लिए निर्धारित धन का गबन कर लिया जाता है। इससे नागरिक आवश्यक सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।
- **सत्यनिष्ठा का क्षरण:** जब भ्रष्टाचार आम बात हो जाती है, तो यह एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है, जहां बेईमानी, रिश्वतखोरी और हेरफेर को सिस्टम के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।
- **नैतिक पतन:** नैतिक सापेक्षवाद (Moral relativism) का रवैया समाज के नैतिक ताने-बाने को कमज़ोर करता है, क्योंकि व्यक्ति पूर्ण नैतिक मानकों का पालन करने के बजाय परिस्थितियों के आधार पर भ्रष्ट कार्यों को तर्कसंगत बनाने लगते हैं।
- **विधि के शासन को कमज़ोर करना:** जब लोक अधिकारी भ्रष्ट होने लगते हैं, तो कानून का प्रवर्तन चयनात्मक या मनमाना हो जाता है। इससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती है और कानूनों का अनुचित ढंग से पालन होने लगता है।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

- **मिलीभगत वाली रिश्वतखोरी:** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि मिलिभगत वाली रिश्वतखोरी को एक विशेष अपराध बनाया जा सके। यह एक ऐसा अपराध है जिसके परिणामस्वरूप राज्य, जनता या सार्वजनिक हित को नुकसान होता है।
    - मिलिभगत वाली रिश्वतखोरी के लिए सजा अन्य रिश्वत के मामलों से दोगुनी होनी चाहिए।
- **अभियोजन के लिए मंजूरी:** रंगे हाथों पकड़े गए या आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले में पकड़े गए लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
- **भ्रष्ट लोक सेवकों का हर्जाना देने का दायित्व:** कानून में यह प्रावधान होना चाहिए कि जो लोक सेवक अपने भ्रष्ट कृत्यों से राज्य या नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें हर्जाने के लिए भी उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।
- **मुकदमों में तेजी लाना:** मुकदमों के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा तय करने वाला एक कानूनी प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।
- **व्हिसलब्लोअर्स (Whistleblowers) को संरक्षण:** झूठे दावों, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर्स की निजता और गुमनामी सुनिश्चित करके उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्हें करियर में किसी भी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए।
- **विधि निर्माताओं को मिली उन्मुक्ति:** संविधान के अनुच्छेद 105(2) में संशोधन किए जाने चाहिए ताकि संसद के सदस्यों को सदन के कर्तव्यों से जुड़े मामले या बाहर के अन्य मामले में किए गए किसी भी भ्रष्ट कार्य के लिए उन्मुक्ति न मिले।
    - राज्य विधायिका के सदस्यों के संबंध में अनुच्छेद 194(2) में इसी तरह के संशोधन किए जा सकते हैं।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सुझाए गए उपाय

- **इंफॉर्मेशन ऑर्गनाइज़ेशन या सूचना संबंधी संगठन:** शासन कला पर आधारित इस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में "इंफॉर्मेशन ऑर्गनाइज़ेशन"की अवधारणा का उल्लेख है, जो राजा के लिए अपने प्रशासन में संभावित भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।
    - **केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त** जैसे संस्थान ऐसे ही इंफॉर्मेशन ऑर्गनाइज़ेशन कहे जा सकते हैं।
- **नियमित तबादले:** सरकारी कर्मचारियों का एक विभाग से दूसरे विभाग में **एक निश्चित समयावधि के बाद तबादला किया जाना चाहिए,** ताकि उन्हें भ्रष्टाचार करने का अवसर न मिल सके।
- **निगरानी:** अधिकारियों की कार्यप्रणाली की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। इसके लिए एक विशेष पर्यवेक्षक अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- **सार्वजनिक प्रकटीकरण:** भ्रष्ट व्यक्ति और उसके अपराध को सार्वजनिक रूप से उजागर किया जाना चाहिए ताकि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे शर्मनाक कार्य में संलग्न न हो।
- **कठोर दंड:** कौटिल्य ने भ्रष्ट लोगों को भौतिक और शारीरिक, दोनों तरह के **कठोर दंड** देने का सुझाव दिया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि भ्रष्टाचार के समर्थकों को भी इसी तरह की सजा दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जो शासन, सामाजिक न्याय और जनता के विश्वास को कमजोर कर रहा है। भ्रष्टाचार को कम करने और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

आप एक ऐसे क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट हैं, जहां एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना कई वर्षों से लंबित है। यह परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह सार्वजनिक परिवहन में सुधार करके स्थानीय नागरिकों के जीवन को काफी हद तक बेहतर बनाने की क्षमता रखती है। हालांकि, आपको पता चलता है कि इस देरी का कारण व्यापक भ्रष्टाचार है, जिसमें लोक अधिकारियों और निजी ठेकेदारों की मिलीभगत शामिल है। ये हितधारक रिश्वतखोरी में लगे हुए हैं, परियोजना की लागत बढ़ा रहे हैं और परियोजना के लिए निर्धारित धन का गबन कर रहे हैं।

जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, आपको निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

- आपके विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं और आपको डर है कि अगर आप कार्रवाई करते हैं तो आपको प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
- नागरिक देरी से लगातार निराश हो रहे हैं और आप पर परियोजना को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने का दबाव है।
- व्हिसलब्लोअर्स ने भ्रष्टाचार के सबूत पेश किए हैं, लेकिन उन्हें उत्पीड़न और अपनी सुरक्षा को लेकर धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- दी गई स्थिति में आपके सामने कौन-कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं?
- भविष्य में भ्रष्टाचार की ऐसी घटनाओं को रोकने और सार्वजनिक परियोजनाओं में जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लागू किए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

भारत में भ्रष्टाचार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #106: भारत में भ्रष्टाचार से निपटने का प्रयास अभी भी जारी

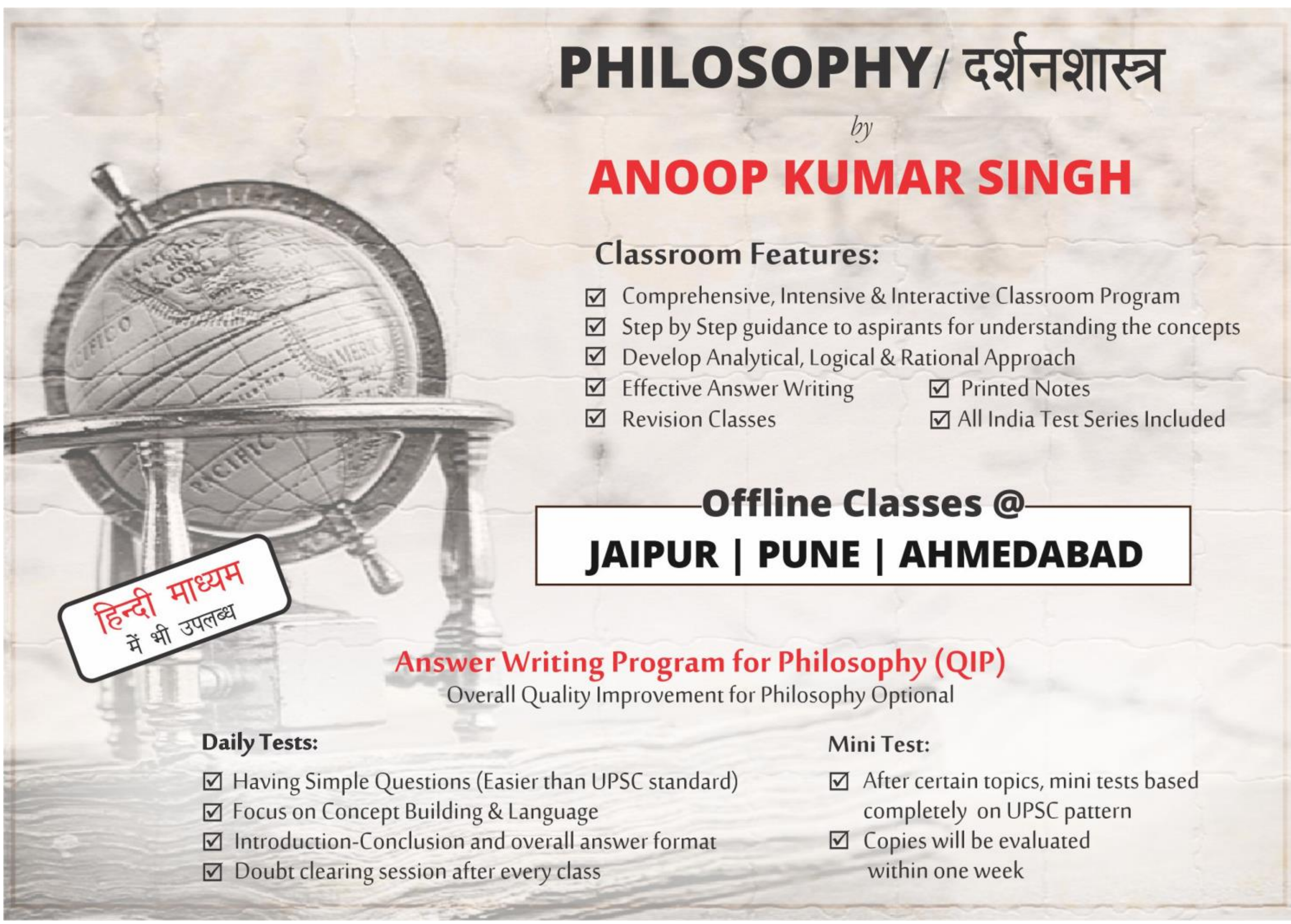

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
अपनी तैयारी से जुड़े रहिए
सोशल मीडिया पर फॉलो करें
http://bit.ly/3ueP7T7
VisionIASHindi
/VisionIAS_UPSC
vision_ias_hindi
/Vision_IAS
/visionias.upsc
www.visionias.in

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पी.एम.-आशा) {Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan (PM-AASHA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक कुशलता से सेवा प्रदान करने के लिए **मूल्य समर्थन योजना (PSS)**[104] और **मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF)**[105] योजना का विलय पी.एम.-आशा में कर दिया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना।	• **मंत्रालय:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
	• **योजना का प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
	• **आबंटित निधि:** 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 35,000 करोड़ रुपये।
	• **पृष्ठभूमि:** यह एक अम्ब्रेला योजना है और इसे **2018** में लॉन्च किया गया था।
	• **केंद्रीय नोडल एजेंसियां (CNA):** केंद्र सरकार **राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF)** के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना के तहत MSP[106] पर खरीद करने के लिए नकद ऋण सुविधाएं देने हेतु ऋणदाता बैंकों को सरकारी गारंटी प्रदान करती है।
	• **घटक:**
	  ○ **मूल्य समर्थन योजना (PSS):** इसके तहत जब बाजार मूल्य MSP से नीचे गिरता है तो **पूर्व-पंजीकृत किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिसूचित वस्तुओं की खरीद** की जाती है।
	    ▪ **2024-25** सत्र से **अधिसूचित दलहन, तिलहन और नारियल जैसी फसलों** की खरीद के तहत **राष्ट्रीय उत्पादन का 25%** कवर किया जाएगा।
	    ▪ हालांकि, **2024-25** में **तुअर, उड़द और मसूर** पर यह सीमा लागू नहीं होगी, क्योंकि इन फसलों के लिए पहले ही 100% खरीद का निर्णय लिया जा चुका है।
	    ▪ इसे संबंधित **राज्य सरकार के अनुरोध पर लागू** किया जाता है, जो यह सहमति देती है कि खरीदी गई दालों, तिलहनों और नारियल पर **मंडी कर नहीं** लगेगा। अपनी सहमति देने के बाद **राज्य सरकार केंद्रीय नोडल एजेंसियों को लॉजिस्टिक्स सहायता** प्रदान करती हैं।
	  ○ **मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF):** यह योजना चिन्हित कृषि-बागवानी उत्पादों की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए कार्यशील पूंजी और अन्य आकस्मिक व्यय प्रदान करती है।
	    ▪ उपभोक्ता मामलों का विभाग (DoCA) कीमतों के MSP से अधिक होने पर **NAFED के ई-समृद्धि पोर्टल और NCCF के ई-संयुक्ति पोर्टल** के माध्यम से **पूर्व-पंजीकृत किसानों से बाजार मूल्य पर दालों की खरीद** करता है।
	    ▪ PSF योजना के तहत अन्य फसलों जैसे कि टमाटर और **भारत दाल, भारत आटा और भारत चावल की सब्सिडीयुक्त खुदरा बिक्री** में भी हस्तक्षेप किया जाता रहा है।
	  ○ **भावांतर भुगतान योजना (PDPS)**[107]**:** इसमें तिलहन बेचने वाले पूर्व-पंजीकृत किसानों को **MSP और बिक्री/ मॉडल मूल्य के बीच के अंतर** का सीधे भुगतान करने की व्यवस्था की गई है।
	    ▪ कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्रत्येक फसल के लिए उचित औसत गुणवत्ता (FAQ) मानदंड तय/ अनुमोदित किए जाएंगे।

104 Price Support Scheme

105 Price Stabilization Fund

106 Minimum Support Price/ न्यूनतम समर्थन मूल्य

107 Price Deficit Payment Scheme

- ▪ **अधिसूचित तिलहनों** के विकल्प के रूप में PDPS के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को आगे आकर भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य तिलहनों के **मौजूदा 25% उत्पादन के कवरेज को बढ़ाकर 40%** कर दिया गया है।
  - ▪ किसानों के लाभ के लिए **कार्यान्वयन अवधि को 3 महीने से बढ़ाकर 4 महीने** किया गया है।
  - ▪ **न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिक्री/ मॉडल मूल्य** के बीच अंतर की क्षतिपूर्ति **केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जो MSP के 15% से अधिक नहीं होगी।**
- ○ **बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)[108]:** MIS का उद्देश्य उन **कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद** करना है **जो शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति की होती हैं और जिनके लिए MSP की घोषणा नहीं की गई है।** इसका लक्ष्य किसानों को उच्च उत्पादन के दौरान कीमतें गिरने पर घाटे पर फसलों की बिक्री करने से बचाना है।
  - ▪ सरकार ने कवरेज को उपज के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया है और MIS के तहत **किसानों के खातों में सीधे मूल्य में अंतर का भुगतान करने का विकल्प** जोड़ा है।
  - ▪ TOP फसलों के लिए, सरकार **NAFED और NCCF** के **परिवहन और भंडारण लागत को कवर** करेगी। इससे किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होगा और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उत्पाद प्राप्त होंगे।
- **नोट:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह विकल्प मिलता है कि वे PSS या PDPS में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। यह चयन किसी विशेष तिलहन फसल के लिए किसी दिए गए खरीद सीजन के दौरान पूरे राज्य के लिए किया जाता है।
- **ई-समृद्धि पोर्टल:** यह पोर्टल 2017 में विकसित किया गया था। यह पोर्टल राष्ट्रव्यापी MSP खरीद कार्यक्रम के माध्यम से तिलहन और दलहन में भारत की आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए NAFED के प्रयासों की आधारशिला रहा है। यह प्रगति और दक्षता का प्रतीक है।

108 Market Intervention Scheme

11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

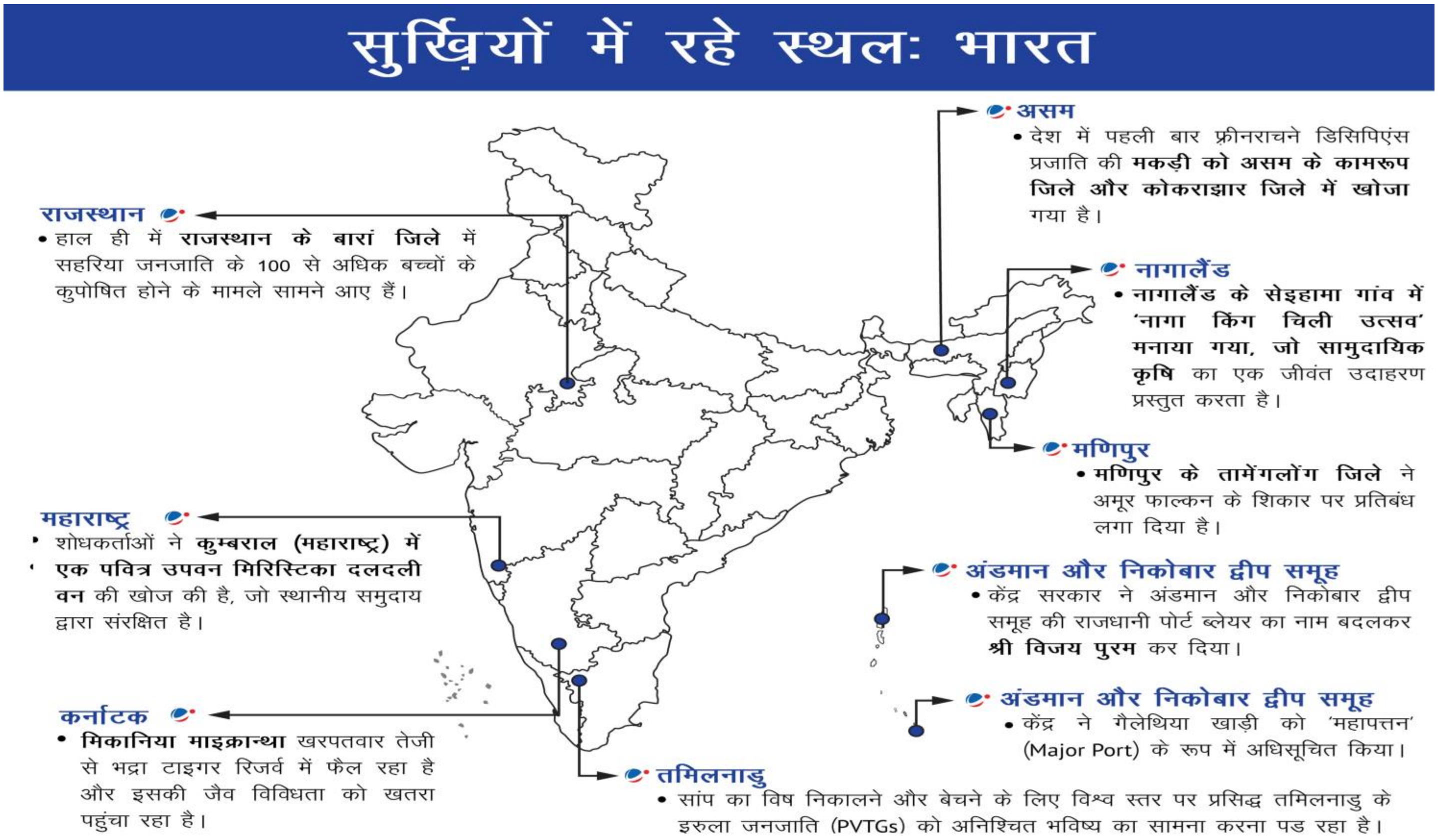

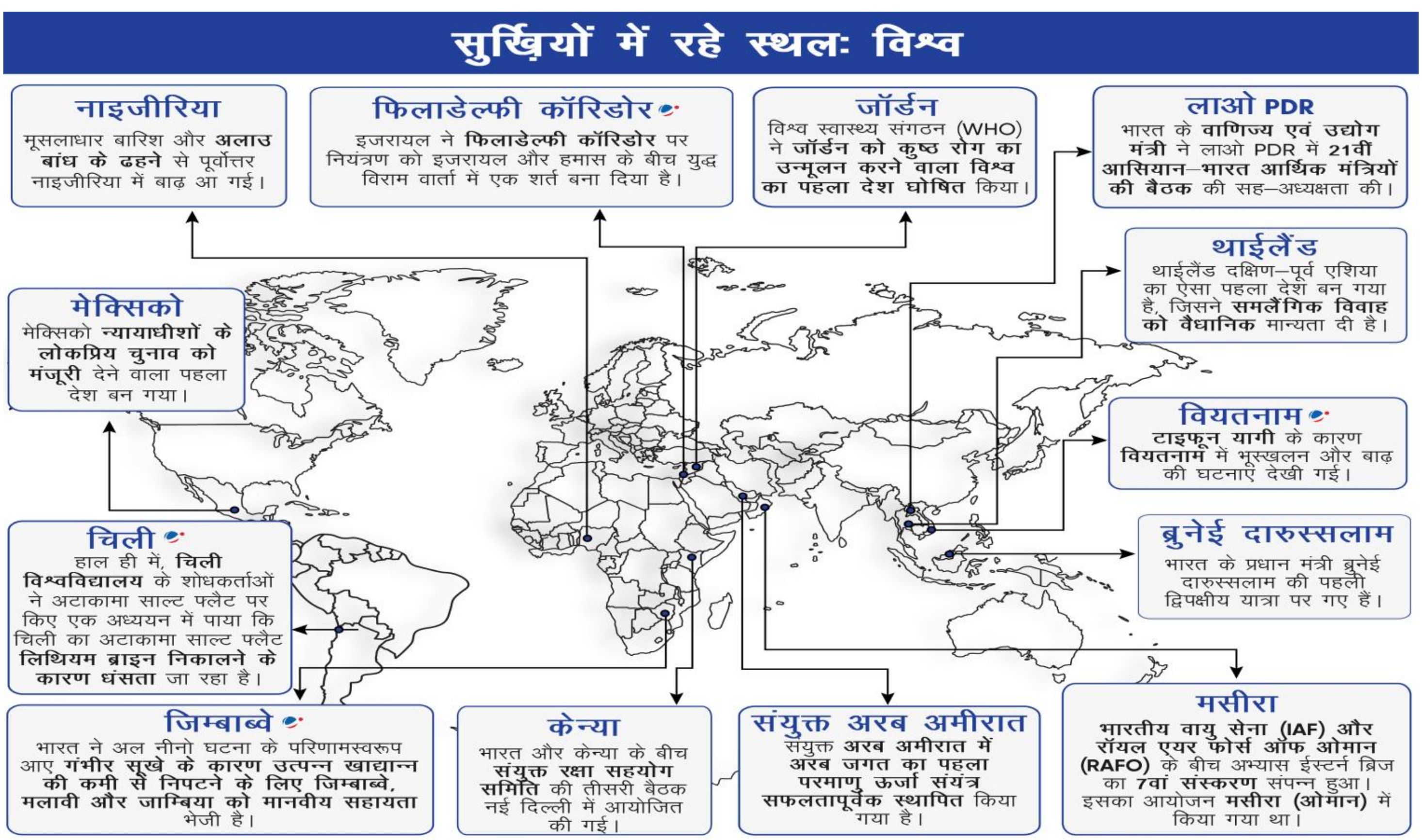

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स

2026 प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
20 नवंबर | 8 AM	12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए **QR कोड** को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए **QR** कोड को स्कैन कीजिए

डेली **MCQs** और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News)

व्यक्तित्व	के बारे में	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव	• **असम सरकार ने श्रीमंत शंकरदेव पीठ** की स्थापना के लिए **विश्व भारती विश्वविद्यालय** के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। • **श्रीमंत शंकरदेव के बारे में** ▸ उनका जन्म **असम के नगांव जिले में स्थित आली–पुखुरी** में हुआ था। ▸ वे एक **संत–विद्वान, बहुश्रुत/ बहुज्ञ (polymath) और सामाजिक–धार्मिक सुधारक** थे। ▸ **प्रमुख योगदानः** ✓ उन्होंने **वैष्णववाद** के एक रूप **"एक–शरण–हरि–नाम–धर्म"** का प्रचार किया था। इसमें **भगवान कृष्ण** को परम, शाश्वत और एक माना जाता है। * उनकी धार्मिक व्यवस्था **पूरी तरह से एकेश्वरवादी** थी। ✓ उन्होंने **सत्र नामक विशिष्ट वैष्णव मठों की भी स्थापना** की थी। ✓ **वे निम्नलिखित के सृजन के लिए भी जाने जाते हैं:** * संगीत की नवीन शैली **(बोरगीत)**; * नाट्य प्रदर्शन **(अंकिया नाट व भाओना)**; * शास्त्रीय नृत्य **(सत्रिया)**; * साहित्यिक भाषा **(ब्रजावली)**; तथा * साहित्यिक कृतियां: **भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर, कीर्तन घोष आदि।**	**सामाजिक विवेक और मानवतावाद** • उन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने पूर्वोत्तर भारत के लोगों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। • उनकी शिक्षाओं ने उनके अनुयायियों को समानता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा और मानवता के प्रति प्रेम के गुणों से परिचित कराया।
 संत तुकाराम	• महाराष्ट्र सरकार ने **पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा** करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। • **संत तुकाराम के बारे में** ▸ वे **17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत कवि और महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन** के प्रमुख संत थे। वे **शिवाजी महाराज के समकालीन** थे। ▸ उनका संबंध **'वारकरी' संप्रदाय (संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ और नामदेव के साथ)** से था। यह संप्रदाय मध्यकाल में महाराष्ट्र में फला–फूला था। ▸ **प्रमुख योगदान** ✓ तुकाराम ने **अभंग भक्ति कविताओं** की रचना की थी। उन्होंने **कीर्तन** नामक आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से समुदाय–उन्मुख पूजा का प्रचलन किया था। * अभंग **भगवान पांडुरंग या विट्ठल** के स्तुति गीत हैं। भगवान पांडुरंग या विट्ठल **वारकरी पंथ** के मुख्य देवता और **विष्णु** के एक अवतार हैं। ▸ **प्रसिद्ध कृतियां:** मराठी भाषा में **तुकाराम गाथा (1632–1650) बहुत महत्वपूर्ण है।** इस कृति में लगभग 450 अभंग शामिल हैं। ✓ उनकी कृतियों ने भक्ति आंदोलन में योगदान दिया था। उन्होंने **समानता, ईश्वर के प्रति समर्पण और सामाजिक सुधार** पर बल दिया था।	**समतावाद और आध्यात्मिकता** • भगवान का परम भक्त होने के नाते, उन्होंने अपने पूरे जीवन में जातिविहीन समाज का संदेश प्रसारित किया। • उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भक्ति गीत भी लिखे।

 वल्लिनयगम ओलगनाथन चिदंबरम पिल्लई	• **वी.ओ.चिदंबरम पिल्लई** को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। • **वी.ओ.चिदंबरम पिल्लई के बारे में:** ▸ इन्हें लोकप्रिय रूप से **'कप्पलोट्टिया तमिलन'** (जहाज चलाने वाले तमिलियन) और **सेक्किजुथ्था सेम्मल** (ऑयल प्रेस में कष्ट सहने वाला विद्वान व्यक्ति) कहा जाता है। ▸ वे **1906** में स्वदेशी जलयान चलाने वाले पहले भारतीय थे। ▸ वे **लोकमान्य तिलक के शिष्य** थे। ▸ वे **श्रमिक कल्याण के प्रति काफी सजग** रहते थे और उन्होंने **तूतीकोरिन कोरल मिल्स हड़ताल (1908)** में भी हिस्सा लिया था। ▸ **साहित्यिक कृतियां:** मेय्यारम, मेय्यारिवु, तिरुकुरल पर एक भाष्य और तमिल व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ तोलकाप्पियम का संकलन।	**देशभक्ति और उत्साह** • उनका उद्देश्य देश में स्वदेशी की पहुंच का विस्तार करना और आम भारतीय लोगों को दोषपूर्ण ब्रिटिश सरकार के बारे में जागरूक करना था। • उन्होंने अपने तमिलनाडु में कार्यरत ट्रेड यूनियनों को एक मजबूत नेतृत्व के साथ–साथ उत्साह प्रदान किया और अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया।
 गोविंद बल्लभ पंत	• प्रख्यात **भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री** रहे गोविंद बल्लभ पंत को उनकी जयंती पर याद किया गया। • **गोविंद बल्लभ पंत (10 सितंबर 1887–7 मार्च 1961) के बारे में** • **जन्म स्थान:** अल्मोड़ा (उत्तराखंड में)। • **राजनीति में प्रवेश:** ▸ उन्होंने **1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना** की थी, जिसके बाद उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया था। ▸ **1923 में स्वराज पार्टी** की टिकट पर वे **संयुक्त प्रांत की विधान परिषद** के सदस्य चुने गए थे। • **प्रमुख योगदान** ▸ उन्होंने **नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन** में भाग लिया था। उन्हें **1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए योजना बनाने** के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। ▸ केंद्र सरकार और कुछ राज्यों की **आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता** दिलवाने में उनका अमूल्य योगदान था। ▸ **भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन: 1955 से 1961 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान** भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ▸ **मुख्यमंत्री के रूप में योगदान: वे जमींदारी प्रथा के विरोधी थे। उत्तर प्रदेश में हिंदू कोड बिल** पारित करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस बिल ने **हिंदू पुरुषों के लिए बहुविवाह पर रोक** लगा दी थी। ▸ **उपलब्धियां:** उन्हें **1957 में भारत रत्न** प्रदान किया गया था।	**न्याय और सार्वजनिक सेवा** • क्रांतिकारियों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी स्वतंत्रता और न्याय के प्रति उनके मूल्य को उजागर करती है। • शासन और नीति–निर्माण में उनका योगदान सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र–निर्माण के लिए समर्पित जीवन का उदाहरण है, जो एक एकीकृत और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण पर केंद्रित है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

- **शिक्षक दिवस** डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (5 सितंबर 1888– 17 अप्रैल 1975) के बारे में**
  - ये **एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक** थे। इनका **जन्म तमिलनाडु के तिरुत्तनी** में हुआ था।
  - ये **भारत के पहले उपराष्ट्रपति** (1952 से 1962) और **दूसरे राष्ट्रपति (1962–1967)** बने थे। 5 सितंबर 1962 से उनकी जयंती को **राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप** में मनाया जाता है।
  - इन्होंने **शिक्षा की नैतिक और नीतिपरक भूमिका** पर जोर दिया और माना कि **शिक्षक राष्ट्र की प्रगति का आधार हैं।**
  - **उनके द्वारा लिखित पुस्तकें:** रवींद्रनाथ टैगोर का दर्शन, उपनिषदों का दर्शन आदि।
  - **पुरस्कार:** भारत रत्न (1954), 1961 में जर्मन बुक ट्रेड में शांति पुरस्कार आदि।

नेतृत्व क्षमता और विद्वता

- उन्होंने पश्चिमी आदर्शवादी दार्शनिकों की सोच को भारतीय चिंतन में शामिल किया। उन्होंने भारतीय दर्शन को विश्व पटल पर रखा।
- एक शिक्षक के रूप में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की 1940–49 की रिपोर्ट शैक्षिक सोच और व्यवहार में उनका सबसे बड़ा योगदान है।

शरत चंद्र बोस

- प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शरत चंद्र बोस को उनकी **135वीं जयंती (06 सितंबर)** पर देश भर में याद किया गया।
- **शरत चंद्र बोस के बारे में**
  - इनका जन्म **कटक (ओडिशा)** में हुआ था।
  - वे **बंगाल विधान परिषद के सदस्य थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा थे।**
  - वे **कलकत्ता नगर निगम में कई बार एल्डरमैन** के रूप में भी चुने गए थे।
  - **प्रमुख योगदान**
    - **1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन** में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी पेशेवर प्रैक्टिस (वकालत) छोड़ दी थी। आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें **1932 में गिरफ्तार कर तीन साल के लिए जेल भेज** दिया गया था।
    - वे **फॉरवर्ड ब्लॉक** जैसे समाजवादी विचारधारा वाले दलों के साथ जुड़े हुए थे।
      - उल्लेखनीय है कि **फॉरवर्ड ब्लॉक** की स्थापना उनके भाई **नेताजी सुभाष चंद्र बोस** ने की थी।
    - उन्होंने **धार्मिक आधार पर बंगाल और पंजाब के विभाजन का पुरजोर विरोध** किया था। उन्होंने **1947 में कांग्रेस कार्य समिति से इस्तीफा** दे दिया था।
    - उन्होंने **द सोशलिस्ट रिपब्लिकन, महाजाति और द नेशन** जैसे समाचार–पत्र प्रकाशित किए थे।

देशभक्ति और दृढ़ निश्चय का साहस

- भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका अथक संघर्ष, विशेष रूप से बंगाल और पंजाब के विभाजन का विरोध करना, उनकी देशभक्ति की भावना और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
- 1947 में विभाजन के विरोध में उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमिटी से इस्तीफा दे दिया था। इससे उनके सिद्धांतों पर अडिग रहने के प्रति अटूट साहस का पता चलता है, भले ही यह उस समय के लोकप्रिय राजनीतिक रुख के खिलाफ रहा हो।

 श्यामलाल गुप्त 'पार्षद'	• **प्रसिद्ध कवि और गीतकार श्यामलाल गुप्त 'पार्षद'** को हाल ही में उनकी जयंती पर याद किया गया। • **श्यामलाल गुप्त 'पार्षद (9 सितंबर 1896–10 अगस्त 1977) के बारे में** ▸ उनका **जन्म कानपुर के नरवल** में हुआ था। ▸ वे **स्वतंत्रता सेनानी, कवि, गीतकार, पत्रकार, समाजसेवी और शिक्षक** थे। ▸ **योगदानः** ✓ उन्होंने **1924** में देशभक्ति गीत **'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा' (झंडा गीत)** की रचना की थी। ✓ उन्होंने **'नमक सत्याग्रह' और 'भारत छोड़ो आंदोलन'** जैसे प्रमुख आंदोलनों में भाग लिया था। ✓ **समाजसेवीः** उन्होंने कॉलेज, अनाथालय और बालिका स्कूल सहित कई संगठनों की स्थापना की थी। * उन्होंने **दहेज प्रथा का भी सक्रिय रूप से विरोध** किया था और **विधवाओं के पुनर्विवाह** का समर्थन किया था। ✓ वे **'सच्चिव'** नामक मासिक पत्रिका का संपादन करते थे। ▸ **उपलब्धियांः** ✓ सरकार ने उन्हें **1973 में 'पद्मश्री' से सम्मानित** किया था।	**न्याय और दृढ़ता** • एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने, दहेज प्रथा का विरोध करने और विधवाओं के पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए समर्पित कर दिया। • नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने से उनके साहस के गुण का पता चलता है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2025

ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट

ENGLISH MEDIUM 2025: 27 OCTOBER
हिन्दी माध्यम 2025: 27 अक्टूबर

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ऑफलाइन क्लासरूम, मेंटरिंग

SUPPORT SYSTEM & FACILITIES

VISIONIAS MUKHERJEE NAGAR (GTB NAGAR CENTRE)

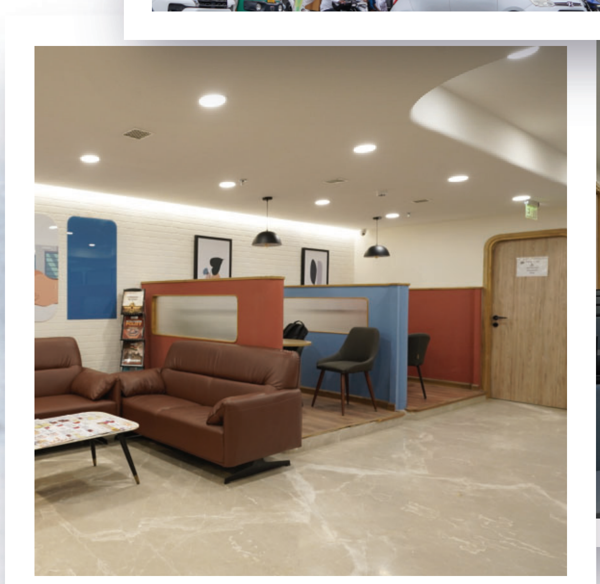

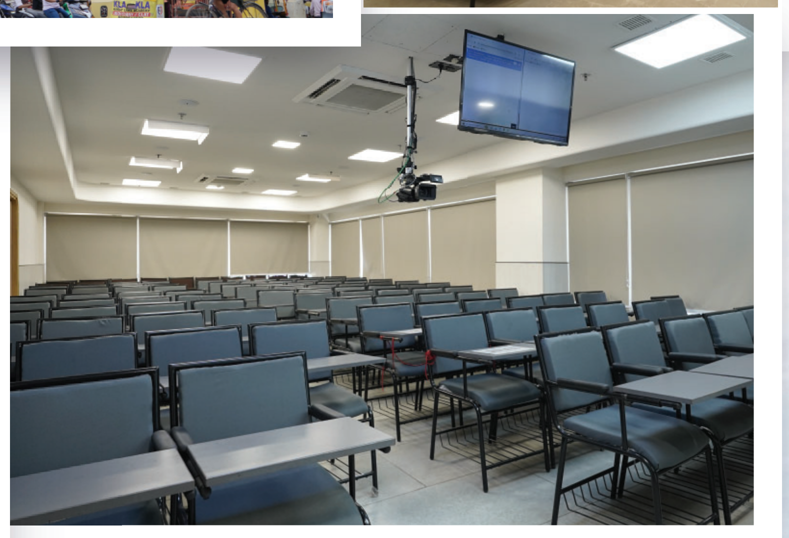

MAIN BUILDING WITH ENTRY/EXIT MARK

RECEPTION AREA

COUNSELING/MENTORING

FIRE EXIT PLAN

CLASSROOMS (CHAIRS/ENTRY/EXIT)

क्लासरूम प्रोग्राम : Vision IAS तैयारी के विभिन्न चरणों में सहायता और मार्गदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है :

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा): लगभग 12–14 महीने में सम्पूर्ण सिलेबस कवरेज
- CSAT क्लासेज
- करेंट अफेयर्स क्लासेज– मासिक करेंट अफेयर्स रिवीजन, PT365, Mains365
- निबंध लेखन
- एथिक्स (Ethics)– एथिक्स क्रैश कोर्स, एथिक्स केस स्टडीज
- GS मेंस एडवांस कोर्स

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। **VisionIAS** पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए **Vision IAS** के **Innovative Assessment System™** द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (**GS Mains**) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया **GS** प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- **CSAT** टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (**Open Test**)
- **Abhyaas**– **Abhyaas Prelims & Mains**

मेंटरिंग कार्यक्रम – **UPSC** सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडे. मिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए **Vision IAS** प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (**Daksha**): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (**Lakshya**): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए **Vision IAS** द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- **PT** 365
- **Mains** 365

स्टडी मैटेरियल– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए **Vision IAS** द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- **PT** 365 एवं **Mains** 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (**PYQs**) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर **Vision IAS** द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

अनुभवी फैकल्टी का मार्गदर्शन

ASHOK DUBEY SIR

MRITYUNJAY SIR

RAJEEV RANJAN SIR

SUNIL KUMAR SINGH SIR

हिंदी माध्यम टॉपर

1 AIR
Aditya Srivastava

53 AIR
मोहन लाल

136 AIR
अर्पित कुमार

1 AIR
Shubham Kumar
UPSC CSE 2020

454 AIR
Bajarang Prasad
UPSC CSE 2022

468 AIR
Vikas Gupta
UPSC CSE 2022

605 AIR
Jatin Parashar
UPSC CSE 2022

HEAD OFFICE
DELHI
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN | /VISION_IAS | /C/VISIONIASDELHI | VISION_IAS | /VISIONIAS_UPSC

AHMEDABAD BENGALURU BHOPAL CHANDIGARH DELHI JAIPUR JODHPUR GUWAHATI HYDERABAD LUCKNOW PRAYAGRAJ PUNE RANCHI

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

1 AIR

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023** from various programs of **Vision IAS**

2 AIR **Animesh Pradhan**

5 AIR **Ruhani**

6 AIR **Srishti Dabas**

7 AIR **Anmol Rathore**

9 AIR **Nausheen**

10 AIR **Aishwaryam Prajapati**

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

हिंदी माध्यम टॉपर

53 AIR मोहन लाल

136 AIR अर्पित कुमार

238 AIR विपिन दुबे

257 AIR मनीषा धार्वे

313 AIR मयंक दुबे

517 AIR देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

53 AIR मोहन लाल

TOPPERS' TALK

AIR 136 अर्पित कुमार

TOPPERS' TALK

विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न

मुखर्जी नगर ऑफलाइन सेंटर

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visioniashindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias